सोमवार, 24 नवंबर 1980

3 अग्राहयण 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 5 सोमवार, 24 नवम्बर, 1980/3 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 82(क) और 84 से 86	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83, 87 से 95, 95(क) और 96 से 100	17—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 801 से 822, 824 से 941, 943 से 990 992 से 1000, 1000(क) से 1000य, 1000र, 1000ल और 1000व	17—176
सभा पटल पर रखे गये पत्र	177—180
लोक लेख समिति के विवरण	180
राज्य सभा से संदेश	181—182
राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक	182—183
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	183—199
किसानों द्वारा कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्यों की कथित मांग	
श्री कमल नाथ	183—187
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	187—189
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	189—195
श्री राजेश कुमार सिंह	195—199
समिति के लिए निर्वाचन	199—200
(एक) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	199
(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, पुर:स्थापित	199 200—202
एकाधिकार तथा अवरोधन व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य।	203
श्री पी० शिवशंकर	
वायु (निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक-पुर:स्थापित	203
नियम 377 के अधीन मामले	203—206
(एक) कोको उत्पादकों की दशा में सुधार करने के उपाय	203
प्रो० पी० जे० कुरियन	
(दो) कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में टीटेनियम फैक्ट्री की स्थापना	204
श्री एन० डेनिस	

किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर और वाराणासी जिलों में डीजल की कमी	204
श्री हरिकेश बहादुर	
(चार) कलकत्ता स्थित भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग में स्वचालित यंत्र लगाने का मामला	205
श्री निरेन घोष	
आसाम बजट 1980-81—सामान्य चर्चा	206—250
अनुदानों की मांगें (आसाम), 1980-81	
श्री रशीद मसूद	206
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	208
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	211
श्री संतोष मोहन देव	214
श्री राम जेठमलानी	217
श्री एच० के० एल० भगत	221
श्री सी० टी० दंडपाणि	223
श्री कमल नाथ झा	225
प्रो० पी० जे० कुरियन	227
श्री जैनुल बशर	230
श्रीमती प्रमिला दंडवते	231
श्री मूल चंद डागा	234
श्री नारायण चौबे	235
श्री राजेश पायलट	236
श्री नीललोहिथादसन	238
श्री जी० एम० बनातवाला	239
श्री आर० वेंकटरामन	242
आसाम विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1980-81—पुरःस्थापित	251
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	251
श्री नीरेन घोष	251
खंड 2, 3 तथा	252
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	252
आधे घण्टे की चर्चा	253—268
'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का अनुपयुक्त स्टाक	253

लोक सभा

सोमवार, 24 नवम्बर, 1980/3 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने दो भूतपूर्व साथियों के नामतः सर्व श्री के० ए० दामोदर मेनन तथा शिव शंकर प्रसाद यादव के दुखद निधन की सूचना सभा को देता हूँ।

श्री के० ए० दामोदर मेनन अस्थाई संसद तथा 1950-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे। वे 1960 में केरल विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये थे और केरल सरकार में उद्योग, व वाणिज्य व सूचना तथा प्रचार मंत्री रहे। उन्होंने स्वतन्त्रता अन्दोलन में भाग लिया और जेल भी गये। वह विख्यात पत्रकार मलायलम दैनिक 'मातृभूमि' के सम्पादक रहे और 1946-48 के दौरान मालाबार पत्रकार संस्था के अध्यक्ष रहे। मलायलम भाषा की अनेक पुस्तकों का यह लेखक केरल साहित्य परिषद् का सदस्य था। उनका 74 वर्ष की आयु में 1 नवम्बर, 1980 को कोचीन में स्वर्गवास हो गया।

श्री शिव शंकर प्रसाद यादव 1971-77 के दौरान बिहार के खागरिया निर्वाचन क्षेत्र से पांचवी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता तथा पद्दलितों के दमन के विरूद्ध संघर्ष किया। वे उनका 73 वर्ष की आयु में 11 नवम्बर, 1980 को मैडिकल कालिज अस्पताल, पटना में स्वर्गवास हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

सभा दिवंगतों के प्रति सम्मान के रूप में कुछ क्षण मौन खड़ी हो ।

इसके पश्चात सदस्य गण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में टेलीफोन की दोषयुक्त सेवा

*81. **श्री छांगुर राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन सेवा खराब होने की बहुत सारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नई-नई शिकायतों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पिछली कितनी शिकायतें बकाया पड़ी हैं और गत छः मास के दौरान प्रतिमास कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) पिछली शिकायतों को दूर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राजधानी में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) जी नहीं । इस बात में सच्चाई नहीं है कि दिल्ली में टेलीफोन सेवा खराब होने की बहुत सारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और टेलीफोन सेवाएं उपेक्षित रही ।

(ख) उपेक्षित शिकायतें बकाया नहीं पड़ी हैं । वह शिकायतें जो सांयकाल विलंब से बुक की जाती हैं और जिनकी मरम्मत उसी दिन नहीं हो पाती उन शिकायतों को दूसरे दिन निपटाया जाता है । पिछले 6 महीनों के दौरान प्राप्त माहवार शिकायतों की संख्या सभा पटल पर रखी जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) राजधानी में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया जा रहा है :—

(1) शुष्क वायु द्वारा मुख्य केबुलों का दाबीकरण ।

(2) जैली भरे वितरण केबुलों का प्रयोग ।

(3) घनी आबादी वाली बस्तियों में क्षति से बचाने के लिए नालियों में केबुल बिछाना ।

(4) दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए सेवा में सुधार लाने के लिए सहधुरीय तथा सूक्ष्म तरंग प्रणालियों का प्रयोग ।

(5) मानसून के दौरान सेवा में खराबियों को दूर करने के उपायों की सिफारिश करने हेतु कार्य-वल का गठन ।

(6) मौजूदा एक्सचेंजों पर भार कम करने के लिए उस वर्ष लगभग 12000 लाइनों तथा अगले वर्ष 15000 लाइनों की वृद्धि ।

(7) इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की स्थापना करके जालकार्य का आधुनिकरण ।

विवरण

दिल्ली में दोषयुक्त टेलीफोन सेवा-विगत 6 माह में दिल्ली टेलीफोन्स में प्राप्त शिकायतों की संख्या से संबंधित सूचना ।

महीना	शिकायतें
अप्रैल, 1980	173480
मई, 1980	186625
जून, 1980,	186237
जुलाई, 1980	215871
अगस्त, 1980	190086
सितम्बर, 1980	177370

श्री छांगुर राम : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे तो ऐसा लगता है कि टेलीफोन सेवा में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि हम टेलीफोन ऐक्सचेंज को मिला रहे हैं, घण्टी बज रही है, लेकिन दस मिनट तक कोई नहीं उठाता है। मिला रहे हैं आपके यहाँ और मिल जाता होटल के साथ।

अध्यक्ष महोदय : रिजर्वेशन में सहूलियत हो जाती है।

श्री छांगुर राम : इस तरह कई बार मिलाना पड़ता है और सब्स्काइबर का बिल बढ़ जाता है। अगर किसी तरह मिल भी जाये, तो बीच में ही कट जाता है। तब हम इन्तजार करते रहते हैं कि कब बात करें—बंदूक ताने खड़े रहते हैं कि मौका मिले, तो फायर करें। बात कोई कर रहा है और बिल हमारा बढ़ रहा है। एस टी डी की भी यही स्थिति है। एक्सचेंज वाले एक के काल को काट कर दूसरे को मिला देते हैं। तब भी बात कर रहा है कोई दूसरा और बिल आ रहा है हम पर। यह जो ओवर-बिलिंग होता है और ये जो कठिनाइयां हैं, क्या मंत्री महोदय का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है?

श्री कार्तिक उरांव : हम लोगों को पता है कि इस तरह की कम्प्लेंट्स होती हैं। लेकिन जहां तक एक्सेस बिलिंग का सवाल है, माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए कि एक्सेस बिलिंग क्यों होता है। कहा जाता है कि हम डायल भी नहीं करते हैं और काल का बिल आ जाता है। आखिर कौन टेलीफोन करता है, यह पता लगाना चाहिए। **देयर आर सम ह्युमैन फैक्टर्ज।** यह बात तो बिल्कुल गलत है कि हम टेलीफोन नहीं करते हैं और एक्सेस बिलिंग होता है।

(व्यवधान)

श्री छांगुर राम : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट है?

श्री कार्तिक उरांव : अगर कोई इस तरह की कम्प्लेंट होती है और पूछा जाता है, तो हम अफसर को बुला कर पूरी बात बता देते है और **दे गैट सेटिसफाइड**। सब की बात नहीं मानी जा सकती है। सब का टेलिफोन का बिल कैसे बढ़ सकता है? **देयर मस्ट बि समथिंग रौंग।**

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि कुछ लोग गलत सूचना भी देते हों, लेकिन अगर इस हाउस का कोई आनरेबल मेम्बर एक बात कहता है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि इस बारे में जांच करने का कौन सा साधन है।

श्री कार्तिक उरांव : अगर किसी स्पेसिफिक केस के बारे में उसी टाइम पर हमें खबर दी जाये, तो हम पता लगा सकते है। हमारे देश में कुछ ह्युमैन फैक्टर्ज का भी ख्याल करना

पड़ेगा। अगर कोई कहे कि हम टेलीफोन करते हैं, कनेक्शन नहीं मिलता है, तो कभी-कभी यह भी होता है। लेकिन यह कहना गलत है कि यह रेगुलर फीचर है।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को चैक कराने की व्यवस्था करें।

श्री कार्तिक उरांव : हम माननीय सदस्यों की एंग्जायटी को समझते हैं।

श्री छांगुर राम : जुलाई से लेकर सितम्बर तक हर महीने दो लाख से कुछ कम शिकायतें की जाती रही हैं। जुलाई में दो लाख से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि काम अच्छा हो रहा है। यह उसकी अच्छाई का प्रतिक है कि हर महीने दो या दो लाख से ऊपर शिकायतें केवल दिल्ली से हो रही हैं! अक्टूबर में टेलीफोन सलाहकार समिति ने अपनी बैठक में टेलीफोन अधिकारियों को बहुत फटकारा और कहा कि इन शिकायतों की तरफ ध्यान दिया जाये और काम को सुधारा जाये। उसने यह भी कहा कि जो टेलीफोन एक्सचेंज ओवर-लोडिड हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाये। ओवर लोड की वजह से कई टेलीफोन-एक्सचेंजिज बन्द हो गई हैं, खराब हो गई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन बातों पर ध्यान देकर काम में सुधार करेंगे।

सचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : श्रीमान् प्रश्न शिकायतों के बारे में तथा उसमें यह भी पूछा गया है कि क्या टेलीफोन सेवा खराब होने, पर क्या शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, संख्या दी गई है।

(व्यवधान)

परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि दिल्ली में 44 एक्सचेंजें हैं। स्थापित क्षमता 2,11,000 है। कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 1,85,000 इस प्रकार स्थिति पर है कि प्रति टेलीफोन के लिये प्रति माह दोष औसत्तन एक से भी कम है। वास्तव में स्थिति यह है।

श्रीमान् विश्व में कहीं पर भी टेलीफोन पद्धति पूर्ण नहीं हैं और न ही कहीं पर दोष मूल होने का दावा किया जा सकता है। दोष रहेंगे ही। प्रश्न यह है कि टेलीफोन को सही करने में कितना समय लगता है, केवल यही प्रश्न है। परन्तु कोई पूर्ण नहीं है। मैं आपको आकड़े बताऊगा।

श्रीमान् जून-अगस्त मानसून अवधि के समय जब यहां काफी वाद-विवाद हुआ था तो हमारे पास 100 टेलीफोन की शिकायतें तक पहुँच गई थी। अप्रैल के दौरान 68, मई में 73 जून, 72 जूलाई, 84 अगस्त में 73 तथा सितम्बर में घट कर 68 हो गई है।

अब ध्यान दिये गये दोषों की समय अवधि 5.4 घण्टे, 5.5 घंटे है। इसके बाद यह बढ़कर 6.6, 8.8 तथा 7.6 हो गई। अब यह घटकर 5 घण्टे हो गई है। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

श्रीमान, मैं अभी सभा के समक्ष स्पष्ट करूंगा। होता क्या है यदि आप 198 पर टेलीफोन करते हैं तो हमें शिकायत मिलती है। हम एक रजिस्टर तैयार करते हैं। इसके बाद हम जांच करते हैं कि क्या यह दोष है या एक्चेंज में कार्य का भार अधिक है होता यह है कि यदि कार्य का भार अधिक हो रहा होता है तो निसन्देह कोई जवाब नहीं मिलता और हमें व्यस्त की आवाज सुनाई पड़ती है। इस की पहचान हो जाती है और यदि इसका हमें दोष के रूप में पता

लग जाता है तो इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि दोष कहाँ उत्पन्न हो गया है; क्या यह एक्सचेंज में है या एक्सचेंज से बाहर है यह कार्य 30 मिनट के समय के भीतर कर दिया जाता है। यदि शिकायत बाहरी कारणों से संबंधित हैं और यदि यह हमारे पास 7 बजे के बाद आती है तो इस पर ध्यान नहीं दिया सकता है और इस पर अगले दिन ध्यान दिया जाता है। यह अग्रेतर दोष की संख्या प्रति दिन 2000 है और इस पर अगले दिन ध्यान दिया जा रहा हैं और उच्चतम प्राथकिता दी जा रही है। चूंकि औसतन दोष 2000 है जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसलिये इन्हें अगलेदिन के लिये छोड़ दिया जाता है क्योंकि यह बाहरी क्षेत्र तथा आदि के लिये है। यह यांत्रिक दोष है।

माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे। निर्धारित किये गये बात यह है कि दिल्ली में दोष दूर करने की अवधि लक्ष्य से पीछे नहीं हैं जो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता हैं और इसमें अंतर कम हो रहा है। यह 8.8 से घटकर 7.7 हो गया है। और खराबियां 84 से घट कर 68 तक का गई। 100 खराबियों से घट कर 42 हो गई। शिकायतें घरकर 68 रह गई और वास्तविक खराबियाँ जिनका पता लग सका घटकर 42 हो गई। प्रातदिन 100 में 42 कोई अधिक नही है और इन पर काबू पाया जा रहा है। परन्तु इस सबके बावजूद पिछली बची हुई खर वियाँ लगभग 20.4 हैं। मुझे बस यही कहना है। यह यान्त्रिक दोष है। यह बात भी समझने की आवश्यकता है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : अध्यक्ष महोदय,

मंत्री महोदय ने यह बिल्कुल स्पस्ट कर दिया है कि टेलीफोन सेवा को बिल्कुल दोष रहित नहीं किया जा सकता। मैं उनसे सहमत हूँ।

(व्यवधान)

परन्तु, महोदय, दिल्ली में जिस प्रकार शिकायतों को निपटाया जाता है, वह नितान्त असन्तोष जनक है। महोदय, यह केवल मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि सभी माननीय सदस्य इस बारे में मेरे अनुभव से सहमत हैं।

महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा। सितम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह के आरम्भ से लेकर अक्टूबर, 1980 के प्रथम सप्ताह के अन्त तक ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मेरे टेलिफोन की शिकायत न की गई हो आम तौर पर हमें उत्तर दिया जाता है "जरूर देखेंगे" एक या दो शिकायतों के बाद फिर कोई सज्जन उपकरण की जांच हेतु आते और इस प्रकार दिखावा करते कि उपकरण ठीक हो गया है। परन्तु जिस क्षण मैं इसका उपयोग करना आरम्भ करता हूँ उसे पुनः खराब पाता हूँ। संयोगवश एक या दो दिन पहले मुझे मंत्री महोदय के निवास पर किसी कार्यवश जाने का मौका मिला मैंने उनके निजी सदस्यों के माध्यम से शिकायत कराई। उन्होंने मेरी ओर से शिकायत दर्ज करा दी। परन्तु परिणाम वही रहा यद्यपि मुझे नया टेलफोन उपकरण मिल गया परन्तु मेरे टेलीफोन की हालत वही है अर्थात जब कभी मैं केवल या कहीं टेलीफोन करना चाहता हूं यह खराब ही पाया जाता है। इस मामले में जो नवीनतम स्पष्टी करण उन्होने मुझे देने का प्रयत्न किया वह यह है कि टेलीफोन एक्सचेंज में उपकरणपुराना हो गया है अतः इसी कारण से दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था विगड गई। यदि यह उपकरण के पुराने पड़ने से है तो क्या इसके स्थान पर नया उपकरण लगाने की उनकी कोई

योजना है और यदि हो तो ऐसा कब तक किया जाएगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : देश में ऐसे कई एक्सचेंज हैं जहाँ उपकरण पुराने हो गए हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है । दिल्ली में यद्यपि कुछ पुराने एक्सचेंज हैं परन्तु वे इतने पुराने नहीं हैं कि उन्हें बदला जाए । अतः उपकरण बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस विशेष मामले का जहाँ तक संबंध है जिसे श्री कृष्ण मूर्ति ने उठाया है, हम इसे संभाल सकते थे । मैं नहीं जानता कि सही स्थिति क्या है परन्तु सदस्य महोदय यह कहते हैं कि तकनीशियन ने आकर इसे देखा, टेलीफोन इन्स्पेक्टर भी हो गया, उन्होंने इसकी जांच की और इसे ठीक पाया बाद में उपकरण बदल भी दिया गया । इसकी जाँच की जानी है । मैं इस मामले की अवश्य जाँच करूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के मामले पर......

अध्यक्ष महोदय: देखिये, 17 मिनट इस सवाल पर हो गये हैं । इस तरह से तो सारा वक्त एक ही सवाल पर जाया हो जायगा, दूसरे सबाल को डिस्कस नहीं किया जा सकेगा...
(व्यवधान)

आप ऐसा कीजिये, आधा घन्टे की बहस के किये लिख कर दे दीजिये...

श्री जगपाल सिंह : छोटे शहरों के तो एक्सचेन्ज हमेशा ही बन्द रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हाफ-एन-आवर डिस्कशन के लिये लिख कर दे दीजिये ।

विषय:- संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन से भेंट के रुप में रेपसीड तेल प्राप्त होना :

82:- **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **कृषी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 के शुरू में संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत को 420 मीट्रिक टन रेपसीड तेल भेंट किया गया था :

(ख) यदि हां, तो तेल की यह खेप इस देश में कब पहुंची; और

(ग) इसका निपटान किस तरह किया गया

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) संयुक्त राष्ट्र संघ/खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जुलाई-अगस्त 1978 के दौरान भारत को उपहार के रूप में लगभग 420 मी. टन रेपसीड तेल की सप्लाई की थी ।

(ख) जुलाई/अगस्त, 1978 के दौरान, कलकत्ता बन्दरगाह पर निम्नलिखित खेप प्राप्त हुई—

जलयान का नाम	मात्रा (मी. टन)	पहुंचने की तारीख
"स्टेट आफ महाराष्ट्र"	232.762	29.8.78
"किरींविल्ली	187.142	9.7.78
योग:-	419.904	

(ग) देश में बाढ़ पीड़ित लोगों को अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिये

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से वस्तु के बदले वस्तु की आपूर्ति करने के आधार पर 425 मी. टन पामोलीन तेल ऋण के रूप में लिया गया था। अतः बकाया ऋण के भुगतान के लिए यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम को विश्व खाद्य कार्यक्रम का 420 मी. टन तेल दे दिया जाए।

श्री सुनिल मैत्रा : मुझे मंत्रालय से इसी कहानी की आशा थी।

क्या यह सत्य है कि मार्च, 1979 से कलकत्ता पत्तन न्यास के अधिकारी भारत सरकार से खाद्य एवं कृषि संगठन से प्राप्त 420 मीट्रिक टन रेपसीड तेल उठाने के लिए कहते आ रहे हैं जो कि कलकत्ता पत्तन न्यास के गोदामों में पड़ा हुआ है।

क्या यह भी सत्य है कि जून, 1980 में कलकत्ता पत्तन न्यास ने कृषि मंत्रालय को लिखा था कि यदि सितम्बर, 1980 तक इस 420 मीट्रिक टन रेपसीड तेल को नहीं उठाया जाता तो इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा वेच दिया जाएगा।

क्या यह भी सत्य है कि भारत सरकार की ओर से किसी उपयुक्त अधिकारी ने कलकत्ता पत्तन न्यास को लिखा कि जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने पाया है कि कलकत्ता पत्तन न्यास के गोदमों में रखे गए रेपसीड तेल का अधिकांश भाग चोरी में चला गया है और अब इस स्टाक की सुपुर्दगी लेने का कोई लाभ नहीं है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : यह सत्य नहीं है कि यह सारा तेल वहां से नहीं उठाया गया। जून से जुलाई 1980 के बीच राज्य व्यापार निगम ने 400 मीट्रिक टन से अधिक की कुल मात्रा में से 178 मीट्रिक टन उठा लिया था। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि क्या कलकत्ता पत्तन के अधिकारियों ने भारत सरकार को नोटिस देने के बाद उस तेल की नीलामी की या नहीं परन्तु तथ्य यह है कि कृषि मंत्रालय ने इस तेल को पालमोलिन तेल के बदले में राज्य व्यापार निगम को दे दिया था। पामोलीन तेल राज्य व्यापार निगम से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण हेतु लिया गया था और राज्य व्यापार निगम भी रेपसीड तेल इस उधार को खतम करने के लिए लेने पर सहमत हो गया। राज्य व्यापार निगम को पिछले एक वर्ष में कई बार स्मरण कराया गया और कहा गया कि वहीं पड़ी मात्रा को वे वहां से उठा लें।

इसमें एक और कठिनाई यह थी कि पत्तन अधिकारियों ने पत्तन से इस तेल की इस आधार पर हटाने की अनुमति नहीं दी कि यह तेल उपभोग योग्य नहीं था। यह मामला काफी लम्बे समय तक चलता रहा और अन्त में स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से यह निश्चय किया कि इस तेल को शोधित करके साबुन बनाने के लिए और कुछ अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और यह यह मानवीय उपभोग के योग्य नहीं है। अबतक मामला यहां रुका हुआ था और अधिक सूचना मैं राज्य व्यापार निगम से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और नवीनतम सूचना से अवगत होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं जो सूचना एकत्र कर सका हूँ उसे सभा में दे दिया गया है।

श्री सुनील मैत्रा : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि तेल अगस्त सितम्बर 1978 में यहां आया था और 1980 में 420 मीट्रिक टन में से राज्य व्यापार निगम द्वारा केवल 178 मीट्रिक टन उठाया जा सका। मैं इस असामान्य देरी का कारण जानना चाहता हूँ। क्या इसका

यह कारण है कि कृषि मन्त्रालय में कुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति हैं या राज्य व्यापार निगम नह चाहता था कि यह 420 मीट्रिक टन रेपसीड तेल विभिन्न राज्यों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाए। 420 मीट्रिक टन का अर्थ है, 4,20,000 किलोग्राम। इसका अर्थ है, मोटे रूप से यदि एक परिवार में चार सदस्य हैं तो लगभग एक लाख से अधिक व्यक्तियों की मासिक खपत व्यर्थ चली गई। क्या इसका यह कारण था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यापारियों की सांठ-गांठ से यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह 420 मीट्रिक टन रेप सीड तेल बाजार में न आने पाए अन्यथा बाजार की मौजूदा कीमतों में कमी आ जाएगी। क्या मन्त्री महोदय ने जाँच करवायी, दोष निर्धारित किया, उत्तरदायित्व का निर्धारण किया और अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मामले में थोड़ा भी सन्देह होने पर हम जाँच करवाएंगे। परन्तु मुझे अब तक जिस भी स्रोत से जानकारी मिली है, उसके अनुसार मैं अब तक की घटनाओं का विवरण देना चाहता हूँ, जिससे माननीय सदस्य इस बात से सन्तुष्ट हो सकें कि हम इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं।

तेल जुलाई से अगस्त 1978 में प्राप्त हुआ। उस समय यह सरकार नहीं थी। सितम्बर 1978 में एक करार पर हस्ताक्षर हुए और राज्य व्यापार निगम बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए पामोलीन तेल जारी करने पर राजी हो गया। नवम्बर में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के तेल को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें कुछ रंग युक्त तत्व सम्मिलित थे और इसलिए इसे मानवीय उपभोग के उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें क्या था ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : रंग युक्त तत्व। इसमें अवश्य ही कुछ जहरीला तत्व रहा होगा जिसके कारण उन्होंने आपत्ति की। यह भी पिछली सरकार के समय हुआ।

दिसम्बर 1978 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रंगयुक्त तत्व के मामले में ढील दे दी। तत्पश्चात फरवरी 1979 में पत्तन न्यास अधिकारियों ने सूचित किया है कि 'पेर-आक्साइड' तत्व की मात्रा इसमें अधिक पाई गई है मार्च, 1979 में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि तेल को वनस्पति और साबुन उद्योग के लिए जारी किया जा सकता है। मार्च 1979 में नागरिक पूर्ति विभाग ने राज्य व्यापार निगम से तेल उठाने और उपयोग के लिए कहा। मई, 1979 में फिर वही सरकार थी जिसके लिए उस पक्ष के मेरे कुछ साथी जिम्मेवार हैं।

श्री मूलचन्द डांगा : क्योंकि वे परस्पर लड़ रहे थे।

श्री सुनील मैत्रा : पिछले दस महीनों से क्या हुआ है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मई 1979 में जब हम सत्ता में नहीं थे। राज्य व्यापार निगम को तेल की सुपुर्दगी लेने के लिए कहा गया। जून-जुलाई 1979 में राज्य व्यापार निगम इस प्रमाण-पत्र के साथ 420 मीट्रिक टन तेल की सुपुर्दगी लेने को तैयार हो गया कि जारी करने से पहले इसे शोधित किया जाएगा। तब पिछले सितम्बर में अर्थात् 24 सितम्बर, 1979 को राज्य व्यापार निगम एक सप्ताह में यह तेल उठाने के लिए सहमत हो गया। उस समय भी वही सरकार थी। पिछले 14 नवम्बर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी से डब्ल्यू. एफ. पी. तेल उठाने के लिए कहा जैसा कि जुलाई 1979 में निर्णय हुआ था। 25 जून 1980 से जुलाई

1980 तक हमारे सत्ता में आने के पश्चात् राज्य व्यापार निगम ने 178 मीट्रिक टन तेल उठाया।

श्री यशवन्त राव चाह्वाण : क्या बात है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कोई बात नहीं, जो हमने कारगुजारी की है वह भी बुरी लगती है और आपकी कारगुजारी सारी मैंने बताई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 420 मीट्रिक टन था, कोई पहाड़ उठाना नहीं था।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अब वह 420 पहले की थी, हमारी नहीं थी। हमारे टाइम में 420 नहीं रही, 178 टन घट गई।

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो तेल संयुक्त राष्ट्र संघ और खाद्य और कृषि संगठन ने इस देश को भेंट किया, वह खराब था और मानवीय उपभोग के उपयुक्त नहीं था वह इतना वसा युक्त था कि यह भारत भेज दिया गया।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने पहले कह दिया है कि किसी रंगयुक्त सामग्री के कारण इसे मानवीय उपभोग के उपयुक्त घोषित नहीं किया गया। बाद में काफी समय भंडारण करने के बाद जहरीला तत्त्व भी जाता रहा, जैसा कि सूचित किया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय मंत्री जी के व्यक्तव्य के सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह सारा तेल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सप्लाई किया गया था और माननीय मत्री जी के वक्तव्य के अनुसार यह तेल मानवीय उपभोग के उपयुक्त नहीं पाया गया। क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखेगी कि भारत को ऐसा तेल क्यों भेजा गया जो उपभोग योग्य नहीं था ? यह नितान्त आवश्यक है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने सुझाव नोट कर लिया है। परन्तु विश्व खाद्य परिषद् द्वारा हमें सामग्री बिल्कुल मुफ्त सप्लाई की गई थी, एक उपहार के रूप में और उस समय के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि इसे अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या हम ऐसे भिखारी हैं जो इच्छा भी व्यक्त नहीं कर सकते ? क्या हम केवल विषैले उपहार प्राप्त करने के लिए ही हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हमारे भोजन का स्तर भी काफी ऊँचा है। यह इस मामले से सिद्ध होता है कि रंग-युक्त सामग्री के कारण जो वस्तु विकसित देशों में शायद उपभोग योग्य समझी गई थी, वह हमारे देश में उपभोग योग्य नहीं समझी गई।

वर्ष 1979-80 के दौरान राजस्थान नहर परियोजना के लिये

धनराशि का उपयोग न किया जाना

*82-क **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या **सिचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या राजस्थान सिंचाई परियोजना (राजस्थान नहर परियोजना) के लिये वर्ष 1979-80 के बजट में नियत की गई राशि में से 8 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त राशि का उपयोग न किये जाने के कारण इस परियोजना को पूरा करने की निश्चित अवधि पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को पूरा करने में कितना विलम्ब हो सकता है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) इसका मुख्य कारण सीमेंट और कोयले की सप्लाई कम होना है। कोयले की आवश्यकता नहर को लाइनिंग के लिए ईंटें पकाने के लिए है।

(ग) और (घ) यदि कोयले और सीमेंट की सप्लाई में आवश्यकतानुसार वृद्धि हो गई, जिसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो धनराशि का उपयोग न होने के कारण कार्यक्रम को पूरा करने की समय-सीमा को जो धक्का लगा है उसका प्रभाव इस समूची परियोजना को पूरा किए जाने की निर्धारित तारीख पर पड़ने की संभावना नहीं है।

श्री कुंभाराम आर्य : क्या यह सच नहीं है कि पहले प्रस्तावित करने का काम नहर परियोजना विभाग किया करता था, उससे यह कार्य लेकर के राज्य उद्योग विभाग को दे दिया गया और इस कार्य को पहले रेलवे प्राथमिकता दिया करती थी, वह प्राथमिकता अब घटा दी गई है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह बात सही है कि इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रियारिटी है वह बहुत लो प्रियारिटी है। अभी बंगलौर में फिफ्थ स्टेट्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में भी इस बात को नोट किया गया था और उन्होंने यह सिफारिश की है और मांग की है कि इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए वही प्रियारिटी रखी जाए जो पावर के प्रोजेक्ट्स के लिए है। डिफेंस एण्ड फूड प्रोजेक्ट के बाद। यह बात सही है कि प्रियारिटी कम होने की वजह से, बहुत नीची होने की वजह से, कोल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से कोल नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से डिले हुआ है।

श्री कुंभाराम आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का आधा जवाब दे पाए। मेरा यह भी कहना था कि जो नहर परियोजना विभाग पहले प्रस्तावित किया करता था, रेक्स के लिए, वह अधिकार उससे छीन लिया गया और उद्योग विभाग को दे दिया गया और उद्योग विभाग को कोल की बहुत कम जरूरत पड़ती है, साल के अन्दर केवल दो रेक्स जबकि प्रोजेक्ट्स के अन्दर 96 रेक्स की जरूरत पड़ती है। उद्योग विभाग चाहे कितना भी कोशिश करे तब भी नहर परियोजना के कोल की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए यह व्यवस्था फिर से उसी तरह से कायम की जाए जैसी पहले थी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : प्रोजेक्ट्स के इम्प्लेमेंटेशन का काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है। क्या अरेंजमेंट उन्होंने किया, पहले क्या था, क्या बेहतरी या भलाई समझ कर उन्होंने उस अरेंजमेंट को बदला यह तो वही जानें लेकिन माननीय सदस्य ने जो सजेशन दिया है उस पर गौर किया जा सकता है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर गौर करेगी।

श्री मूलचन्द डांगा : राजस्थान कैनाल, भारत की एक बहुत बड़ी और महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। 1979-80 में आठ करोड़ रुपया लैप्स हो गया। उसका क्या कारण था ? उसकी

कोयले की जितनी जरूरत थी उसका कितना प्रतिशत आपने पूरा किया? कम क्यों दिया ? क्यों उसकी जरूरतों की ओर ध्यान नहीं दिया ! राजस्थान सरकार की ओर से आपको बार-बार रिमाइंडर भी भेजे गए और अलग-अलग स्टेट्स को भेजे गये। क्यों नहीं आपने इस ओर ध्यान दिया और उसकी कोयले की मांग को पूरा किया ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मेन प्राबलैम कोल और सिमेंट की सप्लाई की वजह से पैदा हुई और आठ करोड़ रुपया युटिलाइज नहीं हो सका। कोल का मसला मैनली ट्राँसपोर्टेशन से ताल्लुक रखता है। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि कुल उनकी रिक्वायरमेंट 96 रैक्स की थी लेकिन सिर्फ नौ रैक्स ही उनको 1979-80 में मिल सकी।

यह सही है कि रैक्स के ऐलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बाटलनैक्स की वजह से ही मैनली यह खर्च नहीं हो सका।

खरीफ की फसल का अनुमानित निर्यात

*** 84. श्री के. पी. सिंह देव : श्री वीरभद्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की खरीफ की फसल का उत्पादन कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है;

(ख) क्या देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् दूसरे देशों को शीघ्र ही अनाजों के निर्यात करने की स्थिति में आ जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या निर्यात के लक्ष्य निर्धारित कर लिए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां। वर्षा और मौसम की स्थिति के बारे में उपलब्ध सूचना पर आधारित प्रारम्भिक अस्थायी अनुमान और विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि खरीफ मौसम के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 800 लाख मीटरी टन के उच्च स्तर तक पहुँच सकता है, जो कि पहले भी नहीं हुआ था, जबकि पहले उत्पादन 781 लाख मीटरी टन के उच्च स्तर तक पहुँचा था।

(ख) और (ग) : उपलब्धता और आन्तरिक मांग को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रबन्धों के अधीन नकद, वस्तु विनिमय और उधार पर जिन्स देने के आधार पर अनाजों को सीमित मात्राओं का निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है। बासमती चावल निर्यात करने के अलावा, जो कि पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी. एल-3) पर है, सरकार ने 1980-81 के दौरान 10 लाख मीटरी टन चावल और 89 हजार मीटरी टन जौ का निर्यात करने का निर्णय किया है।

श्री के० पी० सिंह देव : 17 तारीख के प्रश्न संख्या 38 तथा इस प्रश्न संख्या 84 के उत्तर से यह बात स्पष्ट है कि हमारे देश का कृषि उत्पादन—जिसका लगभग 50 प्रतिशत भाग ऐसे छोटे किसानों द्वारा पैदा किया जाता है जो कि मौनसून पर निर्भर करता है और हमारे देश के 40 प्रतिशत लोगों को देश में खाद्यानों तथा दालों की कमी के कारण खाने को पूरा नहीं

मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय आरक्षित स्टाक कितना है और फसल की कटाई के बाद यह आरक्षित भंडार कितना हो जायेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा और आरक्षित भंडार को अधिक बनाये रखने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : यह एक सर्व मान्य तथ्य हैं कि हमारे देश में तथा अन्य देशों में कृषि उत्पादन अन्य किसी चीज की अपेक्षा मुख्यतया मौसम पर निर्भर करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम यहाँ पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करते हैं जबकि अन्य देशों में ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं सोचता हूँ श्री बसु आपने एक नया आविष्कार किया है।

जहाँ तक आरक्षित भण्डारों का सम्बन्ध है, इस समय हमारे पास लगभग 120 लाख टन या उससे कुछ अधिक का आरक्षित भण्डार है।

एक माननीय सदस्य : इसमें गेहूँ कितना है तथा चावल कितना है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इसमें अधिकांश तो चावल ही है, गेहूँ की मात्रा तो काफी कम है।

इस समय धान की खरीद का काम काफी दर तक हमारी आशाओं के अनुरूप चल रहा है और यह गत वर्ष से पहले के वर्ष में हुई रिकार्ड फसल से भी अच्छा है; तथा विशेष रूप से पंजाब तथा हरियाणा में स्थिति और भी अच्छी है। हमें आशा है कि हमारा आरक्षित भंडार हमारे लक्षित स्तर अर्थात् 150 से 200 लाख टन तक पहुँच जायेगा। उत्पादन वृद्धि के लिए जो प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, उन पर चर्चा की जा चुकी है और सदन को अनेक अवसरों पर उनकी जानकारी दी जा चुकी है। किसान के लिए सबसे प्रमुख प्रोत्साहन यही है कि उसे अपनी उपज के लाभप्रद मूल्य मिले और उसे इस बात का आश्वासन हो कि उसकी उपज सरकार द्वारा खरीद ली जायेगी तथा विशेष रूप से ऐसे खाद्यान्न तथा अन्य फसलें जिनके न्यूनत समर्थीन मूल्यों का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया गया था। हम उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवायें तथा अन्य वस्तुएँ कम मूल्यों पर उपलब्ध करवा रहे हैं और सरकार को इसके लिए काफी हानि उठानी पड़ रही है। यहाँ तक कि बिजली तथा सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें भी उन्हें रियासती दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की प्रतिशतता 24 प्रतिशत है या 26 प्रतिशत ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्री वसु. इनमें आये दिन वृद्धि हो रही है। हम सिंचाई की व्यवस्था बहुत तीव्र गति से करने जा रहे हैं। कृषि योग्य कुल 17 करोड़ हैक्टर भूमि में से 5.5 करोड़ हैक्टर भूमि को पहले ही सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा चुका है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की यह दर काफी अधिक है और हम प्रत्येक वर्ष 25 लाख हैक्टर भूमि को सिंचाई की सुविधा जुटाना चाहते हैं।

स्थूलरूप में सतही-जल से भी मोटे रूप में यह 50 प्रतिशत है और तल-जल से भी मोटे

रूप में यह लगभग 50 प्रतिशत है। सिंचाई एक अन्य ऐसा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे सरकार बहुत ही तीव्रगति से और सस्ती-दर पर उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे भूमि को लवणता और कटाव से साथ-साथ बचाया जा सके।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जी हाँ. कटाव को रोकने के लिए अनेक कार्यक्रम हें और फिर वनरोपण, सामाजिक वनप्रान्त और बातें हैं और फिर एस. एफ. डी. ए., डी. पी. ए. पी. और आई. आर. डी. कार्यक्रमों के अधीन किसानों की आय को बढ़ाने के लिये और अन्य बहुत से साधन हैं। यह भी तो किसानों के लिए अच्छे उत्पादन और खेती की एक प्रेरणा है।

श्री के० पी० सिंह देव : चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण ही देश में अधिकांश मूल्य वृद्धि हुई है तो मैं प्रश्न के भाग (ख) के मन्त्री महोदय द्वारा दिए गये उत्तर के सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूँ—नकद आधार, अदला-बदली आधार और वस्तु ग्रहण आधार—कि क्या सरकार का सोवियत नेता श्री ब्रेजनेव के एक सप्ताह के बाद भारत आने पर, अदला-बदली के आधार पर अनाजों, दालों, खाद्यानों का निर्यात कच्चे तेल के आयात के लिये करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जी हां, हम कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के बदले में सोवियत संघ को चावल की सप्लाई कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी हम यह अनुभव करते हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करना देश के हित में है तो हम ऐसा करेंगे। निश्चित रूप से हमारे पास खाद्यानों का अधिक भण्डार है और हम अदला-बदली करना चाहते हैं। परन्तु वाणिज्यिक आधार पर भी निर्यात होता हैं। भाग्यवश, हमारे पास चावल का आधिक्य है और हम अच्छी स्थिति में हैं।

श्री वीरभद्र सिंह : देश के अनेक भागों में व्याप्त अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अब तक शरदकालीन वर्षा की कमी के कारण चालू रबी की फसल के अच्छे आसार न होते हुए भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भारी और भरपूर खरीफ की फसल के कारण उपलब्ध अधिक खाद्यान्नों को उपयोग में लायेगी ? और विक्रय योग्य आधिक्यों का निर्यात करने के बजाय खाद्यान्नों की भावी कमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या और आरक्षित भण्डार बनायेगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : देश की आवश्यकताओं के प्रति हम अत्यन्त सजग हैं। किसी भी वस्तु को स्वयं अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण अनुमान करने और किसी भी आपात-स्थिति से निपटने का प्रबन्ध करने के बाद ही निर्यात किया जाता है। हमारे विचार से जिस उद्देश्य से हम भण्डार बनाते हैं उसके लिए 200 लाख टन का आरक्षित भण्डार पर्याप्त होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मन्त्री महोदय बहुत बातें कर रहे थे। वास्तव में थोथा चना बाजे घना वाली बात है। चीन की कृषि भूमि आपकी भूमि से क्षेत्रफल में कहीं कम है, फिर भी अनाजों की 200 प्रतिशत अधिक पदावार लेते रहे हैं। पिछले से पिछले वर्ष 3400 लाख टन खाद्यान्नों की पैदावार हुई थी जबकि आप तो 1500 लाख टन तक पहुंचने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने सुना है या

जानते हैं अथवा कृषि भवन में बैठे हुए उनके प्रतिभाशाली अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उर्वरक और पानी की अतिरिक्त मात्रा के बिना, उत्पादन सम्बन्धी नियन्त्रण के द्वारा तथा आर्सेनिक आदि के प्रयोग से गेहूँ (धान और गेहूँ) का अच्छा पौधा तैयार कर इनका उत्पादन 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। क्या उन्होंने इसके बारे में सुना है? क्या वे वही बात यहां भी लागू कर रहे हैं या वे सतत अन्धकार में हैं जैसे कि वे गत तैंतीस वर्षों से रहते आ रहे थे? (व्यवधान) मुझे इस बात का उत्तर चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इस सदन में मैं अपने देश के बारे में तो बात करना एकदम से पसन्द करूंगा। बसु जी अपने देश के बारे में नहीं, अन्य देशों के बारे में बातें करना बहुत पसन्द करते हैं। परन्तु, यदि बसु जी अपने देश के बारे में और कृषि क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है उसके बारे में और विदेशों से मिलने वाली प्रसंशा के बारे में जानते होते तो मैं भी निश्चित रूप से उनकी बात समझता जिसमें वह देश भी सम्मिलित है जिनका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। अन्य देशों में क्या हो रहा है मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं बसुजी को इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि जो कुछ अन्य देशों में हो रहा है वह हम जानते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। उनकी सराहना की जा रही है और अन्य देश उनका अनुकरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई उन्नत देश भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। चीन ने जो कुछ भी उत्पादन स्तर प्राप्त किया है वह केवल कृषि अनुसंधान द्वारा ही नहीं अपितु सघन खेती और सभी प्रकार के उर्वरकों के बढ़े हुए उपयोग द्वारा भी ऐसा हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम साठ प्रतिशत तो प्राकृतिक खाद का और 40 प्रतिशत रसायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

पंजाब और हरियाणा में धान की कम वसूली

*85. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मौसम में पंजाब और हरियाणा में धान की वसूली बहुत कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी वसूली मूल्य की घोषणा में विलम्ब के कारण किसानों को अपना उत्पादन कम मूल्य पर व्यापारियों को बेचना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन (क) और (ख) : जी नहीं। वास्तव में, वर्तमान मौसम के दौरान गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में धान की वसूली पंजाब में 56 प्रतिशत तक और हरियाणा में 66 प्रतिशत तक अधिक रही है।

(ग) और (घ) : भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों ने व्यापक प्रबन्ध किए हैं और केन्द्रीय सरकार को मिली सूचनानुसार धान की वसूली पूरे वेग से की जा रही है।

तथापि, यह सम्भव है कि समर्थन मूल्यों की घोषणा करने से पूर्व कुछ मात्रा सरकार द्वारा वर्तमान मौसम के लिए निर्धारित मूल्यों से कम मूल्यों पर बेची गई हो।

श्री सूर्य नारायण सिंह : मंत्री महोदय ने इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है कि सपोर्ट प्राइस की घोषणा देर से क्यों की गई है। सपोर्ट प्राइस की घोषणा में विलम्ब की वजह से वहां के मार्जनल फार्मर्ज, स्माल फार्मर्ज और मिडल फार्मर्ज को अपना माल डिस्ट्रेस सेल में बेचना पड़ा है, जिससे उनको काफी नुकसान हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि जमा-खोरों और सरकारी अधिकारियों कीमिली -भगत की वजह से इस घोषणा में विलम्ब हुआ है और इससे वहां के किसानों को काफी नुक्सान उठाना पड़ा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : हमने तो यथाशीघ्र खरीफ के मौसम की फसल का कम से कम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिये अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी थी, परन्तु इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं है कि समर्थन मूल्य की घोषणा से पूर्व ही धान की कुछ मात्रा बाजार में आनी शुरू हो गई थी। परन्तु गत वर्ष जो समर्थन मूल्य घोषित किया था वह लागू था ही, और यदि किसानों को गत वर्ष के समर्थन मूल्य से कुछ कम पर भी बेचना पड़ा—जैसा कि हमें शिकायतें मिली हैं कई मामलों में ऐसा हुआ है—तो इस पर केन्द्रीय सरकार नियन्त्रण नहीं रख सकी। इसे राज्य सरकारें भी उस कीमत पर खरीद सकती थीं जो मूल्य-स्तर गत वर्ष निश्चित किया गया था परन्तु समर्थन मूल्य की घोषणा से पहले जो मात्रा बाजार में बिकने आई थी वह बहुत कम थी। दूसरे फिर किसान लोग यह जानते थे कि समर्थन मूल्य की घोषणा सप्ताह या दस दिन में होने वाली है और यदि राज्य सरकारें उनकी सहायता के लिए आगे नहीं भी आई तो वे अपना स्टाक सप्ताह दस दिन तक रोककर रख सकते थे। परन्तु जो कुछ हो चुका है ऐसा भविष्य में नहीं होने दिया जायेगा और हम यह भली भांति देखेंगे कि भविष्य में फसल की कटाई से काफी समय पहले ही समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय कृपया यह बतायेंगे कि धान के बजार में आने पर प्रथम मास में कुल कितनी खरीद हुई और उसके बाद कितनी होती रही और क्या यह सच है कि प्रथम आवक गरीब किसानों की होती है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं सप्ताह-दर-सप्ताह की आवक के आँकड़े नहीं दे सकता। मंडियों में आवक बड़ी भारी रही और इस मास की 19 तारीक तक गत वर्ष में इसी अवधि की आवक से दुगनी थी, जिससे यह पता चलता है कि धान की कुल पैदावार की और राज्य अभिकरणों द्वारा इस मूल्य पर जो इस वर्ष निश्चित किया गया है अधिकांश मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद शुरू करने के बाद ही आना शुरू हुआ। समर्थन मूल्ल की घोषणा से पहले मण्डियों में बहुत ही कम मात्रा में धान आया। मैं मानता हूँ कि इसे अधिकांशतः इन्ही व्यपारियों ने खरीदा जिन्होंने इस कुछ लाभ कमाया।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह जानते हैं कि पंजाब में मत्री महोदय द्वारा निश्चित मूल्य का दो कारणों से भुगतान नहीं किया गया। प्रथम, अतिरिक्त सीलन और दूसरे गुणवत्ता के आधार पर। भारतीय खाद्य निगम ने 105 रुपये नहीं दिये अपितु इससे कहीं बहुत कम दिए और काफी लम्बी अवधि तक इस धान को खरीदा भी

नहीं गया। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आया उन्हें ऐसी शिकायतें मिली थीं और सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : धान के लिए निश्चित किया गया मूल्य पर्याप्त लाभकारी था। यह कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश से 51—रुपये अधिक था। इस बात को ध्यान रखते हुए और तथ्य को दृष्टिकोचर करते हुए कि भण्डारण में धान खराब होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को कुछ हानि हो रही थी जिसका कारण था अधिक सीलन तो इससे शर्तों को कुछ कड़ा बना दिया गया था। गत वर्ष 20% तक माल जो सीलन में बिगड़ गया था उसे खरीद लिया गया। परन्तु इस वर्ष 5 से घटा कर 18 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसी कारण जो मूल्य भारतीय खाद्य निगम ने लागू किया था उसमें से कुछ कटौती की गई है। परन्तु कुछ क्षेत्रों से जिनमें पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य भी शामिल हैं, शिकायतें मिलने पर हमें गत वर्ष की निश्चित शर्त पर वापिस आना पड़ा और 20 प्रतिशत तक सीलन के माल को खरीदा गया और उसके बाद कोई शिकायत नहीं मिली।

दिल्ली में बेघरबार हुए व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक आवास

*86. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रघुबीर नगर, बापू धाम, गोविन्दपुरी, कालकाजी और मिन्टी रोड क्षेत्रों में 50,000 झुग्गियाँ बनाने की अनुमति दी गई थी और लगभग दो लाख लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराये बिना ही उन्हें बाद में गिरा दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये दोषी पाये गये अधिकारी कौन-कौन से हैं; और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और बेघरबार हुए व्यक्तियों को वैकल्पिक आवाक उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रघुबीर नगर तथा बापू धाम क्षेत्रों में भुमि पर अनधिवास के केवल हाल के प्रयासों को सामाजिक कार्यवाही करके विफल कर दिया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कुछ महीनों से सरकारी जमीनों पर, डी० डी० ए० की जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, कहीं व्यायामशाल वन रही है, कहीं स्कूल के नाम पर जमीन को घेरने की कोशिश हो रही है। मेरे पास उदाहरण हैं, मैं सदन के सामने रख सकता हुँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अवैध निर्माण बहुत से मामलों में स्व० संजय गाँधी के नाम को लेकर हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को इस संबंध में कोई जानकारी है और क्या इस तरह के आदेश दे दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्मात हो, तो उसको रोका जाए ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीषम नारायण सिंह) :

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक श्री संजय गांधी के नाम को लेकर कोई अवैध निर्माण हो रहा है, तो उसकी सूचना हमारे पास नहीं है और बिल्कुल गलत है। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है, जिसको सम्माननीय अटल जी ने पूछा है, यह चार एरियाज के मुताल्लिक है— रघुवीर नगर, बापूधाम, गोविन्द पुरी (कालका जी) और मिन्टो रोड। यह एक स्पैसिफिक क्वेश्चन है, जिसके बारे में अभी उपमंत्री जी ने बताया है।

रघुवीर नगर में सितम्बर-अक्टूबर के महीने में जबरदस्ती कब्जा करने के सिलसिले में वहाँ सिर्फ बांस और सिकड़ी लगाई गयी थी, जिसका डी० डी० ए० ने टाइमली ऐक्शन लिया और उसे विफल कर दिया गया। जहाँ तक बापूधाम में दो सौ पुरानी झुग्गियां हैं, जिनको अभी डिस्टर्ब नहीं किया हैं, वे अभी बरकरार हैं और इसलिए कोई वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं है। जहाँ तक मिन्टो रोड की बात है, वहाँ भी पांच हजार के लगभग पुरानी झुग्गी-झोंपड़ियां है, जिन्हें अभी हटाया नहीं गया है और कोई वैकल्पिक स्थान देने का प्रश्न नहीं है। आप का सवाल सीधे तौर पर इन विषयों पर था, जिनका मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मेरे पास जानकारी है और मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा—टैगोर गार्डन में विशाल सिनेमा के सामने डी० डी० ए० की भूमि है और जिस पर स्व० श्री संजय गांधी के नाम से एक व्यायाम-शाला बनाई गई है, जो कि अवैध है, जमीन डी०डी० ए० की है और उसे व्यायामशाला का नाम दे दिया गया है और सरकारी मशीनरी उसको हटाने में संकोच कर रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या नीति स्पस्ट की जाएगी कि ऐसे अवैध निर्माण के मामलों में स्व० संजय गांधी के नाम को घसीटने की कोशिश न की जाए और अगर उनका नाम होगा तो भी अवैध निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की सूचना गलत है कि कोई स्व० संजय गांधी जी के नाम पर इन चारों संख्या में अवैध निर्माण करा रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। इसलिए कार्य-वाही का प्रश्न नहीं उठता (व्यवधान)

जहाँ तक अवैध रूप से किसी जमीन पर कब्जा करने की बात है, गृह मंत्रालय ने डी० डी० ए० को स्पैसिफिक इंस्ट्रक्शन्ज दी हैं, उसके मुताबिक डी० डी० ए० के लोगों ने बैठक बुलाई है, एक स्क्वैड बनाया है, जिससे कि जमीन पर कोई अवैध कब्जा न हो और अवैध रूप से निर्माण न हो सके (व्यवधान)

——

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली विकास प्राधिकरण की हुडको स्वयं वित्त पोषण योजना

*83. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की हुड़को योजना, जिसके अंतर्गत एक वर्ष से अधिक समय पूर्व लोगों का पंजीकरण किया गया था, अभी तक शुरू नहीं की गई है

और स्वयं वित्त पोषण योजना (सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम) के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण कार्य निराशाजनक है और इसके अन्तर्गत प्राधिकरण के लिए तीन वर्षों के अन्दर ही आवंटन करना सम्भव नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली बिकास प्राधिकरण ने कुछ ऐसी योजना शुरू की है जो मूलतः इसका उत्तर दायित्व नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न आय वर्गों की आवासीय योजनाओं के व्यय पर इन योजनाओं को शुरू करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। नये पेटर्न 1979 की पंजीकरण योजना के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले ही 1500 से अधिक फ्लैटों को आबंटन करने की घोषणा कर दी है और अन्य लगभग 10,000 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की 3 स्ववित पोषित योजनाओं के अन्तर्गत, 3,386 फ्लैट पहले ही आबंटित किये जा चुके हैं तथा अन्य 1,642 फ्लैटों को आवंटन करने की घोषणा कर दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु को गेहूं की सप्लाई

*87. **श्री के० टी० को सलराम :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु को अपेक्षित मात्रा में गेहूँ की मासिक सप्लाई नियमित रूप से निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे रोलर-फ्लोर मिलें गेहूँ की कमी के कारण बार-बार बन्द न हो; और

(ख) गत 6 महीनों में तमिल नाडु की गेहूँ की माँग और सप्लाई मात्रा कितनी-कितनी रही ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) रोलर फ्लोर मिलों को उनके आबंटनों के प्रति पूर्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूँ का पर्याप्त स्टाक है।

(ख) : रोलर फ्लोर मिलों के लिए 390,0 हजार मीटरी टन की मात्रा के प्रति, तमिलनाडु सरकार को मई, 1980 से अक्तूबर, 1980 के दौरान 287.78 हजार मीटरी टन गेहूँ आवंटित किया गया था और अक्तूबर, 1980 तक मिलों ने 163.9 हजार मीटरी टन गेहूँ उठा लिया है।

पाठ्यपुस्तकों के बारे में अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

+88 **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने स्कूलों तथा कालेजों में उन पुस्तकों के स्थान पर जो अवयस्क मस्तिष्कों में सम्प्रदायों के बींच शत्रुता की भावना पैदा करती हैं, ऐसी पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने की सिफारिश की है जो सभी समुदायों के बीच समानता तथा भाई-चारे की भावना को प्रोत्साहित करती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिश पर विचार कर लिया है; और

(ग) उक्त सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, हाँ।

(ग) : चुनी हुई स्कूली पाठ्य-पुस्तकों को व्यापक समीक्षा के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के सतत् कार्यक्रम के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इतिहास और भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा शुरू की गई है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की योजनावद्ध समीक्षा आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है। प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरे तैयार किये जा रहे है।

जहाँ तक कालेजों की पुस्तकों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारिश की जांच करने तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए कह दिया गया है।

पंजाब से केरल को भेजी गई गेहूं की किस्म

+89. **श्री वी० एम० विजय राघवन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब से केरल को जो 29 वैगन गेहूँ भेजा गया था वह बहुत ही घटिया किस्म का है तथा मानव उपभोग के लिए टीक नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केरल को भेजे गए गेहूँ के और 33 वैगन वहां नहीं पहुँचे हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं !

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क), से (ग) : पंजाब में स्थिति तलबंडी भाई से केरल में स्थित ओलावाकोट को भेजी गई स्पेशल के /-62 वैगनों में से केवल 50 वैगनें विभिन्न गन्तव्य को पहुँची हैं और उनसे 18-11-1980 तक माल उतार लिया गया है। इनमें से, अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, गेहूँ से भरे 8,242 बोरों में मानव उपभोग के अनुपयुक्त गेहूँ पाया गया था। आशा है कि शेष वैगन शीघ्र ही पहुँच जायेंगे। शेष वैगनों के प्राप्त होने पर, क्षतिग्रस्त गेहूँ से भरे हुए बोरों की वास्तविक संख्या का हिसाब लगाया जाएगा। इस स्पेशल में क्षतिग्रस्त गेहूँ भेजने के लिए जिम्मेदार स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

भारत में क्रास-वार एक्सचेंज सुविधायें

+90. **श्री पियूष तिरकी :**

श्री डी० एच० पुत्ते गोडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर क्रास-बार एक्सचेंजों को लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या अन्य प्रणालियों की तुलना में इस प्रणाली के इस देश में तथा अन्य देशों में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) करीब-करीब 5.5 लाख लाइनों की कुल क्षमता वाले लगभग 100 बड़े क्रासबार एक्सचेंज देश में पहले से ही कार्यरत हैं। टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन तथा आयात दोनों माध्यमों द्वारा अतिरिक्त क्रासबार एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(ख) यह निरन्तर किया जा रहा है।

(ग) इस समय देश में हस्तचल, स्ट्रोजर तथा क्रासबार नाम की तीन प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है। तीनों प्रणालियों में से क्रासबार प्रणाली अधिक आधुनिक है तथा इससे अनेकों वांछनीय सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अन्य दो प्रणालियों की तुलना में क्रासबार प्रणाली का कार्य निष्पादन श्रेष्ठ पाया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका और जापान जैसे प्रगतिशील देशो सहित अनेक देशों में क्रासबार एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं तथा इन देशों के मौजूदा एक्सचेंजों में बड़ी संख्या में और क्रासबार लाइनें प्रनिवर्ष जोड़ी जा रही हैं।

चीनी का उत्पादन, मांग और मूल्य

+91. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **कृषि मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रेखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ और उस अवधि में कुल माँग कितनी रही; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी की खुली बिक्री के मूल्य से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) : 1979-80 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 38.59 लाख मीटरी टन हुआ था। चीनी की मांग चीनी के मूल्यों और उपलब्धता और साथ-साथ विभिन्न अवसरों पर अन्य स्वीटनिंग तत्वों अर्थात् गुड़ और खण्डसारी के मूल्यों और उनकी उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। 1979-80 के मौसम के दौरान आन्तरिक खपत के लिए लगभग कुल 52 लाख मीटरी टन चीनी की निकासी हुई थी।

(ख) : गत तीन चीनी वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान देश भर की प्रमुख मंडियों में मुक्त बिक्री की चीनी के मास-अन्त के थोक मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-1407/80)

ग्राम पंचायतों के चुनाव और लोकतान्त्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त।

*92. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए चुनाव गत कई वर्षों से नहीं कराये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लोकतान्त्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सक्रिय बनाने के लिए सभी राज्यों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (घ) : अधिकांश राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चूनाव आम-तौर पर निर्धारित समय पर हुए हैं।

सभी राज्यों में पंचायती राज को स्वीकृत नीति मान लिया गया है तथा पंचायती राज निकायों को वित्तीय संसाधनों के हस्तान्तरण के साथ-साथ कई शक्तियां तथा कार्य सौंपे गये हैं ताकि वे इन कार्यों को कारगर रूप से पूरा कर सकें। राज्य सरकारें इन संस्थाओं के लाभप्रद विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सामान्यत: यथोचित ध्यान दे रही हैं। केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए हाल ही में मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में चुनाव, जहाँ कहीं भी होने रहते हों, कराएँ ! केन्द्रीय सरकार का राज्यों को कोई अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करना

***93. श्री रामविलास पासवान :**

श्री रशीदमसूद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब आरम्भ किया जाना था;

(ख) क्या यह कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसे आरम्भ करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अब कब तक आरम्भ किए जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क), (ग) : काम के बदले अनाज कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया है और इसे पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों तथा नकद निधियों के बंटन कर दिए गए हैं।

ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड के अन्तर्गत भंडारण क्षमता का उपयोग।

***94. श्री ए०टी० पाटिल :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की योजना के अन्तर्गत 1979 से अब तक राज्य-वार कितनी भंडारण क्षमता बनाई गई है और

उस पर कितनी लागत आई है; और

(ख) इस भण्डारण क्षमता का नवम्बर, 1979 से अक्टूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान प्रतिमास कितना उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई भंडारण क्षमता सृजित नहीं की गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 37,000 मीटरी टन और आन्ध्र प्रदेश में 10,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में 12.87 लाख रुपये तथा आन्ध्र प्रदेश के मामले में 3,125 लाख रुपये के उपदान के केन्द्रीय अंश की पहली किस्त संस्वीकृत कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का कम मूल्य

***95. श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ना उत्पादकों को दिया जा रहा मूल्य बहुत कम है और इससे निरुत्साहित होकर उन्होंने अन्य फसलें उगाना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय चीनी और गन्ने के मूल्यों में कोई तालमेल नहीं है जिसके फलस्वरूप चीनी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जबकि गन्ने का मूल्य बहुत कम रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गन्ना उत्पादकों ने गन्ने के लिए 30 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की मांग की है; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा निधारित नीति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) : केन्द्रीय सरकार, जो गन्ना चीनी कारखानों को सप्लाई किया जाता है, उसका केवल साविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। कारखाने गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने में स्वतंत्र हैं। खंडसारी और गुड़ जसे अन्य स्वीटनिंग तत्वों के उत्पादक, जो कि सामान्यतया उत्पादित गन्ने का 58 प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं, वे अपनी मर्जी के मूल्य दे रहे हैं।

इस मौसम के दौरान इस आशय की कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं कि गन्ने के उत्पादकों ने गन्ने के कम मूल्य होने के कारण अन्य फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। इसके विपरीत गत मौसम के दौरान विभिन्न स्वीटनिंग तत्वों के उत्पादकों द्वारा गन्ने के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिए गए थे जिसके फलस्वरूप बहुत से मामलों में चीनी के कारखानों की बजाय गन्ना अन्य यूनिटों को बेचा गया था। अनुमान है कि वास्तव में वर्ष 1980-81 के दौरान गन्ने का उत्पादन, जोकि 1979-80 के वर्ष में 1280 लाख मीटरी टन था, बढ़कर 1500-1550 (अनुमानित) लाख मीटरी टन हो गया। इसका यह अभिप्राय हुआ कि गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य और लेवी चीनी के

बीच ससम्बद्धता कायम करने का सम्बन्ध है, लेवी चीनी और खुले बाजार की चीनी कीं बिक्री से हुई समूची आय के आधार की बजाय इस वर्ष निकासी मूल्य का हिसाब गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर लगाया गया है। इससे चीनी मिलों को चीनी के खुले बाजार में बिक्री मूल्यों के अपने मूल्यांकन के आधार पर गन्ने के वास्तविक मूल्य देने में लोच्यता प्राप्त हुई है। ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि कुछेक राज्यों के गन्ना उत्पादक 20/- रुपये से 30/-रुपये प्रति क्विटल के रेंज में मूल्य प्राप्त करन के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। तथापि, क्योंकि सरकार केवल न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और कारखाने तथा स्वीटनिंग तत्वों के अन्य उत्पादक कोई भी अधिक उचित मूल्य देने में स्वतंत्र है, इस समस्या के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रश्न दिखाई नहीं देता। वास्तव में रिपोर्टों से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आदि जैसे अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सभी तथ्यों और परामीटरों को ध्यान में रखने के बाद यह परामर्श दिया है कि गन्ने का वास्तविक मूल्य 20/- रुपये प्रति क्विटल के आस-पास दिया जाय जोकि गन्ना उत्पादकों के लिए सभी दृष्टिकोणों से आकर्षक और लाभकारी मूल्य है।

राजस्थान के कुछ जिलों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध न होना

+95-क **श्री दौलत राम सारण** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नहर, भाखड़ा राजस्थान नहर और चम्बल नहरों से किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने किसानों को यह सलाह दी है कि वे गेहूं आदि न बोयें क्योंकि उसके लिये पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह कहा है कि वे चना, सरसों आदि की फसल बोयें क्योंकि उसके लिये कम पानी की आवश्कता होतो है और इसके साथ ही उन्हें तालाबों में पानी इकट्ठा करने की सलाह भी दी है;

(घ) क्या इससे किसानों में भय उत्पन्न हो गया है; उनकी सारी खरीफ की फसल मारी गई है और अब उन्हें रबी की फसल अच्छी होने की आशा नहीं है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) से (ङ) किसानों को गंग, भाखड़ा और राजस्थान नहरों से पानी मिल रहा है, लेकिन चूंकि भाखड और पोंग दोनों जलाशयों में पिछले वर्ष की तुलना में कम मात्रा में पानी उपलब्ध है, इसलिए सभी भागीदार राज्यों की सिंचाई की सप्लाई के वितरण पर प्रभाव पड़ा है। चम्बल नहर के मामले में भी, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि सिंचाई के लिए जल की कमी है।

(ख) से (घ) सिंचाई के लिए जल की कमी को देखते हुए, राजस्थान सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे ऐसी फसलें बोएं, जिनके लिए आम तौर पर बोई जाने वाली फसलों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। राजस्थान सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि इसके कारण किसानों में घबराहट है। जहाँ तक खरीफ फसलों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष सितम्बर के महीने में खरीफ की खड़ी फसलों के लिए भाखड़ा जलाशय से

15 दिन की अवधि के लिए सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल छोड़े जाने के प्रबन्ध किए थे। जहाँ तक रबी के मौसम का संबंध है, इस बात की सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि राजस्थान को जल का उसका उपयुक्त हिस्सा प्राप्त हो। जहाँ तक चम्बल नहर का संबंध है, खरीफ को सारी फसल के मारे जाने को सूचना प्राप्त नहीं हुई है और आशा है कि रबी की फसल अच्छी होगी।

मध्य प्रदेश को दी गई लेवी की चीनी

+96. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई, 1980 से लेकर अक्टूबर, 1980 तक लेवी की कितनी चीनीं आवंटित की गई है; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम तथा दूसरे स्रोतों से कितनी चीनी सप्लाई हुई थी और मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को कितनी चीनी वितरित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) और (ग) मध्य प्रदेश को जुलाई से अक्टूबर, 19:0 तक 83, 385.6 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी और इसके प्रति उसी अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश सरकार को 85,495 मीटरी टन की मात्रा सप्लाई की थी। उक्त महीनों के दौरान आवंटित मात्रा से अतिरिक्त मात्रा पिछले महीनों के पिछले बचे स्टाक में से थी।

2. केवल भारतीय खाद्य निगम ने ही मध्य प्रदेश सरकार को लेवी चीनी सप्लाई की थी। उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को लेवी चीनी का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और मध्य प्रदेश द्वारा वितरित की गई मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित अनाज

+97. **श्री निरेन घोष** :

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राज्यों को राज्य-वार तथा महीने-वार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए कितना अनाज आवंटित किया गया;

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिये राज्यों को राज्य-वार तथा महीने-वार, वास्तव में कितना अनाज सप्लाई किया गया; और

(ग) राज्यों को राज्य-वार तथा महीने-वार मांग क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) चालू वर्ष के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम (अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को राज्यवार आबंटित/वंटित खद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है(मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-1408/80)। अब तक दो आवंटन किए गए हैं जिसमें से पहला आबंटन अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में किया

गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अगस्त, 1980 के अंत तक लगभग 9.12 लाख मीटरी टन खद्यान्नों की मात्रा सप्लाई की गई है राज्यवार विवरण संलग्न हैं (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एलटी-1408/80)

(ग) राज्यों/केन्द्र-शासित क्षेत्रों से कार्यक्रम के अन्तर्गत खद्यान्नों के लिए प्राप्त मांगों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

डी० डी० ए० पलाउट्स मास्टर प्लानफार 3 स्टार होटल शीर्षक समाचार

+98. **श्री चिन्तामणिपाणिग्रही : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्टूबर, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे डी० डी० ए० पलाउट्स मास्टर प्लान फार 3 स्टार होटल शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिखलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल रखा है।

विवरण

समाचार में लगाए गए मुख्य आरोपों पर नीचे विचार किया जाता है:-

1. दिल्ली विकास प्राधिकारण ने राजधानी की बृहत योजना का प्रत्यक्ष उल्लंघन करके वसंत विहार में वसंत लोक कम्प्लैक्स की क्षेत्रीय योजना को संशोधित किया है।

होटल, छात्रावास, अतिथि गृह, होस्टल, आवास गृह तथा मोटल (भवन मानक) विनियमन, 1977 के विनियम 3 (1) (सी) के अनुसार, समाज सदन केन्द्रों की क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिखाए गए क्षेत्रों के भीतर अन्य चीजों के साथ साथ होटलों की अनुमति दी गयी है। चूंकि नीलाम किया गया स्थल वसन्त लोक समाज सदन में स्थित है इसलिए वहाँ बृहत योजना का उल्लंघन नहीं हुआ है। तथापि, इस क्षेत्रीय विकास योजना के प्राप्त को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्लाट की आर्थिक व्यावहारिकता

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 3 करोड़ रुपये का एक सुरक्षित मूल्य नियत किया था जिसे योजना की कुल आर्थिक अवस्था के आधार पर निकाला गया था। दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास एवं निपटान की योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक स्थलों को नीलामी के जरिये बेचा जाना है। वर्तमान मामले में, नीलामी की गई थी तथा अधिकतम बोली 1.82 करोड़ रुपये की थी।

3. एक तीन स्टार होटल के लिए आवश्यक अपेक्षित संरचना मुहैया करने के लिए प्लाट पर्याप्त नहीं है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण होटल के सजावटी प्रयोजनों के लिए आधे एकड़ से कुछ अधिक आस-पास की हरित पट्टी को लीज पर देने के लिए सहमत हो गया है।

यह सत्य है कि होटल के लिये 1250 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र का एक क्षेत्र उद्दिष्ट किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण 100 कमरे वाले एक तीन स्टार होटल के लिए इसे पर्याप्त समझता है।

वसंत लोक समाज सदन के आस-पास के हरित क्षेत्र में से होटल प्लाट के समीपस्थ लगभग 2500 वर्ग मीटर के क्षेत्र को भू-दृश्य एवं एक छोटे स्विमिंग पूल के लिए लाइसेन्स आधार पर प्रयुक्त किया गया है। हरित क्षेत्र में स्विमिंग पूल एक अनुज्ञेय उपयोग है। अतः वहाँ किसी नियम तथा विनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

4. होटल एक औद्योगिक उपक्रम है अतः रिहायशी तथा हरित बेल्ट क्षेत्रों में औद्योगिक परिकल्पना की व्यवस्था की गई है।

1977 के उक्त विनियमनों के अनुसार, होटल एक वाणिज्यिक कार्यकलाप है तथा होटल को एक औद्योगिक कार्यकलाप नहीं समझा गया है।

कर्नाटक में सूखा

***99. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

श्री के० लकप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य में सूखे की गम्भीर स्थिति चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्या अल्पावधि तथा दीर्घविधि उपाय किये गये है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) अक्टूबर, 1980 में कर्नाटक सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार खरीफ 1980-81 के दौरान सूखे से दस जिले अर्थात्, बीजापुर, कोलार, रायचूर, मांण्डया, मैसूर, बंगलौर, बिहार, गुलबर्गा, तुमकुर और चित्रदुर्ग पूरी तरह से प्रभावित हुये और पांच जिले अर्थात् बेलगांव, धारबाड, बेलारी, हंसन और चिकमंगलूर आंशिक रूप से प्रभावित हुये।

(ख) कर्नाटक सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिये निम्नलिखित अल्पावधि और दीर्घविधि उपाय किये है :-

(1) वैकल्पिक फसलें शुरू करने हेतु सूखे से प्रभाति क्षेत्रों के लिये उपयुक्त आकस्मिक योजनायें तैयार की गई;

(2) विशिष्ट घटक योजना और आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत, चुनिंदा किसानों को निःशुल्क बीज, उवरंक वनस्पति रक्षण रासायन औजार और बैल देने के लिये निदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) जिन क्षेत्रों में कठिनाई अनुभव की जा रही है वहां पीने के पानी की

आपूर्ति करने की व्यवस्था कर दी गई है;

(4) कृषि कार्यकर्त्ताओं को रोजगार देने के लिये राहत सम्बन्धी कार्य शुरू किये गये हैं;

(5) प्रभावित जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण और वनरोपण सम्बन्धी कार्य शुरू किये गये हैं;

(6) प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई तथा भूमिगत जल उपयोग के जरिए सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को तेज किया जा रहा है।

(7) राज्य सरकार ने, सूखे से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में योजना अग्रिमताओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्य, अन्तस्थ सड़कों का निर्माण करने, मृदा संरक्षण कार्यों और वनरोपण जैसे कार्यों में तेजी लाने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है।

केन्द्र सरकार केन्द्रीय दल के दौरे के बाद वित्तीय सहायता देगी। यह दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा। केन्द्रीय सरकार दीर्घ कालिक उपाय के रूप में, राज्य सरकार को सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये पहले से ही वित्तीय सहायता दे रही है।

खाद्यान्न भण्डारण योजना

*100 **श्री बी० वी० देसाई:**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने एक भारी खाद्यान्न भण्डारण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खाद्यान्न भण्डारण योजना को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) खाद्यान्न के ये भण्डार किन-किन स्थानों पर बनाने का विचार है;

(घ) कर्नाटक राज्य में कितने भण्डार बनाये जायेंगे;

(ङ) क्या केवल नए खद्यान्नों भण्डारों की ही स्थापना की जायेगी अथवा वर्तमान भण्डारों का विस्तार भी किया जायेगा; और

(च) इनका निर्माण कब तक पूरा किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (बीरेन्द्र सिंह राव) (क) और (ख):- भारतीय निगम ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 35.75 लाख मीटरी टन की खाद्यान्नों की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की एक परियोजना शुरू की है।

(ग) से (घ) और (च):- परियोजना सम्बन्धी करार के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, बिहार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में स्थित विभिन्न केन्द्रों पर बफर भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की योजना बनायी गई थी और इसे 1981 के अन्त

तक पूरा किया जाना था। जिस समय परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा था तब भूमि की उपलब्धता में कठिनाइयां पैदा होने, रेलवे साइडिंग सुविधाएं उपलब्ध न होने, मूल्यों में वृद्धि होने आदि की दृष्टि में इस परियोजना की समीक्षा करने की आवश्यकता पैदा हुई है। तदनुसार यह परियोजना और उसको पूरा करने की संशोधित तारीख अब समीक्षा की प्रक्रिया में है। संशोधित क्षमता स्थानों तथा कर्य पूरा करने के संशोधित कार्यक्रम के बारे में भारतीय खद्य निगम के प्रस्ताव को विश्व बैंक के साथ परामर्श करने तथा उस पर भारत सरकार द्वारा विचार करने तथा उसका अनुमोदन करने के बाद ही अन्तिम रूप मिल पाएगा।

(ङ):- अधिकांश अतिरिक्त क्षमता नये भण्डारण काम्प्लेक्सों/केन्द्रों में होगी और मामूली क्षमता ही वर्तमान काम्प्लेक्सों में होगी।

बागबानी विभाग में धनराशियों का दुर्विनियोग

801. **श्री नन्द किशोर शर्मा:** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागबानी विभाग के लेखों में धनराशियों के दुर्विनियोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में अविलम्ब जॉच के आदेश दिये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और क्या जाँच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसके उद्यान विभाग के लेखा के दुर्विनियोजन का एक मामला उसके ध्यान में आया है और क्षति को वसूल करने के लिए तुरन्त उचित कार्रवाई की गई थी। पुलिस विभाग इस मामले में जॉच कर रहा है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे यह सुचित किया है कि जाँच जो हो रही है, उसके पूरा होते ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

"राशन की चीनी में ब्लैक" शीर्षक का सामाचार

802. **श्री राम सिंह शाक्य:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्टुबर, 1980 के "व्यापार भारती" में "राशन की चीनी में ब्लैक" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कर्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख):- सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित मात्रा को देखा है लेकिन इस रिपोर्ट की सत्यता के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। इसमें यह बताया जाता है कि खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री, उत्तर-प्रदेश सरकार ने संवाददाताओं से कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, में वितरण के लिए अलग रखी गई चीनी का 95 प्रतिशत हलवाइयों को काले बाजार में बेचा जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को पहले ही निदेश जारी कर दिया है कि वे लेवी चीनी के वितरण

में कदाचारों के अवसरों को समाप्त करने के लिए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करें और कानून के अधीन विभिन्न नियंत्रण उपायों को भी कड़ाई से लागू करें ताकि चीनी की जमाखोरी तथा चोरबाजारी को रोका जा सके।

ग्राम खजूरी, बिहार में शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन सेवाएं :

803: **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी खण्ड के खजूरी ग्राम में विस्फेको सब-पोस्ट आफिस बनाते हुए तथा वहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलते हुए; एक नया शाखा डाकघर खोलने, मधुबनी एक्सचेंज से सम्बन्धित पारसौनी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र, शहरघाट सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र को बरास्ता बेनीपट्टी से मधुबनी में इसके मुख्यालय से जोड़ने, विहार के मधुबनी जिले में बेनीपट्टी में टेलीफोनों के लिए सब-एक्सचेन्ज खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) से (ग) :

दूर संचार :

मौजूदा नीति के अन्तर्गत मधुबनी खंड के खजूरी ग्राम में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का औचित्य नहीं है। पारसौनी में सार्वजनिक घर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा यातायात के आधार पर मधुबनी से शहरघाट को जोड़ते हुए सार्वजनिक टेलीफोनघर का औचित्य नहीं है। वेनीपट्टी सार्वजनिक टेलीफोनघर मधुबनी से जुड़ा हुआ है और कालों को बरास्ता बनीपट्टी भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक :

सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक में तम्बाकू की काश्त।

804. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में तम्बाकू की काश्त की क्षमता और उसके उत्पादन के लिए किसानों की आवश्यकताओं का प्राक्कलन करने का विचार है;

(ख) राज्य में तम्बाकू उत्पादकों को क्या विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने की आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) कर्नाटक में पहले से ही तम्बाकू की खेती की जा रही है जिसका क्षेत्र और उत्पादन 1978-79 के दौरान क्रमशः 47,700 हैक्टर और 330 लाख किलोग्राम था। अनुमान है कि लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र में वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू पैदा किया जाता है और इसका उत्पादन भी इतना ही होता है कर्नाटक राज्य की लाल हल्की मिट्टी में वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू के और विकास की क्षमता का मूल्यांकन कर लिया गया है तथा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक 48,000 हैक्टार क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोटे रूप से यह

अनुमान लगाया गया है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकताएं मुख्यतः वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू की वैज्ञानिक खेती से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने और शोधक खत्तियों की स्थापना में सहायता करने के रूप में होगी।

(ख) राज्य में तम्बाकू उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन देने की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि राज्य सरकार किसानों को क्षेत्रीय प्रदर्शन, खेती की पद्धति में कृषकों को प्रशिक्षण और वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू के सोधन तथा श्रेणीकरण के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

इसके अतिरिक्त, किसानों को शोधक खतियों की स्थापना करने के लिये सामग्री प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय बीज निगम में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के पदों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण।

805. **श्री धर्मदास शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम में वर्ग 'क' ले लेकर वर्ग 'घ' तक के पदों में अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए कुल कितने पद आरक्षित रखे गये हैं :

(ख) क्या संख्या आरक्षण के अनुसार है : और

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्ति तथा पदोन्नति करके इस संख्या को आरक्षण नियमों के अनुसार वांछित स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से पदों को भरने के लिए ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'डी' के 1.1.80 तक आगे ले जाये गये कुल पदों की संख्या 99 (अनुसूचित जाति के 57, अनुसूचित जनजाति के 42) थीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त आरक्षित पदों की संख्या की गणना भारत सरकार के आर-क्षण संबंधी नियमों के अनुसार तैयार किये गये 40-सूत्री रोस्टर के आधार पर की गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की समीक्षा निगम द्वारा समय पर कर दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार है। इस उद्देश्य के लिए एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदोन्नति वांछित संख्या में की जा रही है।

महाराष्ट्र के अलीबाग जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा तार की सुविधाएं

806. **श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अलीवाग जिले के माहाद और पोलादपुर तालुकों में कितने गांव हैं और प्रत्येक तालुक में ऐसे कितने तथा कौन-कौन से गांव हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा तार की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या प्रत्येक तालुक के अफीम गाँवों की संख्या को रेखते हुए उक्त सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) क्रम सं०	तालुक	ग्रामों की संख्या	टेलीफ़ोन/तार सुविधा से युक्त ग्राम
1,	महाद	163	1. महाद 2. दशगाँव 3. वीरवाड़ी
2.	पोलादपुर	79	1. पोलादपुर

(ख) और (ग) समय-समय पर टेलीफोन/तार सुविधा के विस्तार की आवश्यकता की जांच की जाती है और जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा नीति के अन्तर्गत महाद के और चार गांवों तथा पोलादपुर तालुक के और तीन गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन घर/तार सुविधा प्रदान किए जाने का औचित्य पाया गया है। इनकी मंजूरी दे दी गई है तथा भंडारों के उपलब्ध होते ही उत्तरोत्तर इनकी व्यवस्था की जाएगी।

लीबिया में कार्यरत भारतीय कामगार

807. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अन्तर्गत लीबिया और खाड़ी के देशों में कुल कितने भारतीय कामगार कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनके कार्य की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या लीबिया और खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे भारतीय कामगारों से ठेके की शर्तों के उलंघन किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो लीबिया में कार्य कर रहे भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ०) ऐसे भारतीय कामगारों की संख्या कितनी है जिन्हें ठेके की अवधि के पूरा होने से पहले ही भारत वापस भेज दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम इस समय केवल लीबिया और ईराक में परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है। एन० बी० सी० सी० द्वारा सीधे ही नौकरी पर लगाए गए भारतीय कामगारों की संख्या लीबिया में 1514 और ईराक में केवल 150 है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : भारतीय कामगारों के द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न करने के कुछ आरोप थे। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के द्वारा उनको लीबिया में घ.ट प्रावास और

अस्पताल परियोजना में नौकरी पर लगाये गए कामगारों ने नौकरी की कुछ शर्तों के संशोधन की मांग को लेकर दिनांक 13 अप्रैल, 1980 से 23 मई, 1980 तक हड़ताल की; समाचार मिलने के तुरन्त ही मामले की जाँच की गई और 24 मई 1980, की इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप हड़ताल समाप्त हुई थी।

(ङ०) 40 कामगारों को अनुबन्ध के उलंघन के लिए स्वदेश वापस भेजा गया।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाएं

808. **श्री जैनुल बशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य स्थानों के असंतोष जनक होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि नगर तथा अन्य कस्बों में टेलीफोन एक्सचेंज कई कई दिन तक खराब रहते हैं, और जंगीपुर एक्सचेंज कई कई महीने खराब रहता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गाजीपुर शहर तथा जिले में टेलीफोन सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। गाजीपुर के जिला मुख्यालय और जिले के अन्य स्थानों में टेलीफोन सेवाओं को सामान्यतया संतोषजनक कहा जा सकता है। तथापि, बार-बार और अधिक देर तक बिजली फेल रहने के कारण सेवा पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी नहीं। गाजीपुर शहर का टेलीफोन एक्सचेंज तथा जिले के अन्य भागों के एक्सचेंज अधिक समय तक खराब नहीं रहे। तथापि जंगीपुर (25 लाइन एस० ए० एक्स०) में टेलीफोन सेवा बिजली के काफी समय तक निरंतर फेल रहने के कारण प्रभावित रही।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) बिजली सप्लाई की अतिरिक्त व्यवस्था यथा इंजिन आल्टरनेटर, बैटरी क्षमता में वद्धि की जा रही है। गाजीपुर एक्सचेंज क्षेत्र में डी०पी० की पुन: स्थापना का कार्य पूरा किया जा रहा है।

एशियाटिक सोसाइटी की द्विशती

809. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि उन्हें 1984 में अपनी द्विशती मनाने के लिए कुछ अनुदान दिया जाय;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने उनका अनुरोध नहीं माना;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने इस संस्था को अपनी

स्वेच्छा से सहायता देने की पेशकश की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता से 1984 में अपना द्विशती समारोह मनाने के लिए अनुदान हेतु कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

लक्षद्वीप में तकनीकी शैक्षिक सुविधायें

810. **श्री पी० एम० सईद : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या लक्षद्वीप में तकनीकी शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण सरकार लक्षद्वीप के लड़कों को इस सम्बन्ध में देश में विभिन्न स्थानों में ऐसी सुविधायें देने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सुविधाओं के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ग) इस समय क्या सुविधायें और रियायतें दी जा रही हैं; और

(घ) देश में तकनीकी संस्थानों में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के कितने लड़कों को प्रतिवर्ष स्थान दिया जाता है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री : श्री एस० बी० चव्हाण : (क) और (ख) : लक्षद्वीप के छात्रों को तकनीकी शिक्षा सुविधायें पहले ही देश की विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ) : लक्षद्वीप प्रशासन के लिए डिग्री और आई०टी०आई० स्तर पर स्थानों की निम्नलिखित संख्या आरक्षित थी :—

वर्ष	आरक्षित डिग्री स्थान	उपभोग में आए स्थान
1979-80	5	कोई नहीं
1980-81	5	केन्द्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप से सूचना की प्रतीक्षा है।

आई० टी० आइयों में आरक्षित स्थान

1977 से लेकर शिल्पी एवं खेत मैकेनिक : पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए दो उम्मीदवारों को विस्तार शिक्षा संस्थान नीलाखेड़ी, हरियाणा में भेजा जाता है। छात्रों को प्रशिक्षुता : प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बंगलौर स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग में भी भेजा जा रहा है।

लक्षद्वीप के उन छात्रों को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाती जिनके लिए इंजीनियरी कालेजों में स्थान आरक्षित हैं। जो छात्र नीलखेड़ी में शिल्पी एवं फार्म मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पा रहे हैं उन्हें प्रति माह 70/-रु० का वजीफा दिया जाता है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

के अन्तर्गत भारतीय टेलीफोन उद्योग को भेजे जाने वाले छात्रों को प्रति माह 100/- रु० का अतिरिक्त वजीफा दिया जाता है। श्रम मंत्रालय ने एक योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत यदि प्रशिक्षण स्थान लक्षद्वीप में है तो उम्मीदवारों को 100/- रु० प्रति माह का और यदि यह मुख्य भूमि के किसी अन्य स्थान पर है तो 200/- रु० प्रति माह का वजीफा दिया जायेगा। केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासन ने अपनी 1980-81 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 10,000/- रु० की राशि रखी है।

दिल्ली में उर्दु का विकास

811. **श्री भीकूराम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा उर्दू के उचित विकास, उसके लिए निधियों के आबंटन तथा उर्दू अकादमी की स्थापना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उर्दू भाषा और उसके साहित्य के परिरक्षण, प्रोन्नति तथा विकास के लिए दिल्ली में एक उर्दू अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया है।

दिल्ली प्रशासन के कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षा का माध्यम उर्दू है। प्रशासन ने सहायता प्राप्त कुछ स्कूलों को शिक्षा का माध्यम उर्दू रखने की अनुमति दे दी है।

किसी स्कूल में यदि छात्रों की अपेक्षित संख्या उर्दू को एक भाषा के तौर पर पढ़ना चाहती हो तो दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

प्रशासन के पास सभी महत्त्वपूर्ण आदेशों तथा परिपत्रों का उर्दू में अनुवाद करने तथा उर्दू में प्राप्त पत्रों का जवाब देने के लिए आवश्यक स्टाफ सहित एक उर्दू प्रकोष्ठ (सेल) है। यह सेल दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था भी करता है। यह उर्दू भाषा के प्रचार को भी प्रोत्साहित करता है।

दिल्ली प्रशासन की साहित्य कला परिषद् द्वारा मुशायरों, सांस्कृतिक कार्य-कलापों का आयोजन किया जाता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका "दिल्ली" उर्दू में प्रकाशित की जाती है।

मराठी शब्दकोश के प्रकासन के लिए सहायता

812. **श्री आर० के० महालगी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वीनस प्रकाशन पुणे, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से मार्च अथवा अप्रैल, 1978 में मराठी से मराठी शब्दकोश के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और इसे जल्दी ही अनुदान सीमित के समक्ष रख दिया जायेगा।

गेहूं और जौ के लिए ऊंचा समर्थन मूल्य

813. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी रबी के मौसम में गेहूँ के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का और 200 लाख (20 मिलियन टन) अनाज का भंडार बनाने का है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने 1981-82 के विपणन सीजन के लिए गेहूँ और जौ के ऊँचे समर्थन मूल्य के जटिल प्रश्न को हल करने के लिए तथा उसकी वसूली के बारे में कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या अनाज के नये समर्थन तथा निर्गम मूल्यों के प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई सुझाव माँगे गये थे;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या नये समर्थन मूल्यों की घोषणा करते समय इन पर विचार किया गया था अथवा किया जायेगा; और

(च) इन मूल्यों की घोषणा कब किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) 1980-81 के रबी मौसम के दौरान 360 लाख मीटरी टन गेहूँ के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जहां तक सरकार के पास खाद्यान्नों के भंडार का सम्बन्ध है, सरकार की वर्तमान नीति इस वर्ष पहली जुलाई को लगभग 200 से 250 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का भंडार बनाने की है जिसमें 120 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तथा 80 से 85 लाख मीटरी टन का परिचालन भंडार बनाना शामिल हैं।

(ख) से (घ) : कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1980-81 फसल की गेहूँ तथा जौ की मूल्य नीति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में गेहूँ तथा जौ का समर्थन मूल्य क्रमशः 127 रुपये व 85 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने की सिफारिश की है। गेहूँ और जौ की मूल्य नीति पर विचार विमर्श के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने 24 अक्तूबर, 1980 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था। राज्यों ने गेहूँ का मूल्य 127 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विटल तथा जौ के लिए 95 रुपये से 140 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने की मांग की। विस्तृत स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है :—

सम्मेलन के दौरान सिफ़ारिश किया गया गेहूं का वसूली मूल्य तथा जौ का समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विटल

	गेहूं	जौ
	वसूली मूल्य	समर्थन मूल्य
हरियाणा	150	140
पजाब	142	—
कर्नाटक	142	—
उत्तर प्रदेश	140	110
मध्य प्रदेश	140	95

	गेहूं वसूली मूल्य	जौ समर्थन मूल्य
बिहार	133	
जम्मू व कश्मीर	भारत सरकार के निर्णय से सहमत होगा बशर्ते कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।	
पश्चिमी बंगाल	कुछ वृद्धि	
राजस्थान	127	110
असम	127	
महाराष्ट्र	उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में वसूली मूल्यों में भिन्नता होनी चाहिए।	
तमिल नाडु	उपस्थित नहीं हुआ ।	

(ङ) गेहूँ और जौ के अकलित मूल्यों के बारे में अन्तिम निर्णय हमेशा की तरह मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्यों द्वारा रखे गये विचारों तथा सम्बन्धित आर्थिक मंत्रालयों के विचारों को दृष्टि में रखते हुए किया जाएगा ।

(च) इन मूल्यों की शीघ्र ही घोषणा किए जाने की संभावना है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान

814. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, आर. के. पुरम, नई दिल्ली के कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई और वे किन पदों पर कार्य कर रहे थे;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त निदेशालय में कुछ कर्मचारियों के परिवारों की भविष्य निधि तथा पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, कर्मचारियों के परिवार को पेंशन तथा भविष्य निधि राशि का तुरन्त भुकतान करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निम्नलिखित आठ कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल में हुई :—

1. श्री० पी० के० दीक्षित,
   सहायक निदेशक ।
2. श्री आर० एस० वर्मा,
   मुख्य लिपिक ।
3. श्री एच० एल० सेठी०,
   मुख्य लिपिक ।
4. श्री के० सी० अरोड़ा,
   प्रवर श्रेणी लिपिक ।

5. श्रीमती राजबाला जैन,
टेलीफोन आपरेटर।

6. श्री गुलजारी लाल,
दफ्तरी।

7. श्री चेतराम,
पैकर।

8. श्री शेरसिंह,
चौकीदार।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों की मौत

815. **श्रीमती संयोगित रणे** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के चिड़ियाघर में कितने जानवरों की मृत्यु हुई;

(ख) दिल्ली चिढ़ियाघर में इतने अधिक संख्या में जानवरों के मारे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चिड़ियाधर में इतनी अधिक मृयु दर के कारणों की कोई जांच की गई थी और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1977-78	361
1978-79	376
1979-80	290

(इसमें स्तनधारी, पक्षी तथा रेंगने वाले जीव शामिल हैं)

(ख) यदि देश तथा विदेश के अन्य चिड़ियाघरों से भी तुलना की जाए तो भी दिल्ली चिड़ियाघर में मृत्यु दर कोई अधिक नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) रोग निरोधक उपायों तथा बीमार पशुओं के उपचार के संबंध में सलाह देने के लिए तीन विशिष्ट पशुचिकित्सकों का एक पेनल गठित किया जा रहा है। बीमार पशुओं का उपचार करने के लिए अन्य एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं।

सरकारी क्वार्टरों की कमी

816. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप i, ii, और iii के क्वर्टरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में कब तक सुधार हो जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार में काम करने वाले व्यक्तियों की अपनी श्रेणी के क्वार्टर 20 वर्ष की सेवा के बाद भी नहीं मिलते; और

(घ) सरकार ऐसे व्यक्तियों को कब तक क्वार्टर दे सकेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पहले ही टाइप ए० (i), बी० (ii) तथा सी० क्वार्टरों केनिर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। इन क्वार्टरों के निर्माण-कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि आगामी दो या तीन वर्षों में स्थिनि में सुधार हो जाएगा।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सम्भावना है कि त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत क्वार्टरों का निर्माण पूर्ण होने पर प्रतिक्षा-अवधि काफी हद तक कम हो जाएगी।

गुजरात में "को-एक्सीयल" तथा माइक्रोवेव टेलीफोन सुविधाएं :

817. **श्री आर० वी० गायकवाड़ : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में को-एक्सीयल तथा माइक्रोवेव टेलीफोन सुविधा की स्थापना के लिए एक परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) क्या बड़ौदा टेलीफोन जिले को उक्त परियोजना के अन्तर्गत लिया जाएगा; और

(ग) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान कोएक्सियल तथा माइक्रोवेव प्रणालियों के अतिरिक्त गुजरात राज्य में निम्नलिखित कोएक्सियल/माइक्रोवेव प्रणालियों की मंजूरी दे दी गई है और 1980-85 योजना अवधि के दौरान इनकी संस्थापना किए जाने की योजना है :—

1. अहमदावाद-पालनपुर कोएक्सिअल केबुल योजना
2. पालनपुर-दीसा ,,
3. सिद्धपुर-पाटन ,,
4. विसनगर-मेहसाना ,,
5. अहमदावाद-राजकोट ,,
6. बड़ौदा-आनन्द ,,

7.	सूरत-नवसरी	,,
8.	सूरत-धूलिया	,,
9.	राजकोट-जामनगर	माइक्रोवेव योजना
10.	अहमदाबाद-भावनगर-सूरत-राजकोट	,,
11.	अहमदाबाद-नादियाड	,,
12.	जामनगर-खम्बलिया	,,
13.	अहमदाबाद-कैरा-कैम्बे	,,
14.	नादियाड-गोदराह	,,

उड़िसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदनपत्र .

818. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बहुत से आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) क्योंझार डाक तार उपमंडल में ऐसे कितने आवेदनपत्र लम्बित है; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) 31-10-1980 तक उड़ीसा में लगभग 25,000 चालू टेलीफोन कनेक्शनों की तुलना में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 2078 आवेदन पत्र बकाया थे ।

(ख) क्योंझार तार उप डिविजन में 31-10-1980 तक लगभग 800 चालू कनेक्शनों की तुलना में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 71 आवेदन पत्र बकाया थे ।

(ग) चूंकि उपलब्ध सांधन सीमित हैं अत: मांग के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना तैयार करना संभव नहीं हो सका है । फिर भी सीमावद्धताओं के अन्तर्गत छोटे स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है और औसत प्रतीक्षा अवधि को न्यूनतम रखा जाता है ।

क्योंझार तार उप डिविजन में फिलहाल जो आवेदन बकाया हैं उनमें से अधिकांश का पंजीकरण हाल ही में हुआ है । कुच लम्बी दूरी के कनेक्शनों को छोड़कर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर रूप में कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुदान हेतु जाति निर्मूलन संस्थान, पुणे द्वारा अनुरोध

819. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जाति निर्मूलन संस्था पुणे की ओर से अपने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पर्याप्त अनुदान हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक इस संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) अधूरा होने के कारण दिसम्बर, 1978 में प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जा सका। अगस्त, 1979 में राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर भी निम्नलिखित कारणों से इस मामले पर विचार नहीं किया जा सका :

(1) आवेदन-पत्र अभी तक अधूरा था।

(2) इस आवेदन-पत्र पर अन्तिम निर्णय होने से पहले ही सहायक-अनुदान समिति ने यह निर्णय कर लिया था कि उन राज्यों के आवेदन-पत्रों पर जिनमें कई मामलों में पहले ही संस्वीकृति दी जा चुकी है विचार न किया जाए महाराष्ट्र राज्य उसी वर्ग में आया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मजदूरों और चौकीदारों के रिक्त पद

820. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में मजदूरों और चौकीदारों के काफी पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सर्किल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीयकार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस प्रकार का श्रमिकों का कोई पद नहीं है। तथापि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मण्डलों में चौकीदारों के 70 पद खाली पड़े हैं।

(ख) विभिन्न परिमण्डलों में रिक्तियां इस प्रकार हैं :—

दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल 1—5
दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल 2—2
दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल 4—17
दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल 5—5
दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल 6—1
दिल्ली केन्द्रीय परिमण्डल 9—3
एशिया खेल परिमण्डल —3
गुरु तेग बहादुर मेडिकल प्रोजेक्ट—2
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल परियोजना—3
उद्यान निदेशालय —14
दिल्ली केन्द्रीय बिजली परिमण्डल 1—2
दिल्ली केन्द्रीय बिजली परिमण्डल 2—2

दिल्ली केन्द्रीय बिजली परिमण्डल 6—1
दिल्ली केन्द्रीय विजली परिमण्डल 7—1
दिल्ली लोक निर्माण विभाग परिमण्डल 1—2
दिल्ली लोक निर्माण विभाग परिमण्डल 2—3
दिल्ली लोक निर्माण विभाग परिमण्डल 3—2
दिल्ली लोक निर्माण विभाग परिमण्डल 4—2

(ग) सरकार के मौजूद आदेशों के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय को नियुक्ती के लिए उम्मीदवारों को भेजना होता है। कस्तूरवा गाँधी मार्ग नई, दिल्ली के रोजगार कार्यालय को मांग पत्र पहले ही भेज दिया गया है। रोजगार कार्यालय से नामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में खाली पड़े हुए पद

821. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मिन्टो रोड, रिंग रोड, तथा फरीदावाद स्थित मुद्रणालयों में विभिन्न वर्गों, जैसे कापी होल्डरों, जिल्दसाज सहायकों, मशीन परिचरों, श्रमिकों, दरबानों, चपरासियों के काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका वर्गवार तथा मुद्रणालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने पद छः महीने से कम तथा कितने छः महीनों से अधिक समय से रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे गए पदों की वर्ग-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ड०) तक : एक विवरण सभा पटल पर रखा है। (ग्रंत्रालय में रखा गया देखिए सांका एल—टी-1409/80

कर्नाटक को आवंटित एवं सप्लाई किया गया गेहूं

822. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को 1979— 0 के दौरान कितनी मात्रा में गेहूँ आवंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) : स्थिति इस प्रकार है :

	(हजार मीटरी टन)	
आवंटन	519·0	(सार्वजनिक वितरण (प्रणाली और रोलर
सप्लाई	308·7	(फ्लोर मिल दोनों के (लिए।

मुन्शी प्रेमचन्द्र जन्म शताब्दी

824. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जुलाई मास के अन्तिम सप्ताह के दौरान मुन्शी प्रेमचन्द्र जन्म शताब्दी मनाई गई थी;

(ख) इस उत्सव को मनाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या कदम उठाए गये थे और क्या इन समारोहों को आयोजन करने वालों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ग) क्या सरकार मुन्शी प्रेमचन्द्र की रचनाओं को आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को अन्य भाषाओं में अनूदित करने को वरीयता देगी;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण); (क) और (ख) : मुन्शी प्रेमचन्द्र शताब्दी समारोहों का व्यापक स्तर पर कार्य साहित्य अकादमी, नई दिल्ली को सौंपा गया है। अकादमी ने मुन्शी प्रेम चन्द की एक ताजा जीवनी को तैयार करने के लिए मार्च, 1981 में एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा चार क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित करने का निश्चय किया है। जुलाई, 1980 में अकादमी द्वारा कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया। जन-संचार की सरकारी इकाईयाँ अर्थात आकाश-वाणी, दूरदर्शन, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रकाशन प्रभाग और फिल्म प्रभाग ने रेडियो और दूरर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित करके, समाचार-पत्रों की विज्ञप्तियाँ जारी करके, प्रकाशन प्रभाग निदेशालय की पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करके तथा प्रदर्शनियाँ आदि आयोजित करके, इस प्रयोजन के लिए प्रचार सहायता दी है। इन समारोहों के लिए सरकार द्वारा प्राईवेट संगठनों को अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नें अपने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मुन्शी प्रेमचन्द की 22 उत्कृष्ट लघु कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया है। इस खण्ड को, असमी, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलियालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में प्रकाशित किया गया है।

(घ) और (ड़) : प्रश्न नहीं उठते।

धनबाद में पोस्टकार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों की कमी

825. **श्री ए० के० राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद जिले में गत 15 दिनों से पोस्टकार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संकट को बढ़ाने हेतु डाक सामग्री की जमाखोरी और चोर बाजारी की जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) धनबाद में 28 अक्टूबर से 5 नवम्बर 1980 तक पत्रों और अंतर्देशीय पत्रों की कमी थी।

(ख) यह कमी धनबाद के खजानों को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक द्वारा इन मदों की आपूर्ति न करने के कारण थी। इनकी सप्लाई 6 नवम्बर, 1980 को प्राप्त हुई थी और तब इनकी पुनः पूर्ति की गई।

(ग) डाक मदों की किसी भी काला बाजारी और जमाखोरी की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को मद्येनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन आप्रेटरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

826. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन आप्रेटर स्थानीय तथा दूरगामी टेलीफोन मिलाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने लगे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भ्रष्टाचार के कारण बिहार में नालन्दा जिले के बिहार शरीफ के टेलीफोन धारकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए विशेष जाँच दस्ते की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है जो टेलीफोन धारकों के सहयोग से जाँच करे और भ्रष्टाचार को रोके ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) : काल मिलाने में भ्रष्टाचार करने के कुछ मामलों की जानकारी मिली थी और जिसके लिए समुचित निवारक कार्यवाई कर दी गई है। इसके अलावा, पर्यवेक्षक कठोर कर दिया गया है तथा बिहार दूरसंचार सर्किल में भ्रष्टाचार पर नजर रखने तथा उसको रोकने के लिए दो अधिकादियों का एक विशेष दस्ता नियुक्त किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात-तूफान आने से हुई क्षति

827. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आये चक्रवात-तूफान से आन्ध्र प्रदेश के तटीय भागों

पर बहुत बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण जन-जीवन तथा सम्पत्ति को हुई हानि का व्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार लोगों की जान बचाने में किस हद तक सफल रही है; और

(घ) भविष्य में आने वाले ऐसे खतरों से बचने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी हाँ। आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 17 और 18 अक्टूबर, 1980 को बंगाल की खाड़ी में दवाव कम हुआ और इसके परिणामस्वरूप तटीय जिलों में भारी वर्षा हुई थी।

(ख) समुद्री तूफान के कारण हुई हानि का व्यौरा इस प्रकार है :

1. जन हानि	शून्य
2. मकानों, सड़कों, इमारतों और सिंचाई साधनों की हुई क्षति का अनुमानित मूल्य	172.28 लाख रुपये
3. फसल की हुई क्षति का अनुमानित मूल्य	66.24 लाख रुपये

(ग) और (घ) : राज्य सरकार ने सूचना दी है कि तटीय जिलों के कलेक्टरों को बचाव के सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पहले से ही सतर्क कर दिया गया था। राज्य, जिला और प्रभागीय मुख्यालयों में नियंत्रण कक्षों को मौसम सम्बन्धी चेतावनियां आदि प्राप्त करने के लिए दिन रात खुला रखा गया था। निचले और अति संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों को हटा करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया था। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को उपयुक्त मामलों में मकानों आदि की क्षति के लिए निःशुल्क राहत स्वीकृत करने के लिए .4 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

कलेक्टरों को स्थाई रूप से ये हिदायतें दी गई हैं कि वे बचाव के समस्त कदम उठाने और समुद्री तूफान के पश्चात भी उपाय करने के लिए समुद्री तूफान की आकस्मिक घटना से सम्बन्धित कार्यवाही योजना में उल्लिखित प्रावधानों का अनुसरण करें।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय दल

828. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में आई बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए केन्द्र सरकार से एक केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कोई दल वहां भेजा गया था;

(ग) क्या उक्त दल ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन पेश किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) एक केन्द्रीय दल ने 13 तथा 14 अक्टूबर, 1980 के बीच बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर 1. 11. 1980 को राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने विचार किया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर राहत सम्बन्धी व्यय स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

संसद सदस्यों द्वारा विमान यात्रा

829. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल-यात्राओं में मिलने वाले प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किराये की सुविधा से अतिरिक्त किराया का भुगतान करने पर देश के भीतर संसद सदस्यों को विमान यात्रा की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार देश के बाहर तथा काठमांडू, काबुल, करांची आदि रूट पर संसद सदस्यों को इंडियन एअर लाइन्स में माध्यमिक यात्रा करने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं !

पेय-जल की सप्लाई

830. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई करने के कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा जुटाने पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कुल कितना नियतन किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : छठी पंचवर्षीय योजना में देश के सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने का विचार है। अनुमान है कि इस प्रयोजन के लिए 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रावधान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय सहकारिकता यूनियन के लेखों की लेखा परीक्षा तथा उसे दिये गये अनुदान

831. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी यूनियन को प्रतिवर्ष कितनी राशि के अनुदान दिये गये;

(ख) राष्ट्रीय सहकारी यूनियन के लेखों की किस वर्ष तक लेखा-परीक्षा की जा चुकी है और सरकार को पेश किये जा चुके हैं; और

(ग) अन्य शीर्षस्थ संस्थानों के नाम क्या हैं और केन्द्र द्वारा गत तीन वर्षों में उनको कितने वार्षिक अनुदान दिये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क)	वर्ष	राशि (लाख रुपये)
	1977-78	23.32
	1978-79	42.68
	1979-80	35.55

(ख) वर्ष 1978-79 तक ।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है ।

विवरण

सहकारी शीर्ष संस्थाओं के नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये सहायक अनुदान की मात्रा (राशि रुपये में)		
	1977-78	1978-79	1979-80
1. राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय संघ बम्बई ।	63,014	1,00,000	1,15,000
2. राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक संघ, बम्बई ।	90,000	1,00,000	1,00,000
3. शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियों का राष्ट्रीय संघ, नई दिल्ली ।	—	—	38,700
4. राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली ।	30,200	42,435	34,372
5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ, नई दिल्ली ।	—	55,000	60,000
6. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नई दिल्ली ।	9,00,000	11,48,940	8,25,000
7. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ।	—	59,75,000	2,02,25,000
8. अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र सहकारी विपणन समिति लिमिटेड, बम्बई ।	34,30,354	43,10,613	24,51,251
9. राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ।	4,07,300	2,21,625	1,74,000

10. अखिल भारतीय मछुआ सहकारी संघ, लिमिटेड, बम्बई। — — शून्य
(26-2-1980 को पंजीकृत)

उचित दर की दुकानों पर चीनी का ना मिलना

832. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि उचित दर की दुकानों पर चीनी रु० 6.10 प्रति कि० ग्रा० की दर से उपलब्ध कराई जाएगी, चीनी के न मिलने से लोगों को होने वाली कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन, चीनी फैक्ट्रियों ने राज्य सरकार के नापितों को 450 रु० प्रति क्विंटल के निर्धारित निकासी मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, पर खुली बिक्री की चीनी दी थी और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने 6 रुपये प्रति किलो के आसपास के मूल्य पर इसके वितरण की व्यवस्था की थी। यह योजना पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक की त्योहार अवधि के दौरान लागू थी। चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण देश के कुछ भागों में उपभोक्ताओं ने सम्भवतः कुछ कठिनाइयां महसूस की होंगी लेकिन कुल मिलाकर, स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना से उपभोक्ताओं को निर्धारित तथा उचित मूल्यों पर चीनी उपलब्ध करने में सहायता मिली है।

गेहूं के राशन में कटौती

833. **श्री सी० चिन्नास्वामी :**

श्री पी० के० कोडियन :

श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेहूँ के राशन को प्रति यूनिट 10 किलोग्राम से घटा कर 6 किलोग्राम कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेवी चीनी के कोटे में भी कटौती की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताएं. बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रति माह केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। हाल ही में, विभिन्न राज्यों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जा रही राशन की मात्रा की समीक्षा की गई थी और पश्चिमी बंगाल

की राज्य सरकार और दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वे विशेषकर गेहूँ की मात्रा में कटौती करें। दिल्ली प्रशासन ने अब गेहूँ प्रयोग करने वालों का राशन घटाकर 6 किलो प्रति यूनिट अथवा 12 किलो प्रति यवस्क प्रति मास कर दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गंगानगर (राजस्थान) में राजस्व बोर्ड की नई शाखा खोलना

834. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राजस्व बोर्ड के पास जिलेवार राजस्व सम्बन्ध मामलों का अनुपात क्या है और क्या उसमें से अधिकतर मामले श्री गंगानगर जिले से सम्बन्धित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संख्या को देखते हुए, श्री गंगानगर में राजस्व बोर्ड की एक नई शाखा खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह ब्रांच कब खोली जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राजस्थान सरकार से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, राजस्व बोर्ड के पास 31-3-1980 को कुल मिलाकर 8,853 मामले लम्बित पड़े हुए थे। इनमें से, 1,690 मामले श्री गंगानगर जिले से सम्बन्धित है।

(ख) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दालों/चने के खुदरा मूल्य

835. **श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सितम्बर-अक्तूबर के महीनों के दौरान दालों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं :

(ख) यदि हाँ, तो सितम्बर और अक्तूबर के महीनों के सप्ताहों के अन्त में आवश्यक दालों/चने के खुदरा मूल्य क्या थे; और

(ग) मूल्यों में इस अचानक वृद्धि के कारण क्या हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस वर्ष सितम्बर से अक्तूबर की अवधि के दौरान दालों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूंग और उड़द में हुई वृद्धि बहुत सामान्य है, परन्तु अन्य दालों में ज्यादा वृद्धि हुई है।

(ख) महानगरों में सितम्बर और अक्तूबर के दौरान महत्त्वपूर्ण दालों/चने के सप्ताहान्त खुदरा मूल्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि 1979-80 के दौरान दलहनों के उत्पादन में काफी गिरावट आई थी।

विवरण

चने और दालों (दली हुई) के साप्ताहिक खुदरा मूल्य

(शुक्रवार को समाप्त होने वाला सप्ताह)

(प्रति किलोग्राम रुपए)

	सितम्बर, 1980				अक्तूबर, 1980				
	1	2	3	4	1	2	3	4	5
चना									
दिल्ली	3.70	3.70	3.80	4.00	4.10	4.30	4.30	5.60	5.50
कलकत्ता	4.00	एन.क्यू.	4.00	एन.क्यू.	एन.क्यू.	एन.क्यू.	एन.क्यू.	4.20	5.80
बम्बई	4.40	4.40	4.40	4.40	4.80	4.80	4.80	4.80	5.20
मद्रास	3.80	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
कानपुर	3.25	3.25	3.40	3.40	3.85	3.80	4 00	4.00	4.30
अरहर									
दिल्ली	4.40	4.50	4·60	4.60	4.80	4.80	5.00	5.00	5.00
कलकत्ता	5.50	5.50	5.50	5.60	5.60	5.60	एन.क्यू.	5.80	5 80
बम्बई	4.50	4.50	4.50	4.75	5.50	5.50	5.50	6.00	6.00
मद्रास	5.10	5.10	5.10	5.20	5.30	5.30	5.40	5.40	5.40
कानपुर	4.20	4.20	4.35	4.40	4.40	4.50	5.00	5.00	5.00
मूंग									
दिल्ली	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.40	5.60	5.60	5.60
कलकत्ता	5.40	5.40	5.40	5.50	5.50	5.60	एन.क्यू.	5.00	5.80
बम्बई	5.60	5.60	5.60	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
मद्रास	4.00	4.00	4 00	5.00	5.00	5.20	5.00	5.10	5.10
कानपुर	5.70	5.60	5.60	5.40	5.50	5.25	5.40	5.50	5.50
मसूर									
दिल्ली	4.40	4.60	4.80	4.90	5.10	5.20	5.40	5.60	5.80
कलकत्ता	4.80	4.80	5.00	5.80	5.40	5.60	एन.क्यू.	6.00	6.30
बम्बई	4 20	4.20	4.40	4.60	5.00	5.00	5.00	5.60	6.20
मद्रास	3.80	3.80	3.80	4.00	4.80	5.00	5.00	5.10	5.25
कानपुर	4.00	4.00	4.10	4.25	4.25	4.40	4.60	5.00	5 20

	1	2	3	4	1	2	3	4	5
उड़द									
दिल्ली	4.40	4.40	4.40	4.40	4.50	4.60	4.80	4.80	4.80
कलकत्ता	4.20	4.20	4.20	4.30	4.50	4.70	एन.क्यू.	4.50	4.80
बम्बई	4.60	4.60	4.60	4.80	4.80	4.80	4.80	5.00	5.00
मद्रास	4.10	4.10	4.10	4.00	4.00	4.20	4.20	4.40	4.60
कानपुर	4.80	4.80	4.60	4.40	4.45	4.80	5.00	4.80	5.00

एन. क्यू.=उद्धृत नहीं किये ।

नेत्रहीन व्यक्ति

836· **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो नेत्रहीन हैं;

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए देश-भर में, राज्यवार कितने स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाएँ हैं; और

(घ) विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे नेत्रहीन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) इस देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या के बारे में ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । भारत के महापंजीयक ने 1981 की जनगणना के दौरान विकलाँग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) नौकरी चाहने वाले नेत्रहीन व्यक्तियों (यह जरूरी नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों) जिनके नाम रोजगार कार्यालयों (विकलाँग व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यालय भी शामिल) के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे, की संख्या 31 दिसम्बर, 1979 को 4,443 थी ।

(ग) और (घ) नेत्रहीनों के लिए स्कूलों या अन्य संस्थाओं की संख्या तथा विभिन्न संस्थाओं में पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्रों की संख्या के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तो भी, इस मंत्रालय में उपलब्ध लानकारी के अनुसार नेत्रहीनों के कल्याण के लिए काम करने वाली 156 संस्थाएँ है (राज्य-वार बटवारा विवरण दिया गया है) ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नेत्रहीनों के लिए संस्थाओं की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	असम	2
3.	बिहार	12
4.	गुजरात	24

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नेत्रहीनों के लिए संस्थाओं की कुल संख्या
5.	हरियाणा	5
6.	जम्मू और कश्मीर	3
7.	केरल	7
8.	मध्य प्रदेश	8
9.	कर्नाटक	7
10.	महाराष्ट्र	24
11.	उड़ीसा	1
12.	पंजाब	4
13.	राजस्थान	4
14.	तमिलनाडु	12
15.	उत्तर प्रदेश	23
16.	पश्चिमी बंगाल	7
	केन्द्र शासित प्रदेश	
1.	दिल्ली	4
2.	पांडीचेरी	2
	जोड़	156

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों के लिए तैयारियां

837. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकांश कर्मचारी इस समय दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों के लिए व्यवस्था करने पर जुटे हुए हैं, और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या-क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये हैं और इनके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एशियाई खेलों की परियोजना पर कम से कम कर्मचारी लगाये गये हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुल कर्मचारियों के अनुपात में बहुत कम हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने निम्नलिखित दो परियोजनाएं आरम्भ की हैं ;

(i) इन्द्रप्रस्थ स्टेट में इन्डोर स्टेडियम परियोजना।

(ii) सीरी फोर्ट में एशियाई खेल गाँव परियोजना।

इन दोनों परियोजनाओं के 1982 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

खण्डसारी फैक्टरियों में नमी वाली खोई भट्टियों का प्रयोग

838. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खण्डसारी फैक्ट्रियों में नमी वाली खोई भट्टियों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे सुझाव को बढ़ावा देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कुल मिलाकर खण्डसारी फैक्ट्रियों में नमी वाली खोई भट्टियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) सरकार ऐसे सुझाव पर होने वाली अतिरिक्त लागत आदि समेत सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ऐसे सुझाव को प्रोत्साहन देगी।

दालों की प्रति हैक्टेयर उपज

839. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् दालों की प्रति हैक्टेयर उपज में केवल थोडी सी ही वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। 1952-53 से 1978-79 तक दालों की प्रति हैक्टेयर उपज की मिश्रित वृद्धि-दर केवल 0.06 प्रतिशत रही।

(ख) (1) दालों के उत्पादन में वर्षानुवर्ष आधार पर अत्यधिक अस्थिरता रहती है, क्योंकि इनकी बुवाई मुख्य रूप से वर्षा से सिंचित स्थितियों के अन्तर्गत अधिकांशत: सीमांत और उप-सीमांत भूमि में की जाती है और केवल 8 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में ही दालों की खेती की जाती है।

(2) दालें अनेक कीटों, कृमियों तथा रोगों के प्रति संवेदनशील होती हैं जैसे चने और अरहर में लगने वाला फली बेधक तथा मुरझान रोग और उड़द व मूंग में लगने वाला मोजिक रोग। चना तथा अरहर दोनों पाले के प्रति संवेदनशील होते हैं।

(3) दालों की फसलें ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं, किन्तु इनकी खेती अधिकांश रूप में ऐसी स्थितियों के अन्तर्गत की जाती है जिनमें ऊर्जा की भारी कमी होती है। किसान आमतौर पर दालों की फसलों में रासायनिक उर्वरक अथवा कार्बनिक खाद का भी प्रयोग नहीं करते, और वनस्पति रक्षण उपाय भी नहीं करते, क्योंकि दालों की प्रति हैक्टेयर पैदावार बहुत कम होती है। दालों कों उपलब्ध किस्मों पर उर्वरकों के प्रयोग का उतना अनुकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता जितना धान्यों पर पड़ता है।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम

840. **श्री चित्त महाटा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के कार्यकरण की समीक्षा के लिये गठित किये कार्यकारी समूह के प्रतिवेदन पर

अपनी प्रतिक्रियाएं प्रेषित कर दी हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कई राज्य सरकारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं।

(ख) चूंकि सरकार ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया है इसलिए इस अवस्था में ब्यौरे बतलाना लोकहित में नहीं होगा।

चन्द्रनगर टेलीफोन केन्द्र का स्वचालित केन्द्र में परिवर्तन

841. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता टेलीफोन्स के अन्तर्गत चन्द्रनगर टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) स्वचल एक्सचेंज के भवन के लिए भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस परिवर्तन को पूरा करने की सही-सही तारीख इतने समय पहले सूचित करना संभव नहीं हैं।

रेल कर्मचारियों और डाक-तार कर्मचारियों के बोनस के भुगतान में अन्तर.

842. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेल, डाक व तार तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर पच्चीस दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां तो क्या उन्हें पिछले वर्ष उपरोक्त दिनों के वेतन के बराबर बोनस का भुगतान कर दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि रेल और डाक व तार कर्मचारियों को चालू वर्ष के दौरान क्रमशः 23 और दिन 15 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया गया हैं; और

(घ) यदि हां तो रेल कर्मचारियों को 25 दिन के वेतन के बराबर और डाक व तार कर्मचारियों को 15 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) सरकार ने संचार मंत्रालाय के अधीन डाक तार विभाग, विदेश संचार सेवा, तथा वायरलैस मनीटरिंग संस्थान को उत्पादकता से संवद्ध बोनस देने का निर्णय लिया था। उत्पादकता से संवद्ध बोनस की मात्रा का निर्धारण संबंधित वर्ष के लिए कर्मचारियों की उत्पादकता के आधार पर किया जाना था। यही योजना रेल कर्मचारियों के लिए भी लागू की गई है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान सद्भावना के रूप में संचार मंत्रालय के संदर्भगत कर्मचारियों को 15 दिन के वेतन का तदर्थ भुगतान किया गया।

(ग) तथा (घ) चालू वर्ष 1980-81 के दौरान संचार मंत्रालय के अधीन डाक-तार, विदेश संचार सेवा, तथा वायरलैस मानीटरिंग संस्थान के सरकारी कर्मचारियों को 19 दिन के वेतन के बराबर उप्पादकता से सम्बद्ध बोनस मंजूर किया गया। यह मात्रा कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1979-80 के प्राप्त उत्पादकता पर आधारित है।

रेलवे ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 1979-80 में प्राप्त उत्पादकता के आधार पर 23 दिन के वेतन के बरावर बोनस मंजूर किया है। चूंकि बोनस की राशि का संबंध संबंधित विभाग में प्राप्त उत्पादकता के साथ है। अतः विभिन्न विभागों में मंजूर उत्पादकता से संबद्ध बोनस की मात्रा में एकरूपता नहीं हो सकती।

खादी संस्थानों के पास ऊनी कपड़े का अनबिका स्टाक

843. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी आयोग और अन्य स्वीकृत खादी उद्योगों द्वारा चलाए जा रहे खादी संस्थानों में बिना विके ऊनी कपड़े के स्टाक की कीमत क्या है और यह किस तारीख से बिना विके पड़ा हुआ है;

(ख) क्या उपरोक्त संस्थानों में ऊनी कपड़े का बुनाई कार्य पिछले तीन वर्षों से ठप्प पड़ा है जिससे लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गए है;

(ग) क्या जैसलमेर और बाड़मेर जिले, जहाँ ऊनी उद्योग भारी संख्या में हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, यदि हाँ तो कैसे; और

(घ) विना बिके स्टाक को बेचने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष लिए गए कदम और भविष्य में उठाए जाने वाले कदम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के पास ऊनी कपड़ों के इतिपेश स्टाक का मूल्य 2,446,64 लाख रुपए (अन्तिम) था।

(ख) जी नहीं। यद्यपि ऊनी खादी के स्टाक जमा हो गये थे फिर भी इस गतिविधि में लगे हुए कारीगरों को लगातार रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य से तथा इस आशा से कि सर्दी के चालू मौसम के दौरान ऊनी खादी के माल की अच्छी बिक्री होगी, उत्पादन को जारी रखा गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग में सुलभ किया गया कुल रोजगार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ऊनी खादी उत्पादन का मूल्य (लाख रुपए में)	ऊनी खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों को रोजगार
1977-78	1574,51 रुपए	1,80,196
1979-79	1951,10 रुपए	2,14,269
1979-80	2222,28 रुपए (अन्तिम)	2,44,803 (अन्तिम

(ग) राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में ऊनी खादी कार्यक्रम को मुख्यतः

राजस्थान राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं/सरकारी सोसाइटियों के माध्यम से चलाया जाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन तथा राजस्थान राज्य बोर्ड की भी बाड़मेर जिले में कोई विभागीय गतिविधि है। वर्ष 1979-80 के दौरान जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में ऊनी खादी में क्रमश: 3,425 तथा 1,989 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ किया गया था। इन दो जिलों में उत्पादित ऊनी खादी का मूल्य लगभग एक करोड़ रुपए था।

(घ) आयोग ने स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) कम्बलों तथा कम्बलियों की खुदरा बिक्री पर 10 प्रतिशत तथा ऊनी खादी की वस्तुओं की अन्य किस्मों पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट की अवधि को बढ़ा कर 75 दिन कर दिया गया है जबकि प्रत्येक वर्ष में सामान्य अवधि 60 दिनों की होती है।

(1) उन संस्थाओं जो राजस्थान से थोक आधार पर ऊनी खादी का माल खरीद रही हैं, को सामान्य थोक कमीशन के अलावा राजस्थान में संस्थाओं को 5 प्रतिशत थोक कमीशन लेने की अनुमति दे दी गई है।

(3) राजस्थान में संस्थाओं को राज्य में तथा राज्य से बाहर ऊनी खादी की वस्तुओं की बिक्री के लिए अस्थायी बिक्री भण्डार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है।

(4) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर जो राजस्थान में कार्य कर रही संस्थाओं/सहकारी सौसायटियों का परिसंघ है, को उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए ऊनी खादी की बिक्री हेतु पटना में वस्त्रागार खोलने की अनुमति दे दी गई है। संस्था संघ ने पटना में वस्त्रागार खोल लिया है और इस महीने से बिक्री भी शुरू कर दी है।

बिना बिके ऊनी खादी के स्टाक को बेचने के लिए चालू वर्ष के दौरान हर संभव कदम उठाये जाएंगे।

मूर्तियों की चोरी

844. **श्री हीरालाल आर० परमार : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मूर्तियों की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने मामलों को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है और मूर्तियों को कितने स्थानों से बरामद किया गया था तथा मूर्ति चोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मूर्ति चोरों को दण्ड देने का है ताकि वे भविष्य में ऐसा न करेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) से (ग) : केन्द्रीय अन्वेषन व्यूरो और उपायुक्त दिल्ली पुलिस, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में मूर्तियों के 1032 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 136 मामलों में मूर्तियां 13 राज्यों और 3

संघ-राज्य-क्षेत्रों के स्थानों से बरामद की गई हैं। केन्द्रीय अन्वेषन व्यूरो और दिल्ली पुलिस ने इन चोरियों के संबंध में 138 चोरों के खिलाफ कारवाई की है। मामलों का निर्णय हो जाने पर दण्ड उचित प्रधिकारी द्वारा दिया जएगा।

राज्यों को जारी किया गया चीनी का कोटा

845. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री चिन्तामणि जेना :

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को कितना-कितना चीनी का कोटा दिया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य ने चीनी के कोटे में वृद्धि करने की मांग है; और

(घ) यदि हां तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) पिछले चार महीनो के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी किए गये लेवी चीनी के मासिक कोटे की मात्रा संलग्न वितरण में दी गई है।

(ख) और (ग) मार्च, 1980 में उड़ीसा सरकार ने लेबी चोनी के अपने मासिक कोटे को 10,723 मीटरी टन के स्तर से बढ़ाकर 12,000 मीटरी टन करने के लिए कहा था। लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण 16-8-1978 को चीनी पर से नियंत्रण हटाने के तुरन्त पहले आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान प्राप्त कर रहे लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के बारे में किसी भी राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नही हुआ है।

जुलाई से अक्तूबर, 1980 तक के पिछले चार महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी किये गये लेवी चीनी के मासिक कोटे

क्रम सं०	राज्य केन्द्र/शासित प्रदेश	कोटा मीटरी टन में
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,882
2.	असम	7,541
3.	मिजोरम	171
4.	बिहार	26,929
5.	गुजरात	14,031
6.	हरियाणा	4,916
7.	हिमाचल प्रदेश	1,588
8	जम्मू तथा कश्मीर	2,250
9.	केरल	10,495
10.	मध्य प्रदेश	20,825
11.	महाराष्ट्र	24,743

12.	कर्नाटक	14,215
13.	नागालैण्ड	290
14.	उड़ीसा	10,723
15.	पंजाब	6,564
16.	राजस्थान	12,757
17.	तमिलनाडु	19,783
18.	पश्चिम बंगाल	21,994
19.	उत्तर प्रदेश	41,761
20.	अण्डमान तथा निकोबार	190
21.	चंडीगढ़	243
22.	दादर तथा नगर हवेली	36
23.	दिल्ली	5,304
24.	गोआ, दमन तथा दीव	470
25.	लक्षदीप	65
26.	मणिपुर	524
27.	मेघालय	493
28.	अरुणाचल प्रदेश	228
29.	पांडिचेरी	230
30.	त्रिपुरा	757
31.	सिक्किम	107.5
	............जोड़	2,71,107,5

ताल (हिमाचल प्रदेश) में शीप रिसर्च फार्म

846. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताल (हिमाचल प्रदेश) में वर्ष 1972 में स्थापना के समय से लेकर शीप रिसर्च फार्म की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार शीप रिसर्च फार्म को किसी अधिक उपयुक्त क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान, जब बड़ी संख्या में गद्दी (स्थानीय) भेड़ें खरीदी गई थीं, उनकी मृत्युदर नगण्य थी। तथापि, अगले वर्ष, यानी 1973-74 में, मृत्यु दर अधिक रही जिसका कार्य निष्पन्नता पर प्रतिकूल असर पड़ा।

(ख) वर्ष 1975, 1977 तथा 1979 में आयोजित इस प्रायोजना की कार्यशाला में इस

एकक की कार्य निष्पन्नता के सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षा की गई। एक विशेष समिति भी नियुक्त की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट जून, 1978 में प्रस्तुत की। तब यह विचार किया गया था कि तकनीकी कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एकक को किसी अन्य अनुकूल वातावरण में स्थानांतरित कर दिया जाये। बाद में परिषद के शासी निकाय ने वर्ष 1979 में इस एकक के कार्यकलापों की जांच करने के लिए श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक अन्य उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि यह एकक शीघ्रातिशीघ्र हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाये। प्रायोजना समन्वयक (एस० बी०) निदेशक, केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, सहायक निदेशक (ए० पी० एण्ड० बी) तथा उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) द्वारा समय-समय पर इस एकक का दौरा किया गया तथा परामर्श दिया गया।

(ग) जी हां, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर जो कि 1978 में प्रस्तुत की गई थी, इस एकक को बेहतर स्थान पर ले जाने के लिए हिमाचल सरकार को एक प्रस्ताव किया गया है।

(घ) विशेषज्ञों की समिति ने यह सिफारिश की कि इस एकक का कार्य सिर्फ एक फार्म में रखा जाये तथा इसके लिए शिमला जिले में जियोरी फार्म उचित स्थान होगा। जैसा कि प्रायोजना समन्वयक ने अपने दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 के पत्र में बतलाया है, निदेशक, पशुपालन हि० प्र० ने इस एकक को अब अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया है।

गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन के रूप में लेवी की चीनी पर वसूली की शत प्रतिशत अदायगी करने की योजना

847. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी चीनी कारखाने के राष्ट्रीय संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल ने उनसे भेंट की तथा यह सुझाव रखा कि सरकार एक ऐसी योजना तैयार करे जिसके अधीन गन्ना उत्पादकों को चीनी के कारखानों द्वारा प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त गन्ना मूल्य के रूप में उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए गैर-लैवी चीनी से प्राप्त 100 प्रतिशत का भुगतान किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

नारियल बोर्ड और उसकी खेती

848. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल बोर्ड के गठन में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) खोपरे (सूखे नारियल) की मिलिंग से कितनी कम उपकर की वसूली की गई; और

(ग) देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने 1980 के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नारियल विकास बोर्ड के गठन में विलम्ब के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :

(1) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979, में अन्य घटकों के साथ-साथ राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, उत्पादकों, नारियल परिसंस्करण उद्योग और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। अत: राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों से परामर्श करना आवश्यक था। बोर्ड को अपने नामांकन भेजने में इन्होंने कुछ समय लिया।

(2) अधिनियम में बोर्ड के कार्यों को सुचारु ढंग से चलाने के लिए प्रक्रिया, प्रशासनिक और वित्तीय सम्बन्धी अनेक पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिए नियम बनाने की व्यवस्था है। विधि मंत्रालय के परामर्श से इन नियमों को बनाने में भी कुछ समय लगा।

(ख) खोपड़ा उपकर अधिनियम (जो 1 अप्रैल, 1979 से लागू हुआ है) के अन्तर्गत अगस्त, 1980 तक अनुमानतः 96 लाख रुपये की राशि उपकर के रूप में एकत्र की गई थी। इसके अतिरिक्त, उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत, 1966-67 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान खोपड़े पर उपकर के रूप में 130 लाख रुपये की राशि भी एकत्र की गई।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1979-80 के दौरान नारियल विकास के पैकेज कार्यक्रमों के लिए राज्यों को कुल 31,41,550 रुपये की राशि मुहैया कराई गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1979-80 के दौरान नारियल के अनुसंधान पर 52.95 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विश्व-बैंक की सहायता प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 24.29 लाख रुपये की राशि खर्च की गई, जो मुख्यत: नारियल से सम्बन्धित है।

पश्चिम बंगाल में जल प्रदाय एकक

849. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना के पुलिस स्टेशन मन्दिर बाजार में ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अन्तर्गत सुलतानपुर जल सप्लाई एकक के लिए निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(ख) उक्त एककों के निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमानित तारीख क्या है;

(ग) इस जल सप्लाई योजना का लाभ जिन गाँवों को प्राप्त होगा उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विजयगंज, जो कि क्षेत्र का सबसे अधिक लोकप्रिय बाजार और व्यापार केन्द्र है, उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले स्थानों में है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बाढ़ के कारण जोधपुर डिवीजन के दूर संचार विभाग को हानि

850. **श्री अशोक महलोत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1979 में बर्षा और बाढ़ के कारण जोधपुर डिवीजन में दूर-संचार विभाग को कितनी हानि हुई थी और तत्सम्बन्धी जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बाढ़ और भारी वर्षा के कारण दूर-संचार सेवा कितने दिन तक ठप्प रही और उसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में समूचा कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भविष्य में बाड़ और भारी वर्षा के दौरान दूर-संचार सेवा के उचित रख-रखाव के लिये ठोस कदम उठाये है जिससे वह विल्कुल ठप्प न हो जाय; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :(क) : जुलाई 1979 में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जोधपुर एवं व्यावर मंडल में दूर संचार विभाग को हुआ घाटा लगभग 8 लाख है। दूर संचार विभाग में जिले वार राजस्व आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) दूर संचार सेवाएं लगभग एक पखवाड़े तक प्रभावित रहीं तथा सभी सेवाओं को स्थाई रूप से पुनः चालू कर दिया गया है।

(ग) जोधपुर के लिए वैकल्पिक ट्रक मार्ग स्थापित करने के लिए कार्यवाई की जा रही है जयपुर-जोधपुर तथा अजमेर के सूक्ष्म तरंग प्रणाली की मंजूरी दी जा चुकी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की सुविधाएँ देने वाले स्कूल

851. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की सुविधाएं देने के लिए तहसील स्तर पर हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिये कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) जी, हाँ। प्रस्तावित परियोजना विहार के गया जिले में प्रयोग के लिए थी। अतः प्रस्ताव को बिहार सरकार को उचित कार्यवाई के लिए भेज दिया गया था।

मास्को ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

852. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

श्री एन० ई० होरो : क्या समाज कल्याण मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के मास्को ओलम्पिक में कुल कितने प्रतियोगी खिलाड़ी और अधिकारी भेजे गये थे;

(ख) ओलम्पिक और एशियाई रिकार्डों और मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक दल और खिलाड़ी का प्रत्येक खेल और प्रत्येक खेलकूद प्रतियोगिता (इवेंट) में कैसा प्रदर्शन रहा है; और

(ग) बम्बई में 1981 में होने वाली विश्व-कप हाकी, 1982 के एशियाई ओलम्पिक और 1984 के ओलम्पिक खेलों के लिए प्रतियोगी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) 1980 के मास्को ओलम्पिक में जो दल गया था उसमें 75 खिलाड़ी तथा 19 अधिकारी शामिल थे।

(ख) विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1410/80]

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षिन करने का दायित्व मुख्यत: संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ का है। तथापि, अन्तरश्ष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता की उदार प्रणाली के अन्तर्गत तीन प्रशिक्षण शिविर अर्थात छ: छ: सप्ताह तक की अवधि के दो और चार सप्ताह तक की अवधि का एक शिविर की अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त, 1982 के एशियाई खेलों में भाल लेने के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने के घिए प्रति वर्ष 3 अतिरिक्त प्रशिक्षण शिविरों, पहले दो छ: छ: सप्ताह के और तीसरा 4 सप्ताह की अवधि का, के लिए भी अनुमति दी गई है। भारतीय हाकी संघ सहित अधिकांश राष्ट्रीय खेल संघों ने 1982 के एशियाई खेलों के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए अपन-अपनी योजनाएं बना ली हैं। इस तयारी में 1981 में बम्बई में आयोजित होने वाली विश्व कप हाकी चम्पियनशिप को भी ध्यान में रखा जाएगा। 1984 की ओलम्पिक खेलों की तैयारी की योजनाएं 1982 के एशियाई खेलों के पश्चात तैयारी की जाएगी।

छंगाना-चेरी टेलीफोन केन्द्र

853. **श्री स्कारिया थामस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंगाना-चेरी टेलीफोन केन्द्र की सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कार्य के कब तक प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तचल एक्सचेंज को स्वचल एक्सचेंज में परिवर्तित करने की योजना बनाई जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लेटों का आबंटन

854. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लटों का आबंटन प्रायः कितने वर्षों में किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले सरकारी कर्मचारियों ने 1979 की नये ढांचे की पंजीकरण योजना के अन्तर्गत फ्लैट खरीदने के लिए अपने नाम पंजीकृत कराये हैं;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि फ्लैटों के आबंटन में लगने वाली 7-8 वर्षों की लम्बी अवधि के कारण, ये कर्मचारी फ्लैट खरीदने के अवसर से वंचित रह जाएँगे क्योंकि पचास वर्ष की आयु पर वे गृह निर्माण ऋण की किश्तों की अदायगी करने में असमर्थ होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत यथासम्भव शीघ्रता से विशेष मामलों के रूप में फ्लैट आबंटन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पंजीकृत व्यक्ति 3 से 4 वर्ष की अवधि में आबंटन प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि वह किसी क्षेत्र विशेष के लिए दबाव न डाले।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह आयुवार पंजीकृत व्यक्तियों का अलग से रिकार्ड नहीं रखता।

(ग) से (ङ) : 1979 में पंजीकृत व्यक्तियों को यथासम्भव शीघ्र फ्लैट उपलब्ध कराने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

गन्ने की कीमतों की समय पर अदायगी

855. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल मासिक गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत समय पर नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किसानों को गन्ने का मूल्य ठीक समय पर दिये जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) कुल मिलाकर, चीनी मिलें उचित अवधि के अन्दर गन्ने के मूल्य की देय राशि का भुगतान कर रही हैं।

(ख) राज्य सरकारों से बार-बार कहा गया है कि वे अपने राज्यों में गन्ने के मूल्य के भुगतान की समीक्षा करें और समय से उनके भुगतान को सुनिश्चित करें। जिन मामलों में गन्ने की सुपुर्दगी की तारीख से 14 दिन की निर्धारित समय सीमा के अन्दर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनमें उन्हें .4 दिन के बाद की ऐसी देरी की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से

देय राशि पर ब्याज देना होता है। यदि सम्भरणकर्ता द्वारा भुगतान क्लेम करने के लिए आगे न आने अथवा किन्हीं अन्य कारणों की वजह से गन्ना सप्लाई किए जाने वाले चीनी वर्ष के अन्तिम दिन को गन्ने का मूल्य बिना भुगतान किए रह जाता है तो उस दशा में फैक्ट्रियों को चीनी वर्ष की समाप्ति के 3 महीने के अन्दर सम्बन्धित कलक्टरों के पास अपेक्षित राशि जमा करनी होती है। तथापि, अपवादात्मक मामलों में, जहाँ पिछले मौसम के दौरान देय गन्ने के मूल्य के 10% से अधिक गन्ने की बकाया राशि होती है वहां अन्तिम उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन ऐसी चीनी फैक्ट्रियों का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति प्राप्त है।

मध्य प्रदेश में संकर पशुपालन परियोजनाएँ

856. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के उन जिलों में संकर पशुपालन योजनाओं को अनुदान देना 1985 तक जारी रखा जाए जिनमें दुग्ध विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता के साथ विश्व बैंक परियोजना तथा "आपरेशन फ्लड !!" परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को अनुमति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) संकर प्रजनित गोपशुओं का पालन करने के लिए राज सहायता मुह्या करने की एक केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना मध्य प्रदेश के 15 जिलों में चल रही है। इन जिलों में से कुछ जिलों को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त डेरी विकास परियोजना तथा आपरेशन फ्लड-2 की योजनाओं में भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने उस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए विद्यमान योजना के तहत राज सहायता उपलब्ध हैं। छठी योजना को अन्तिम रूप देने के संदर्भ में यह प्रस्ताव तथा वर्तमान योजना के तहत सतत क्रियान्वयन के सही ढंग पर, सरकार विचार कर रही है।

रायबरेली क्रासबार टेलीफोन केन्द्र फैक्टरी का विस्तार

857. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायबरेली क्रासबार टेलीफोन केन्द फैक्टरी के विस्तार के लिए विश्वव्यापी टेन्डर आमन्त्रित किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को प्राप्त टेन्डरों का विवरण क्या है;

(ग) क्या ठेका देने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) से (घ) रायबरेली कारखाने में उत्पादन के लिए इलक्ट्रो-मकेनिकल टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर की उपयुक्त प्रणाली के चुनाव के बारे में सरकार ने सीमित रूप से तीन विदेशी निर्माताओं से प्रास्ताव मांगे थे। इन निर्माताओं

द्वारा बनाए उपस्करों को देश में स्थापित किया जा चुका है और उन्हें संन्तोषप्रद पाया गया है। तीन विदेशी निर्माता हैं—मैसर्स एन० ई० सी० और मैसर्स हिटाची आफ जापान तथा मैसर्स एल० एम० इरिकसन आफ स्वीडन। देश में ही विकसित भारतीय क्रासबार प्रणाली (आई० सी० पी०) बनाने के लिए इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से भी प्रास्ताव प्राप्त हुआ था। इन चार निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन एक अन्तर्मंत्रालय समिति ने किया। अन्ततः दो प्रस्तावों पर ही, जो मैसर्स एल० एम० इरिकसन और मैसर्स इण्डियन टेली इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त हुए थे, विचार किया गया। सरकार ने सभी सम्बद्ध तथ्यों पर सावधानी के साथ विचार करने के बाद रायबरेली कारखाने में आई० सी० पी० प्रणाली के उत्पादन के पक्ष में निर्णय लिया।

वन्य प्राणियों का शिकार रोकने के लिए वन्य-प्राणी रक्षण समिति का सुझाव

858. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य प्राणी रक्षण समिति ने हाल ही में केन्द्र से कहा है कि वन्य प्राणियों को अन्धाधुन्ध मारे जाने से रोका जाये और उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि वन्य-प्राणी रक्षण से सम्बन्धित कानून का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में चोरी छिपे वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले को दण्ड देने की पर्याप्त व्यवस्था है। फिर भी, कठोर दण्ड देना न्यायालयों का कार्य है।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छोटे किसानों को सहायता

859. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेषतः छोटे किसानों के कल्याण की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और भूम-खेती को नियंत्रित करने के लिए इस योजना हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, फिर भी, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 'लक्षित समूह' पर है जिसमें हमारे ग्रामीण समुदाय के सबसे कमजोर वर्ग शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों लघु तथा सीमान्त किसानों, ग्रामीण कारीगरों तथा ग्रामीण समाज के अन्य निर्धनतम वर्गों को सहायता सुलभ की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे पहले निर्धनतम व्यक्ति को सहायता सुलभ की जाती है तथा यह बल दिया गया है कि लाभ भोगियों को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 20 प्रतिशत लाभ भोगी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों से होने चाहिए।

एक अनुसूचित जाति का परिवार उपदान के रूप में 3,000/- रुपए की सहायता पाने का पात्र है। अनुसूचित जनजातियों के लिए उपदान की अधिकतम सीमा 5,000/- रुपए है। अनुसूचित जातियों के लाभ भोगी लघु कृषकों के लिए योजना की लागत के 25 प्रतिशत तथा सीमान्त कृषकों व अन्यों के लिए 33⅓ प्रतिशत की दर पर उपदान पाने के पात्र हैं। अनुसूचित जाति के लाभ भोगी योजना की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर उपदान पाने के पात्र हैं।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ भोगियों द्वारा कोई भी सक्षम आर्थिक गतिविधि शुरू की जा सकती है। कृषि, लघु सिंचाई तथा भूमि विकास सहायता के लिए पात्र गतिविधियों में से है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत झूम-खेती को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष निधि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सुलभ की गई सहायता से कुछेक क्षेत्रों में किसान, जो अब झूम-खेती में लगे हुए हैं, अन्य प्रकार की खेती तथा अनुषांगिक व्यवसाय आरम्भ कर सकते हैं।

विश्वव्यापी कमी के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति :

860. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंदन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ परिषद् ने विश्व में गेहूँ उत्पादन के अपने अनुमानों को कम कर लिया है :

(ख) यदि हां, तो विश्वव्यापी अभाव के समाचार के परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी : और

(ग) सरकार का विचार खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन के रूप में किसानों को उनके कृषि उत्पादन के लिये क्या लाभकारी मूल्य देने का है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ परिषद द्वारा प्रकाशित "विश्व में गेहूँ की स्थिति 1979-80" के अनुसार, 1979 में विश्व में गहूँ का उत्पादन 4255.0 लाख मीटरी टन आंका गया था, जो गत वर्ष के 4496.0 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन से 5 प्रतिशत कम था।

(ख) विश्व में गेहूँ के उत्पादन में सामान्य गिरावट आने के कारण भारत में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं आयेगी, क्योंकि 1978 से भारत किसी भी अनाज का आयात नहीं कर रहा है। फिर भी, भारत में लगभग 260 हजार राशन/उचित दर की दुकानों के माध्यम से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनाजों की आपूर्ति और उनके मूल्यों में स्थिरता कायम रखी जा रही है।

(ग) सरकारी नीति का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है, ताकि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनालौजी अपनाने हेतु उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हाल के वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति न्यूनतम साहाय्य मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

कृषि जिन्सों के अधिप्राप्ति/न्यूनतम साहाय्य मूल्य

(विपणन वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	1976-1977	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
अधि प्राप्ति मूल्य					
धान मोटा	74.00	77.00	85.00	95.00	105.00*
ज्वार	74.04	74.00	85.00	95.00	105.00
बाजार	74.00	74.00	85.00	95.00	105.00
मक्का	74.00	74.00	85.00	95.00	105.00
रागी	74.00	74 00	85.00	95.00	105.00
गेहूँ	105 00	110.00	112.00	115	117.00
जिन्स	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
न्यूनतम सामाय्य मूल्य					
जौ	65.00	65 00	6 .00	एन. ए.	एन. ए.
चना	90.00	95.00	125.00	140.00	145.00
अरहर तुर	एन. ए.	एन.ए.	155 00	165.00	190.00
मूंग	एन. ए.	एन. ए.	165.00	175.00	200.00
उड़द	एन. ए.	एन. ए.	एन. ए.	175.00	200.00

एन. ए.—घोषित नहीं किये गए हैं।

—आम किस्मों के लिए लोग (बोल्ड शार्ट बोल्ड)।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि की अत्यधिक दर

861. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या **निर्माण और और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नई कालोनियों में रिहायशी प्लाटों के अधिकतर अलाटियों ने अभी तक निर्माण आरम्भ नहीं किया है क्योंकि वे उन प्लाटों का अधिक कीमत पर बेचना चाहते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि यह प्लाट उनको 20 सूत्रीय-कार्यक्रम के अन्तर्गत 1975 और 1976 में लाटरी द्वारा अलाट किये गये थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी,

नहीं। दिल्ली विकास प्रधिकरण ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। पट्टे की शर्तों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पट्टाकर्ता की अनुमती के बगैर पट्टा धारिता अधिकारों को अन्तरित नहीं कर सकता है। इस शर्त का उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान 4 नव विकसित कालोनियों में लगभग 14,000 प्लाट आवंटित किये गये थे। पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है। दिल्ली विकास प्रधिकरण की नीति के अनुसार निर्माण पूरा करने के लिए माफी अवधि के रूप में 1 वर्ष का और समय दिया जाता है। इसके अलावा इन चार नव विकसित कालोनियों के मामले में 1-1-1980 से 31-12-1980 तक की 1 वर्ष की और अधिक माफी अवधि दी गई है क्योंकि अभी तक पूरी सेवाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। जहां कहीं भी यह अवधि समाप्त हो गई है वहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के विलम्ब के लिए दण्ड लिया जाता है।

शहरी भूमि (हदबन्दी और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत खाली प्लाटों पर कर

862. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री एन० के० सेजवलकर :

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या निर्माण **और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के शहरी भूमि (हदबन्दी और विनियमन अधिनियम) पर कार्य दल ने खाली भूमी पर कर लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दल ने सुझाव दिया था कि सम्पत्ति पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले वर्तमान करों की पुन: संरचना की जाय जिससे वे देश में मकानों की वढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिये निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के अधिनियम के आदेश को रद्द न करें;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली हाऊस टैक्स कानून को बनाते समय हाऊस टैक्स के अनुसार किये जाने वाले स्वरूप के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ। तथापि अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सम्पत्ति पर वर्तमान करों की पुन: संरचना करने का और इसी समय यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे किसी उपाय से अधिनियम के लक्ष्यों को विफल या निर्माण गतिविधियों को हतोत्साहित न करने का सुझाव दिया है।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) गृह मन्त्रालय से पता चला है कि दिल्ली म्युनिसिपल नियम (संशोधन तथा वैधता) बिल 1980 जो 4 अगस्त, 1980 को लोक सभा में पेश किया गया था उसमें दीवान दौलत राय कपूर बनाम नई दिल्ली नगर पालिका के मामले में उच्चतम न्यायालय के 20-12-70 के फैसले का ध्यान रखा गया है।

जैसलमैर का स्वर्णिम दुर्ग

863. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि जैसलमैर का ऐतिहासिक (स्वर्णिम दुर्ग) जीर्ण हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री

(श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) प्रेस की यह सूचना कि जैसलमैर का लगभग 15वीं-16वीं ईसा शताब्दी का ऐतिहासिक दुर्ग खंडित हो रहा है, सही नहीं है। इस दुर्ग की दीवार के कुछ हिस्सों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए 1,23,000 रु० का प्राक्कलन विशेष मरम्मत के लिए मंजूर किया जा चुका है। इस प्राक्कलन में से 64,000 रु० की रकम सितम्बर, 1980 के अंत तक खर्च हो चुकी है। यह मरम्मत-कार्य प्रगति पर है।

लिफ्ट दुर्घटना

864. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रबंधाधीन इमारतों में कितनी लिफ्ट-दुर्घटनायें घटी;

(ख) उनमें से कितनी घातक सिद्ध हुई; और

(ग) इससे संबंधित अन्य सम्बद्ध ब्यौरे क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों से जो कि समस्त देश में फैले हुए हैं, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय मन्त्रियों के लिये नये मकान

865. **श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बनाये गये पुराने बंगलों जिनमें मन्त्री रह रहे हैं के स्थान पर 50 नये मकानों की पिछली सरकार की योजना को त्याग दिया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने तेजी से विकास करती हुई राजधानी की योजना में अपेक्षित परिर्वतन के लिये मास्टर प्लान पर नये सिरे से विचार कर सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो जहां तक संघ क्षेत्र दिल्ली का सम्बन्ध है, इसके बारे में सरकार के निर्णय का विवरण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्लीं के लिए बृहत योजना जो 1-9-1962 को चालू हुई थी, की परिप्रेक्ष्य अवधि 20 वर्ष की थी। अब यह निर्णय किया गया कि 2001 तक की परिप्रेक्ष्य अवधि की एक बृहत योजना बनाई जाय इसका उद्देश्य आवास सुविधाओं को बढ़ाने, बढ़ती हूई जन-संख्या को भूमि उपलब्ध कराने, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए उचित नीति, शक्ति का संरक्षण इत्यादि करना है।

चालू वर्ष के दौरान वसूल किया गया गेहूँ और चावल

866. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा इस वर्ष वसूल किये गये गेहूं और चावल की कुल मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विपण मौसम 1980-81 के दौरान चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) धान गेहूं की राज्यवार वसूली बताने वाला विवरण

(20-11-1980 की स्थिति)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	गेहूं
		आंकड़े हजार मीटरी टन में)
1. आन्ध्र प्रदेश	0.7	—
2· बिहार	—	9.4
3. हरियाणा	250.1	1002.6
4. हिमाचल प्रदेश	0.2	0.2
5. जम्बू तथा कश्मीर	17.8	27.7
6. मध्य प्रदेश	1.0	न०म०
7. महाराष्ट्र	1.0	—
8. मणिपुर	न०म०	—
9. पंजाब	1761.6	4268 0
10. राजस्थान	—	17.0
11. तमिलनाडु	54.0	—
12. उत्तर प्रदेश	133.1	522.3
13. चंडीगढ़	—	0.2
14. दिल्ली	0.2	3.7
15. पांडिचेरी	0.4	—
जोड़	2220.1	5852.0

नग० :—100 मीटरी टन से कम

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार की परियोजना

867. **श्री चित्त बसु :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी परियोजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की दिशा में लिए गये विशिष्ट उपाय क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) को 15 अगस्त, 1979 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों को रोजगार सुलभ करना है। योजना में मुख्य बल ग्रमीण युवकों को सम्बद्ध तकनीकी

कुशलता प्रदान करने और उन्हें स्वरोजगार की परियोजनाएँ स्थापित करने पर दिया गया है। योजना में प्रशिक्षण के दौरान 100 रुपये प्रतिमाह वजीफा देने की व्यवस्था है। प्रशिक्षण पूरा होने पर परियोजना के लिए निधियों की आवश्यकता के अनुसार 3000 रुपये तक सरकारी उपदान और बैंक ऋण 1:2 अथवा 1:3 के अनुपात में दिये जाने हैं। औजारों व उपकरणों, कमी वाले व दुर्लभ कच्चे माल तथा तैयार माल के विपणन की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

5011 विकास खंडों में से प्रत्येक खंड में प्रतिवर्ष 600 गरीब परिवारों का चयन किया जायेगा और उन्हें उपयुक्त एकमुश्त सहायता उपलब्ध की जाएगी ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-1980 को लगभग 39,899 ग्रामीण प्रशिक्षण पूरा कर चुके थे और 28,527 ग्रामीण युवक प्रशिक्षण पा रहे थे। इनमें से 4789 युवकों ने स्वरोजगार के अपने निजी कार्य शुरू कर दिए हैं।

उन ग्रामीण परिवारों जो गरीबी की रेखा से नीचे नहीं है, से सम्बन्धित बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना तैयार की गई हैं और योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है। योजना आयोग ने इस मामले की पूरी तरह जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भूतपूर्व सदस्यों को किराये के आधार पर सरकारी आवास का आबंटन

868. **श्री रामलाल राही** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा मन्त्रियों को दिल्ली में किराये के आधार पर सरकारी आवास आबंटित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें किन आधारों पर आवास दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी हां।

(ख) दो भूतपूर्व संसद् सदस्यों को सामान्य पूल से वास आबंटित किया गया है। एक मामले में भूतपूर्व संसद् ने इच्छा प्रकट की थी कि जब तक कि उनका निर्माणाधीन मकान तैयार न हो जाय तब तक अस्थाई अवधि के लिए एक मकान आबंटित किया जाय। वे सरकारी आवास खाली कर चुके हैं। अन्य मामले में, भूतपूर्व संसद् सदस्य की बीमारी के आधार पर सरकारी आवास आबंटित किया गया है।

उर्वरकों की कमी, उनकी लागत और उनकी ढुलाई

869. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में किसानों को उर्वरकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों की लागत से भी किसानों पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या रेल वैगनों की कमी के कारण उर्वरकों का ढुलान भी अधिक कठिन हो गया है;

(घ) यदि हो, तो क्या उनके मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के कोई प्रबन्ध किये हैं कि किसानों को उर्वरकों की ढुलाई प्राथमिकता के आधार पर की जाय;

(ङ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को किस हद तक सफलता मिली है;

(च) क्या यह भी निर्णय लिया गया था कि उर्वरकों को समुद्र के रास्ते भेजा जाय; और

(छ) यदि हाँ, तो इसमें कहाँ तक सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी नहीं।

(ख) उर्वरकों की लागत से किसानों पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि सरकार ने फसलों के समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों में उपयुक्त वृद्धि करके किसानों की पूरी क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (छ) रेल वैगनों की कमी के कारण रेल द्वारा उर्वरकों की ढुलाई करने में कुछ कठिनाईयाँ हैं। तथापि, इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए है। उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं—रेल वैगनों की ढुलाई की क्षमता में सुधार हेतु ब्लाक रेंकों में उर्वरक का ढुलान; एक गन्तव्य स्थल पर रेको के जरिए उर्वरकों की सुपुर्दगी, जहाँ कहीं सम्भव हो अनुपूरक सड़क संचलन, आवश्यकताओं इत्यादि के अनुसार सीमित तटीय संचलन। कुल मिलाकर इन उपायों का प्रभाव मोटे तौर पर यह हुआ है कि जहाँ कहीं उर्वरकों की आवश्यकता हुई वहाँ इसे पहुँचा दिया गया।

लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में तारघरों का खुला रखा जाना

870. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश-भर के तारघर रविवारों तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों सहित सभी दिनों को खुले रहते हैं।

(ख) यदि हाँ, तो लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में तारघरों के काम न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन तारघरों को रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों को खुला रखा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लेह तथा कारगिल में संयुक्त डाक-तारघर खोलने पर विचार किया जा रहा है। लद्दाख मंडल में अन्य तारघरों अर्थात् द्रास,व्रु तथा दिस्कित में इतवार और छुट्टियों के दिन यातायात नगण्य रहता है।

श्याम लाल कालेज, शाहदरा, दिल्ली के छात्र की मृत्यु

871. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्यामलाल कालेज, शाहदरा, दिल्ली के एक बी०एस०सी० छात्र की, जो कालेज की यूनियन का चुनाव लड़ रहा था, 16 अगस्त, 1980 को उसके प्रतिद्वन्द्वी ने छुरा मार कर हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, श्याम लाल कालेज, शाहदरा, दिल्ली के बी०एस०सी (फाइनल) के छात्र तथा कालेज संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, श्री राजेन्द्र मोहन, की उस कालेज के कथित भूतपूर्व छात्र द्वारा 16 अगस्त, 1980 को छुरा मार कर हत्या कर दी गई थी। कालेज प्राधिकारियों ने उसी दिन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर दी थी और मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) दिवंगत के परिवार को कालेज अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। दिल्ली प्रशासन से सूचना की प्रतीक्षा है और उसे यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण

872. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण (टी०आर०वाई० एस०ई०एम०) की कोई परियोजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; उपलब्ध धनराशि और वर्तमान प्रशिक्षण सह-तकनीकी गठन क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को कितने राज्यों ने कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(घ) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1980-81 और 1981-82 में प्रशिक्षित किये जाने वाले ग्रामीण युवकों का लक्ष्य क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के प्रथम चरण में कितने ग्रामीण युवक स्वनियोजन में लगाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-1411/80)

(ग) सभी राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों (दादरा तथा नागर हवेली को छोड़कर) ने इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

(घ) मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में प्रशिक्षित किए जाने वाले ग्रमीण युवकों के लक्ष्य नीचे दिये गये हैं—

	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1980-81	18,320 (संख्या)	11,840 (संख्या)
1981-82	18,320 (संख्या)	11,840 (संख्या)

(ङ) योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलता तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करना है, ताकि वे अपना रोजगार आरम्भ कर सकें। इस बारे में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं किया जा सकता।

वरीयता-तिथियों का पुनरीक्षण

873. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आवास के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों की वरीयता-तिथियों" का, जिनकी सूची सम्पदा-निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जानी होती है, जुलाई, 1978 से पुनरीक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप, सम्पदा निदेशालय द्वारा गत दो वर्षों से उच्च श्रेणी के आवास पाने के पात्र कर्मचारियों को निचली श्रेणी के आवास देने की पेशकश की जा रही है; और

(घ) उक्त सूची का कब पुनरीक्षण करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क)तथा (ख) चालू आबंटन वर्ष 1-12-78 से 31-12-80 तक की अवधि के लिए है। विशेष तारीख को ली गई परिलब्धियों के आधार पर संकलित आवेदन आबंटन वर्ष के दौरान संशोधन नहीं किया जाता।

(ग) आबंटन नियमों के अनुसार एक अधिकारी की पात्रता का निर्धारण उसके द्वारा आबंटन वर्ष के लिए विशिष्ट तिथि को ली गई परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है इस तरफ यदि किसी अधिकारी की परिलब्धियाँ उन तिथि के बाद (जोकि चालू आबंटन वर्ष के लिए 1-7-78 है) बढ़ती है तो परिलब्धियों में ऐसी बढ़ोत्तरी को उसकी पात्रता का निर्धारण करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता है। इसलिए, उनकी परिलब्धियों में बाद में हुई बढ़ोत्तरी के आधार पर वह उच्च टाईप का हकदार नहीं है।

(घ) यह मामला विचाराधीन है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए अनाज की मांग और पूर्ति

874. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 1979-80 और 1980-81 वर्षों में अलग-अलग राज्यवार अनाज की मांग कितनी थी;

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यवार आवंटित अनाज की मात्रा और 1979-80 और 1980-81 वर्षों के दौरान उपलब्ध तथा प्रयुक्त अनाज की मात्रा कितनी थी;

(ग) क्या केन्द्र ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए राज्यों को अनाज की पूर्ति रोक दी है।

(घ) यदि हाँ, तो किस आधार पर; और

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कब तक तैयार होने की संभावना है और इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त खाद्यान्नों की माँगों को दर्शाने वाले विवरण (संख्या 1 व 2) संलग्न हैं। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-1412/80)

(ख) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित, बंटित तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई खाद्यानों की मात्रा को दर्शाने वाले विवरण (3 व 4) संलग्न हैं। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-1412-80)

(ग) जी नहीं, तथापि, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-1412/80)

नये कालेज और विश्वविद्यालय खोलने के बारे में नीति

875. **श्री दौलतराम सारण** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति नये कालेज और विश्वविद्यालय न खोलने की है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन स्थानों पर नये कालेज और विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं जहाँ उनके लिये अपेक्षित स्कूल, भूमि, भवन पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी और अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं और जहाँ के लोग ऐसी माँग कर रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, छठी योजना में रखा गया मुख्य कार्य है वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पहले से बनाई जा चुकी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग और विस्तार का सावधानी पूर्वक नियमन विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया था कि नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय करने से पहले उन्हें राज्य में उपलब्ध सुविधाओं और उनके उपयोग का समुचित सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि शैक्षिक आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से और अधिक विद्यालयों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सिद्ध की जा सके। जहाँ तक कालेजों का संबंध है आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उन क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्हें पिछड़े

क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और जहाँ उच्च शिक्षा की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, सामान्यतः कोई नया कालेज स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।"

(ख) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना अथवा नए कालेजों की स्थापना की संस्वीकृति की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है और उन्हें नई संस्थाओं की जरूरत के सम्बन्ध में संतुष्ट होना होता है। जबकि इस प्रयोजना के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी औपचारिक स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, फिर भी जून, 1972 के बाद स्थापित नए विश्वविद्यालयों और कालेजों को आयोग की वित्तीय सहायता का पात्र बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किए जाने की जरूरत है।

निजी मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास

876. **श्री दयाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास दिल्ली/नई दिल्ली में अपने निजी मकान थे उन्हें पहले सरकारी आवास आवंटित नहीं किये जा रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में सरकार ने उन कर्मचारियों को भी सरकारी आवास आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो आवंटन सम्बन्धी पुराने नियमों को पुनरीक्षित करने के क्या कारण हैं जबकि लगभग 25 वर्ष तक सेवा कर चुके कर्मचारियों को भी अभी तक सरकारी आवास नहीं मिल सके हैं;

(घ) क्या नये निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया अपनाई है; और

(ङ) ऐसे कितने कर्मचारियों से श्रेणीवार आवास का आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके दिल्ली/नई दिल्ली में अपने निजी मकान हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : प्रारम्भ में, अधिकारियों को उनकी तैनाती के स्थान पर अथवा समीपी स्थानों में अपने मकान होने पर उनके सरकारी वास आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। 1 फरवरी, 1950 को इस निमित्त "अपात्रता" का नियम लागू किया गया था। मई, 1966 तक यह चालू रहा जबकि इस नियम को वापस लेने का फैसला किया गया और मकान रखने वाले अधिकारी भी सामान्य पूल वास के लिए साधारण किराया देने पर आवंटन के लिए पात्र हो गए। राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी० एम०) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक निर्णय लिया था और सितम्बर, 1975 में इस आशय के आदेश जारी किए थे कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो अपनी तैनाती के स्थानों अथवा स्थानीय अथवा समीपवर्ती पालिका सीमाओं के अन्तर्गत निजी मकान रखते हैं वे सरकारी वास के आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे तथा जो पहले ही सरकारी वास के दखलकार हैं उनसे दिसम्बर, 1975 के अन्त तक उसे खाली कर देने की अपेक्षा की गई थी, असफल होने पर, उस अर्से तक जब तक वे सरकारी रिहायश रखे, अनुज्ञप्ति शुल्क की मार्कीट दर वसूल की जानी थी।

इस निर्णय के कार्यान्वयन के आरम्भ में मकान रखने वाले अधिकारियों द्वारा उठाई जा

रही कठिनाईयों के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने विभिन्न मकान रखने वाले अधिकारियों की कठिनाइयों पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि 1 जून, 1977 से तत्कालीन वर्तमान प्रतिबन्धों को संशोधित किया जाना चाहिए और सामान्य शर्तों पर मकान रखने वाले अधिकारियों को सरकारी वास के लिए पात्र बनाया जाए बशर्ते कि निजी मकान की मासिक आय 1000 रुपये से अधिक नहीं थी। यह भी निर्णय किया गया कि जिन अधिकारियों की निजी मकान से मासिक आय 1000 रुपये से अधिक और 2000 रुपये से अधिक है उनसे मार्कीट दर की आधी अनुज्ञप्ति शुल्क तथा जहां ऐसी आय 2000 रुपये प्रतिमास से अधिक हो वहां पूर्ण मार्कीट दर से अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाना चाहिये :

(ङ) दिल्ली/नई दिल्ली में अपना मकान रखने वाले कर्मचारियों से अभी तक 4,753 आवेदन जो नीचे दिए गए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं :

टाइप	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या
ए०	473
बी०	1486
सी०	1614
डी०	868
ई०	201
ई० 1	78
ई० 2	17
ई० 3	16
योग	4753

मिलों के लिए गन्ना उपलब्ध न होना

877. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेरने के लिए गन्ना उपलब्ध न होने के कारण चीनी उद्योगका संकट दिन पर दिन बढता ही जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गन्ने की अनुपलब्धता के कारण चीनी उद्योग में इस प्रकार का कोई संकट पैदा नहीं हो रहा है। तथापि, कुछेक राज्यों के कुछेक कारखानों ने गन्ने की सप्लाई प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के बारे में सूचित किया है।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम के लिए गत वर्ष के 12.50 रुपये प्रति क्विटल की तुलना में अब 13.00 रुपये प्रति क्विटल का अधिक साविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। कारखानों को अधिक मूल्य देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने भी परामर्श दिया है कि कारखानों द्वारा गन्ने का मूल्य 16.00 रुपये प्रति क्विटल से कम नहीं दिया जाना चाहिए। चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए

कि अन्य स्वीटनिंग तत्वों के उत्पादकों को गन्ना न जाने पाए, राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे खण्डसारी यूनिटों को 31-12-1980 से पहले काम करने की इजाजत न दें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों में छूट देना

878. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किन्हीं मामलों में पुन: विक्री की अनुमति दी है और उन क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में फ्लेट्स आवंटित किए हैं जिसके लिए किसी व्यक्ति ने अपना नाम पंजीकृत किया था और कुछ मामलों में प्लाट पर समय निर्माण न करने के कारण लगने वाला जुर्माना भी माफ किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य आवेदकों को ये रियायतें नहीं दी गई ?

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने मामलों में ये रियायतें दी गई और किन परिस्थितियों में सम्बद्ध विषयों में छूट दी गई।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीति के अनुसार बिक्री की अनुमति पट्टा विलेख निष्पादन होने के 10 वर्ष बाद और भवन पूर्ण होने के 3 वर्ष बाद दी जाती है। जिन मामलों में प्लाट नीलामी में खरीदे गये हैं उनमें 10 वर्ष की अवधि को घटा कर 8 वर्ष कर दिया गया है। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपराज्यपाल इन शर्तों में छूट दे सकता है। जहां तक फ्लैटों के आवंटन का सम्बन्ध है, व्यक्ति, कालोनी-वार पंजीकृत नहीं किये जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, पात्र मामलों में निर्माण कार्य न करने के दण्ड से छूट देने में सक्षम हैं।

(ख) ऐसे सभी मामलों पर निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(ग) यह सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डिया गेट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति

879. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डिया गेट नई दिल्ली में महात्मा गाँधी की मूर्ति लगाने के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण मन्त्री (श्री भीष्म नायण सिंह) : (क) तथा (ख) मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

जिला ग्रामीण विकास समितियां

880. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जिला ग्रामीण विकास समितियों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) जब लघु कृषक तथा सीमान्त कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तभी सरकार ने इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन जिला स्तरीय एजेन्सियों की स्थापना की थी। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जिसमें लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम का विलय किया गया है, को शुरू करने के साथ-साथ उन सभी जिलों, जहाँ इस प्रकार की एजेंसियाँ विद्यमान नहीं हैं, में मौजूदा लघु कृषक विकास एजेंसी के प्रतिमान पर जिला स्तरीय ग्राम विकास सोसायटियों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मशीनरी उपलब्ध हैं वहाँ समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को उसी मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। अन्य जिलों में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी की तरह की एजेंसियां स्थापित की जा रही हैं। इन एजेंसियों के अध्यक्ष जिला समाहर्ता/उपायुक्त होते हैं। एजेंसियों को पर्याप्त तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारियों सहित एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिया जाता है जिसे आमतोर पर परियोजना निदेशक कहा जाता है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लागत, जिसमें इन जिला-तरीय एजेंसियों की लागत भी शामिल है, को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर बांटा जाता है।

सरोजनी नगर के सरकारी क्वाटरों में पहली मंजिल पर कमरे का निर्माण

881. **श्री के० प्रधावी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री सरोजनी नगर, नई दिल्लीं में सरकारी क्वार्टरों की दूसरी मंजिल पर कमरों के निर्माण के बारे में 7 जुलाई 1980 के उत्तरांकित प्रश्न संख्या 3139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 14 क्वार्टरों का पूरा ब्यौरा क्या है जिसमें ये अनधिकृत निर्माण किए गए हैं;

(ख) क्या इन अनधिकृत कमरों को गिराने अथवा सम्बन्धित अलाटियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके तथ्य और कारण क्या हैं और इनके कब तक गिराये जाने को सम्भावना हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरोजनी नगर में पहली मंजिल में रह रहे जिन 14 आबंटियों के द्वारा अनधिकृत निर्माण किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	क्वार्टर नं०	आबंटी का नाम
		सर्व/श्री
1.	जी/86	श्री नाथ
2.	जी/102	गंगा लाल
3,	आई/136	आर० के० रेखी
4.	आई/140	अजीत सिंह
5.	आई/164	डी० आर० सूद
6.	आई/220	पी० डी० मित्तल
7.	आई/103	सुरिन्दर सिंह
8.	आई/316	हुक्म चन्द गुप्ता
9.	आई/107	हरि राम
10.	आई/352	श्रीमती सन्तोष बत्रा
11.	जे/111	ओम प्रकाश
12.	जे/139	एम० एल० अग्रवाल
13.	जे/159	आर० एस० विष्ट
14.	एच/252	उमराव सिंह

(ख) और (ग) ऊपर बताये गये सभी 14 आबंटियों को नोटिस जारी किये गए हैं, यदि इन अनधिकृत संरचनाओं को हटाया नहीं गया तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें क्वार्टर खाली कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आई० आई० टी०, मद्रास में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

882. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० आई० टी०, मद्रास में काडर-वार प्रतिदिन 7 रुपये की दर से नैमित्तिक आधार पर कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी सेवायें कब तक नियमित कर दी जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) 12-11-80 की स्थिति के अनुसार, 7/-रु० प्रति दिन की दर पर 14 व्यक्ति आकस्मिक आधार पर काम कर रहे थे :

टंकक........................7
मशीनिस्ट......................1
तकनीकी हैल्पर...............3
वैल्डर............................1
रसोईए..........................2

(ख) ये नियुक्तियाँ नामिनल मस्टर रोल (नामावली) के अधार पर अवकाश रिक्तियों तथा/अथवा कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समय में तीन माह से अधिक के लिए नहीं की जाती हैं। क्योंकि उन्हें नियमित रिक्तियों में नियुक्त नही किया जाता अतः उनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अधिकृत कालोनियों में भूखंडधारियों को मकान बनाने के लिये ऋण तथा सहायता

883. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण और सहायता देने का निर्णय किया है अथवा देने का विचार है जिनके पास अधिकृत कालोनियों में अपने भूखंड हैं; और

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिह) (क) कोई नवीन प्रस्ताव नहीं है परन्तु तीन विभिन्न योजनाएं, नामतः निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम 1956 से चालू हैं।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वह निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत अनुमोदित कालोनियों में प्लाटों पर मकान बनाने के लिए ऋण देता रहा है।

1. **निम्न आय वर्ग आवास योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत, उन व्यक्तियों को नए मकान बनाने के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है जिनके नक्शे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 7,000/-रुपये से कम है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की अधिकतम सीमा 14,500-रुपये है। अनुपक्षेय निर्मित फर्शीक्षेत्र 232 वर्ग फीट से 1200 वर्ग फीट के बीच है बशर्ते कि मकान के निर्माण की लागत 18,600/रुपये से अधिक न हो।

2. **मध्यम आय वर्ग आवास योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत, उन व्यक्तियों को नए मकान बनाने के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है जिनके नक्शे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित है तथा जिन की वार्षिक आय 7001/- रुपये से 18,000/-रुपये के बीच आती है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा 27,500/-रुपये है। फर्श क्षेत्र जिस पर आवेदक निर्माण कर सकता है 400 वर्ग फीट तथा 2000 वर्ग फीट के बीच है, बशर्ते कि मकान के निर्माण की लागत 42,000/-रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण को 20 वार्षिक किस्तों में सूद सहित अदा किया जाना है।

ग्राम आवास परियोजना स्कीम :

ग्राम आवास स्कीम के अन्तर्गत, दिल्ली संघ राज्य के उन ग्रामीणों को ऋण स्वीकृत किया जाता है जिनके प्लाट खण्ड विकास अधिकारी की सिफारिश पर मकान बनाने के लिए लाल डोरा के भीतर अवस्थित है । किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि 5000/-रुपये है,तथा मकान का अधिकतम घेरा जाने वाला फर्श क्षेत्र 300 वर्ग फुट है । ऋण मूल तथा ब्याज सहित 20 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता है ।

तिलहन का उत्पादन

884. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(ख) मांग और उत्पादन के बीच कितना अन्तर है; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार तिलहन का कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) छठी योजना अर्थात् 1984-85 के लिए 130 लाख मीटरी टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) 1980-81 के दौरान तेल के रूप में तिलहनों की मांग और उत्पादन का अन्तर का अनुमान 10-11 लाख मीटरी टन लगाया गया है ।

(ग) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1977-78 से 1979-80 (सितम्बर 1979 तक) तिलहनों के वर्षवार आयात को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी (—) 1413/80)

पटना टेलीफोन केन्द्र पर अतिभार

885. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पटना (बिहार) में वर्तमान टेलीफोन केन्द्र की क्षमता 10 हजार टेलीफोनों की है जबकि उसे 15 हजार लाइनों का भार वहन करना पड़ता है;

(ख) क्या केन्द्रीय पटना की टेलीफोन प्रणाली में बड़ी खाराबी है जिसके परिणाम स्वरूप प्रयोक्ताओं को काफी परेशानी होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय पटना की टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

केन्द्रीय पटना के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता केवल 6000 लाईनों की है 1-11-1980 तक इस एक्सचेंज से जुड़ी टेलीफोन लाईनों की संख्या 5496 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथापि केन्द्रीय पटना में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण को संतोषजनक बनाए रखने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं ।

(i) जून 1981 तक पूरा किए जाने के लिए पटना एक्चेंज का 600 लाईनों में विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

(ii) टूटे-फूटे वैंकों को बदलने का कार्य शुरू किया गया है और यह संभावना है कि 1981 के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

"काम के लिये अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न की कम सप्लाई"

886. **श्री नारायण चौबे :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "काम के लिये अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को जितने खाद्यान्न की आवश्यकता है सरकार उतने के लिये स्वीकृत नहीं दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य की मांग और उसके लिये स्वीकृत की गई मात्रा का महीने-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपर्याप्त आवंटन के कारण क्या हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को खाद्यान्नों के पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। तथापि, राज्य द्वारा खाद्यान्नों के पर्याप्त उपयोग न किए जाने मे कारण पूरे बंटन नहीं किए गए हैं। चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार को उनकी 2,10,000 मीटरी टन की मांग के मुकाबले में कुल 1,95,288 मीटरी टन खाद्यान्न (गत वर्ष के उपयोग में न लाए गए खाद्यान्न सहित) उपलब्ध किए गए हैं जबकि अब तक वास्तव में केवल 45, 188 मीटरी टन खाद्यान्नों को ही उपयोग में लाये जाने की सूचना मिली है।

निरक्षरता

887. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का निरक्षरता के मामले में विश्व में पहला दर्जा है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में प्रस्तावित उपचार क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) : जी, नहीं.

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का बन्द किया जाना

888. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बन्द करने का अथवा उसमें कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कार्यक्रम से सम्बन्धित समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करेगी।

(ग) क्या समिति को एक अथवा दो राज्यों में किन्हीं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए कार्यक्रम के दुरुपयोग किये जाने के निश्चित अवसरों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को निष्कर्षों से अवगत करा दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) : काम के बदले अनाज कार्यक्रम में पहले ही परिवर्तन करा दिया गया है तथा इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बदल दिया गया है। तथापि, कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गयी थी।

(ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा उदार मद्य निषेध नीति

889. **श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अब तक मद्यनिषेध नीति उदार बना दी है और प्रत्येक राज्य में इस नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्र ने शुष्क राज्यों को अपनी नीति उदार बनाने के लिए आग्रह करने हेतु कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

राज्य जिन्होंने मद्य निषेध नीति को उदार किया है तथा उसका ब्यौरा

बिहार : बिहार सरकार ने अप्रैल, 1979 में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया था। उसने वही स्थिति कर दी है जो इस तारीख से पहले थी। राज्य सरकार की वर्तमान नीति 1978 में बनाए गए 12 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप है।

हरियाणा : चालू वर्ष के लिए देशी शराब का बेचा जाने वाला कोटा 1978-79 के स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश : इस वर्ष के दौरान शराब की दुकानों को बन्द करने के कार्यक्रम को, जिस की घोषणा पहले की गई थी, कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

उड़ीसा : उड़ीसा सरकार ने पहले लिए गए निर्णय में संशोधन करके चालू वर्ष के दौरान शराब की किसी भी दुकान को बन्द न करने का निर्णय किया है। 6 नई दुकानें भी खोली गई है। मद्यवर्जित दिनों की संख्या को एक वर्ष में 63 से घटा कर 52 कर दिया गया है तथा विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ ढील दी गई है।

हिमाचल प्रदेश : इस राज्य ने अवैध शराब बनाने को रोकने के लिए मद्यनिषेध नीति

को उदार कर दिया है।

सिक्किम : मद्यवर्जित दिनों की संख्या कम कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश : राज्य सरकार ने केवल पहाड़ी इलाकों तथा धार्मिक महत्त्व के स्थानों में मद्यनिषेध लागू करने की नीति को अपना कर मद्यनिषेध के जिला-वार विस्तार कार्यक्रम को छोड़ दिया है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

890. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप सरकार अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ अनधिकृत निर्माण हुए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके प्रबन्ध के अधीन भूमि पर अनधिकृत निर्माण/उल्लंघनों को सख्ती से रोका जा रहा है और काफी हद तक इस समस्या को रोक दिया गया है। इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण, जहां कहीं होता है, उसको रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।

तुर्कमान गेट, दिल्ली के विस्थापितों के लिए आवास

891. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुर्कमान गेट दिल्ली के विस्थापितों को आश्वासन दिया गया था कि उस क्षेत्र में मकानों के निर्माण के बाद उन्हें वहां आवास दिये जायेंगे;

(ख) अब तक कितने आवासों को निर्माण किया गया है और कितने आवास पुराने विस्थापितों को आवंटित कियें गये है; और

(ग) उनको आवास उपलब्ध करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तत्कालीन सरकार ने एक निर्णय लिया था कि तुर्कमान गेट के वेदखलकारों को त्रिलोकपुरी और नन्दनगरी से विस्थापित किया जाए तथा उन्हें यथा सम्भव रिहायशी भूत स्थान के समीप माता सुन्दरी क्षेत्र में बसाया जाए।

(ख) 414 टेनापेन्ट बताए जा चुके हैं तथा उनमें से किसी का भी अभी तक आबन्टन नहीं हुआ है।

(ग) सभी पात्र व्यक्तियों से आवन्टन हेतु आवेदन आमन्त्रित किए गए हैं तथा ऐसे आवेदनों की परिवाधित अन्तिम तारीख 20.11.1980 थी।

गेहूं, चावल और मोटे अनाज आदि की उत्पादन लागत

892. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम, भूमि का उपयोग और अन्य आदानों को ध्यान में रखते हुए मिल अनाजों अर्थात् गेहूँ, चावल, मोटा अनाज, दालों, तिलहनों और अन्य कृषि उत्पादों की किसानों को प्रति क्विटल औसत लागत क्या पड़ती है क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए ये मूल्य किसानों के लिए कितने लाभप्रद हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : गेहूँ, धान, ज्वार, चना, कच्ची कपास, पटसन, वर्जीनिया फ्ल्यू क्योर्ड तम्बाकू और गन्ना के उत्पादन की प्रति क्विटल औसत लागत और चालू मौसमों के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह कहा जा सकता है कि श्रम तत्व, भूमि उपयोग तथा किसानों द्वारा प्रयोग में लिए गए अन्य आदानों की लागत को ध्यान में रखने के बाद प्रति क्विटल औसत लागत तैयार की गई है। जैसा कि विवरण से पता चलता है, कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य, विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रति क्विटल उत्पादन की लागत से अधिक है। फिर भी कई फसलों के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन वसूली मूल्य, कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्यों से अधिक है।

विवरण

फसल	राज्य	लागत अध्ययन का वर्ष	प्रति क्विटल उत्पादन की लागत	1980-81 के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया मूल्य	1980-81 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य
1. धान	आन्ध्र प्रदेश	1978-79	88.36	100.00.+	105.00*
	पंजाब	1978-79	67.53		
2. गेहूँ	हरियाणा	1978-79	114.00	127.00	अभी घोषित नहीं
	पंजाब	1978-79	101.45		
3. ज्वार	महाराष्ट्र	1977-78	65.16	97.50	105.00
	मध्य प्रदेश	1977-78	64.73		
4. चना	हरियाणा	1978-79	128.07	165.00	अभी घोषित नहीं
5. कच्ची कपास	आन्ध्र प्रदेश	1977-78	474.21†	300.00††	304.00†
	कर्नाटक	1977-78	282.92		
6. पटसन	उड़ीसा	1978-79	147.08	160.00	160.00
7. वर्जीनिया फ्ल्यू क्योडे तम्बाकू	आन्ध्र प्रदेश	1977-78	599 84	825.00‡ 750.00§	अभी घोषित नहीं
8. गन्ना	आन्ध्र प्रदेश	1977-78	10.98	13.00*	13 00*
	महाराष्ट्र	1977-78	7.63		

*आन्ध्र प्रदेश में कपास के मामले में प्रति क्विटल लागत लम्बे रेशे वाली सर्वोत्कृष्ट किस्म के लिए है।

†कृषि मूल्य आयोग द्वारा अपनी पूरक रिपोर्ट में सिफारिश किए गए वी० एफ० सी० तम्बाकू के दो मूल्य, का काली मृदा (750 रु० प्रति क्विटल) तथा हल्की मृदा (825 रु० प्रति क्विटल) से संबंधित है।

‡सामान्य किस्म के लिए।

§मूल मध्यम रेशे की किस्मों (अर्थात् एफ-320, एफ-414 तथा जे-34) की कपास का प्रति क्विटल मूल्य

*मूल वसूली स्तर में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए पूर्ण आनुपातिक प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत या उससे कम की वसूली के लिए।

समस्तीपुर के प्रशीतागार में आलुओं को क्षति

893. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री बिहार के समस्तीपुर जिले के प्रशीतागार में आलुओं में हुई क्षति के बारे में 11 अगस्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 7502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) सूचना सभा पटल पर रखी जाने के लिए 11-11-80 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

894. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री योग को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही के बारे में 26 जून 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठशालाओं में स्वस्थ शरीर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में योग की शिक्षा को प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) वर्तमान समय में योग में प्रशिक्षित कितने अध्यापक उपलब्ध हैं और देश की सभी पाठशालाओं के लिए अध्यापक सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में कालेजों को भी सम्मिलित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (घ) : 10+2 स्कूल की नई पद्यति के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अप्रैल, 1980 में तैयार की गई "कक्षा I से X तक की शारीरिक शिक्षा की प्रारूप पाठ्यचर्या" में अन्य बातों के साथ साथ, योग की शिक्षा भी शामिल है।

2. शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई, 1980 को बुलाई गई बैठक में स्कूलों में योग की शिक्षा को शामिल करने से सम्बन्धित मामलों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया। इस बैठक में योग को शैक्षिक संस्थाओं में एक पृथक विषय के रूप में शामिल करने के पक्ष में आम सहमति व्यक्त की गई, शारीरिक शिक्षा और खेल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नहीं। बैठक में योग को केन्द्रीय विद्यालयों में एक स्वतंत्र विषय के रूप में एक वर्ष के लिए प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की भी शिफारिश की गई।

3. उक्त सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों में योग को प्रयोगात्मक आधार पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय किया है।

4. सरकार द्वारा देश के केन्द्रीय विद्यालयों के अलावा अन्य स्कूलों में योग को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू करने और कालेजों में इसके प्रसार के सम्बन्ध में निर्णय, केन्द्रीय विद्यालयों में योग के परिणामों के आधार पर, राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से लिए जाने का प्रस्ताव है। सामान्यतया शैक्षिक संस्थाओं में इसके प्रसार पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए योग के प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के मामलों की भी जांच की जाएगी।

ए० जे० टी० ई० ई० यूनियन क्लास-III एण्ड लाइन स्टाफ, दरभंगा की मांगें

895. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए०जे०टी०ई०ई० यूनियन क्लास-III एण्ड लाइन स्टाफ क्लास की दरभंगा डिवीजनल ब्रान्च ने 10 सितम्बर, 1980 को अपनी मांगें डिवीजनल इंजीनियर, टेलीफोन, दरभंगा को प्रस्तुत की; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी, हाँ।

(ख) तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की कठिनाइयों से संबंधित लगभग 25 मदों का तथा लाइन स्टाफ और चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की कठिनाइयों से संबंधित लगभग 15 मदों का एक माँग-पत्र मंडल इंजीनियर, तार, दरभंगा से संबंधित संघों के प्रतिनिधियों के साथ 29 तथा 30 सितम्बर, 19.0 को विचार-विमर्श किया, जिसमें कुछ मदों पर समझौता होगया था।

दरभंगा डाकघर को प्रधान डाकघर में बदलना

896. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा डाकघर को प्रधान डाकघर में बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ तो विलम्ब के क्या कारण हैं; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या दरभंगा डाक सर्किल से मधुबनी को निकाल कर एक नया मधुबनी डाक सर्किल बनाया गया है, यदि हां तो इस समय इन दो सर्किलों के डाकघरों के कर्मचारियों और लाभ प्राप्त व्यक्तियों की पृथक पृथक संख्या कितनी है तथा भविष्य में विकास संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) 1-10-1980 से दरभंगा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर इसे मुख्य डाकघर के स्तर का कर दिया गया है।

(ख) संभवतः माननीय संसद सदस्य दरभंगा मंडल के द्विभाजन के पश्चात् मधुबनी डाक मंडल बनाए जाने के बारे में जानना चाहते हैं। 1-11-80 को मधुबनी के लिए पृथ. डाक मंडल बना दिया गया है। डाकघरों तथा कर्मचारियों एवं इसका लाभ उठाने वालों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

जिला रत्नगिरि में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र' तार कार्यालय, उप डाकघर सुविधाएं

897. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला रत्नगिरी के मन्डनगढ़, दामोली, खेड, गुनागढ़ और रत्नगिरि तालुकों में गत 2 वर्षों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तार कार्यालय और उप डाकघर मंजूर किये गये;

(ख) उनमें से कितनों में काम आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) मंजूर किये गये शेष कार्यालयों में काम कब तक आरम्भ किया जायेगा और विलम्ब के कारण क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) और (ख) : सूचना निम्न प्रकार है :

तालुका	स्वीकृत		खोले गए	
	पीसीओ/तारघर	उप तारघर	पीसीओ/तारघर	उपडाकघर
मंडनगढ़	7	शून्य	शून्य	शून्य
दामोली	2	शून्य	2	शून्य
खेड	2	शून्य	शून्य	शून्य
गुनागढ़	शून्य	2	2	1
रत्नागिरि	7	1	4	1

दूर संचार

(ग) भंडार प्राप्त हो जाने पर स्वीकृत डाकघर उत्तरोत्तर खोल दिए जाएंगे . भंडार की व्यापक कमी ही विलम्ब का कारण है ।

डाक : गुनागढ़ तालुका के अन्तर्गत अबलोली के लिए स्वीकृत एक उपडाकघर अभी तक खोला नहीं जा सका है । ऐसे दिसम्बर 1980 के अन्त तक खोल दिया जाएगा इस उपडाकघर खोले जाने में बिलम्ब का कारण इसके लिए इमारत के निर्माण कार्य का पूरा न होना है ।

डेयरी उद्योग में सहयोग के लिए श्रीलंका का अनुरोध

898. **श्री जनार्दन पुजारी** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने अपने डेयरी उद्योग के विकास के लिये भारत की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ ।

विवरण

(ख) श्री लंका सरकार के अनुरोध पर भारत ने अमूल पद्धति पर डेरी उद्योग के विकास में श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए फरवरी, 1979 में दो सदस्यों के एक दल को तैनात किया था। इस दल ने अगस्त 1979 में श्रीलंका सरकार को एक संभात्यता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 102.5 लाख रुपए (श्रीलंका की मुद्रा में) की कुछ अनुमानत लागत से दो डेरी

संघों की स्थापना, कुशल विपणन पद्धति व तकनीकी आदत के विकास, जन शक्ति एवं किसानों को प्रशिक्षण की सिफारिश की। श्रीलंका सरकार को दूध परीक्षण उपकरण व 400 तथा 200 एल टी आर क्षमता वाले टिक्क् दूध टेंक सप्लाई किये गये थे। पशु पालन क्षेत्र में भारत श्रीलंका समझौते के तहत श्रीलंका सरकार को दुधारू तथा भार वाही नस्लों के पशु, दुधारू भैंसें, आधानों में हिमित वीर्य के डोज पशुओं के लिए शीथ और इअर टैग भी सप्लाई किये गये।

लक्षद्वीप में समाज कल्याण योजना

899. **श्री पी० एम० सईद : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में एक भी समाज कल्याण योजना आरम्भ नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु लक्षद्वीप प्राशासन को कितनी राशि आवंटित की गयी थी;

(घ) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कितनी समाज कल्याण योजनाएं हैं;

(ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को कितनी राशि आवंटित की गयी है।

(च) क्या छठी पंचवर्षीय योजन के दौरान इस क्षेत्र में अनेक समाज कल्याण योजनाएं आरम्भ की जायेंगी; और

(छ) छठी योजना में इस हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के परिव्यय नीचे दिए गए हैं।

1977-78	0.50 लाख रुपए
1978-89	1.63 लाख रुपए
1979-80	2.82 लाख रुपए

(घ) (ङ) (च) और (छ) समाज कल्याण योजनाओं के सम्बंध में वर्ष 1980-81 के लिए योजना परिव्यय 3.50 लाख रुपए है। अवधि (1980-85) के लिए योजनाओं और जन पर वित्तीय परिव्ययों के बारे में अब तक निर्णय नही किया गया है।

लक्षद्वीप में संचार सुविधाएं

900. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष में और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी लक्षद्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु एक योजना तैयार की है।

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कौन सी योजनाएं आरम्भ की जाएंगी;

(ग) क्या अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में लक्षद्वीप में संचार सुविधाएं सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) दूर संचार : हाँ।

डाक:—लक्षद्वीप में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई पृथक योजना तैयार नहीं की गई है। 210.90 करोड़ रुपये के परिव्यय की वर्ष 1980-85 की राष्ट्रीय डाक क्षेत्र छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है जोकि योजना आयोग के विचाराधीन है।

(ख) दूरसंचार :—

(1) कावाराती में एक उपग्रह भूमि स्टेशन चालू किया गया है और इस विश्वसनीय दूरसंचार संपर्क के जरिए इसका सम्बन्ध मुख्य भूमि के साथ स्थापित कर दिया गया है।

(2) कावाराती के 100 लाइनों वाले एक्सचेंज को एक 200 लाइनों वाले स्वचल एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है।

(3) जबकि अमेनी, अन्द्रोथ और मिनिकाय द्वीपों के छोटे स्वचल एक्सचेंज कार्यरत हैं, कालपेनी और अगाथी में नये एक्सचेंज खोले जाने की योजना बनाई गई है।

(4) अन्द्रोथ और कालीकट, मिनिकाय और कालीकट एवं कावाराती और मिनिकाय के बीच रेडियो-टेलीफोन लिंकों की स्थापना की योजना है। अमेनी, अगाथी, कालपेनी, किलतन, चेटलट और कादामाथ के बेतार के पुराने सेटों को बदलने का प्रस्ताव भी है।

(5) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों की स्थापना की योजनाएं विचाराधीन हैं।

डाक :—इस स्तर पर अभी योजनाओं का विवरण तैयार नहीं किया गया है।

(ग) एवं (घ) दूरसंचार : जहाँ संचार सुविधाओं में सुधार लाने हेतु उचित वित्तीय निवेश किए जा रहे हैं, वहाँ इन द्वीपों की विशिष्ठताओं और अपेक्षाओं के कारण इनकी तुलना अन्य संघ शासित क्षेत्रों से नहीं की जा सकती।

डाक :—संघ शासित क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से वित्तीय आबंटन नहीं किया जाता है। डाकघरों के खोलने के लिए लक्ष्यों और उनके लिए वित्तीय आबंटन सर्किलवार किया जाता है और निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर डाकघर खोले जाते हैं। लक्षद्वीप के मामले में डाक सुविधाएं बहुत संतोषजनक पाई गई हैं और वे तुलनात्मक स्थिति/आकार के अन्य संघ शासित क्षेत्रों की तुलना में अच्छी हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजाबी भाषा का संवर्धन

901. **श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन ने पंजाबी भाषा के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : दिल्ली में एक पंजाबी अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली प्रशासन ने कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा का माध्यम पंजाबी रखने की अनुमति दे दी है।

यदि किसी स्कूल में छात्रों की अपेक्षित संख्या पंजाबी को एक भाषा के रूप में पढ़ना चाहते हों तो दिल्ली प्रशासन आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी पंजाबी भाषा में लिखी शिकायतें और पत्रों को स्वीकार करते हैं।

दिल्ली प्रशासन, महानगर परिषद की कार्यवाही, उप राज्यपाल के भाषणों तथा तत्कालीन कार्यकारी पार्षदों के भाषणों का पंजाबी अनुवाद कराने की व्यवस्था करता रहा है।

दिल्ली प्रशासन की साहित्य कला परिषद द्वारा वार्षिक पंजाबी कवि दरबार का आयोजन किया जाता है। परिषद पंजाबी के साहित्यकारों को पुरस्कार भी देती है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका "दिल्ली" पंजाबी में भी प्रकाशित की जाती है।

पूर्व दिल्ली के "तिकोना पार्क" का रख-रखाव

902. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व दिल्ली में स्थित "तिकोना पार्क" की अवहेलना की जा रही है और यह स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने के कारण अभिशाप बनता जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पार्क के आस-पास रहने वाले लोगों ने नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को पार्क से गन्दगी उठाने तथा पार्क में पौधे लगाकर समुचित विकास करने के सम्बन्ध में कई पत्र लिखे हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभ्यावेदन प्राप्त होने पर पार्क के क्षेत्र की सफाई तथा परिधि में वृक्षारोपण करने की कार्यवाही की जा रही है।

पूर्वी डोम्बीवाली के लिए डाकघर

903. **श्री आर० के० महलगी** : क्या संचार मंत्री पूर्वी डोम्बीवाली के लिए डाकघर के बारे में 23 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या-1734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोम्बीवाली के रामनगर सेक्शन में एक नया डाकघर खोलने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना; और

(ग) विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) : उपयुक्त स्थान की कमी के कारण पूर्वी डोम्बीवाली के रामनगर में डाकघर नहीं खोला जा सका। स्थान प्राप्त

करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान में फेर-बदल करना

904. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के "मास्टर प्लान" से हटने के कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें प्राधिकरण हरी पट्टी या कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित मूल स्थानों का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सौदे में कुल कितनी राशि वसूल की है और जन समुदाय के हितों के लिए इसका उपभोग किस प्रकार किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा वृहत योजना में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

"प्रोजेक्ट वास्ड अवे फ़ोर वान्ट ऑफ शैड" शीर्षक से छपा समाचार

905. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 सितम्बर, 1980 के "सण्डे स्टण्डर्ड" के दिल्ली संस्करण में "प्रोजेक्ट वास्ड अवे फौर वान्ट आफ शैड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस भूल के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए और पुरातात्विक महत्व के दुर्लभ स्मारकों के समुचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) और (ख) : जी हाँ। यह कहना सही नहीं है कि कालीबंगान परियोजना के अंतर्गत उत्खनित हल-रेखाएं मिट गई हैं। स्थल पर उत्खनित जुते हुए खेत का वह भाग, जिस पर हल-रेखाओं के निशान हैं, प्रमाण को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी से ढक दिया गया है। अनुसधान के उद्देश्यों से यह तरीका अधिक उपयोगी समझा गया है क्योंकि जब भी आवश्यकता होगी इस सुरक्षित किए जा रहे प्रमाण की जांच फिर से की जा सकती है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक लेखन सामग्री की किस्म

906. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश भागों में 35 पैसे वाले लिफाफे उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि लिफाफों तथा अन्तर्देशीय पत्रों आदि की किस्म में हाल में गिरावट आई है; और

(ग) सरकार का विचार नये लिफाफों आदि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तथा किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1-9-1980 से नई डाक दरें प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप 35 पैसे का लिफाफा 5 सितम्बर, 80 से प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार हो सकता है कि देश के कुछ डाकघरों में यह उपलब्ध न रहा हो। फिर भी 30 पैसे के लिफाफों की डाकघरों में कमी नहीं है जिस पर 5 पैसे का डाक टिकट चिपकाया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 35 पैसे के लिफाफों का सम्पूर्ण उत्पादन डाकघरों को भेजा जा रहा है।

उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पब्लिक स्कूल

907. **श्री हरिहर सोरन :** क्या शिक्षा और समाजकल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कितने पब्लिक स्कूल है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्योंझर जिले में ऐसे कितने पब्लिक स्कूल हैं; और

(ग) क्या सरकार का क्योंझर जिले में इस प्रकार के स्कूलों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) पब्लिक स्कूल वह स्कूल माने जाते हैं जो भारतीय पब्लिक स्कूल कान्फ्रेंस के सदस्य हैं। उड़ीसा में केवल एक ऐसा स्कूल अर्थात् सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर है जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्त निकाय सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाया जाता है।

(ख) क्योंझर जिले में कोई पब्लिक स्कूल नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में पेय जल

908 **श्री हरिहर सोरन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन है,

(ख) क्या उन गांवों का पता लग गया हैजो यह सुविधा प्राप्त कर सकें, और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्योंझार जिले में कितने गांव निर्धारित किए गए है;

संसदीय-कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जल पूर्ति राज्य का विषय है और इसकी व्यवस्था करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतंर्गत किया जाता है। फिर भी राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों में जल पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता कर रही है। उड़ीसा को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने क्योंझार जिले में कुल 1728 समस्याग्रस्तों का पता लगाया है। इनमें से 1.4.1980 तक 220 ग्रामों को जल दिया जा चुका है औम अन्य 295 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। यह अपेक्षा की जाती है कि पता लगाये गयं सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को छठी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक पेयजल की सुविधा दे दी जायेगी।

उड़ीसा को चावल और गेहूं की सप्लाई

909 **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा को आवश्यकता के अनुरूप चावल और गेहूँ सप्लाई नहीं की है;

(ख) उड़ीसा की सितम्बर मास में चावल तथा गेहूँ की कुल मांग क्या है; और

(ग) उड़ीसा को सितम्बर, 1980 में कुल कितना चावल और गेहूँ सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ; जी नहीं। भारतीय

खाद्य निगम ने राज्य सरकार को किए गये आवंटन की लगभग पूर्णतथा पूरा कर दिया है और आवंटन को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त स्टाक उपलब्ध रहता था।

(ख) : सितम्बर मास के लिए 17.9 हजार मीटर टन गेहूँ और 65,000 मीटर टन चावल का आवंटन किया गया था।

(ग) : सितम्बर, 1980 के दौरान, 17000 मीटर टन गेहूँ और 23,200 मीटर टन चावल सप्लाई किया गया था। समूचे आवंटन को पूरा करने के लिए राज्य के अन्दर पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

अम्बरनाथ के कंसई सेक्शन में डाकघर खोलना

910. **श्री आर० के० महालणी** : क्या संचार मंत्री अम्बरनाथ के कंसई सेक्शन में डाकघर खोलने के बारे में 7 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बरनाथ (जिला थाना, महाराष्ट्र) के कंसई सेक्शन में एक नया डाकघर खोलने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) ये डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) : प्रयासों के बावजूद भी उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। उपर्युक्त स्थान उपलब्ध होते ही डाकघर खोल दिया जायेगा।

मत्स्य पोतों के आयात के लिए स्वीकृति

911. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 100 मत्स्य पोतों के आयात के लिए स्वीकृति देने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की मत्स्य पोतों के अभाव में मत्स्य ग्रहण में किस तरह वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने मत्स्य पोतों के आयात के लिए स्वीकृति देने का विचार नहीं छोड़ा है।

(ख) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं होता।

रसायन उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण

912. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के बड़े औद्योगिक नगरों में विशेषकर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा में इस क्षेत्र में स्थापित रसायन उद्योगों से वायु प्रदूषण के कारण, उत्पन्न हुए गंभीर खतरे की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि समस्या खतरनाक स्थिति तक बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार इस समस्या की व्यापकता से अवगत है।

(ग) जी, हाँ।

दक्षिण में संसद सत्र आयोजित करना

913. **श्री डी० एस० पुत्ते गौडा**

श्री के० लकप्पा

श्री एच० एन० नञ्जे गौडा : क्या **संसदीय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष में एक बार दक्षिण में संसद सत्र आयोजित करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सलाहकार समिति का गठन

914. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों से सम्बद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो 15 अक्टूबर, 1980 तक गठित विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों पर नामांकित सदस्यों के नामों की सूचियाँ संसद ग्रंथागार में रख दी गई हैं।

अगस्त—नवम्बर, 1980 के दौरान उड़ीसा को चीनी का आवंटन

915. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही .** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, 1980 के महीनों में उड़ीसा को महीनेवार कितनी चीनी आवंटित की गई थी;

(ख) क्या दशहरा त्यौहार के लिए उड़ीसा को कोई विशेष कोटा आवंटित किया गया था और उसकी मात्रा क्या थी;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा को आवंटित किए गए कोटे का उपभोक्ताओं को उचित तरीके से वितरण नहीं किया जा रहा है; और

(घ) क्या इन 4 महीनों के लिए आवंटित किया गया कोटा इसी वर्ष के पिछले आठ महीनों के लिए आवंटित किए गए कोटे से कम था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उड़ीसा सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, 1980 के प्रत्येक महीने के लिए 10,723 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई थी।

(ख) जी नहीं। किसी भी राज्य सरकार को त्यौहारों, जिनमें दशहरा भी शामिल है, के लिए लेवी चीनी का कोई विशेष कोटा आवंटित नहीं किया गया था।

(ग) खुदरा स्तर पर लेवी चीनी के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। उपभोक्ताओं को लेवी चीनी के कोटा के अनुचित वितरण के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं।

नेशनल कोओपरेटिव यूनियन के सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा विदेशों का दौरा

916. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित नेशनल कोओपरेटिव संस्थाओं से सम्बन्धित किन-किन गैर-सरकारी और सरकारी व्यक्तियों ने विदेशों का दौरा किया है; और

(ख) उन्होंने किस-किस देश का दौरा किया है और उन देशों का दौरा करने के क्या प्रयोजन थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-1414 80]

राज्यों द्वारा चीनी वितरण

917. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि का कारण राज्यों का इस श्रेणी की उस चीनी के वितरण प्रबन्ध करने में असफल होना है जो चीनी उत्पादकों ने सरकार को त्यौहारों के मौसम के लिए वितरण हेतु पेश की थी;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने 25 अगस्त को राज्य सरकारों से यह कहा था कि वे केन्द्र सरकार से चीनी की डिलीवरी ले लें और इस कार्य में विलम्ब के फलस्वरूप जन्माष्टमी के अवसर पर चीनी के खुदरा मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे चीनी के वितरण के लिए अपने निजि माध्यम निश्चित करें;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा अपने यह की उचित दर की दुकानों पर चीनी पहुँचाने में असफल होने के कारण ही इन दुकानों पर चीनी की कमी पैदा हुई थी; और

(ङ०) क्या सरकार ने राज्यों से कहा है कि इस संगठन का पुनर्गठन करें जो उचित वितरण का सुनिश्चय करें और वस्तुओं की वसूली कर सके जो उचित दर की दुकानों से वितरण के लिए केन्द्र सरकार सप्लाई करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) : पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक की त्यौहारों की अवधि के दौरान लागू स्वैच्छिक मूल्य विनिमय योजना के अधीन फैक्ट्रियों ने 450 रुपये प्रति क्विंटल के स्वेच्छा से तय किए गए मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, मुक्त विक्री की चीनी बेची थी और राज्य सरकारों ने अपने विवेक के अनुसार उचित दर की दुकानों/सहकारी एजेंसियों अथवा सामान्य व्यापार माध्यमों से 6 रुपये प्रति किलो के आस-पास निर्धारित खुदरा मूल्यों पर इसका वितरण किया था। सम्भवत: अधिक मूल्यों पर चीनी बेचने के कदाचार संबंधी कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन राज्य सरकारों ने वर्तमान सांविधिक व्यवस्थाओं के अधीन इनके बारे में कार्रवाई की थी। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकारों ने मुक्त विक्री की चीनी की डिलीवरी लेने और इसका उचित वितरण करने के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था की थी। राज्य सरकारों को हाल ही में विशिष्ट निर्देश भी जारी किए गए थे जिसमें उनसे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कहा गया था ताकि सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को आवंटित चीनी के समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत जापान और मिस्र में कृषि तकनीकी

918. **श्रीछांगुर राम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भारत और अन्य बिकाशशील देशों जैसे जापान और मिस्र की कृषि तकनीकी में अभी भी बहुत अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) जी हां श्रीमान। यद्धपि उपयुक्त प्रोद्धोगिक के विकास के द्वारा देश खादयानों के उत्पादन में महत्वपूर्ण छलांग लगा चुका है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर फसल उत्पादन जापान और मिस्र की तुलना में कम रहना जारी है। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :—

औसत उपज किलोग्राम प्रति हैक्टर

फसल	भारत	जापान	मिस्र
खाद्यान्न	1354	5963	4060
कपास बीज	469	—	2313
गन्ना	56415	56061	78217
दालें	488	1612	2048

यह एक सच्चाई है कि स्वतन्त्रता के समय देश को विरासत में जो कृषि मिली वह दशाब्दियों पर्यन्त बरकरार रही। किन्तु बिकसित कृषि प्रौद्योगिक के कारण खाद्यान उत्पादन 51.99 मिलियन टन (1651-52) से बढ़कर वर्ष 1978-79 में 131.00 मिलियन टन हो गया।

50 जिलों में चलाये जा रहे राष्ट्रीय प्रदर्शन परीक्षणों ने (5 वीं योजना) चावल और गेहूं की औसत उपज क्रमश: 51.77 (787 प्रदर्शन) और 36.65 क्विंटल प्रति हेक्टर (709 प्रदर्शन) दी, जो स्पष्टत:, किसानों की परिस्थितियों में हमारी उत्पादन प्रौद्योगिकी की उच्च संभावना का द्योतक है।

भारतीय कृषि अनुसंन्धान परिषद के संस्थान फसल उन्मुख परीक्षण भी चला रहे है और चावल की उपज 70 क्विंटल प्रति हैक्टर से भी अधिक प्राप्त कर ली गयी है। इसी प्रकार से, गेहूं के लिए भी विकसित प्रोद्योगिकी को अपना कर उपज 50 क्विंटल प्रति हैक्टर तक प्राप्त की गयी है।

—यद्यपि देश की फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से विकसित रही है किन्तु कभी कभी अप्रत्यासित: परिस्थितियों के कारण, जैसे कि सूखा और बाढ, विकसित प्रोद्योगिकी का प्रभाव कम हो जाता है। इस दृष्टि से, भारत सरकार जलवायु के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए इन पहलुओं पर अनुसंन्धान प्रयोजनों को सुदृढ़ कर रही है।

—अनिवार्य निदेशों जैसे कि उर्वरकों, सुधरे बीजों, कीटमारकों, नासी जीव मारकों की उपलब्धता को सुधारने के लिए प्रयास जारी हैं।

—देश में उर्वरकों का उपयोग 0.45 मिलियन टन (1962-63) से बढ़कर वर्ष 1979-80 में 2.26 मिलियन टन हो गयी।

—वैज्ञानिक जल प्रवन्ध प्रणाली काभी विकास उपलब्ध जल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र (जाल) 21.04 मिलियन हैक्टर (1951-52) से बढ़करवर्ष 1976-77 में 34-48 मिलियन हैक्टर हो गया है। चालू पंचवर्षीय योजना में, यह अपेक्षा की जाती है कि देश में बनायी जा रही सिंचाई सुविधाओं से 17 मिलियन हैक्टर भूमि को इसके अलावा लाभ पहुँचेगा।

—इन सभी प्रयासों से उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकों और संसाधनों से कृषि उत्पादन बढ़ाने और उन्हें स्थायी बनाने में सहायता मिलेगी।

—यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारत में विविध अनिश्चित विस्तृत वारानी क्षेत्र की तुलना में जापान और मिश्र की औसत उपज एक अत्यन्त छोटे कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें जल की सुनिश्चत आपूर्ति है।

विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए आंवटित राशि का उपयोग न किया जाना

919० **श्री छांगुर राम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए आंवटित भारी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है :

(ख) यदि हां, तो उसका उपयोग न किये जाने के कारणों सहित उसका ब्यौरा क्या है : और

(ग) उसके परिणाम स्वरूप कल्याणकारी योजनाओं को कितनी हानि हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण : (क) से (ग) :—जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों आदि फार्म वैज्ञानिकों को सीनियर फैलोशिप देने की योजना

920. **श्री के० पी० सिंह देव : श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के आदिवासी, पर्वतीय, सूखा और बाढ़ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के फार्म वैज्ञानिकों को सीनियर फैलोशिप देने की योजना तैयार की है :

(ख) क्या उन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जिनमें यह योजना क्रियान्वित की जायेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(ग) क्या छात्रवृत्ति योजना राज्य कृषि बिकास योजनाओं के साथ सम्बद्ध है और यदि नहीं तो वे इन क्षेत्रों के लिये किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होंगे !

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आदिवासी, पर्वतीय, सूखा और बाढ़ग्रस्त तथा अन्य परिस्थितिकीय और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी क्षेत्रों में कृषि की प्रगति करने के लिए मानवीय स्रोत विकास कार्यक्रम के अधीन एक छात्रवृति शिक्षावृत्ति योजना स्वीकृत की गयी है।

(ख) प्रारंभ में, इस योजना में देश के आदिवासी, पर्वतीय सूखा तथा बाढ़ग्रस्त और परिस्थतिकीय और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के 150 चुने हुए जिले सम्मिलित होंगे। इन जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस योजना के अधीन दिया गया प्रशिक्षण विशिष्टीकृत मानव शक्ति प्रदान करने में राज्य की कृषि विकास योजनाओं को सहायता प्रदान करेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि किसी क्षेत्र विशेष से प्रशिक्षित व्यक्ति अपने जन्मजात क्षेत्रों में अपनी इक्छा से जायेंगे और बाहर के व्यक्तियों की अपेक्षा उनके रुकने के अवसर वहाँ अधिक होंगे। यह पिछड़ें क्षेत्रों के लिए अति आवश्यक प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करेगा और ऐसे क्षेत्रों में हमारे संस्थाँ निर्माण करने के प्रयासों में स्थायित्व लायेगा।

विवरण

सूची जिसमें वे जिले दर्शाये गये हैं जिनमें "आदिवासी, पर्वतीय, सूखा और बाढ़ग्रस्त तथा अन्य परिस्थितिकीय और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कृषि की प्रगति करने के लिए मानवीय स्रोत विकास" योजना चलायी जाने वाली है।

आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर, चित्तूर, गुडप्पा, कुरनूल, महबूबनगर।
असम	मिकिर हिल्स, उत्तरी काचर हिल्स, ग्वालपारा, नवगांग, शिवसागर, डिब्रूगढ़, कामरूप।
अरूणाचल प्रदेश	सियांग, सुबनसिरी, केमेंग, लोहित, तिरप।
बिहार	मुंगेर, पालामऊ, नवादा, रोहतास, रांची, सिंहभूमि, सहरसा, पटना, सीतामढ़ी, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर।

गुजरात	कच्छ, बनासकाँठा, सुन्दरनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, पंचमहल पर्वतीय क्षेत्र भी डाँग्स ।
हरियाणा	महेन्द्रगढ़ ।
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चम्बा, काँगड़ा, कूल्लू, किन्नौर लाहौल तथा स्पिती, महासू, मण्डी, शिमला, सिरमौर ।
जम्मू और कश्मीर	डोडा पर्वतीय क्षेत्र भी श्रीनगर, अनान्तनाग, बारामुल्ला, लद्दाख, ऊधमपुर जम्मू, कठूवा, राजोरी, पूंछ ।
कनटिक	बीजापुर, केलगांव, धारवाड़, चित्तदुर्ग, कोलार, कुर्ग, उत्तर कनारा, दक्षिण कनारा
केरल	पालघाट, मलापुरम ।
उड़ीसा	फुलबनी पर्वतीय क्षेत्र भी, कालाहान्डी पर्वतीय क्षेत्र भी, बोलनगीर, ढेंकानल गंजम, कियोंझर, कोरापुट, मयूरभग, सम्बलपुर, सुनियारगढ़, पुरी, कटक, बालासोर ।
राजस्थान	जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, दुर्गापुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, नागौर, चुरू, अजमेर, सिरोही, उदयपुर ।
तमिलनाडु	रामनाथपुर, धरमपुरी, नीलगिर ।
मध्यप्रदेश	झाबुआ, धार, बेसुल, सीधी, नांदिया, सरगुजा ।
महाराष्ट्र	नासिक, अहमदनगर, पुणे सतारा, साँगली, शोलापुर, रत्नागिरी ।
मणिपुर	मणिपुर उत्तर, मणिपुर पश्चिम, मणिपुर दक्षिण, मणिपुर मध्य, मणिपुर पूर्व ।
मेघालय	यूनाइटेड के० एण्ड जे० हिल्स, गारो हिल्स ।
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर, इलाहाबाद, बाँदा, जालौन, हमीरपुर, देहरादून, नैनीताल, उत्तर काँशी, चमोली, पिथोरागढ़, अल्मोड़ा, पोड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, लखीमपुर केहरी ।
नागालैण्ड	कोहिमा, मोकोकोचुंग, तेनसांग ।
पश्चिम बंगाल	परूलिया, बांकुरा, मिदनापुर दार्जीलिंग, हुगली, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, जलपाइगुडी, सिलीगुडी, नाडिया ।

लड़कियों की शिक्षा

921. **श्री के० पी० सिंह देव : श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रारम्भिक स्कूलों में भर्ती न कराये जाने वाले बच्चों में दो तिहाई लड़कियां होती है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण (क) जी, हाँ।

(ख) मुख्य कारण है सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ा पन । सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण लड़कियों को 9 वर्ष की आयु में भी औपचारिक स्कूलों में जाने की अनुतति नहीं दी जाती। लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब उनके माता-पिता काम पर गए हों वे अपने छोटे भाई-बहनों की देख-भाल करें । वे घर के दूसरे काम काज में और माता-पिता की आय बढ़ाने में मदद करती हैं।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़कियों का दाखिला बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :—

1. लड़कियों की आवश्यकताओं और उनकी जीवन परिस्थितियों के अनुकूल अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा ।

2. और अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति ।

3. प्रारम्भिक स्कूलों के सहायक के रूप में शिशुसदनों/पूर्व स्कूल केन्द्रों की स्थापना ।

4. कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्तियां ।

5. अधिक निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, और लेखन सामग्री तथा वर्दियाँ ।

6. पिछड़े क्षेत्रों में महिला-शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था, और

7. अभिभावकों में शिक्षा प्रद प्रचार ।

पेय जल आपूर्ति के लिये गांवों का लक्ष्य

922. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेय जल सुलभ कराने के लिए कितने गांवों का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक राज्य में ऐसे गांवों की संख्या क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक गांव को पेय जल सुलभ कराने के कार्यक्रम में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हाँ. तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इन योजनाओं को निष्पादन करने के लिए निधियां राज्य प्लानों में से दी जाती हैं। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहायता अनुदान देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पुर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया ताकि राज्य सरकारें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल दे सकें। यह अनुमान लगाया गया हैं कि 1-4-1980 को लगभग 2 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों को अभी भी स्वच्छ पेय जल दिया जाना है । इन में से, 32

हजार ग्राम को चालू वर्ष में संलग्न विवरण में दिये गये राज्य वार ब्यौरे के अनुसार पेय जल देने का प्रास्ताव है। 1980-85 की छठी पंच वर्षीय योजना के शेष चार वर्षों के दौरान राज्य वार पेय जल देने का वार्षिक लक्ष्य उपयुक्त समय पर बनाया जायेगा।

(ख) यह कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल देने का लक्ष्य।

क्रम संख्या	राज्य	लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	1449
2.	असम	1139
3.	बिहार	2696
4.	गुजरात	1290
5.	हरियाणा	1110
6.	हिमाचल प्रदेश	1236
7.	जम्मू और कश्मीर	1543
8.	कर्नाटक	1288
9.	केरल	888
10.	मध्य प्रदेश	1779
11.	महाराष्ट्र	2621
12.	मणिपुर	456
13.	मेघालय	434
14.	नागालैंड	342
15.	उड़ीसा	847
16.	पंजाब	732
17.	राजस्थान	2049
18.	सिक्किम	125
19.	तमिलनाडु	1444
20.	त्रिपुरा	363
21.	उत्तर प्रदेश	4952
22.	पश्चिम बंगाल	1796
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	74
24.	अरुणाचल प्रदेश	506
25.	चंडीगढ़	—
26.	दिल्ली	492
27.	दादर तथा नगर हवेली	10
28.	गोवा, दमन तथा दीव	36

29.	लक्षद्वीप	3
30.	मिजोरम	236
31.	पांडिचेरी	—34
		31970

टिप्पणी : विगत वर्षों की राष्ट्रीय औसत के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

डाकघरों द्वारा दवाओं की बिक्री

923. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ;

(क) देश को क्षेत्रवार इस समय कितने डाकघरों में दवाओं की बिक्री की जा रही है; और

(ख) वहाँ कौन-कौन सी दवाएं बेची जाती हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) डाकघर दवाइयां नहीं बेचते।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा के लिए विदेश भेजे गये विद्यार्थी

924. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने विद्यार्थी विदेश भेजे गए;

(ख) उन्हें किन-किन देशों को भेजा गया है और उनकी देशवार संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितने भारत वापस आ गए हैं और किस देश से वापस आए हैं ?

शिक्षा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० वी० चव्हाण) (क)से (ग) सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

देश का नाम	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान विदेश भेजे गये छात्रों की संख्या	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान लौटने वालों छात्रों की संख्या
1	2	3
आस्ट्रेलिया	6	—
आस्ट्रिया	11	8
बेल्जियम	4	4

1	2	3
बलगारिया	1	3x
कनाडा	43	5
चीन/हाँक काँग	1	—
चेकोस्लोवाकिया	6	5
डेनमार्क	23	14
पूर्वी जर्मनी	17	24x
फिनलेंड	1	—
फ्रांस	42	22
यूनान	8	3
हंगरी	4	—
इटली	15	14
जापान	21	14
मंगोलिया	2	—
नीदरलेंड्स	62	54
न्यूजीलैंड	5	—
नोरवे	22	10
पौलैंड	17	8
रोमानिया	—	2x
दक्षिणी कोरिया	1	—
स्पेन	—	1x
स्वीडन	6	7x
स्विटजरलैंड	1	—
तुर्की	1	2x
यु० के०	254	143
अमेरिका	94	14
सोवियत रूस	63	7
पश्चिमी जर्मनी	9	—
यूगोस्लाविया	1	—
	741	364

x लौटने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि इसलिए हुई है कि पिछले वर्षों के दौरान भेजे गए छात्र इन तीन वर्षों के दौरान ही लौटे हैं।

अन्तराष्ट्रीय विकलांग वर्ष सम्बन्धी कार्यक्रम

925. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, 1981 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण-सम्बन्धी कार्यक्रमों को विशेष अथवा अधिक महत्व देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में अन्तराष्ट्रीय विकलांग वर्ष सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्तमान कार्यक्रमों को मजबूत करने और नए कार्यक्रमों को चलाने के लिए व्यवस्था की गई है। इस कार्य योजना के अनुसारण में विधि निर्माण, निर्योग्यताओं के निवारण, विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा पुनर्वास, विकलांग बच्चों की शिक्षा तथा विकलांग व्यक्तियों की समस्यों के लिए खुले शेल्टर्ड रोजगार के क्षेत्रों में ठोस उपाय करने के वास्ते चार कार्यकारी दल गठित किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके सामर्थ्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस वर्ष के दौरान एक प्रचार अभियान चलाया जाएगा।

2. सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से राज्य स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय विकलांक वर्ष समितियाँ स्थापित करने तथा अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी कार्य योजनाएं बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

उर्दू के बारे में गुजराल समिति

926. **श्री जी० एम० बनातवाला : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** उर्दू के बारे में गुजराल समिति के बारे में 16 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजराल समिति द्वारा उर्दू के विकास के लिए की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या गुजराल समिति के प्रतिवेदन में राज्यों से सम्बन्धित सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त कर लिए गये हैं;

(घ) यदि हाँ तो राज्य सरकारों द्वारा प्रकट किये गये विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजराल समिति की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण)

~~(क) से (ङ०)~~ गुजराल समिति की रिपोर्ट की जांच राज्य सरकारों, संघ-शासित क्षेत्रों तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों के परामर्श से की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक उप-समिति गठित की गई थी। 25 अक्तूबर, 1980 को हुई इसकी बैठक में, उप-समिति के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय

किया गया जिससे कि सारी की सारी भारत सरकार को इसमें शामिल किया जा सके। तदनुसार, सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ और बैठकें करने का विचार है। रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दिल्ली के प्रशासनों से टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। नागालैंड राज्य सरकार तथा दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम और पाँडिचेरी के संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने कहा है कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-व-काश्मीर और सिक्किम की राज्य-सरकारों ने बताया है कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और उनकी टिप्पणियाँ तत्पश्चात् उपलब्ध हो सकेंगी। उन्हें स्मरण पत्र नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं। असम, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन व दीव के प्रशासनों से उत्तरों की प्रतीक्षा है। उन्हें नियमित रूप से स्मरण पत्र भी भेजे जा रहे हैं।

क्योंकि अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों, संघ-शासित क्षेत्रों और शिक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों से सम्बन्धित हैं, अत: अन्तिम दृष्टिकोण बनाने में कुछ समय लगेगा। तथापि सभी सम्बन्धितों से टिप्पणियाँ शीघ्र प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केवल इसी प्रयोजन के लिए एक अधिकारी को लगा दिया गया है।

केरल को बाढ़ के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिये योजनेत्तर सहायता के बारे में निर्णय

927 **श्री जी एम. बनातवाला : क्या कृषि मंत्री बाढ़ग्रस्त** केरल को योजनेत्तर सहायता देने का अनुरोध के बारे में 4 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्य 6676 के लिए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण हुई भारी क्षति को पूरा करने के लिए केरल सरकार द्वारा की गई 28.64 करोड़ रुपये की योजनेत्तर सहायता की मांग पर इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) :

केन्द्रीय दल जिसने 15 से 19 अगस्त, 1980 के दौरान केरल का दौरा किया, की रिपोर्ट तथा उस पर राहत संबंधी ऊच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राहत संबंधी विभिन्न मदों पर पुनर्वास, मरम्मत तथा बाढ़ों द्वारा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक कार्यों को फिर से चालू करने के लिए 1980-81 के दौरान व्यय की जाने वाली 9.09 करोड़ रुपये की अधिकतम रकम की मंजूरी दी है।

केरल में ताड़ के रोग पर अनुसंधान

928. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केरल में ताड़ के रोग पर अनुसंधान के

लिए कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नारियल ताड़ की कीटनाशियों तथा बीमारियों पर केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगोड के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है, जिसका वार्षिक बजट 1.65 करोड़ रुपये है। इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में से कायांगुलम स्थित एक केन्द्र में नारियल ताड़ की कीटनाशियों तथा बीमारियों पर अनुसंधान के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तथा वहां करीब 50 विज्ञानी इस समय पूर्णकालिक रूप में कार्य कर रहें हैं। इस केन्द्र का वार्षिक बजट 31 लाख रुपये है। यह केन्द्र नारियल के "मुरझान" रोग पर विशेष जोर दे रहा है।

इस संस्थान और इसके उपरोक्त क्षेत्रीय केन्द्र के साधनों के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के दौरान, विश्व बैंक निधि से चलायी जाने वाली केरल कृषि विकास प्रायोजना से उपलब्ध की गई 35.00 लाख रुपये की राशि से नारियल जड़ मुरझान रोग पर अनुसंधानों को आगे भी गहन किया गया है।

"राशन की दुकानों पर गेहूं का कोई स्टाक नहीं" शीर्षक समाचार

929. **श्री पीयूष तिरकी : श्री बी० किशोरचन्द्र एस० देव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्तूबर, 1980 के "सण्डे स्टैण्डर्ड" में नो व्हीट स्टाक एट मैनी राशन शाप्स" शीर्षक से हाल ही में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने दिल्ली में राशन की दुकानों पर गेहूँ की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : जी हां।

(ख) : यह रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने उचित दर की दुकानों को निर्दिष्ट खाद्य-वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए हैं।

श्री संजय गांधी के दाह-संस्कार का स्थान

930. **श्री पीयूष तिरकी : श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि युवा कांग्रेस (ई) के 200 व्यक्तियों ने वह स्थान जहां श्री संजय गांधी का दाह-संस्कार किया गया था, हथिया लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह स्थान अधिकारियों द्वारा साफ करवा दिया गया है और उस पर घास उगा दी गई है; और

(ग) युवा कांग्रेस (ई) के कार्यकर्ताओं से यह स्थान अब क्यों हथिया लिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) 24.10 80 को लगभग 200 आदमी शान्तिवन में घुसे, एक शामियाना लगाया तथा लकड़ी स्टेकों और नाइलोन रस्सियों से उस स्थल को घेर दिया जहां श्री संजय गांधी का दाह-संस्कार किया गया था, 6.11.80 को उन्होंने स्थान छोड़ दिया।

(ख) स्वर्गीय श्री संजय गाँधी के अन्त्येष्टि के प्रबन्धो के लिए शान्तिवन में व्यवस्थित ईटों के प्लेटफार्म को 2.9.80 तथा 15.9.80 को दो चरणों में हटाया गया था तथा वहां पुन: घास लया दी थी।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में वर्णित प्रदर्शन स्वर्गीय श्री संजय गान्धी के सम्मान में एक स्मारक की स्थापनार्थ स्पष्टत: ध्यान केन्द्रित करने के लिए था। तथापि, क्योंकि प्रदर्शन शान्ति पूर्ण था; कोई कार्यबाही आवश्यक नहीं समझी गई थी।

कृषि श्रमिकों को प्लाटों का आवंटन

931 **श्री मूलचन्द डागा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने लोगों के पास मकान नहीं हैं और उसकी संख्या गाँवों और नगरों में कमश: कितनी कितनी है,

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत गाँवों और नगरों के लोगों को मकान मिल सकेंगे,

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना को छटी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किस प्रकार क्रियाविा किया जायेगा,

(घ) क्या सरकार कृषि मजदूरों और गाँवों में गरीबी/रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भू-खण्ड आवंटित करने के अपने निर्णय पर दृढ़ है, और

(ङ) यदि हाँ, तो कितनीं भूमि आवंटित की जायेगी और उसमें कितना समय लगेगा,

संसदीय कार्य एवं निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मे (ङ):—राष्ट्रीय भवन संगठन के अनुसार भारत के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी क्रमश: 161 और 46 लाख एकक है। कुल 207 लाख एकक है, 1971 की जनगणना के अनुसार परिवार का औसतन आकार 5.6 व्यक्ति हैं।

आवास राज्य का विषय है और लोगों की इस मूल आवश्यकता को पूरा करना राज्य की जिम्मेदारी है। बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़ कर सभी आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इन योजनाओं को प्रशासित करने के लिए नियम बनाने में सक्षम हैं बशर्ते कि सम्बन्धित योजनाओं में निर्धारित मोटे सिद्धान्तों को पूरा करे। केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्यों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में वित्तीय सहायता देने और सामान्य नीति विषय मार्गदर्शन देने तक ही सीमित है।

न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों द्वारा आवास स्थलों का मुफ्त

वितरण अर्ध संरचना की व्यवस्था समस्त भूमि हीन ग्रामीण जनता को मकान बनाने के लिए सहायता देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है। इसे 10 वर्षों में पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

खाद्य उत्पादन में क्षेत्रीय असंतुलन।

932. **श्री राम विलास पासवान श्री जगपाल सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि गत वर्षों के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में हुई वृद्धि सभी राज्यों में एक समान रही है;

(ख) यदि हाँ, तो खाद्यान्न के क्षेत्र में किस हद तक क्षेत्रीय असंतुलन रहा है और इन असंतुलनों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन असंतुलनों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी नहीं।

(ख) खाद्यान्नों के खत्पादन में वृद्धि की दर सभी राज्यों के लिए एक जैसी नहीं रही है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में 1970-71 तथा 1978-89 को समाप्त होने वाली त्रैवार्षिक अवधि के मध्य खाद्यान्नों के पैदावार की वार्षिक वृद्धि दर (मिश्रित) 2.73 प्रतिशत या इससे अधिक रही है। बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह वृद्धि दर 2.15 प्रतिशत से 2.29 प्रतिशत के बीच रही है तथाबाकी राज्यों में यह दर इन स्तर से नीचे रही है। असंतुलन के मुख्य कारण कई घटकों से उत्पन्न होते हैं। इन घटकों में मृदा एवं जलवायु की स्थिति, जल की उपलब्धि, संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, प्रयोग में लाये जाने वाले आदानों के स्तर, संस्थागत प्रबन्ध तथा क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल की उपलब्ध प्रौद्योगिकी, आदि, शामिल हैं।

(ग) अनुवर्ती योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के विकास, मृदा संरक्षण, कृषि विस्तार, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए विकास प्रबन्ध, विभिन्न फसलों तथा कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान, उच्चकोटि के बीच, उर्वरक, कृमिनाशी औषधियों, आदि जैसे आदानों के अधिक प्रयोग और किसानों की आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार करने तथा संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे है। अविकसित क्षेत्रों में पैदावार का स्तर बढ़ाने तथा कृषि कार्य में लगे कमजोर वर्गों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए लघू कृषक विकास एजेंसी, समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि जैसे कई विशेष विकास कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया जा रहा है। इसके अलावा पारिस्थितिकी रूप से अक्षम क्षेत्रों में कृषि विकास की गति बढ़ाने तथा समुदाय के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के संदर्भ में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अन्तर्गत भी इसी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए 'यूनिसेफ' से सहायता के लिए अध्ययन दल

933 **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में 1981-83 की अवधि के लिए यूनिसेफ से सहायता के लिए अध्ययन दल के कौन-कौन सी परियोजनाओं और प्रस्तावों की सिफारिश की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : ग्राम विकास क्षत्र में 1981-83 की अवधि के लिए यूनीसेफ द्वारा सहाय्यित ग्रामीण कार्यक्रम की पहुँच का सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने निम्नलिखित पहुँच तथा प्रस्तावों की सिफारिश की है :

कार्यक्रम के लिए सुझाई गई मूल पहुँच यह है कि चुने गए समन्वित ग्राम विकास खण्डों में कई बुनियादी सेवाओं को सुलभ किया जाये; आर्थिक विकास कार्यक्रमों की प्रगति में तेजी लाई जाय तथा माता एवं बच्चों की देखभाल के क्षेत्र में स्थाई परिणाम प्राप्त किए जांए। निर्धारित समय में बच्चों की मृत्यु-दर तथा उनकी अस्वस्थता-दर को कम करना, बालिकाओं तथा महिलाओं की साक्षरता-दर में वृद्धि करना तथा विशिष्ट प्रतिशत तक अतिसार-विपयक रोगों व कुपोषण के कारण मृत्यु-दर को घटाना विशिष्ट उद्देश्य है। स्वच्छ पेय-जल की आपूर्ति, गैर-औपचारिक शिक्षा, व्यावहारिक गतिविधियाँ, मूल स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण सफाई, स्कूल जाने से पूर्व की शिक्षा, बच्चों की देखभाल के केन्द्र, ग्रामीण प्रौद्योगिकी तथा आय सृजनकारी गतिविधियाँ परियोजना क्षेत्रों में सुलभ की जानेवाली सुझाई गई बुनियादी सेवाएं हैं।

अध्ययन दल ने जिलों के पिछड़ेपन जो महिलाओं की साक्षरता-दर, शिशुओं की मृत्यु-दर 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या की प्रचुरता तथा भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से क्षेत्र के पिछड़ेपन पर निर्धारित किया जायेगा, के आधार पर चुने गए कुछेक समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जिलों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है। प्रत्येक राज्य को आवंटित किए जाने वाले जिलों की संख्या को भी उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार राज्यों के पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

मध्य प्रदेश को आवंटित खुली बिक्री की चीनी

934. **श्री सत्यनारायण जाटिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर, 1980 के दौरान खुली बिक्री की चीनी के मूल्य क्या रहे; और

(ख) इस अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को खुली बिक्री के लिए कितनी मात्रा में चीनी आवंटित की गई तथा कितनी चीनी वितरित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जुलाई और अगस्त, 1980 के महीनों के दौरान भोपाल और इन्दौर के बाजारों में चीनी के खुदरा मूल्य इस प्रकार थे :—

माह	खुदरा मूल्य भोपाल के बाजार में	रुपए/किलो इन्दौर के बाजार में
जुलाई, 1980	6.95 से 8.25 तक	6.80 से 8.00 तक
अगस्त, 1980	7.70 से 8.40 तक	7.50 से 8.25 तक

पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू खुली बिक्री की चीनी की स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन, घरेलू उपभोक्ताओं को खुली बिक्री की चीनी का वितरण करने के लिए खुदरा मूल्य, जैसाकि मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है, 6.50 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया था।

(ख) सितम्बर, 1980 के पहले किसी भी राज्य सरकार को कोई खुली बिक्री की चीनी आवंटित नहीं की गई थी। उपर्युक्त योजना के अधीन सितम्बर और अक्टूबर, 1980 के महीनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 14,200 मीटरी टन खुली बिक्री की चीनी आवंटित की गई थी। खुदरा स्तर पर चीनी के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वास्तव में वितरित की गई खुली बिक्री की चीनी की मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

दक्षिण दिल्ली में पानी का संकट

935. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में लगातार पानी का संकट बना हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो पानी की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, यह सच है कि गर्मियों के दिनों में दक्षिण दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पानी का दबाव कम हो जाता है।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा आरम्भ किए जा रहे दीर्घकीलीन तथा अल्पकालीन उपाय इस प्रकार हैं :

अल्पकालीन उपाय

1. 6 रैनी कुओं और नलकूपों का निर्माण।

2. दक्षिण दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए पानी का पुनर्वितरण।

3. वितरण करने वाले मुख्य नलों में पानी रिसाव का पता लगाना और उनकी मरम्मत करना।

दीर्घकालीन उपाय

1. शाहदरा और दक्षिण दिल्ली की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरी शाहदरा में 1000 लाख गैलन प्रतिदिन वाला एक नया जल शोधक संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

2. पश्चिमी दिल्ली शोधन संयंत्र से पालम जलाशय तक अतिरिक्त पानी ले जाने के लिए 900 मि० मी० की पानी की लाइन बिछाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

936. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मार्ग में क्या रुकावटें हैं;

(ग) इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार मिलेगा; और

(ङ) इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) इस कार्यक्रम हेतु चालू वर्ष के बजट में कुल 340 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कूल 70 करोड़ श्रम दिनों का रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जलपूर्ति तथा सफाई दशाब्दि

937. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री अमरसिंह राठवा :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा सफाई दशाब्दि के लिए कार्यक्रम का एक राष्ट्रीय प्रलेख तैयार किया है जिसमें 1990 तक इस देश के सभी लोगों को पीने के लिए जलपूर्ति और सफाई के लिए न्यूनतम स्तर की सेवाप्रदान करने की संकल्पना की

गई है।

(ख) यह राष्ट्रीय प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किया जा रहा है;

(ग) नगरीय जलपूर्ति का कितना विस्तार किया जायेगा;

(घ) उक्त प्रलेख की अन्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इसे संसद के समक्ष कब रखा जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) कोई राष्ट्रीय प्रलेख तैयार नहीं किया गया। तथापि, राष्ट्रसंघ द्वारा प्रारम्भ किए गए अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति एवं सफाई दशक (1981-90) के उद्देश्यों के समर्थन का भारत ने वचन दिया है। इस अवधि के दौरान, अधिकतम संख्या में अपने लोगों को स्वच्छ जलपूर्ति तथा स्वास्थ्यकर मल निपटान सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था का प्रयत्न किया जाएगा। नवीन छठी पंचवर्षीय योजना में सभी समस्या-ग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देने सम्बन्धी हमारे इस आशय की घोषणा द्वारा पहले ही शुरुआत की जा चुकी है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं के लिये अनाज

938. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं के लिए 2.1 मिलियन टन अनाज देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य को दिए गए अनाज की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) राज्यों की वास्तविक माँग कितनी है; और

(घ) किस सीमा तक सभी राज्य सरकारों की मांग की पूर्ति की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए कुल 21 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध की गई है। इसमें गत वर्ष के उपयोग में न लाये गये 7 लाख मीटरी टन खाद्यान्न तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित 14 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल है।

(ख) विभिन्न राज्यों को आबंटित/वंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण (संख्या 1) संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1415/80]

(ग) राज्यों द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाला विवरण (संख्या 2) संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल टी-1415/80]

(घ) विवरण (संख्या 1) में पूरी की गई मांग की सीमा दर्शायी गई है।

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

939. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित पुनर्गठन के मुख्य कारण एवं विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यभार में वृद्धि हो गई है और वर्तमान कार्यकरण असन्तोषजनक है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इसको अनेक एककों में बांटने का विचार है जिससे कि कार्य सुचारू रूप से हो सके; और

(ङ) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी, नहीं। फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यद्यपि निगम के कार्यभार में वृद्धि हो गई है फिर भी इसके वर्तमान कायकरण को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

(घ) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

940. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री राम स्वरूप राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन की एक फार्म एल० एम० इरोकसन (आई. एम. सस.) को राय बरेली क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज फैक्टरी के विस्तार के लिए एक ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के एकक इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज ने भी उसी परियोजना के लिए कम दर पर पेशकश की थी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की अपेक्षा स्वीडन की फर्म को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :(क) जी नहीं

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव में तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम मात्रा में विदेशी मुद्रा का खर्च होगा। उत्पादन की लागत भी लगभग वही होगी जो मैसर्स एल० एम० इरिकसन ने टेंडर में दी है लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी।

(घ) काफी सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने रायबरेली कारखाने में,

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भारतीव क्रासवर परियोजना की प्रणाली के उत्पादन के पक्ष में निर्णय लिया है।

भारत में क्रासबार प्रणाली का स्वीकार किया जाना

941. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को, अस्वीकृत क्रासबार प्रणाली को देश में अपनाये जाने के सम्बन्ध में भारत की की जा रही आलोचना की जानकारी है;

(ख) इस क्रासवार प्रणाली को किन-किन देशों द्वारा अस्वीकार किया गया है; और

(ग) भारत द्वारा इस क्रासबार प्रणाली को अपनाये जाने के क्या विशेष कारण थे जबकि इसमें कई खरावियां हैं और क्रासवार प्रणाली एक्सचेंजो से चलने वाले टेलीफोन अधिकांशत: बेकार पड़े रहते हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) इलेक्ट्रो-मकैनिकल दूर संचार स्विचिंग प्रणाली की क्रासबार किस्म के खिलाफ समाचार पत्रों में छपी आलोचना की तरफ सरकार का ध्यान गया है; लेकिन आलोचना, जहां तक कामन कन्ट्रो-मकैनिकल दूर संचार स्विचिंग प्रणाली की क्रासबार किस्म को नाकारा प्रणाली कहने की बात है, मूलतः गलत धारणा पर आधारित है क्योंकि ऐसा कहना सही नहीं है। यह प्रणाली, अत्याधिक विकसित देश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान सहित संसार भर में प्रयोग की जा रही है। अत्याधिक विकसित देशों (अर्थात् दूर संचार के क्षेत्र में विकसित देशों) के कारखानों में अभी तक क्रासबार उपस्कार का उत्पादन हो रहा है और इन देशों के मौदूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए उपर्युक्त किस्म के उपस्कारों की स्थापना की जा रही है। तथ्य यह भी नहीं है कि भारत में टेलीफोन की खरावी के लिए क्रासवार एक्सचेंज प्रणाली का प्रचलन ही जिम्मेवार है।

देश नए टेलीफोन की मांग और टेलीफोन स्विचिंग उपस्कार की उपलव्धता के बीच वड़े और बरावर वढ़ रहे अन्तर को ध्यान में रखकर सरकार ने रावरेली में इलक्ट्रो-मकैनिकल स्विचिंग उपस्कर को तीन लाख (समतुल्य) लाइनों के उत्पान से सम्बन्धि पिछले निर्णय पर अमल करने की दिशा में यह तय किया है कि देश में ही विकसित क्रासबार स्विचिंग उपस्कर (आई. सी. पी.) को दो लाख (समतुल्य) लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए।

"आपरेशन फ्लड दो"

943. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) "आपरेशन फ्लड दो" कब आरम्भ किया गया था;

(ख) उस अवधि के दौरान के कितने परिवारों को इसमें शामिल कर दिया जायेगा और इन परिवारों द्वारा कितने दुधारू पशुओं के पालन-पोषण की जाने की आशा है; और

(ग) क्या इस परियोजना में दूध केन्द्रों (शेडों) के राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की भी योजना

बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) भारत सरकार ने अक्टूबर, 1978 में आपरेशन फ्लड परियोजना की मंजूरी दी थी।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 100 लाख ग्रामीण परिवार लाने तथा 150 लाख राष्ट्रीय दुधारू पशुओं का पालन-पोशण करने का उद्देश्य है।

(ग) सन 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 153 नगरों को ग्रिड के अन्तर्गत लाये जाने वाले 155 ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों से जोड़कर एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड तैयार करने का उद्देश्य है।

आन्ध्र प्रदेश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्य

944. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) आन्ध्र प्रदेश द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम को आरम्भ करने की तारीख से अब तक शुरू किए गए कार्यों की सख्या कितनी है;

(ख) अब तक पूरे किए गए कार्यों की संख्या कितनी है;

(ग) अब तक अधूरे कार्यों की संख्या कितनी है;

(घ) कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अनाज की मात्रा कितनी है; और

(ङ) इन कार्यों को पूरा करने के लिये अनाज न दिए जाने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 2, 87, 358

(ख) 1, 94, 475

(ग) 92, 883

(घ) व (ङ) राज्य सरकार के अनुसार इन निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 23, 500 मैट्रिक टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। इस अनुमान के मुकाबले में उनको 42,000 मैट्रिक टन खाद्यान्नों की मात्रा सुलभ की जा रही है।

मदर डेयरी के दूध की बिक्री में घोटाला

945. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के मदर डेरी में टैंक भरने वाले स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों, ड्राइवर-सह-वितरकों और बुथ लाइसेंस धारियों द्वारा मिलकर दूध की बिक्री में किए जाने वाले घोटाले की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले की रोक-थाम के लिए क्या प्रभावकारी उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) मदर डेरी दूध

विक्री में कोई घोटाला नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि उत्पादों के खरीद भूल्य के सम्बन्ध में नीति :

946 **श्री सी० चिन्नास्वामी क्या कृषि मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों विशेषकर चावल के न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को खरीद के अत्यधिक कम मूल्य की पेशकश से किसानों को होने वाली कठिनाइयों कीं जानकारी है :

(ग) गत बारह महीनों के दौरान दिए गए मूल्यों की रेंज क्या रही है : और

(घ) क्या सरकार का कृषि कार्यों की आर्थिक अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों में बढ़ोतरी का विचार है'

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) इस समय सरकार धान, गेहूँ तथा मोटे अनाजों के लिए खरीद मूल्य निर्धारित करती है और इन मूल्यों पर विपणन सम्बन्धी समर्थन दिया जाता है। कपास, जूट, तिलहन मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तोरिया, सरसों, दलहन चना, अरहर, उड़द तथा मूंग और जौ के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। गन्ने के सम्बन्ध में, सरकार वैधानिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जो चीनी मिलो द्वारा देय होता है। सरकार की कृषि मूल्य नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, ताकि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके। (ख) उपभोक्ताओं, विशेषकर कीमतों में अधिक वृद्धि होने से जनसंख्या के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करना और (ग) मूल्यों में अन्तः मौसमी, मौसम के बीच में तथा अन्तः क्षेत्रीय अत्यधिक अन्तर को दूर करना।

(ख) सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं कृषक संगठनों आदि के विचारों पर विचार करने के बाद खरीद समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं। ये मूल्य उचित हैं तथा कुल मिलाकर इसके सम्बन्ध में उत्पादकों की अनुकूल प्रतिक्रिया रही है।

(ग) खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक विपणन मौसम के लिए घोषित किये जाते हैं तथा ये एक वर्ष के लिए वैध होते हैं।

(घ) सरकार उन खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्यों में कोई परिवर्तन करने के लिए विचार नहीं करतीं है, जो चालू विपणन मौसम के लिए घोषित कर दिये गये हैं। कुछ जिन्सों के लिए अभी मूल्य घोषित किए जाने हैं।

राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता में वृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से सहायता

947 **श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन की सहायता से राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक अनुसंधान क्षमता में वृद्धि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक परियोजना तैयार की है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को इस परियोजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्थान विशेष की अनुसंधान करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना एन० ए० आर० पी० शुरू की है। इसकी प्राप्ति के लिए इस प्रायोजना का उद्देश्य, वर्तमान विश्वविद्यालयों पर आधारित कृषि अनुसंधान में सुधार करके और खाद्यान्नों अनाजों, दालों और तिलहनों पर विशेष बल देतेहुए स्थानीय परिस्थितिकीय पट्टियों की आवश्यकता के अनुसार अनुसंधानुमुख बहु-शाखीय अनुसंधानों पर ध्यान केन्द्रित करके प्राप्त करना है। विशेष ध्यान बारानी दशाओं में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों पर और मिश्रित खेती के विकास पर दिया जा रहा है।

2. इस प्रायोजना के अधीन फिलहाल चल रही अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि उत्पादन पर बाधाओं को दूर करने के लिए उद्देश्य से नयी व्यावहारिक अनुसंधान चलाने के लिए और नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए आने वाली बाधाओं का पता लगाने हेतु अनुसंधान परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में आवश्यक आधारिक संरचना निर्माण करने के लिए संसाधन प्रदान किये जायेंगे। इस प्रायोजना में सामान्य विश्वविद्यालय विकास, विश्वविद्यालय निर्देश बीज बहुगुणन और विस्तार कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं। अनुसंधान के नियोजन और संचालन के लिए इस प्रायोजना में अनुसंधान निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस प्रायोजना में सम्मिलित होने के लिए और निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की पात्रता पर विचार करने हेतु एक प्रायोजना निधिकरण समिति गठित की गयी है।

3. इस प्रायोजना की कुल लागत का 50% पूरा करने के लिए 2 करोड़ 70 लाख अमरीकी डालरों के एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ आई० डी० ए० ऋण का प्रस्ताव है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वार्षिक वेतनवृद्धि वाले कर्मचारियों, सरकारी भवन-निर्माण, उपकरणों और संचालन लागत का 100% उप-प्रायोजनाओं का स्वीकृत किये जाने की तिथि से पाँच वर्ष तक अदा करेगी। विश्वविद्यालय राज्य भूमि अधिग्रहण, सामान्य कृषि लागतों और केन्द्र के ऊपरी खर्चों को वहन करेंगी। स्वीकृत प्रायोजना के पूरा हो जाने पर, राज्य सरकार, इस प्रायोजना को नियन्त्रित करने वाली शर्तों के अनुसार इस उप-प्रायोजना के अधीन सहायता प्राप्त वार्षिक वेतनवृद्धि वाले कर्मचारियों के वेतनों की अदायगी करना और संचालन लागत

वहन करना तथा उपकरणों का रख-रखाव और उनका परिवर्तन तथा सरकारी भवन निर्माण करना जारी रखेगी।

(ग) प्रायोजना निधिकरण समिति ने तमिनालडु कृषि विश्वविद्यालय टी० एन० ए० यू० को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना में भाग लेने की पात्रता का अनुमोदन कर दिया है, बशर्ते कि कृषि जलवायु पट्टियों के अनुसंधान अन्तरों और निवेश प्रस्तावों का पता लगाने के लिए वह कुल अनुसंधान पुनरीक्षण की व्यवस्था करें। प्रायोजना निधिकरण समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण अनुसंधान दायित्व को तमिलनाडु सरकार से तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांतरण करने के प्रश्न को वह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में औपचारिक सरकारी आदेश शीघ्र जारी किये जाएं।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की अनुसंधान समीक्षा प्रगति पर है। इस बीच तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक के कार्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रशासनिक उप-प्रायोजना की स्वीकृति दिनाँक 1.11.1980 से पाँच वर्ष के लिए की गयी है जिसमें 11.02 लाख का परिव्यय होगा। एक अनुसंधान प्रायोजना की लागत का अनुमान लगाने का कार्य शुरू भी हो गया है।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विज्ञान का पढ़ाया जाना

948. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विज्ञान पढ़ाने के तरीकों और प्राथमिकताओं पर पुर्नविचार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना को मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में खेती को प्रोत्साहित करना

949. **श्री भीखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को खेती के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने आदिवासी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उनका चयन किन राज्यों से किया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की जनजाति उप-योजनाओं के तौर पर क्रियान्वित किया

जा रहा है। राज्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों को राज्य की योजनाओं में शामिल किया जाता है। जहाँ तक केन्द्रीय योजना का सम्बन्ध है, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये केन्द्रीय एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रों में कई विशेष स्कीमें शामिल की गई है। विशेष रुप से अनुसूचित जनजातियों के फायदे के लिये शुरु की गई कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएं अनुबन्ध में दी गई है—ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी—1416-80

(ख) तथा (ग)

कुक्कुट-पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मणिपुर से अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी को हाल ही में बत्तख-प्रजनन के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये इंगलैण्ड भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की चरागाह एवं चारा विकास परियोजना के अन्तर्गत पशु आहार एवं चारा विकास कार्यक्रम के तहत, तामिलनाडु के एक अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। नागालैण्ड के एक अधिकारी ने फिनलैण्ड में आयोजित किण्वित दुग्ध पर खाद्य एवं कृषि संगठन फिनलैण्ड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान

950. **श्री भीखा भाई : श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित, जनजातियों अनुसूचित जातियों तथा समाज क कमजोर वर्गों के लिए लोगों के लिए मकान बनाने की कोई योजना बनाई गई है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या है,

)ग) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में कोई आवास योजना प्रारम्भ करने का विचार है, और

(घ) केन्द्रीय निर्माण तथा आवास मन्त्रालय विभिन्न राज्यों के जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के विकास के लिए किस हद तक जागरुक है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (घ):— आवास राज्य का विषय है और मुख्यतया यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे लोगों के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करें। बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़ कर, सामाजिक आवास की सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्यों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों' के रुप में वित्तीय सहायता देने तक सीमित है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं है। इस के अलावा इस मन्त्रालय द्वारा आरंभ की गई सामाजिक आवास योजनाएं आय पर आधारित है न कि किसी जाति, धर्म या सामुदाय पर।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

951. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा कमजोर वर्गों के किसी प्रतिनिधि को किसी समय चुना गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) से (ग) सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन पर विचार कर रही है।

चीनी तथा गन्ने के मूल्य पुनः निर्धारित करने का उत्तर प्रदेश का अनुरोध

952. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार को व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा नियंत्रित चीनी का कालाबजार किए जाने के कारण प्रतिमास एक करोड़ रुपए की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस आशय का पत्र लिखा था कि वह चीनी का कालाबाजार रोकने के लिए इसकी मूल्य निर्धारण नीति में उपयुक्त परिवर्तन करें;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि बीज, खाद आदि के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए गन्ने का मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाए :

(घ) यदि हाँ तो क्या चीनी उत्पादक राज्यों ने भी गन्ने का मूल्य अधिक करने की माँग की है; और

(ङ) यदि हां तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) उत्तर प्रदेश सरकार से मालूम करने पर यह पता चला है कि यह सही नहीं है।

(ख) भाग (क) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1980-81 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करने से पहले उत्तर प्रदेश सहित बहुत सारी राज्य सरकारों, जिनकी राय माँगी गई थी, ने गन्ने के अधिक मूल्य निर्धारित करने की माँग की थी ताकि चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि खण्ड-सारी और गुड़ के उत्पादकों, जिन्होंने गन्ने का बहुत अधिक मूल्य देने की पहले ही पेशकश कर दी थी, के पास गन्ना न जाने पाए। गन्ना उत्पादक को लाभकारी मूल्य दिखलाने की आवश्यकता के आलावा, क्योंकि सरकार को उपभोक्ता मूल्य बहुत अधिक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने कृषि मूल्य आयोग कीं सिफारिशों पर वर्ष 1980-81 के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर गन्ने का साँविधिक न्यूनतम मूल्य 13.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। साथ ही साथ, चीनी के यूनिटों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने सप्लाई करवाने की दिशा में भी प्रयास किए गए थे। प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को सलाह दी थी कि वे गन्ना

उत्पादकों को 16.00 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य मुख्यतया 20 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास हैं। मिलों से गन्ने के अन्य यूनिटों को जाने से रोकने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खण्ड-सारी यूनिट 31 दिसम्बर, 1980 तक उत्पादन शुरू न करने पाएं।

गृह निर्माण गतिविधि

953. **श्री पी० एम० सईद** : क्या निर्माण और अवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में गृह-निर्माण गतिविधि के रास्ते की सभी रुकावटों को दूर कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो गृह निर्माण के रास्ते में क्या रुकावटें थीं;

(ग) क्या सीमेंट और इस्पात की कमी का भी गृह निर्माण गतिविधि पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हाँ, तो ये बधायें किस सीमा तक दूर कर दीं गई हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तथा (ख) देश में गृह किर्माण की गतिविधि में आने वाली मुख्य रूकावटें वित्त का अभाव एवं दुर्लभ भवन निर्माण सामग्रियों की कमी है। सरकार अन्य प्रथामिकता के क्षेत्रों का भी ध्यान रखते हुए, इन रूकावटों को जहां तक व्यवहार्थ हो दूर करने के प्रयास कर रही हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) आवास तथा नगर विकास निगम (हुड़को) के ऋणों द्वारा वित्त की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास जारी हैं।

इस्पात के वितरण के मार्गदर्शनों में, व्यक्तिगत आवास निर्माताओं, सहकारी समितियों आदि को, भवन निर्माण कर उन्हें पुन: बेचने वालों को छोड़ कर उच्च प्राथमिकता (स्टेटस) दी जाती है इसमें प्रत्येक व्यक्ति, आवास निर्माता या सहकारी समिति के सदस्य के लिए अधिकतम पांच टम इस्पात देनें की व्यवस्था की गई है। इस्पात के मुख्य उत्पादकों की एक समिति संयुक्त रूप से ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करती है और छोटे आवास निर्माताओं को तरजीह देते हुए आवधिक आवंटन करती है।

सरकार मकान बनाने वालों को सीमेंट देने में सुधार लाने के भी प्रयास कर रही हैं।

बिहार में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान।

954. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के विश्वविद्यालयों में पांचवीं योजना काल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस तिथि से;

(ग) क्या बिहार के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों को वेतनमानों का बकाया दिए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को 1 जनवरी, 1973 से लेकर 31 मार्च, 1975 तक के नये वेतनमानों को बकाया की राशि अभी भेजी जानी है;

(घ) यह मामला भारत सरकार के साथ कब से विचाराधीन पड़ा हुआ है और बिहार सरकार ने भारत सरकार को यह कब तक लिख कर दे दिया था कि उनका इन वेतनमानों को 1 जनवरी, 1973 से देने का विचार है; और

(ङ) अध्यापकों के लाभ के लिए सरकार इस बकाया राशि को कब तक दे देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) और (ख) बिहार सरकार ने संशोधित वेतनमानों को स्वीकार कर लिया है और 1-1-1973 से लागू कर दिया है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने शुरू में यह निर्णय लिया था कि 1-1-1973 से 31-3-75 तक की अवधि की बकाया राशि अध्यापकों को भुगतान नहीं की जाएगी लेकिन जून, 1977 में उसने निर्णय में संशोधन किया और 1-1-1973 से बकाया राशि को भुगतान करने पर सहमत हो गई।

संशोधित वेतनमानों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता 31-1-1979 तक की अवधि के लिए देय है और राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए व्यय की प्रगति के आधार पर प्रतिवर्ष दी जाती है। वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक बिहार सरकार को 1-1-1973 से 31-1-1979 तक की अवधि के लिए 578.94 लाख रुपए के उनके अनुमानित व्यय की अपेक्षा अग्रिम आधार पर कुल 542 लाख रुपए की अदायगी की जा चुकी है।

(ङ) राज्य सरकार से 31-3-1979 तक इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करने का अनुरोध किया गया है ताकि बाकी दावे चालू वित्त वर्ष के दौरान ही निपटाए जा सकें।

डाकघरों के विभागेतर कर्मचारियों के लिए बोनस की योजना

955. **श्री के० राममूर्ति: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक घरों के विभागेतर कर्मचारियों को डाक कर्मचारियों के लिए बोनस योजना के अधीन नही रखा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको बोनस से बंचित रखा जायेगा ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। डाक तार के नियमित

कर्मचारियों को दिए जा रहे उत्पादकता से सम्बन्ध वोनस के समान ही विभागेतर कर्मचारियों के लिए भी अनुग्रह भुगतान की मंजूरी दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गहन ग्रामीण विकास कर्यक्रम

956. **श्री के० राममूर्ति क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी कितने ब्लाकों में गहन ग्रामीण विकास परियोजनायें तथा सीमान्त कृषक कार्यक्रम आरम्भ किए जाने हैं, और

(ख) क्या गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा ब्लाक को कवर न किये जाने के परिणाम स्वरूप देश के सभी गवों में पेयजल की व्यवस्था में देरी हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) लघु कृषक तथा सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम का समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है तथा देश के सभी विकासखंण्डों को 2 अक्टूबर, 1980 से समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम केअन्तर्गत लाया गया है।

(ख) पेय जल की व्यवस्था समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का भाग नहीं है। इसकी व्यवस्था अन्य कार्यक्रमोंअर्थात न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति का त्वरित कार्यक्रम आदि के माध्यम से की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर समाज विरोधी गतिविधियां

957. **श्री के० राममूर्ति : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के एम० आई० जी० फ्लैटों के पिछे राजौरी गार्डन में दिल्ली विकास प्राधिकरण कि भूमि पर कब्जा किये हुये समाज विरोधी तत्व वहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो इन समाज विरोधी तत्वों को दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि से हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ग) अन्य कौन-कौन से स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर गन्दी बस्तियों में रहने वालों ने कब्जा किया हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि लगभग पिछले 8-9 महीनों के दौरान राजौरी गार्डन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के पीछे कुछ झुग्गियाँ वन गई हैं। किन्तु दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने बताया है कि इन झुग्गियाँ के रहने वाले किसी आपराधिक, समाज-विरोधीं गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।

(ख) इन झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन हैं।

(ग(उन क्षेत्रों के नाम जहाँ गंदी बस्ती निवासी दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के दखल में हैं, विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

साऊथ डिस्ट्रिक्ट	ओखला, गोबिन्दपुरी, नेहरू प्लेस, आर० के० पुरम, चाणक्यपुरी।
ईस्ट डिस्ट्रिक्ट	जाफराबाद, झिलमिल, ताहीरपुर।
नार्थ डिस्ट्रिक्ट	अशोक विहार, सी० सी० कालोनी, सावन, पार्क, अजादपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, शालीमार बाग, जी० टी० करनाल रोड, मजनू का टीला, खैबर पास
वेस्ट डिस्ट्रिक्ट	राजौरी गार्डन, जनकपुरी।
सैन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट	कदाम शरिफ, नाईबलान, दक्षिणी रिज।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई

958. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की पिराई शीघ्रता से शुरू करने हेतु प्रोत्साहनों की पेशकश किये जाने के बावजूद भी गन्ने की पिराई का कार्य तेज नहीं हुआ है;

(ख) दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत अक्तूबर के अन्त तक अपना कार्य शुरू कर दिया था;

(ग) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कारखाने गन्ने कीं अनुउपलब्धता के कारण अक्तूबर के दौरान उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाये; और

(घ) मिलों द्वारा अधिकतम उत्पादन कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ताकि देश में चीनी सरलता से उपलब्ध हो सके।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत, वर्तमान मौसम 1980-81 के दौरान 31 अक्तूबर, 1980 तक 44 कारखानों ने पिराई कार्य शुरू कर दिया था जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान केवल 15 कारखानों ने पिराई कार्य शुरू किया था।

(ख) : वर्तमान वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1980 तक दक्षिण क्षेत्र के 13 कारखानों ने और पश्चिमी क्षेत्र के 23 कारखानों ने पिराई कार्य शुरू किया है।

(ग) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछेक कारखानों ने गन्ना प्राप्त करने से संबन्धित कठिनाइयों के बारे में सूचित किया है। सामान्यतया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारखाने पिराई कार्य नवम्बर के प्रथम सप्ताह से शुरू करते हैं।

(घ) : सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 13.00 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया है। जबकि पिछले वर्ष 12.50 रुपये प्रति क्विटल का मूल्य निर्धारित किया गया था। कारखानों की ऊँचा मूल्य देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री ने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को परामर्श दिया है कि सभी राज्यों के कारखानों द्वारा गन्ने का 16.00 रुपए प्रति क्विंटल का वास्तविक न्यूनतम मूल्य दिया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को यह भी अनुदेश दिए गए है कि वे खण्डसारी यूनिटों को 31 दिसम्बर, 1980 से पूर्व कार्य शुरु करने की इजाजत न दे ताकि चीनी यूनिटों की बजाय गन्ना अन्य प्रयोजनों के लिए न जाने पाए।

"साइन्टिस्ट्स ब्रेनवेव फाल्स हैवी आन एफ० सी० आई० "शीर्षक समाचार

959. **श्री एफ० जनार्दन पुजारी क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में "साईन्टिस्ट्स ब्रेनवेव फाल्स हैवी आन" एफ. सीं. आई. शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) : पिछले कुछ समय से केरल और पश्चिमी बंगाल से उन राज्यों को पंजाब और हरियाणा से भेजे गए आई. आर.-8 प्रेशर सेलीकृत चावल के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। यह शिकायत की गई थी कि इस चावल को उबालने में काफी समय लगता है और इसलिए वह उपभोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं था। जाँच करने पर यह पाया गया कि इस सेलीकृत चावल का उत्पादन करने वाले पंजाब और हरियाणा के मिल मालिक वाष्प के माध्यम से प्रेशर सेलीकरण करने के लिए ठीक कार्यविधि का अनुसरण नहीं कर रहे थे। इन शिकायतों को देखते हुए, भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाण में चावल की इस किस्म को खरीदना बन्द कर दिया था।

पी. आर.-106 और अन्य बढ़िया किस्मों से तैयार किए गए सेलीकृत चावल ने कोई समस्या पैदा नहीं की है और वह अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को स्वीकार्य है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए आई. आर.-8 प्रेशर सेलीकृत चावल के स्टाक को धीरे-धीरे काम के बदले अनाज कार्यक्रम राहत कार्यों के लिए वितरण द्वारा निकाला जा रहा है और कुछ मात्रा का निर्यात भी किया गया है।

इसकी तकनीक में कोई बुराई नहीं है और यदि चावल के मिल मालिक ठीक तरीका अपनाते हैं तो उपभोक्ताओं को यह चावल स्वीकार्य होता है।

वाष्प के प्रेशर के जरिये सेलीकृत चावल तैयार करने की सही तकनीक के बारे में मिल मालिकों को शिक्षित करने की दिशा में पग उठाए गए हैं। विशेषज्ञों के दलों ने इन दो राज्यों का दौरा किया है और सही कार्यविधि का प्रदर्शन किया है। इस प्रणाली को विस्तार से समझने वाले पैंट्रफलेट्स भी वितरित किए गए हैं और दोनों राज्यों के गुण नियंत्रण दल तथा केन्द्रीय सरकार मिल मालिकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर गहरी निगरानी रख रहें हैं। इन प्रयासों से अच्छे परिणाम निकले हैं और इस तरीके से तैयार किए गए सेलीकृत चावल की किस्म में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न और धन का आवंटन

960. **प्रो. रूपचन्द पाल : श्री जमीलुर्रहमान : श्री क. मालन्ना श्री समर मुखर्जी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को राज्यवार खाद्यान्न की कितनी मात्रा और कितनी धनराशि आवंटिन किये जाने का विचार है,

(ख) विभिन्न राज्यों के राज्यवार अब तक खाद्यान्न की कितनी मात्रा और कितनी धनराशि आवंटिन की गई है,

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कार्यक्रम की गतिबहुत धीमी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस कार्यक्रम की गति में कब तेजी लाई जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके मुकाबले में, कार्यक्रम के लिए कुल 21 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा (जिसमें वर्ष 1979-80 की उपयोग में न लाई गई 7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा तथा चालू वर्ष के दौरान आवंटित 14 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा शामिल हैं) बंटित की जा चुकी है। इसके अलावा, सामग्री घटक के लिए 70 करोड़ रुपए की धनराशि तथा मजदूरी घटक के लिए 22.40 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों को अब तक आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा नकद निधियों को दर्शाने वाले विवरण। तथा 2 संग्लन हैं (ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी.-1417-80)

(ग) व (घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा पहले ही उपयोग में लाई जा चुकी है। इस प्रकार उपयोग की गति को धीमी नहीं कहा जा सकता है।

बम्बई में टेलीफोन सुविधायें

961. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पोवई एक्सचेंज-बम्बई में नए टेलीफोन के आवंटन के लिए लोगों की लम्बी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) प्रतीक्षा सूची की ठीक स्थिति क्या हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों को नए टेलीफोन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री कातिक उरांव) (क) जी हां।

(ख) 1.10.80 को 5,167 चालू कनेक्शन सहित पोवई एक्सचेंज की सामान्य क्षमता 6200 लाइनों की थी तथा कुल प्रतीक्षा सूची 4418 की थी।

(ग) (1) एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता से लगभग कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

2. 1982-83 के दौरान मौजूदा एक्सचेंज में 1800 लाइनों की वृद्धि किये जाने की संभावना है।

3. क्षेत्र अन्तरण द्वारा और अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बाटरलू एक्सचेंज में 10,000 लाइनों की वृद्धि करने की योजना बनाई गई है। इस योजना को 1983-84 में चालू किये जाने की संभावना है।

उड़ीसा में संचार माध्यमों का विस्तार

962 **श्री चिन्तामणि जेना : क्या संचार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य में संचार के साधनों के विस्तार करने का विचार हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं; और

(ग) उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कातिक उरांव) : (क) से (ग) डाक-तार विभाग ने 2950 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की एक राष्ट्रीय दूर संचार छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तथा 210.90 करोड़ रुपए के परिव्यय की एक राष्ट्रीय डाक योजना (1980-85) तैयार की है। ये योजनायें योजना आयोग के विचाराधीन हैं। योजना आयोग तथा सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना की मंजूरी के बाद राज्यवार डाक-तार कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

रबी मौसम के लिए गेहूँ तिलहन और धान के प्रमाणीकृत बीज सप्लाई करना

963. **श्री चिन्तामणि जेना : श्री छीतू भाई गामित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1980-81 में उत्पादन बढ़ाने के विचार से रबी मौसम के लिए गेहूँ, तिलहन और धान के प्रमाणीकृत बीज सप्लाई किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वे बीज विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख)

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसे बीजों की कोई सप्लाई नहीं करती है। किसानों के लिए इस प्रकार के बीजों का उत्पादन करने तथा उनकी सप्लाई करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है, जो प्रमाणीकृत बीजों की माँग का अनुमान लगाते हैं तथा समय पर माँग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सप्लाई की व्यवस्था करते हैं। तथापि, रबी मौसम 1980-81 के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा गेहूँ, तिलहन तथा धान के बीजों की सप्लाई की गई मात्रा संलग्न विवरण से देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा रबि मौसम 1980-81 के लिए गेहूं, तिलहन तथा धान के प्रमाणीकृत बीजों की सप्लाई को बताने वाला विवरण।

विवरण

मात्रा क्विटलों में

क्रम संख्या	राज्य	गेहूँ	तिलहन	धान
1.	आंध्र प्रदेश	500	—	755
2.	असम	25,000	160	3,200
3.	अरुणाचल प्रदेश	200	—	—
4.	बिहार	30,000	100	—
5.	दिल्ली	1,200	57	—
6.	गुजरात	700	80	—
7.	हरियाणा	—	180	—
8.	हिमाचल प्रदेश	500	10	—
9.	जम्मू व कश्मीर	4,800	20	—
10.	केरल	—	—	450
11.	कर्नाटक	670	—	1,250
12.	मध्य प्रदेश	9,750	20	—
13.	महाराष्ट्र	41,0 0	80	—
14.	मणिपुर	1,200	—	—
15.	मेघालय	600	—	—
16.	नागालैण्ड	200	—	—
17.	उड़ीसा	11,000	232	2,000
18.	पंजाब	150	180	—
19.	राजस्थान	1,500	315	—
20.	सिक्किम	600	40	—
21.	तमिलनाडु	—	—	8,530
22.	त्रिपुरा	2,000	50	1,000
23.	उत्तर प्रदेश	3,600	120	—
24.	पश्चिम बंगाल	17,500	320	6,300

आर्थिक दृष्टि से अक्षम कालेज

964. **श्री आर० के० महालगी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में किये गये देश में कालेजों के सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि 75 प्रतिशत कालेजों में 500 छात्रों से कम छात्र हैं और इस प्रकार वे आर्थिक दृष्टि से अक्षम हैं;

(ख) ऐसे कालेजों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कला, विज्ञान और वाणिज्य के 2923 सम्बद्ध कालेजों में से 1678 (लगभग 57 प्रतिशत) में वर्ष 1975-76 के दौरान नामांकन 500 से कम था।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इस अध्ययन के निष्कर्ष आयोग द्वारा राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिए गए हैं।

विवरण

कला, विज्ञान और वाणिज्य के उन कालेजों को राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनमें डिग्री तथा उससे ऊपर की कक्षाओं में नामांकन 500 से कम है।

1975-76

क्रम सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेजों की संख्या जिनमें 500 से कम नामांकन है	अध्ययन में शामिल कला विज्ञान और वाणिज्य के संबंद्ध कालेजों की कुल संख्या
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	109	199
2. असम/मिजोरम/मणिपुर अरूणाचल प्रदेश	106	125
3. बिहार	133	144
4. गुजरात	84	187
5. हरियाणा	58	93

1	2	3
6. हिमाचल प्रदेश	16	20
7. जम्मू व काश्मीर	10	22
8. कर्नाटक	154	219
9. केरल	41	100
10 मध्य प्रदेश	154	235
11. महाराष्ट्र/गोवा,दमन व दीव	231	401
12. मेघालय/नागालैंड	16	19
13. उड़ीसा	62	81
14. पंजाब/अ०नि० द्वीप समूह/ चंडीगढ़	109	166
15. राजस्थान	46	93
16. तमिल नाडु/पांडिचेरी	91	188
17. उत्तर प्रदेश	182	340
18. पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा	74	245
19. दिल्ली	2	46
कुल	1678	2923

टिप्पणी : ऊपर कालम (3) में दर्शाई गई कालेजों की संख्या सम्बन्धन देने वाले विश्वविद्यालयों के अनुसार कालेजों को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर, मिजोरम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में स्थित कालेज असम के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है अत: उन्हें असम के कालेजों के साथ जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार गोवा, दमन व दीप के कालेज महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा चण्डीगढ़ के कालेज पंजाब विश्वविद्यलय (पंजाब) से मेघालय तथा नागालैंड के कालेज एन० ई० एच० यू (मेघालय) से, पांडिचेरी के कालेज तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों से और त्रिपुरा के कालेज पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा आदिवासियों को कृषि आदानों तथा अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई

965. **श्री अर्जुन सेठी** : --

श्री के० प्रधान क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने आदिवासी लोगों को कृषि ॠण और आदान उपलब्ध कराने तथा उन्हें अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने का निर्णय किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिचौलियों द्वारा आदिवासियों के शोषण समाप्त करने के लिए उक्त सप्लाई से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) और (ख) :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आदिवासियों को कृषि सम्बन्धी ऋण एवं आदानों, और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई नहीं करता है। तथापि, वह उपर्युक्त कार्यों के लिये राज्य सरकार के माध्यम से आदिवासी सहकारी समितियों की सहायता प्रदान करता है। निगम की योजनाओं के अनुसार आदिवासी—विकास सहकारी निगमों/संघों विपणन/परिसंस्करण समितियों, और बड़े आकार की बहु-उद्देश्यीय कृषि सहकारी समितियों की अंश पूंजी के आधार को मजबूत बनाने के लिये सहायता दी जाती है आदिवासी सहकारी समितियों को, कृषि उत्पादन-वाली लघु वन उत्पाद, डेरी एककों, शीतागारों के परिसंस्करण के लिये लघु और माध्यम आकार के एककों की स्थापना और मौजूदा परिसंस्करण एककों की पुनंस्थापना, विस्तार और आधुनिकी-करण के लिये भी सहायता दी जाती है।

30 जून, 1979 को देश में 2400 से अधिक बड़े आकार की बहु-उद्देशीय कृषि सहकारी समितियां थी। वर्ष 1978-79 के अंत तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने आदिवासी सह-कारी समितियों के लिये उनकी अंश पूंजी के आधार को सुदृढ़ करने, गोदामों का निर्माण करने, परिवहन वाहनों की खरीद, विपणन शुरू करने के लिये मार्जिन धन राशि प्रदान करने और वितरण संबंधी कार्यों तथा अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी और संवर्धन सम्बन्धी कक्षों को सुदृढ़ करने के लिये 11.27 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकार की थी।

इस योजना का उद्देश्य आदिवासी लोगों की अच्छी तरह से सेवा करने के लिये आदिवासी सहकारी समितियों का कारगर ढंग से सुधार करना है।

वृहद योजना, दिल्ली

966. **अमर राय प्रधान :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की प्रथम वृहद योजना (1961-81) इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है जितनी कि आशा थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दूसरी वृहत योजना (1981-2001) का प्रारूप तैयार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो दूसरी वृहत योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : दिल्ली की वृहद योजना का उद्देश्य वृद्धि की कठोर पद्धति अपनाना नहीं था। जिन मोटे उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया था उन्हें प्राप्त करने के लिए वृहद योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, तथापि, नगर की जनसंख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने के कारण बदलती नगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कतिपय तबदीलियाँ आवश्यक थी।

(ग) अभी तक नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिये प्रक्रिया

967. **श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया में सुधार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण): (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने सभी भारतीय विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया है कि दाखिले के लिए केवल उन्हीं स्व-वित्त पोषक विदेशी छात्रों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाय जिनके पास छात्र वीसा है। तथापि यह, श्री लंका और बंगलादेश को छोड़ कर, राष्ट्रमण्डलीय देशों के छात्रों पर लागू नहीं होगा। विदेश मन्त्रालय ने भी विदेश स्थित भारतीय मिशनों से यह अनुरोध किया है कि वे सभी भावी उम्मीदवारों को दाखिले के लिए उनके माध्यम से ही आवेदन करने की सलाह दें। जांच पड़ताल के बाद मिशन केवल उन्हीं छात्रों के आवेदन पत्र इस मन्त्रालय को अग्रेषित करेंगे जो भारत में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिले के पात्र हैं और जिन्हें अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान है, फिर मन्त्रालय इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों को दाखिले के सम्बन्ध में विचारार्थ भेजेगा। विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा दाखिले की पुष्टि कर दिए जाने के बाद भारतीय मिशनों से, सम्बन्धित छात्रों को, छात्र वीसा जारी करने का अनुरोध किया जायेगा। ऊपर बताई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया था कि वे सीधे अथवा भारत स्थित अपने मिशनों के माध्यम से आवेदन करने वाले स्व-बित्त पोषक छात्रों के आवेदन-पत्रों पर विचार न करें।

डेयरी परियोजनाएं

968. **श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में डेयरी परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

डेरी उद्योग के नियोजित विकास की साधारण शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में की गई थी। इसके विकास की गति आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बढ़ गई

तथा विभिन्न आकार के डेरी संयंत्रों की स्थापना पर मुख्यतः जोर दिया गया ताकि ग्रामीणों के उत्पादित दूध के लिए तैयार एवं लाभकारी मण्डी मिल सके तथा शहरी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर विशुद्ध परिसंस्करित दूध की सप्लाई की जा सके।

1970 में भारत सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त मक्खनरहित दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की जिन्स से रूप में सहायता देकर डेरी विकास की एक व्यापक परियोजना आरम्भ करने के लिए विशेष कदम उठाए । यह परियोजना सामान्यतया आपरेशन फ्लड-1 के नाम से जानी जाती है। यह विचार था कि दूध में पुनः मिश्रण करने के लिए चार महानगरीय डेरियों में विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त जिन्सों की बिक्री से सृजित की गई 116.40 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों की दुग्ध परिसंस्करण करने की सुविधाओं में वृद्धि करके उनकी दैनिक क्षमता पांचवीं पंचवर्षीय परियोजना की अवधि के अन्त तक प्रति दिन 10 लाख लिटर से बढ़ाकर प्रतिदिन 27.50 लाख लिटर करने के लिए किया जा सकता है।ताकि दुग्ध मण्डी में दूध का अधिक विस्तार हो सके तथा 10 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के पश्चिम प्रदेश के क्षेत्रों में दूध के उत्पादन व अधिप्राप्ति में वृद्धि की जा सके, सहकारी समितियों के लिए दूध के उत्पादन व अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के साथ-साथ तकनीकी आदानों के प्रावधानों से गोपशुओं की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके। इस परियोजना की निर्धारित की गई पांच वर्ष की आरम्भिक अवधि भी बढ़ा दी गई थी जो अब 31-3-1981 को पूरी होगी।

आपरेशन फ्लड-1 परियोजना के अन्तर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं: (1) महानगरों की विद्यमान डेरियों के विस्तार संबंधी कार्यों को पूरा करना तथा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास में परियोजना-पूर्व की 10 लाख लिटर दैनिक क्षमता की तुलना में 29 लाख लिटर दैनिक दूध की प्रतिस्थापित क्षमता के लिए नई डेरियों का निर्माण करना; (2) प्रतिदिन 29.65 लाख लिटर दूध के परिसंस्करण की क्षमता वाली 18 फीडर बैलेन्सिंग डेरियों की स्थापना/विस्तार करना; (3) 2,719 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्रों की स्थापना करना; (4) 6,719 गांवों में पशु स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करना; (5) 12 बुल मदर फार्मों की स्थापना करना जिन्हें प्रजनन हेतु 579 विदेशी सांडों की सप्लाई की गई है; (6) 8 पशु आहार संयंत्रों की स्थापना करना तथा (7) परियोजना क्षेत्रों के पश्च प्रदेशों में 9,295 ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन करना।

भारत सरकार ने 117.43 करोड़ रुपये की कुल लागत से वर्ष 1974 में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में एक-एक समेकित-पशु-एवं-डेरी विकास परियोजनाएँ स्थापित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं में वित्तीय व्यवस्था के लिए विश्व बैंक 59.29 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करेगा।

परियोजना में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने तथा दूध के संगठित विपणन के लिए सभी आवश्यक तकनीकी आदान उपलब्ध करा करके राज्य के कुछ जिलों को शामिल करते हुए एक निश्चित क्षेत्र में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने की व्यवस्था है। यह परियोजनाएं 'आनन्द' पद्यति पर आधारित हैं जो पशु चिकित्सा सहायता, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, संतुलित पशु आहार

चारा बीज, आदि सहित तकनीक आदान मुहैया करने के लिए ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन की व्यवस्था करती हैं। जिला संघ स्तर पर दूध के परिसंस्करण तथा दुग्ध चूर्ण, मक्खन, घी आदि जैसे दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण के लिए डेरी संयंत्रों की स्थापना की जानी थी।

परियोजना का क्रियान्वयन संबंधी समन्वय करने ताथ शूद्ध, प्रजनित विदेशी प्रजनक पशुओं के उत्पादन के लिए फार्म चलाने हेतु तीन राज्यों में डेरी विकास जिनकी की स्थापना की गयी है। डेरी सहकारी समितियां तथा दुग्ध सहकारी यूनियने दो प्रमुख घटक हैं निजकी स्थापना संबंधी कार्य विभिन्न स्तरों पर है।

आपरेशन फ्लड-1 कार्यक्रम के क्रियान्वयन से प्राप्त उत्साहजनक परिणामों से राष्ट्रीय डेरी विकास वोर्ड ने आपरेशन फ्लड-2 नामक योजना तैयार की है जो आपरेशन फ्लड-1 की अवधारणा पर आधारित है। इस परियोजना की सरकार ने 1978 के दौरान क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना का कुल परिव्यय 485.50 करोड़ रुपए रखा गया था जो 1978 से आरम्भ होकर सात वर्ष की अवधि के लिए था। आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का मुख्य कार्य सहकारिता के आधार पर व्यापक पैमाने पर डेरी विकास के कार्यों की देश में फैलाना है। यह कार्यक्रम ग्राम स्तर पर 3-टायर सहकारी संरचना दुग्ध उत्पादक समितियों के मांध्यम से क्रियान्वयन किया जाएगा जो जिला स्तर पर दुग्ध यूनियनों से सम्बद्ध होगा और ये यूनियनें राज्य स्तर पर शीर्ष संघों से सम्बद्ध होंगी। यह कार्यक्रम आधुनिक डेरी उद्योग के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा उनकी दूध की क्षमता के आधार पर अभिज्ञात किए गए लगभग 155 दुग्ध क्षेत्र जिलों में चलाया जाएगा। इस परियोजना में इन दुग्ध क्षेत्रों को उन मुख्य खपत वाले 148 शहरों के साथ जोड़ने की व्यवस्था है जो एक लाख से अधिक आबादी वाले हों। इस परियोजना से 100 लाख फार्म परिवारों को लाभ पहुँचेगा तथा लगभग 150 लाख संकर गायों तथा उन्नत भैंसों का एक राष्ट्रीय दूधारू यूथ तैयार होगा।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय 1,44,000 मीटरी टन संप्रटा दुग्ध चूर्ण तथा 76,000 मीटरी टन बटर आयल मक्खन उपहार में देने के लिए सहमत हो गया है जिससे 206 करोड़ रुपए की धनराशि सृजित की जाने की संभावना है। इस राशि का उपयोग परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (विश्व बैंक) ने इस परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए ऋण सहायता के रूप में 1500 लाख अमरीकी डालर, देना स्वीकार कर लिया है जो लगभग 129 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके अतिरिक्त, भारतीय डेरी निगम आपरेशन फ्लड-1 के तहत राज्यों को दिए जाने वाले लगभग 85 करोड़ रुपए के ऋणों का उपयोग आपरेशन फ्लड-2 के लिए करेगा।

अभी तक 16 राज्यों तथा तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पद्धतियाँ निर्धारित करते हुए इंडियन डेरी कार्पोरेशन के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन राज्यों में योजना, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा फिर से क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।

इस समय देश में सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र में 192 डेरी संयंत्र, 65 ग्रामीण डेरी केन्द्र *मार्गदर्शी डेरियाँ तथा* 30 दुग्ध उत्पाद फैक्टरियां शामिल हैं। 1977 के अन्त में सार्वजनिक एवं

सहकारी क्षेत्र के डेरी संयंत्रों की दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति दिन 55-28 लाख लिटर थी जबकि चौथी योजना के अन्त में यह क्षमता प्रति दिन 28.80 लाख लिटर थी। 1979 के अन्त तक डेरी संयंत्र की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति दिन 62 लाख लिटर तक पहुँच गयी थी। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि निजी क्षेत्रों में स्थापित दुग्ध-उत्पादन संयंत्रों द्वारा 6.5 लाख लिटर अतिरिक्त दुग्ध का संचालन किया जा रहा था।

आयातित चीनी का वितरण

969. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सप्लाई कर्ताओं के साथ 1979-80 और 1980-81 के दौरान किए गए करारों के संदर्भ में कुल कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया है;

(ख) आयातित चीनी को किस प्रकार और किस मूल्य पर वितरित किया गया है; और

(ग) बिक्री मूल्य निर्धारित करने और राज्य सरकारों तथा थोक उपभोक्ताओं को कोटा आवंटन करने का मानदण्ड क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1980-81 जुलाई-अक्तूबर, 1980 में 1.80 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया गया था जबकि अप्रैल 1980 में विदेशी पूर्तिकर्ता के साथ 2.00 लाख मीटरी टन की ठेकाबद्ध मात्रा सप्लाई करने के लिए प्रतिबन्धित करार किया गया था लेकिन पूर्तिकर्ता ने 10 प्रतिशत कम पूर्ति करने के अपने विकल्प का प्रयोग किया था। 1979-80 के दौरान कोई चीनी आयात नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) :—प्रत्येक राज्य सरकार को जनसंख्या का समुचित महत्व देते हुए 16-8-78 के तुरन्त पूर्व उनके वास्तविक खपत के स्वरूप पर आधारित सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के प्रत्येक मास के लिए आवंटित किए गए मुक्त बिक्री के कुल कोटे के 40 प्रतिशत तक आयातित चीनी का आवंटन किया गया था। शेष 60 प्रतिशत मात्रा देशी चीनी की थी। नवम्बर, 1980 के प्रथम पखवाड़े के लिए कुछेक राज्यों को 10,000 मीटरी टन अतिरिक्त चीनी आवंटित की गई थी, जो कि देशी और आयायित चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उनके समूचे कोटे के भाग के रूप में थी। तकनीकी विकास महा निदेशालय के द्वारा पंजीकृत बल्क उपभोक्ताओं में आवंटित करने के लिए इन बल्क उपभोक्ताओं की हकदारी के 50 प्रतिशत तक आयातित चीनी दी गई थी। आयातित चीनी की अनुमानित वास्तविक लागत, पत्तनों पर हैंडलिंग, संचयन प्रभारों, परिवहन लागत आदि, के आधार पर निम्नलिखित निर्गम मूल्य निर्धारित किए गए थे :—

(क) 550- रुपए प्रति क्विंटल हाई-सी के आधार पर;

(ख) 560 -रुपए प्रति क्विंटल जेट्टी के बाहर के आधार पर;

(ग) 580 -रुपए प्रति क्विंटल पत्तन गोदाम के बाहर के आधार पर;

(घ) 605 -रुपए प्रति क्विंटल फरीदाबाद गोदाम के बाहर के आधार पर;

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा

970. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी भूमि सम्पत्ति में "दली भूमि" तथा "कार्पेट क्षेत्र" दोनो की दृष्टि से कोई सीमा निर्धारित करने का है, और

(ख) यदि हाँ. तो किन मार्गदर्शी निदेशों पर विचार किया जा रहा है तथा राज्य सरकारों को प्रेषित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम 1976 से पहले ही किसी व्यक्ति की रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाती है और यह भावी रिहायशी एककों के निर्माण के लिए कुर्सी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक व तार विभाग क्योंझर डिविजन उड़ीसा द्वारा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

971. **श्री हरिहर सोरन : क्या संचार मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि हां, तो अब तक कितने क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो चुका है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ। तारीख 16.4.74 को 0.44 हेक्टेयर 1.10 एकड़ जमीन खरीदी गई थी।

(ख) अभी तक कोई स्टाफ क्वार्टर बन कर तैयार नहीं हो सका है। इस जमीन पर दूरसंचार विंग के लिए 32 क्वार्टर बनाने की योजना बनाई गई है और इसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। डाल विंग के लिए डाकघर तथा स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु मास्टर प्लान की जाँच की जा रही है।

(ग) निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए समिति

972. **श्री एम० राम गोपल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ग) : सरकारी उपक्रमों की संसदीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया हैं। इसलिए सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई दूसरी समिति

नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझती हैं क्योंकि इससे सरकारी उपक्रम समिति के कार्य की पुनरावृत्ति होगी।

विश्व कप हाकी प्रतियोगिता का आयोजन

973. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1981 के दौरान बम्बई में पांचवीं विश्व कप हाकी प्रतियोगिता आयोजित करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) सरकार ने, 29-12-81 से 12-1-82 तक बम्बई में पांचवीं विश्व कप हाकी चैम्पियनशिप आयोजित करने के भारतीय हाकी संघ के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

(ख) बम्बई हाकी संघ ने जो कि भारतीय हाकी संघ की ओर से इस चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहा है, सूचित किया है कि इस चैम्पियनशिप के आयोजन पर आयोजकों द्वारा किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ को दिए जाने वाले 3,000 स्विस फ्रैंक्स और टी० वी० अधिकारों की राशि, यदि कोई हो, के 20 प्रतिशत, जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होगा, के अतिरिक्त 42,71,510.00 रुपये होगा।

मिथला विश्वविद्यालय को वित्तीय तथा अन्य सहायता

974. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** मिथला विश्वविद्यालय को वित्तीय तथा अन्य सहायता के बारे में 11 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7508 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सेक्शन 2 (एक) के अन्तर्गत मिथला विश्वविद्यालय के अधीन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों की पूरी सूची क्या है; और

(ख) क्या इस सूची में कालिदास-विद्यापति महाविद्यालय, ऊचाहेता, कालिदास महाविद्यालय, चन्दौना, एम० एस० महाविद्यालय, जैनगर को शामिल किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) एल० एन० मिथला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 43 कालेजों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जो वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत सूची में शामिल किए गए हैं, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल टी-1418/80] ये सभी कालेज योजना आयोग द्वारा 1976 में आर्थिक तथा/अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े माने गये जिलों/क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं।

(ख) इस सूची में कालिदास कालेज, चन्दौना को शामिल करने का प्रस्ताव व आयोग के विचाराधीन है। आयोग कालीदास-विद्यापीठ कालेज, उच्छैया तथा एम० एस० कालेज, जयनगर के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जोधपुर में जनरल पोस्ट आफिस की इमारत का निर्माण

975. **श्री अशोक गहलोत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोधपुर में नए जनरल पोस्ट आफिस की इमारत के निर्माण की योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो नई इमारत के निर्माण पर कितना व्यय होगा और कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) विभाग ने जोधपुर मुख्य डाकघर की इमारत के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव किया है। तथापि अभी इस कार्य-क्रम की प्रारम्भिक रूप रेखा तैयार की जा रही है। इमारत का छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के दौरान निर्माण किए जाने की आशा है।

राजस्थान में डाकघर खोलना

976. **श्री अशोक गहलोत : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में नए डाकघर खोलने का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो जोधपुर जिले में किस-किस श्रेणी के कितने नये डाकघर खोलने का विचार है और उन्हें खोलने संबंधी कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय (1980-85) की अवधि के लिए राष्ट्रीय डाक योजना तैयार की गई है और इस समय योजना आयोग के साथ उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। परामर्श करके योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् डाक सर्किलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा। तथापि योजना के अन्तर्गत विकासात्मक उपाय के वतौर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल विभागेतर शाखा डाकघर ही खोले जाते हैं। अन्य डाकघर तब खोले जाते हैं जब वे अपना खर्चा स्वयं उठाने में समर्थ होते हैं।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये व्यक्ति और अनाज का दैनिक वितरण

977. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से राज्यवार उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1979 और 1980 (अक्तूबर 1980 तक) के दौरान काम के बदले अनाज के अन्तर्गत रोजगार मिला और

(ख) कर्मचारियों को वेतन के बदले दिए गए अनाज की दैनिक मात्रा और 1979-1980 के दौरान राज्यवार वितरित अनाज की कुल मात्रा और उसका मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वरराम) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम (अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) के अन्तर्गत लगभग 37 करोड़ श्रम दिनों और वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 50 करोड़ श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया था सभी राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों से पूरी सूचना अभी प्राप्त की जानी है। विवरण (संख्या 1) की प्रति संलग्न है (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी 14 19-80)

(ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों केन्द्र शासित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर लगाए गए मजदूरों को मजदूरी की अदायगी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से खाद्यान्नों के रूप में करने की अनुमति दी गई थी। यद्यपि, कुछेक राज्यों केन्द्रशासित क्षेत्रों ने मजदूरी के केवल कुछ भाग की अदायगी खाद्यान्न में की थी फिर भी कुछ अन्य राज्यों ने सारी मजदूरी की अदायगी खाद्यान्नों के रुप में की थी। सारे देश में मजदूरी की दरें भी एक जैसी नहीं है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के रुप में 2 किलोग्राम तथा। किलोग्राम खाद्यान्न के बराबर नकद धनराशि) तक सीमित किया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 30 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा आवंटित की गई थी जिसकी लागत लगभग 420 करोड़ रुपए थी। इसमें सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन भी शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 21 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है जिसकी लागत 294 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए राज्यवार आवंटनों को दर्शाने वाले विवरण (सं० 2 व 3) संलग्न है (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी—1419-80)

हिमाचल प्रदेश में सेवों के विपणन और परिक्षण के लिये विश्व बैंक की परियोजना

978. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या गत कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में सेवों के विपणन और परिरक्षण के लिए विश्व बैंक बोर्ड परियोजना चला रहा है,

(ख) परियोजना का कुल अनुमानित व्यय कितना होगा और अब तक विभिन्न परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च को गई है अथवा विभिन्न क्षेत्रों में निकट भविष्य में कितनी राशि खर्च करने का विचार है, और

(ग) क्या रोहड़ु तहसील के लिए अभिप्रेत योजनाओं के लिए धनराशि कुछ अन्य क्षेत्रों में खर्च कीं गई है और यदि हां तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वरराम) : (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को आवंटित खाद्यान्न।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 1930-81 के दौरान खाद्यान्न

की कितनी मात्रा आवंटित की गई थी और 1981-82 के दौरान कितनी मात्रा आवंटित किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 1980-81 के दौरान कुल 2,28,500 मीटरी टन खाद्यान्न अर्थात् सामान्य घटक के अन्तर्गत 54,500 मीटर टन तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष घटक अन्तर्गत 1,74,000 मीटर टन खाद्यान्न आवंटित किए हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा उस वर्ष के शुरु में निर्धारित की जाएगी।

श्री गंगानगर और बीकानेर टेलीफोन केन्द्र का स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में परिवर्तन

980. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : श्री गंगानगर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में न बदले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : श्री गंगानगर उन लगभग 1300 स्थानों में से एक है जहां करचल एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

देश में स्वचल स्विचिंग उपस्कर के सीमित उत्पादन के कारण इन एक्सचेंजों को स्वचल में परिवर्ति करने की योजना तैयार करना संभव नहीं हो सका है।

देशी उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं।

गाय और भैंसों की संख्या में कमी

981. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गाय और भैंसों की संख्या में काफी कमी हुई है।

(ख) देश भर में व्यस्क गायों तथा व्यस्क भैंसों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है : और

(ग) इन जानवरों की संख्या में कमी होने के क्या कारण है और इस कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है,

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ! इन पशुओं से सम्बन्धित 1972 की संगणना आंकड़ों की 1966 की संगणना के आँकड़ों से तुलना करने से पता चलता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) :

देश एवं राज्यों में व्यस्क गायों तथा व्यस्क भैंसों (मादा) की संख्या तथा 1966 व 1972 की संगणना के आधार पर इनकी संख्या में हुई वृद्धि व कमी की प्रतिशतता का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 1420-80)

पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी संख्या में हुई वृद्धि या कमी को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि 1977 की संगणना के आंकड़ों का अभी संकलन किया जा रहा है जो अभी पूर्ण रुप से प्रकाशित नहीं हुये हैं।

अंग्रेजी पाठ्यचर्या के सुधार के सम्बन्ध में वर्कशाप

982. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्तूबर, 1980 के तीसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में अंग्रेजी पाठ्यचर्या के सुधार सम्बन्ध में एक वर्कशाप का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्कशाप में क्या मुख्य सुझाव रखे गये ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुरुक्षेत्र, मैसूर, बम्बई, लखनऊ और भिनांन में सितम्बर, 1976 और मार्च, 1977 के बीच अंग्रेजी में पाठ्यचर्या सुधार के सम्बन्ध में पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थी ? इन कार्यशालाओं की रिपोर्ट और सिफारिशें आयोग द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है । अतः आयोग द्वारा अक्तूबर, 1980 के दौरान, दिल्ली में अंग्रेजी पाठ्यचर्या में सुधार के सम्बन्ध में कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा

983. **श्री जगपाल सिंह:** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के कार्यक्रम तथा केन्द्रीय एवं राज्यीय क्षेत्रों में तत्संबंधी नियतनों की समीक्षा कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं । उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) :—आर्थिक योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजना में विभिन्न स्कीमों के लिए नियतन निर्धारित करते समय केन्द्र और राज्यों के समाज कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है तथा भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाता है ।

राज्यों में ग्रामीण मकान

984. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती है,

(ख) यदि हां, तो राजस्थान ने योजना आयोग से इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वार 1980-81 के दौरान बनाए जाने वाले मकानों की संख्या कितनी है जिसके लिए केन्द्र की सहायता मांगी गई है और इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) कितनी राशि की मांग की गई है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए क्रमशः कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं आवास राज्य का विषय है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता "समेकित ऋणों,' तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। ये किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होती हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमिका मुख्य रूप से प्रोत्साहन देना है और यह केवल आवास के बारे में नीति मार्गनिर्देशन जारी करने तक सीमित है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन लाइनों में खराबियां

985. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर महीनों के दौरान प्रमुख टेलीफोन ऐक्सचेंजों में सैंकड़ों टेलीफोन लाइनों के कई कई सप्ताह तक खराब रहने के क्या कारण हैं; और

(ख) संचार की इस प्रणाली में त्रुटियों को जिनके कारण व्यापार, उद्योग तथा देश की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है शीघ्रता से दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) यह सच है कि मनासून के महीनों, अर्थात जुलाई, अगस्त, सितम्बर के दौरान अन्य समय की अपेक्षा मुख्यतया केबुल की खराबी के कारण अधिक टेलीफोन प्रभावित होते हैं। दोषपूर्ण केबुलों की मरम्मत में अन्य खराबियों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। सामान्यतः मानसून के दौरान अर्थात जुलाई अगस्त और सितम्बर के महीनों में प्रभावित टेलीफोनों और केबुल में उत्पन्न खराबियों को ठीक करने में कुछ सप्ताह लग जाते हैं।

यद्यपि भूमिगत केबुलों को सीसे के आवरण, स्टील टेप और वार्निग ट्रिक्स की स्थापना करके रक्षा की जाती हैं। फिर भी विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने में संलग्न अन्य नागरिक प्राधिकारियों के खुदाई प्रचालनों से इनमें टूट-फूट हो जाती है। ये टूट-फूट शुष्क मौसम में ध्यान में नहीं आती और इनके दोष केवल उस समय दिखाई पड़ते है जब वर्षा के मौसम में केबुल में नमी दाखिल होती है। इसलिये मानसून के आरम्भ होते ही एकाएक अधिक संख्या में दोष प्रकट हो जाते है। इन दोषों के स्थान का पता लगाने और इनको ठीक करने में समय लगता है।

(ख) केबुलों के खराब होने के कारण सामने आई समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा रहे हैं।

(1) शुष्क हवा द्वारा मुख्य केबुलों का दाबीकरण।

(2) जैली भरे वितरण केबुलों का प्रयोग।

(3) टूट-फूट से बचाने के लिए आर सी सी नलियों में केबुल बिछाना।

(4) केबुल मार्गों की प्रभावशाली देख-भाल।

(5) दिल्ली में मानसून के दौरान केबुल में दोष उत्पन्न होने की समस्याओं से निपटने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया है।

गेहूं और चावल के वसूली मूल्यों का निर्धारण करने के लिये एक स्थानीय तंत्र का गठित किया जाना

986. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार कृषि मूल्य आयोग की शिफारिशों पर उठाये नये विवाद को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न राज्यों में गेहूँ और चावल के उचित वसूली मूल्यों का निर्धारण करने के लिये एक स्थायी तंत्र को गठित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : कृषि मूल्य आयोग एक स्थायी निकाय है, जिसकी स्थापना सरकार को विभिन्न कृषि जिन्सों (जिनमें गेहूं व धान भी शामिल है) के लिये मूल्य नीति पर सुझाव देने के लिये की गयी है। इसके विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत, आयोग को विभिन्न कृषि जिन्सों के लिये मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें देने का कार्य सौंपा गया है ताकि उत्पादक और उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की समुची आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित व समेकित मूल्य संरचना का विकास किया जा सके। अपनी सिफारिशों को अन्तिम रुप देने से पूर्व आयोग केन्द्रीय व राज्य सरकारों के प्रतिनिधयों, सम्बन्धित कृषि जिन्सों के उत्पादकों, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों तथा सम्बन्ध रखने वाली अन्य एजेन्सियों के साथ विचार-विमर्श करता है।

सरकार द्वारा समर्थन/खरीद मूल्यों के स्तर पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, गेहूं, धान आदि के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की शिफारिशों पर राज्यों के साथ चर्चा की जाती है। संतुलित एवं समेकित मूल्य संरचना का विकास करने के उद्देश्य से, सरकार प्रत्येक राज्य के लिये गेहूं तथा धान के अलग-अलग खरीद मूल्य निर्धारित करना वांछनीय या आवश्यक नहीं समझती है।

खाद्यान्नों का आरक्षित भण्डार और उनका उठान

987. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977, दिसम्बर, 1978, दिसम्बर, 1979, सितम्बर, 1980 के अन्त पर खाद्यान्नों का केन्द्रीय आरक्षित भण्डार कितना था; और

(ख) 1977-78, 1978-79 1979-80 और 1980-81 (अक्तूबर 1980 तक) प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा उठाई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिसम्बर, 1977, दिसम्बर, 1978, दिसम्बर, 1979 और सितम्बर, 1980 के अन्त में सरकारी एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों का कुल केन्द्रीय स्टाक इस प्रकार था :—

	(हजार मीटरी टन में)
दिसम्बर, 1977 के अन्त में	13913
दिसम्बर, 1978 के अन्त में	13928
दिसम्बर, 1979 के अन्त में	14537
सितम्बर, 1980 के अन्त में	8356

(ख) इस अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली ('काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अधीन जारी किए गये खाद्यान्नों समेत' के माध्यम से खाद्यान्नों की कुल निम्नलिखित मात्रा उठाई गई थी :—

वर्ष (वित्तीय)	हजार मीटरी टन में मात्रा
1977-78	12016
1978-79	9972
1979-80	13030
1980-81 *	7384

*-अक्टूबर, 1980 के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

"सुपरमैन आफ दि सुपर बाजार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

988. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अगस्त, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में "सुपरमैन आफ सुपर बाजार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिखाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुनिरका में फ्लैट किस आधार पर आवंटित किये थे; और

(ग) इस अनियमितता के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुनीरका रिहायशी योजना के फ्लैट पंजीकृत व्यक्तियों के साथ साथ अर्जुन नगर के विस्थापितों को आवंटित किये गये थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली की सहकारी गृह निर्माण समितियों में घोटाले

989. **श्री भीखू राम जैन :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से लोगों ने सहकारी गृह निर्माण समितियों के पदा-

धिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से अन्तर्वेशन, नाम जोड़ने, नाम निकालने तथा प्राथमिकता बदलने अथवा सहायता से अमल करने के बारे में सहकारी समितियां दिल्ली के पंजीयक को बहुत से अभ्यावेदन भेजे हैं;

(क) क्या यह भी सच है कि उनको यह शिकायत भी मिली थी कि सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा सदस्यता बदल दी जाती है, नये सदस्यों के नाम जोड़ दिये जाते है तथा पुराने सदस्यों की छोटे छोटे बहानों पर सदस्यतासमाप्त कर दी जाती हैं;

(ग) पदाधिकारियों द्वारा सदस्यों को धोखा दिये जाने से रोकने के लिये पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा क्या सहायता दी गई; और

(घ) दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों के निष्कासित सदस्यों को क्या सहायता देने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री : (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ । सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया हैं कि इस प्रकार की शिकायतें उन्हें समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं ।

(ग) और (घ) ऐसी शिकायतों की जाँच की जाती है और दिल्ली सहकारी समितियों के अधिनियम 1972 तथा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के तथा विशिष्ठ समिति के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली सहकारी समितियों के अधिनियम, 1973 के नियम 36 (i) के अन्तर्गत, पंजीकार से स्वीकृति प्राप्त करने पर साधारण सभा प्रस्ताव पर सहकारी समिति के किसी भी सदस्य को निकाला जा सकता है । ऐसे निष्काषित सदस्य को दिल्ली सहकारी समितियों के अधिनियम, 1973 की धारा 76 (ई) के अन्तर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल को अपील करने का अधिकार है ।

कानपुर टेलीफोन के कर्मचारियों को मानदेय

990. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर टेलीफोन प्रशासन ने अपने कर्मचारियों में मानदेय के रूप में 90,000 रु० का वितरण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे दूसरे कार्यालयों के नाम क्या हैं, जिनमें मानदेय दिए जाने की प्रथा है;

(ग) उनमें यह प्रथा कबसे जारी है; और

(घ) इस पर सरकार की कितनी राशि खर्च होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) कानपुर और समस्त भारत में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जानी है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कूच बिहार में टेलीग्राफ लाइनों वाले डाकघर

992. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में टेलीग्राफ लाइनों वाले डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कूच बिहार जिले के तूफानगंज उपमण्डल में और अधिक डाकघरों को खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या कूच बिहार जिले के तूफानगंज उपमण्डल में नए डाकघरों के खोले जाने का कोई आवेदन संबंधित अधिकारियों के पास लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो वह नया डाकघर कब तक खोल दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) कूच-बिहार जिले में 37 डाकघरों में तार की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी हाँ।

(ग) डाकघर खोलने के 7 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) 7 प्रस्ताव लंबित हैं।

(ङ) यथोचित डाकघर जिन डाकघरों का औचित्य पाया जाएगा वे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान खोल दिए जाएंगे।

प्रति व्यक्ति शुल्क

993. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने गैर सरकारी लोगों द्वारा संचालित मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क की वसूली को स्वीकृत कर दिया है;

(ख) क्या ऐसे प्रति व्यक्ति शुल्क किसी स्थानीय छात्र तथा विदेशी छात्र के बीच भिन्न-भिन्न होते हैं; और

(ग) क्या ऐसी संस्थाओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट मेडिकल तथा इन्जीनियरी कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क लेना अनुमोदित कर दिया है, जबकि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ नव स्थापित प्राइवेट इन्जीनियरी कालेजों के मामले में ही इसकी अनुमति दी है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इस प्रकार के प्राइवेट इन्जीनियरी कालेजों को अनुदान नहीं देतीं। कर्नाटक राज्य सरकार ने उपरोक्त प्राइवेट मेडिकल कालेजों के मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए अपने अस्पतालों के प्रयोग की अनुमति दे दी है।

राजस्थान के सूरतगढ़ फार्म की जमीन के मूल्य की मांग

994. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से सूरतगढ़ के केन्द्रीय अभियांत्रिक फार्म की भूमि की कीमत के रूप में 50 करोड़ रुपये की तदर्थ अदायगी करने की मांग की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से राजस्व अधिकार तथा राज्य सरकार को दिए जाने वाले इस फार्म पर जमा होने वाले दूसरे देय धनों की अदायगी करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वार क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इस फार्म के उत्पादन में वृद्धि करने तथा विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) बीजों के उत्पादन पर अधिक जोर देने की वजह से गैर बीज वाली फसलों की प्रतिशतता में निरन्तर कमी की जा रही है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देखते हुए, तिलहनों और दालों के अंतर्गत अब अधिक क्षेत्र है। दाना-चारा बीजों तथा बागवानी से संबंधित बीजों के उत्पादन के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सस्यविज्ञान संबंधी उन्नत प्रणालियां भी शुरू की गई हैं, जैसे हवाई छिड़काव के जरिए उर्वरक का प्रयोग, विभिन्न कार्यों के लिए पखवाड़ेवार कार्यक्रमों का दृढ़ता से प्रबोधन तथा बीज ड्रिल का प्रयोग करना, आदि।

विस्तार परियोजनाओं को लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता निर्धारित करने का मानदण्ड

995. **श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक, मध्यम तथा निम्न वसूली क्षेत्रों में स्थित विस्तार परियोजनाओं को पूरा होने के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में उनको ग्राह्य लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता निर्धारित करने का मानदण्ड क्या था;

(ख) अधिक वसूली क्षेत्रों में स्थित नये चीनी कारखानों तथा विस्तार परियोजनाओं के मामले में उत्पादन शुल्क में कितनी राहत मिलेगी; और

(ग) महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्र के मध्यम तथा निम्न वसूली क्षेत्रों में आने वाली चीनी कारखानों को इन सुविधाओं का किस प्रकार लाभ मिलेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) अधिक, मध्यम और

निम्न वसूली क्षेत्रों की विस्तार परियोजना को अनुमेय लेवी मुक्त चीनी के कोटों की अधिक प्रतिशतता के मानदण्ड और प्रतिशतता का विवरण **विवरण** में दिया गया है।

(ख) नयी चीनी फैक्ट्रियां और विस्तार परियोजनाएं, जो अतिरिक्त लेवी मुक्त चीनी के कोटे, जो कि 35 प्रतिशत लेवी मुक्त कोटे से अधिक हो, पर उत्पादन शुल्क में राहत प्राप्त करने की हकदार होंगी अर्थात लेवी चीनी के मुक्त बिक्री के अतिरिक्त कोटे पर लेवी दरों पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है।

(ग) महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियां अधिक वसूली क्षेत्र में आती हैं और न कि मध्यम तथा निम्न वसूली क्षेत्रों में हैं। वे सरकार द्वारा 4 अक्टूबर, 1980 को चीनी उद्योग के लिए घोषित की गई संशोधित प्रोत्साहन योजना के लाभों को प्राप्त करने की हकदार होंगी।

विवरण

1. प्रोत्साहन के प्रयोजन हेतु विस्तार की कुल लागत में लाइसेंस प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा उल्लिखित सभी मदों में लगाई गई पूंजी शामिल होगी।

2. अक्टूबर 1, 1980 को अथवा उसके बाद जिन सभी लाइसेंसशुदा विस्तार परियोजनाओं ने विस्तार संबंधी कार्य पूरा कर लिया हो।

3. पहले से ही लाइसेंसशुदा विस्तार परियोजनाएं, जोकि संशोधित योजना की घोषणा करने के महीने के बाद के महीने से 39 महीनों की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर उत्पादन कार्य शुरू कर देती हैं, वे इस योजना के लाभों की पात्र होंगी।

4. छठी योजना में लाइसेंस प्राप्त करने वाली लाइसेंसशुदा विस्तार परियोजनाएं जोकि अपने लाइसेंस या आशय पत्र की तारीख से 39 मास की अवधि के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करती हैं, इसमें जो पहले हो, प्रोत्साहन पाने के लिए भी पात्र होंगी।

5. वे सभी यूनिट, जोकि पिछली योजना के अन्तर्गत आते थे और जिन्होंने नवम्बर 1, 1975 से 30 सितम्बर, 1980 की अवधि के बीच विस्तार कार्य पूरा कर लिया था, वे भी इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ये मामले नयी योजना के अन्तर्गत उपयुक्त रूप से फिट किए जाएंगे।

6. एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन देय होंगे वशर्ते कि खाद्य विभाग में स्थापित की गई समिति द्वारा विस्तार का अनुमोदन करना होगा और संबंधित फैक्ट्री द्वारा विस्तार के प्रयोजन के लिए स्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र की मदों के लिए शर्करा निदेशालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

विस्तार परियोजनाएं : विस्तार परियोजनाओं के अनुमेय लेवी मुक्त चीनी के कोटे की ऊंची प्रतिशतता इस प्रकार होगी :

वर्ष	अधिक वसूली क्षेत्र	मध्यम वसूली क्षेत्र	कम वसूली क्षेत्र
पहला वर्ष	40	60	90
दूसरा वर्ष	40	60	90
तीसरा वर्ष	40	50	75
चौथा वर्ष	40	50	70
पांचवां वर्ष	40	50	60

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या

996. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या के कारणों का पता लगा लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक पांच कृषि वैज्ञानिक आत्महत्या कर चुके हैं;

(ग) क्या इन वज्ञानिकों की आत्महत्या के कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और, उनके क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक विज्ञानी श्री एस० वी० राघवन द्वारा 15-10-80 को की गई आत्महत्या का कारण घरेलू समस्याएं बतलाया गया है।

(ख) तथा (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके संस्थानों में 5 व्यक्तियों ने पिछले बीस सालों में (अर्थात 1960 से) कथित आत्महत्यायें कीं। इनमें से एक मामले में यह पक्का प्रमाणित नहीं हो सका कि यह आत्महत्या का मामला था। बाकी चार में से तीन विज्ञानी तथा एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक था। तीन विज्ञानियों में से दो विज्ञानियों के संबंध में आत्महत्या उनके 'आफिशियल करियर' से कुछ संबंधित थी।

(घ) एक विज्ञानी जिनका नाम डा० वी० एच० शाह था, को आत्महत्या के परिणाम-स्वरूप, भारत सरकार ने डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में 27 जून, 1972 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भर्ती तथा कार्मिक नीतियों की जांच पड़ताल के लिए उच्च स्तरीय समिति स्थापित की थी। इस समिति को सिफारिशें तथा इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को प्रदर्शित करने वाला एक वक्तव्य राज्य सभा के पटल पर दिनांक 16 मई, 1979 को तारांकित प्रश्न सं० 298 का उत्तर देते हुए प्रस्तुत किया गया था। इस प्रश्न को तथा इसके दिए गए उत्तर की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-1421/80]

"पोलिटिक्स प्लेग्ज कानपुर आई० आई० टी०" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

997. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० आई० टी०, कानपुर के उच्चाधिकारियों द्वारा राज-नीति और खुश करने की नीति अपनाई जा रही है जिसका संस्थान पर कुप्रभाव पड़ना आरम्भ

हो गया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 सितम्बर, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में में "पोलिटिक्स प्लेग्ज कानपुर आई० आई० टी०" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) सरकार महसूस नहीं करती कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्राधिकारियों द्वारा राजनीति तथा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) समाचार में यह कहा गया है कि एक नियमित निदेशक और अध्यक्ष, शासी मंडल के अभाव में इस संस्थान में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। एक नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तो अब कर दी गई है तथा एक नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए कार्यवाई की जा रही है।

कर्नाटक में बाढ़ों के कारण हुई हानियों का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल

998. **श्री जनार्दन पुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में बाढ़ों के कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल भेजने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) 29 अक्टूबर, 1980 को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में बाढ़ से हुई तबाही के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और वहाँ केन्द्रीय दल के दौरे के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, केन्द्रीय दल ने 12 तथा 14 नवम्बर, 1980 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार से संशोधित ज्ञापन प्राप्त होते ही केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जायेगा। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा और कर्नाटक सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे कार्यवाही की जायेगी।

आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में समेकित बाल कल्याण परियोजनायें

999. **श्री भीखा भाई** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में समेकित बाल कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने लिए प्राथमिकता देने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूरदराज आदिवासी क्षेत्रों में बाल कल्याण पोषण कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए अध्ययन किया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में असफल रही है जहां विदेशी मिशनरियों ने अच्छा तथा सराहनीय कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) समेकित बाल विकास सेवाओं को शुरू करने के लिए क्षेत्रों का चुनाव करते समय उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें अधिकत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोग रहते हों तथा जो क्षेत्र सूखाग्रस्त रहते हों और जो शहरी गन्दी बस्तियां हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति नई दिल्ली के प्लाट का दुरुपयोग

1000 **श्री ए० यू० आजमी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** शांति निकेतन, नई दिल्ली में भूमि के प्लाट के बारे में 23 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1663 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल की इमारत के लिए आरक्षित प्लाट को, जिसका उपयोग सार्वजनिक सुविधा के स्थान के रूप में किया जा रहा है, साफ करते और वर्षा के मौसम में उसके चारों ओर पेड़ लगाने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या कुछ गैर सरकारी शिक्षा संस्थायें इस प्लाट के आवंटन के लिए निरंतर अनुरोध कर रही हैं परन्तु उनके अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं,

(घ) यदि हाँ, तो किन किन पार्टियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस प्लाट की मांग की गई और उनके अनुरोध क्यों अस्वीकार किए गये;

(ङ) क्या इस स्थल पर नगर निगम प्राइमरी स्कूल खोला जाना है, और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) प्रश्न गत प्लाट म्यूनिसिपल प्राथामिक स्कूल के लिए आरक्षित है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसने प्लाट की परिधीन में गैर चट्टानी जमीनों में झाड़ियां तथा वृक्षारोपण किया था, और चट्टानी जमीन की दरेसी की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : जी, हां। एक गैर सरकारी शिक्षा समिति साधु वासवानी मिशन ने इस प्लाट के आवंटन के लिए अनुरोध किया था परन्तु इसको स्वीकार नहीं किया गया क्यों कि नगर निगम स्वयं ही वहाँ पर एक स्कूल स्थापित करने जा रहा है। होली चाइल्ड ओक्सी-लियम ने भी दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्कूल के लिए एक स्थल आवंटन करने का अनुरोध

किया था और इसको बसन्त विहार में स्कूल के लिए एक स्थल आवंटित किया गया था।

(ङ) तथा (च) : जी हाँ। प्लाट में स्थापित किया जाने वाला स्कूल शान्ति निकेतन, मोतीबाग, आनन्द निकेतन इत्यादि की आवश्यकता पूरी करेगा क्योंकि यह प्लाट इन कालोनियों के मिलान स्थल के अति समीप है।

बाढ़ संबंधी समिति

1000 क. **श्री पी० एम० सईद : डॉ० वसन्त कुमार पंडित : श्री राम अवध :** क्या **सचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश के विभिन्न भागों में प्रायः आने वाली बाढ़ों को रोकने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए बाढ़ सम्बन्धी एक समिति गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति को कब तक गठित किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। देश में बाढ़-समस्या का गहराई से अध्ययन करने और बाढ़-नियंत्रण के लिए भावी नीति की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग ने मार्च '1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है, जिनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने विचार-टिप्पणियां शीघ्र भेज दें ताकि सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आगे कार्रवाई की जा सके।

महाराष्ट्र सरकार को पत्थरों के बाँधों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

1000 ख. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में देवबाग और उमादान्दा मत्स्य केन्द्रों, जिन्हें कि तूफानी समुद्र की लहरों का खतरा बना रहता है, के निकट पत्थरों के बाँध बनाने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की माँग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दे दी गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के मछली पकड़ने के केन्द्रों को सुरक्षित बनाने के लिए समुद्र-कटाव-रोधी उपाय क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अभी तक केन्द्र से वित्तीय सहायता देने का कोई अनुरोध नही किया गया है।

कनारा की तटीय भूमि का कटाव

1000 ग. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनारा के समुद्रतट की 300 कि० मी० से भी अधिक तटीय भूमि को कटाव का खतरा बना हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस भूमि-कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भूमि-कटाव, इससे सम्बन्धित समस्याओं और तट की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों की विस्तृत जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा दिसम्बर, 1977 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने लगभग 300 किलोमीटर लम्बे तट में से ऐसे 20 कमजोर हिस्सों का पता लगाया है, जिनकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार समुद्र-कटाव की समस्या का सुनियोजित अन्वेषण कर रही है और हाल में तट कटाव वोर्ड द्वारा भी इस मामले पर विचार किया गया है। कटाव के प्रत्येक स्थल की अलग से जांच किए जाने का प्रस्ताव है और सुरक्षात्मक निर्माण-कार्यों को हाथ में लिए जाने से पहले इन वर्क्स के डिजाइनों को केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के साथ सलाह करके अन्तिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में बाढ़-नियंत्रण सेक्टर के अन्तर्गत इन वर्क्स के लिए 1 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

गेज रीडरों का वेतनमान

1000 घ (**श्री रणपद दास : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बाँध परियोजना के गेज रीडरों को अब 210 रुपए से 270 रुपए तक का वेतनमान मिला हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन (जिसे अब केन्द्रीय जल आयोग में मिला दिया गया है) के गेज रीडरों को अब तक यह वेतनमान क्यों नहीं दिया गया ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) फरक्का बराज परियोजना में गेज रीडर-ग्रेड 11 का वेतनमान 210-4-226-द. रो. -4-250-द. रो.-5-290 रुपए हैं।

(ख) गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में गेज रीडर के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 निर्धारित है जबकि फरक्का बराज परियोजना में मैट्रिक है, और दोनों संगठनों के सेवर्ग (काडर) अलग-अलग हैं और इसलिए समुचित रूप से दोनों संगठनों के गेज रीडरों को समान वेतनमान नहीं दिए जा सकते।

तुंगभद्रा जलाशय में गाद जमा हो जाने से चिन्ता

1000 ङ. (**श्री टी० आर० शमन्ना : क्या सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषज्ञों के इस प्रतिवेदन का पता है कि तुंगभद्रा जलाशय में भारी मात्रा में गाद जमा होना गंभीर चिंता का विषय है; और

(ख) सरकार गाद को हटाने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तुंगभद्रा जलाशय का सर्वेक्षण 1972 और 1978 में किया गया था। जलाशय की सकल क्षमता 1953 की 132.550 टी० एम० सी० की मूल सकल क्षमता की तुलना में, 1972 में 121.152 टी० एम० सी० और 1978 में 117.765 टी० एम० सी० थी। अतः गादीकरण की वार्षिक औसत दर 1953 तथा 1972 के बीच 0.6 टी० एम० सी० और 1972 तथा 1978 के बीच 0.56 टी० एम०

सी० थी। जलाशय के दीर्घकालीन प्रचालन के लिए गादीकरण की परिकल्पित वार्षिक औसत दर 0.43 टी० एम० सी० है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम के अन्तर्गत 1962-63 से भूमि-संरक्षण उपाय किए जा रहे है, जिनमें कन्टूर बंडिंग तथा जलाशय के वाहक्षेत्र में पेड़ लगाना शामिल है। तुंगभद्रा बोर्ड ने भी जलाशय में गाद के आने को कम करने के लिए पूर्ण जलाशय स्तर से ऊपर जलाशय के अग्रभाग (फोरशोर) में वनरोपण कीं कारंवाई शुरू कर दी है।

सावन भादों सिंचाई परियोजना

1000 च. **आचार्य भगवान देव : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राजस्थान की सावन-भादों सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है और यह परियोजना कब तक पूरी की जायेगी; और

(ग) इस परियोजना के लिए चालू वार्षिक योजना में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 418.88 लाख रुपए है। परियोजना-रिपोर्ट में निर्माण-कार्य को पाँच वित्तीय वर्षो में पूरा करने की परिकल्पना की गई है बशर्ते कि आवश्यक धन उपलब्ध हो जाए।

(ग) राजस्थान सरकार के छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 405 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। 1980-81 के दौरान 5 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है और 1981-82 के दौरान 25 लाख रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

आधुनिक प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग

1000. छ. **डा० बसंत कुमार पंडित : क्या सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ निर्धारित दिशा में विस्फोट (डायरेक्टोरियल ब्लास्टिंग) द्वारा बांधों के निर्माण तथा नहरों के खोदे जाने के संबंध में आधुनिक प्रोद्योगिकी तथा जानकारी देने पर सहमत हो गया है;

(ख) क्या सोवियत सरकार के पास इस प्रकार के बान्धों और नहरों की योजनाएं, डिजाइन और निर्माण संबंधी ब्यौरा तैयार है और वे भारत की तैयारी की प्रतिक्षा कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस नई तकनीक द्वारा प्रयोगिक आधार पर बांध तथा नहर के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण कर लिया है;

(घ) क्या सोवियत सरकार के पास ऐसे तीन डिजाइन पहले से ही मौजूद है; और

(ड़) उपरोक्त परियोजना के संबंध में दोनों देशों के बीच कितनी प्रगति कर ली गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार ने सोवियत पक्ष से किसी बांध और नहर का कोई प्लान, डीजाइन और निर्माण-ब्यौरा इस तकनीक द्वारा तैयार दरने का अनुरोध नहीं किया है क्योंकि भारतीय परिस्थितियों और विशेषत: आबाद इलाकों में इस तकनीक को अपनाये जाने की उपयुक्ता अभी अन्तिम रूप से सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए सोवियत सरकार के पास ऐसे प्लान, डीजाइन आदि तैयार होने का सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, सोवियत सरकार के पास कोई डीजाइन तैयार नहीं है।

(ङ) यद्यपि इस तकनीक से एक प्रयोगात्मक बांध के निर्माण और एक नहर की खुदाई के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने के लिए कुछ प्रारम्भिक कारवाई की गई थी, लेकिन अभी तक अन्तिम रूप से किसी स्थल का चुनाव नहीं किया गया है। भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की अगली बैठक में इस मामले पर सोवियत पक्ष के साथ और आगे विचार-विमर्श होने की संभावना है।

राजस्थान नहर के लिये सीमेंट की सप्लाई

1000ज. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के अभाव के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान नहर के निर्माण के लिए आबंटित बजट राशि में से अनुपयुक्त रही राशि का वर्ष वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित की गई राजस्थान नहर की प्रमुख पोषक नहर की कुल लम्बाई मील अथवा किलोमीटर में क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष बजट में नियत की गई धन-राशि और किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

		बजट में नियत राशि	व्यय
1.	1977-78	30.00 करोड़ रु०	29.77 करोड़ रु०
2.	1978-79	29.02 करोड़ रु०	29.30 करोड़ रु०
3.	1979-80	32.75 करोड़ रु०	24.68 करोड़ रु०

वर्ष 1979-80 में खर्च में लगभग 8.00 करोड़ रुपए की जो कमी हुई है वह नहर की लाइनिंग के लिए ईटें पकाने के लिए आवश्यक कोयले की सप्लाई कम होने के कारण

हुई है।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में राजस्थान मुख्य नहर के कितने लम्बे हिस्से का निर्माण किया गया, वह इस प्रकार है :

1977-78	30 कि० मी०
1978-79	29.85 कि० मी०
1979-80	21.48 कि० मी०

राज्यों में लघु सिंचाई योजनाएं

1000क्ष. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ने हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं का अध्ययन करने पर यह पाया है कि विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाईयों के लिए प्रयोग किए जा रहे अधिकांश पम्प सेट घटिया किस्म के हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत (विद्युत अथवा डीजल) पम्प सेटों को खराब पाया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में लघु सिंचाई परियोजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना के अन्तर्गत अच्छी किस्म के पम्प सेटों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी, हाँ। कृषि पुनर्वित और विकास निगम ने आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कूछ चुने हुए राज्यों में वर्तमान पम्पों की प्रणाली-कुशलता के संबंध में अध्ययन किए हैं। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के अलावा, राज्य सरकारों के आधार पर अध्ययन किए हैं। अध्ययनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

कम कुशलता के मुख्य कारण, जिनकी वजह से पम्पों का निस्पादन घटिया रहा है, निम्नलिखित कहे जा सकते हैं :—

(1) मोटर तथा पम्पों का अनुपयुक्त चयन तथा मिलान।

(2) पम्प सेटों को तकनीकी अवश्यकताओं के अनुसार लगाया जाना।

(3) फीडर तथा उपभोक्ता स्थलों पर पर्याप्त वोल्टेज में नियामकों के न होने के कारण कम बोल्टेज होना और बोल्टेज में घट-बढ़ होना।

(4) पम्पसेटों की अपर्याप्त मरम्मत तथा रखरखाव।

(घ) सिंचाई मंत्रालय, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कृषि पम्प सेटों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं और इन्हें विभिन्न राज्य सरकारों तथा फील्ड स्टाफ के पास भेजा जा रहा है।

(2) भारतीय मानक संस्थान ने पम्प-सेटों के चयन, प्रतिष्ठापन, प्रचालन तथा रख-रखाव के संबंध में एक संहिता तैयार की है।

(3) कम वोल्टेज सप्लाई को दूर करने के उद्देश्य से राज्य बिजली बोर्डों से कहा गया है कि वे उप-केन्द्रों के साथ-साथ पारेषण तथा वितरण प्रणाली को पर्याप्त मजबुत बनाने की सुनिश्चित व्यवस्था करें।

(4) पम्पों के उपयुक्त चयन, मूल्य निर्धारण तथा उनकी किस्म नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी समितियाँ गठित की गई हैं।

ये समितियाँ केरल, जम्बू और कश्मीर, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़ कर सभी राज्यों में गठित की गई हैं।

विवरण

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा किए गए अध्ययनों का ब्योरा

आन्ध्र प्रदेश

इस अध्ययन में श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी, हैदराबाद, वारंगल, अनन्तपुर, चित्तुर, कुड्डापा और करनूल जिलों में 460 नमूने शामिल हैं। यह देखा गया था कि डीजल तथा बिजली के पम्प-सेटों की औसत पम्प कुशलता 70-75 प्रतिशत इष्टतम होने के बजाए 50 प्रतिशत न्यूनतम थी। महत्वपूर्ण अन्य बातें नीचे दी गई हैं :—

क्रम सं०	मद	मामलों की प्रतिशतता
1.	समुचित रूप से न चुने गए पम्प	96
2.	समुचित रूप से न चुने गए प्राइम मूवर्स	22
3.	समुचित रूप से न लगाए गए पम्प	68
4.	समुचित रूप से प्रचलित न किए गए पम्प	36
5.	समुचित रूप से रख-रखाव न किए गए पम्प	23
6.	इस्तेमाल किए गए उच्च एच० पी० प्राइम मूवर्स	
	(क) डीजल इंजन (अपेक्षित एच० पी० के 25% से अधिक 28,	
	(ख) बिजली की मोटर (अपेक्षित एच० पी० के 50 प्रतिशत से अधिक) 0.35	
7.	उच्च सक्शन लिफ्टों पर लगाए गए पम्प (जिससे कैविटेशन उत्पन्न हो गई)	49
8.	फुट वाल्व हानि 0.4 एम० से बढ़ गई	23

9.	स्टैटिक सक्शन लिफ्ट के 7.5 प्रतिशत से अधिक सक्शन साइड हानियाँ	93
10.	औसत समग्र कुशलता (%)	
	(क) बिजली की मोटर से चलने वाले पम्प-सेट	41
	(ख) डीजल इंजन से चलने वाले पम्प-सेट	10
11.	पम्पों की औसत कुशलता (%)	
	(क) बिजली से चलने वाले पम्प	52
	(ख) डीजल इंजन से चलने वाले पम्प	50

बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा

उपर्युक्त तीनों राज्यों के छः जिलों में अध्ययन किये गये थे। कुल मिलाकर 90 नमूने चुने गए थे। पम्पसेटों की कुशलता के मूल्यांकन से पता चलता है कि उनके निष्पादन का स्तर विभिन्न राज्यों के बीच, एक ही राज्य में विभिन्न जिलों के बीच और एक ही जिले में विभिन्न ब्लाकों के बीच बहुत अधिक भिन्न-भिन्न है। यह पाया गया कि 65 बिजली पम्पसेटों में से 40 की समग्र कुशलता 30 प्रतिशत से अधिक थी जबकि शेष पम्पसेटों की कुशलता 30 प्रतिशत से कम थी और वे बहुत असंतोषजनक रूप से कार्य कर रहे थे।

अध्ययनों से पता चला कि पम्पों को स्थल-स्थितियों का ध्यान रखे बगैर चुना गया था। जल सारणी की भिन्नता का अनुमान लगाने और इष्टतम प्रचालन शीर्ष का अनुमाम लगाने के लिए जल-वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किए गए थे। लीनिंग एजेंसियों के पास पम्पसेटों के चयन के बारे में किसानों को सलाह देने के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ नहीं है। समुचित सक्शन तथा डिलीवरी पाइपों का चयन त्रुटिपूर्ण था। अध्ययन से यह भी पता चला कि विक्रय के पश्चात सेवा गुण तथा बारम्बारता दोनों अत्याधिक अपर्याप्त थीं। ऐसे उदाहरण थे कि दुर्भावना से प्रेरित मेकेनिकों ने इंजनों को चालू करने तथा रोकने के लिए गलत तकनीकों को शुरू किया हुआ था जिसका परिणाम यह निकला कि ताप (थर्मल) कुशलता कम हो गई और पुर्जों की टूट-फूट अधिक हुई।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के परिणाम वही हैं जो अन्य राज्यों के हैं। क्षेत्रिय अध्ययनों के दौरान यह देखा गया था कि पम्पसेटों को लगाने के लिए किसी मानक का ख्याल नहीं रखा गया। विद्युत का उतार-चढ़ाव बहुत अधिक था और ट्रिप्स में पुनरावृत्ति थी तथा लम्बे समय तक बिजली खराब रहती थी। मोटरों का जल जाना बहुत सामान्य बात थी। जहाँ तक रख रखाव/मरम्मत का संबंध है, इस समय स्थिति संतोषजनक नहीं है और किसानों को मामूली मरम्मत के लिए भी जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है।

राज्य सरकार के अध्ययन

सलाहकारों के अलावा, जिन्हें कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में पम्पसेटों की कुशलता के बारे अध्ययन करने के लिए लगाया था, निगम ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पम्पसेटों की

कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए नमूना आधार पर (प्रति राज्य 30 नमूने) अध्ययन किए जाएं। इन अध्ययनों के परिणाम नीचे तालिका में दिए गए हैं :—

1. बिजली से चलने वाले पम्पसेटों की कार्य-कुशलता

क्रम सं०	राज्य	नमूनों की संख्या	40%	50%	60%
			से कम समग्र कार्य-कुशलता		
			कार्य-कुशलता से यूनिटों की प्रतिशतता		
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	58	25	17
2.	गुजरात	10	100	—	—
3.	हरियाणा	20	50	20	30
4.	मध्य प्रदेश	9	33	33	33
5.	महाराष्ट्र	13	69	15	15
6.	उड़ीसा	11	91	9	—
7.	राजस्थान	7	57	14	28
8.	उत्तर प्रदेश	21	80	14	5

2. डीजल से चलने वाले पम्पसेटों की कार्य-कुशलता

क्रम सं०	राज्य	नमूनों की संख्या	10%	15%	20%
			से कम समग्र कार्य-कुशलता		
			उक्त कार्य-कुशलता से यूनिटों की प्रतिशतता		
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	100	—	—
2.	गुजरात	10	40	30	30

अध्ययनों से पता चलता है कि इस समय बिजली से चलने वाले अधिकांश पम्पसेटों की समग्रकार्य-कुशलता 40% से कम है और डीजल से चलने वाले पम्पसेटों की समग्र कार्य-कुशलता 10 प्रतिशत से कम है।

सिंचाई योजना का कार्यान्वयन

1000 श्र. श्री रामावतार शास्त्री : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इन सभी कार्यों को कब तक पूरा करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : राज्य

सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों के सिंचाई सेक्टर के बारे में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रस्तावों पर योजना आयोग में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अपर कृष्णा परियोजना

1000 ट. श्री के० बी० चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कृष्णा परियोजना के प्रथम चरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और बीजापुर जिले के इन्दी तथा सिंदगी तालुकों में किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है यदि मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजनाओं के लिए किए गए वित्तीय प्रबन्धों और केन्द्रीय सरकार तथा कर्नाटक सरकार के बीच बांटे गये व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास बीजापुर तालुक में उठ ऊ सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र हमान अंसारी) : (क) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक को सातवीं योजना के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) अपर कृष्णा परियोजना चरण-दो की परियोजना रिपोर्ट कर्नाटक सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंधित नहीं होती। अतः इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था राज्य-योजना के अन्तर्गत की जा रही है। किन्तु परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है। इस परियोजना पर मार्च, 1980 के अन्त तक कुल 100.8 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(घ) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक में बीजापुर ताल्लुका की लिफ्ट सिंचाई परिकल्पित नहीं है। कर्नाटक सरकार ने भी बीजापुर ताल्लुका को लाभ पहुँचाने वाली कोई अन्य स्कीम नहीं भेजी है।

कोइल सिंचाई परियोजना

1000 ठ. श्री राम स्वरूप राम : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले में कार्यान्वित की जा रही कोइल सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए आरम्भ में चन्दौती और बेलागंज तहसील क्षेत्रों को लिया जा रहा है; ।

(ख) क्या यह सच है कि इन दो तहसीलों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों को भी इसके अधिकार क्षेत्र लेने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, बेलागंज और चांदोतीं ब्लाकों के क्षेत्रों को इस परि योजना के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत लाना संभव नहीं है।

उड़ीसा की भीमकुण्ड बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना

1000 ड. **श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की भीमकुण्ड बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना की जांच केन्द्रीय ज आयोग द्वारा पहले ही की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त परियोजना के कार्यान्वयन पर होने वाला कुल व्यय केन्द्र सरकार द्वार उठाया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा राज सरकार द्वारा तैयार की गई भीमकुण्ड बहुप्रयोजनी परियोजना चरण-एक की जांच केन्द्रीय ज आयोग द्वारा पहले 1974 में की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान रखते हुए तैयार की गई अद्यतन रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा जून, 1980 में भेजी गई थी अगस्त-सितम्बर, 1980 में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इन स्पष्टीकरण के उत्तर 12.11 80 को प्राप्त हो गए हैं और इनकी केन्द्रीय जल आयोग में जांच की ज रही है।

(ख) परियोजना के चरण-एक की अनुमानित लागत अब 394.29 करोड़ रुपए है औ इसमें केवल बाढ़-नियंत्रण और विद्युत्-लाभों की परिकल्पना की गई है। बाँध के बिजली घ पर 48 मेगावाट और बाइगुंडी में 690 मेगावाट क्षमता प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का भी विचार है।

(ग) चूंकि सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण राज्य-विषय है, इसलिए परियोजना पर खर्च सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रश्न की जाँच परियोजना को तकनीक आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन मिल जाने के पश्चात् उपयुक्त समय पर की जाएगी कि क्या परि योजना के विद्युत भाग के लिए वित्त-व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाए।

महानदी की बाढ़ के पानी का तटबंधों के ऊपर से बहना

1000 ढ. **श्री रास बिहारी बहेरा : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष महानदी में आई प्रलय कारी बाढ़ के समय डेल्टा क्षेत्र में बनाये गये सभी तटबंधों पर से पानी बहा था;

(ख) क्या यह सच है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान तट-बंधों के पुनर्निर्माण

तथा उन्हें ऊंचा बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस समस्या पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस समस्या के बारे में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है। राज्य सरकार तटबंध प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के बारे में विशेषज्ञों के एक दल की सिफारिशों पर विचार कर रही है। राज्य सरकार महानदी डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ों की तीव्रता को कम करने के लिए महानदी की दो सहायक नदियों डब और तेल पर जल-संचयन जलाशय बनाने की परियोजनायें भी तैयार कर रही है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वंशधारा बेसिन में भूमि-संरक्षण उपाय किए जाए और जल-संचयन वर्ष हाथ में लिए जाए तथा नदी विकास की एक मास्टर योजना तैयार की जाए।

सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करना

1000 ण. **श्री एल० ए० रहीम : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा के पानी को अरब सागर में व्यर्थ जाने देने से रोक कर सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उसे पश्चिम तट में जमा करने की कोई योजना है;

(ख) कल्लड सिंचाई परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ग) क्या पानी को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने के लिए कल्लड नदी के ऊपरी पाटों में एक सुरंग बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्षा के जल को सम्बद्ध राज्यों द्वारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर विद्यमान निर्माणाधीन प्रस्तावित जल-संचयन बांधों द्वारा संचित किया जाता है किया जाएगा।

(ख) कल्लडा सिंचाई परियोजना के सातवी योजनावधि में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) केरल के जल को तमिलनाडु में ट्रांस्फर करने के प्रश्न की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति द्वारा की जा रही है। जल के ट्रांस्फर के तरीके के संबंध में किसी प्रस्ताव के बारे में निर्णय तभी किया जाएगा जब फालतू जल की उपलब्धता तय हो जाएगी।

गंगा नहर को क्षति

1000 त. **श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नहर जो राजस्थान की सिंचाई करती है और जिसे हरिकापट्टन से निकाला गया है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है और इसे नए सिरे से चिनने की

आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके रिसने से पंजाब का वह सारा क्षेत्र जहाँ से यह गुजरती है, जलमग्न हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस नहर की स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य संभवत: बीकानेर नहर का उल्लेख कर रहे हैं जो पंजाब के क्षेत्र में पड़ती है और जो राजस्थान राज्य की गंग नहर को पानी देती है। इस नहर की चूने-कंक्रीट की लाइनिंग काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसके स्थान पर नई लाईनिंग किये जाने की आवश्यकता है। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि इस नहर के साथ लगने वाले इलाके में जल-जमाव हो गया है। हालांकि पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों की सरकारें इस नहर का अविलम्ब लाईनिंग किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करती हैं, लेकिन गंग नहर की सिंचाई जल की सप्लाई में बाधा डाले बिना इस कार्य को करने के प्रबन्धों के बारे में परस्पर सहमति नहीं हो पाई है केन्द्रीय सरकार द्वारा इन दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई बैठकों के परिणामस्वरूप, इस समय पंजाब और राजस्थान राज्यों द्वारा इस मामले पर और आगे विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में बाढ़

1000 थ. **श्री रविन्द्र वर्मा : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सितम्बर के महीने में आई बाढ़ के कारणों के संबंध में कोई जाँच की गई; और

(ख) यदि हां, तो जाँच के निष्कर्ष क्या हैं और बाढ़ से कितनी हानि हुई ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1980 में बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा राज्य में आए चक्रवातीय दबाव के परिणास्वरूप व्यापक और भारी वर्षा होने के कारण उड़ीसा में हाल में बाढ़ें आई थीं। इसके कारण महानदी और वंसधारा बेसिनों में भारी बाढ़ें आई।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि हीराकुड जलाशय के विनियमन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, बांध की सुरक्षा के हित में हीराकुड जलाशय से महानदी बेसिन में पानी छोड़ना पड़ा।

बाढ़ों से हुई क्षति की जो सूचना दी गई है वह निम्नलिखित है :—

प्रभावित फसली क्षेत्र :	0.54 लाख हेक्टेयर
मृत व्यक्तियों की संख्या :	73
मृत पशुओ की संख्या :	8240
प्रभावित गाँव :	3727

कृष्णा नदी के कुछ जल को आंध्र प्रदेश में रायलसीमा की ओर भेजने का प्रस्ताव

1000 द. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री** कृष्णा नदी के कुछ जल को आँध्र प्रदेश में रायलसीमा की ओर भेजने का प्रस्ताव के बारे में 5 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6798 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सेलम राइट बैंक कनाल प्रोजेक्ट संबंधी परियोजना प्रतिवेदन पर विचार इस बीच पूरा कर लिया गया है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्र के अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) श्रीशैलम की दाएं किनारे की नहर से संबंधित रिपोर्ट की जाँच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर ली गई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की जिन महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर कार्रवाई की जानी है, उनका संबंध जल की उपलब्धता और डीजाइन के कुछ पहलुओं से है। आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इन मामलों के बारे में अपेक्षित आंकड़े और स्पष्टीकरण भेजें और अपने अधिकारियों को विचार-विमर्श के लिए केन्द्रीय जल आयोग भेजें ताकि परियोजना के तकनीकी आर्थिक पहलुओं को शीघ्र स्वीकृति दी जा सके।

(ख) तेलंगाना क्षेत्र की 2 बृहद और 11 मध्यम परियोजनाओं तथा रायलसीमा क्षेत्र की 2 बृहद और 4 मध्यम परियोजनाओं के अलावा, जो इस समय निर्माणाधीन हैं, आँध्र प्रदेश सरकार ने रायलसीमा, तेलंगाना आदि के सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए जिन नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है, वे ये है : जुराला, श्री रामसागर (पोचमपाद परियोजना, चरण-दो), वरदराजस्वामी और बग्गावांका। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस समय इन परियोजनाओं की जाँच राज्य सरकार के साथ सलाह करते हुए की जा रही है, और ये परियोजनाएं जाँच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण केन्द्रीय आयोग की सिफारिशें

1000 ध **आचार्य भगवान देव : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण केन्द्रीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत की गई सिफारिशों का अलग अलग ब्योरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का क्या प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों के पास भेजी जा चुकी है और अभी तक केवल गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र से और अंशत: पश्चिम बंगाल सरकार से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। अभी हाल में बंगलौर में हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह मामला उठाया गया था और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे आयोग की विभिन्न

सिफारिशों के बारे में अपनी टिप्पणियाँ विचार शीघ्र भेज दें।

घाघर बाढ़ नियंत्रण परियोजना

1000 न. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाघर बाढ़ नियंत्रण परियोजना के कारण मुग्नगढ़ तहसील में बाढ़ आ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बाढ़ के कारण कितने गाँव नष्ट हो गए हैं और कितने और गांवों के नष्ट होने की संभावना है;

(ग) इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ निकालने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बाढ़ से प्रभावित किसानों को कहीं अन्यत्र भूमि दे दी गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) : सूचना एकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलादेश के साथ वार्ता में हुई प्रगति

1000 प. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा के पानी के बंटवारे के मामले में और इस समस्या का एक दीर्घकालीन हल ढूंढने के लिए इस महीने के शुरू में बंगला देश सरकार के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें आगे क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और इसके प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार के बीच हुए करार में, जो 5-11-1977 को लागू हुआ था, यह व्यवस्था है कि इस करार के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने पर दोनों सरकारों द्वारा इस करार की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद करार के समाप्त होने के पहले या दोनों सरकारें जब भी सहमत हों, करार की समीक्षा की जाएगी। करार में यह भी उपबंध है कि समीक्षा समीक्षाओं के दौरान फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे के अन्तरिम प्रबन्धों और गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के दीर्घकालीन प्रबन्धों के कार्यचालन, प्रभाव, क्रियान्वयन और प्रगति पर भी विचार किया जाएगा। करार में उपबन्ध है कि यह पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और समीक्षाओं के प्रकाश में परस्पर सहमति से इसे किसी विशिष्ट अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. करार के लागू होने से तीन वर्ष बाद इसकी प्रथम समीक्षा करने के लिए ढाका में 5 नवम्बर, 1980 से 7 नवम्बर, 1980 तक एक अन्तर्सरकारी बैठक हुई।

3. इस बैठक में समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, तरीकों और समय-सीमाओं पर विचार-विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श को छः सप्ताह बाद दिल्ली में फिर से शुरू किया जाना है।

4. भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की नई दिल्ली में 29 से 31 अगस्त, 1980 तक हुई 20वीं बैठक में शुष्क मौसम में गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग ने उन कठिनाइयों की जाँच की, जिनके कारण दोनों प्रस्तावों का अध्ययन शुरू नहीं किया जा सका था। आयोग ने नोट किया कि प्रश्न पर उच्च राजनीतिक स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था और इस स्तर पर विचार-विमर्श जारी रहने की संभावना है। आयोग ने करार में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर, गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में अपनी सिफारिशें देने का एक और प्रयत्न शीघ्र ही एक और बैठक आयोजित करने का फैसला किया। यह बैठक 4 नवम्बर, 1980 से पहले नहीं हो सकी, जिसके परिणाम-स्वरूप संयुक्त नदी आयोग को दिए गए आदेश की अवधि समाप्त हो गई और अब यह मामला संयुक्त नदी आयोग के समक्ष नहीं है।

5. लेकिन गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने की समस्या का शीघ्र ही कोई हल ढूंढने के लिए दोनों सरकारें विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना

1000 **फ. श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रो में पानी की कमी के कारण मवेशी मर रहे हैं;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में हेमवती परियोजना के लिए अधिक धन-राशि आबंटित किए जाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)) : (क) जी, हाँ। छठी योजना के दौरान जो महत्वपूर्ण नीतियाँ अपनाई जा रही है उनमें से एक नीति यह है कि निर्माणाधीन स्कीमों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हेमवती परियोजना कावेरी वेसिन में है और उसके कुछ अन्तर्राज्यिक पहलू हैं। कावेरी जल विवाद का निपटारा होने तक, योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जा रही।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

राजस्थान नहर के निर्माण में बाधा

1000 **ब. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के निर्माण कार्य की प्रगति में सीमेंट और कोयले का न मिलना सबसे बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बाधा और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(ग) नहर के सम्बन्ध में जैसलमेर, मोहनगढ़, रामगढ़ और अन्य स्थानों पर किए जा रहे कार्य का विवरण क्या है; और

(घ) राजस्थान नहर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कोयले और सीमेंट की कमी के कारण हाल के वर्षों में परियोजना के मार्ग में भारी बाधाएँ आई हैं। इन वस्तुओं की समूचे देश-भर में आम कमी है और इन वस्तुओं को परियोजना-स्थलों तक पहुँचाने में भी कठिनाइयाँ हैं। इन वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) अब मुख्य नहर के 262 किलोमीटर के नीचे काम हो रहा है और माननीय सदस्य ने जिस क्षेत्र का उल्लेख किया है, वहाँ तक अभी काम नहीं पहुंचा है। जैसलमेर, मोहनगढ़ और रामगढ़ में बस्तियों के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। नहर के अन्तिम सिरे तक पाइपलाइन बिछाने का काम भी चल रहा है। लिलवा और दीघा कमान क्षेत्रों का काम, सर्वेक्षण-कार्य पूरा होने पर हाथ में लिया जाएगा।

(घ) सीमेंट और कोयले के उपलब्ध होने पर, राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के 1985-86 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इंजीनियरी वर्क्स पर कुल 442 करोड़ रुपया व्यय होने की संभावना है।

उड़ीसा में वैतरणी बांध के निर्माण के लिए निधि

1000 **भ. श्री हरिहर सोरन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के आनन्दपुर जिले में वैतरणी बाँध का निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिए कोई निधि नियत की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए कितनी निधि का नियतन किया गया है; और

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढाँचे के अन्तर्गत की जाती है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती है यह किसी विशिष्ट विकास-सेक्टर या परियोजना से सम्बन्धित नहीं होती।

उड़ीसा की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप के अनुसार बैतरणी नदी पर आनन्दपुर बराज परियोजना के निर्माण पर 965 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है जिसमें से 515 लाख रुपए 1979-80 तक खर्च किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए 85 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और वर्ष 1981-82 के लिए 170 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 450 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस परियोजना के छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

हीराकुण्ड जलागार में गाद जमा होना

1000 म. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुण्ड जलागार में तेजी से गाद जमा होती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बाँध कब तक बना रहेगा; और

(ग) क्या उक्त बाँध को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अब तक किए गए अध्ययनों के अनुसार हीराकुण्ड जलाशय में जिस दर से गाद जमा हो रही है वह उस दर से अधिक है जिसका अनुमान परियोजना को तैयार करते समय लगाया गया था।

(ख) इस समय जलाशय की सही-सही आयु की जानकारी देना संभव नहीं है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में हीराकुण्ड जलाशय के वाह क्षेत्र में भू-संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम शुरू की गई थी। 1980-81 तक वाह क्षेत्र में 2.35 लाख हैक्टेयर इलाके में भू और जल संरक्षण उपाय किए गये थे और इन पर 13.23 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। कार्यक्रम को आगे जारी रखा जा रहा है।

भीमकुण्ड बहुउद्देश्यीय परियोजना पर अनुमानित व्यय

1000 य. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीमकुण्ड बहुद्देश्यीय परियोजना पर अनुमानित व्यय क्या है;

(ख) उड़ीसा के क्योंझर जिले और अन्य जिलों के गाँवों की संख्या कितनी है जिनमें इस परियोजना के पूरा होने पर सिंचाई की जा सकेगी; और

(ग) इससे उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कितने खण्ड भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भीमकुण्ड बहुप्रयोजनी परियोजना चरण-एक की अद्यतन अनुमानित लागत 394.29 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) परियोजना के चरण-एक में केवल बाढ़-नियंत्रण और जल-विद्युत् उत्पादन की परिकल्पना की गई है। परियोजना के चरण-दो की रिपोर्ट, जिसमें सिंचाई-लाभों

की परिकल्पना की गई है, अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

गंगा-कटाव समिति द्वारा तैयार की गई योजना का शीघ्र क्रियान्वयन

1000र. **श्री चित्त बसु** : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा कटाव समिति द्वारा तैयार की गई 293.7 करोड़ रुपये की योजना के तत्काल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि गंगा कटाव समिति द्वारा कटाव संबंधी जिन वर्क्स की सिफारिश की गई है, उन्हें हाथ में लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाय। सामान्य रूप से, बाढ़-नियंत्रण वर्क्स का आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। चूंकि इस मामले में कुछ वर्क्स फरक्का बराज काम्पलेक्स से, जिसमें जंगीपुर बराज भी शामिल है, सम्बद्ध हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने वे उपाय पहले ही करने शुरू कर दिए हैं जिनका सम्बन्ध फरक्का बराज परियोजना से है। राज्य सरकार के वित्तीय सहायता के अनुरोध पर विचार करने के लिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करे।

केरल की वमानापुर सिचाई परियोजना को स्वीकृति दिया जाना

1000ल. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल की वमानापुरम सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण है;

(घ) बमनापुर सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित, केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की आशा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) वमनापुरम सिंचाई परियोजना में कल्लार नदी पर जो वामनपुरम नदी की सहायक नदी है, केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के नेदुमंगम तालुका में वलयंकी नामक स्थान पर एक जल-संचयन बांध का निर्माण करने और 13000 हैक्टेयर क्षेत्र का वार्षिक सिंचाई करने के लिए बांयें तट पर एक मुख्य नहर के निर्माण की अनुमानित लागत 37.22 करोड़ रुपये है।

परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच कर ली गई है और इसे तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी गई है तथा इसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुद्देश्यीय परियोजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति के विचारार्थ योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। परियोजना

की अन्तिम स्वीकृति तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना द्वारा दी जानी है।

मुल्ला पेरियार बाँध का मजबूत किया जाना

1000व. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मुल्ला पेरियार बांध को मजबूत किये जाने के लिए आरंभ किये जा चुके कार्य के ब्यौरे के बारे में कोई प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार का कोई विचार इस सम्बन्ध में प्रगति-प्रतिवेदन मांगने तथा उसे सभा पटल पर रखने का है; और

(घ) मुल्ला पेरियार बांध को मजबूत करने के कार्य की देख-रेख कौन कर रहा है तथा इस कार्य के कब तक पूरे होने की संभावना है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ख) : केन्द्रीय जल आयोग को मुल्ला पेरियार बांध को मजबूत किए जाने के बारे में तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (सिंचाई) से, जो इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। 31 अक्टूबर, 1980 के अन्त तक प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार बांध को मजबूत किए जाने का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) **मुख्य बांध के लिए आर० सी० सी० कैपिंग की व्यवस्था करना**

इसमें 6000 घनमीटर कन्क्रीट का काम शामिल है। अब तक 1615 घनमीटर कंक्रीट बिछाया जा चुका है।

(2) **उमड़ मार्ग (स्पिलवे) की क्षमता बढ़ाना**

नींवों के अन्वेषण के लिए 6 सूराखों की ड्रिलिंग की जा चुकी है।

(3) **केबल को सुदृढ़ बनाना**

यह काम मेसर्स सीमेन्डिया लि०, बम्बई को सौंपा गया है और वे अपनी मशीनें स्थल पर ले जा रहे हैं।

(4) **पिछली ओर आर० सी० सी० बैकिंग करना**

बांध को मजबूत बनाने के नए डीजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

इस समय इन वर्क्स के पूरा होने की सही तारीख बताना संभव नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पश्चिम बंगाल के प्रति केन्द्रीय सरकार के भेदाभावपूर्ण रवैये के विरूद्ध मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। बकाया पड़े बिलों के भुगतान करने में अनावश्यक देरी की गई है। कुछ औद्योगिक इकाईयों को लाइसेंस देने में या तो देरी

की गई है या मना कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार हो रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य प्राप्त कर रहा हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक आदमी की बात सुन सकता हूं, सब बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा. आप फिर वही बात कह रहे है, मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी न लिखें जाए ।

कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष: महोदय, बिहार में पुलिस द्वारा कुछ लोगों के अन्धे किए जाने का समाचार आया है ।मैं तथ्य प्राप्त कर रहा हूँ और उनकी प्राप्ति पर मैं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में निर्णय लूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप बतला दीजिए कि कौन-कौन से हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बिहार में कोई ब्लाइण्ड करने की बात हैं (व्यवधान)

(व्यवधान)

हरिकेश जी आप बहुत समझदार हैं । मैं एक ही बात का जवाब दे सकता हुं, आप पांच सदस्य बोलेंगे तो न आपकी बात का मुझे पता चलेगा और न मेरी बात का आपको पता चलेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मैंने इस आशय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि जम्मू और कश्मीर सहित नौ राज्यों में गतिरोध हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं । मुझे इसे कहने की अनुमति द । देश के नौ राज्यों में गतिरोध है । विधी और व्यवस्था समाप्त हो गई है महोदय, कृपया समझने की कोशिश कीजिए । क्या आप मेरे स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नही दी है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय जी, हमने एडजार्नमेंट मोशन दिया था—अभी जो चुनाव हुए हैं, उनमें बहुत धांधली हुई है, एक रिपोर्टर को पीटा गया है—ऐसा टाइम्ज आफ इंडिया में निकला है......बूथ कैपचर किये गये है, अखबार के लोगों को मारा गया है......

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके एडजार्नमेंट मोशन को एडमिट नहीं किया है. फैक्ट्स-फाइण्ड कर रहा हूं ।

मैं इस बारे में तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य : कितनी देर तक फैक्ट्स-फाइण्ड किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अखबार की बात पर सीधा फैसला नहीं कर सकता हूँ।

(व्यवधान)

श्री हरि केश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, सरकार उन लोगों को पुलिस द्वारा उनकी आँखों को फोड़कर और उनमें तेजाब डालकर अन्धे बनाए जाने से रोकने में असफल रही है जिनको कि बिहार में अपराध करने के लिए बन्दी बनाया गया था इस पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तथ्य जुटा रहाहूँ। रिपोर्ट के मिलने पर मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बारे में विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया कि उसको बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने एडमिट कर लिया है। हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : कब आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आएगा, एक दिन में सब थोड़ी आ सकते हैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विधि मन्त्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च-न्यायालयों में नियमित स्थानों के रिक्त पड़े रहते तदर्थ जजों की नियुक्ती की बात कही गई है। यह एक गम्भीर कदम है और विधि मन्त्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण देने लिए कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगा रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : मैंने सुचना दी है कि वेस्ट-बंगाल की वामपन्थी सरकार पश्चिम बंगाल में वन्द का आयोजन कर रही है और वहाँ पर अराजकता और हिंसा का माहोल पैदा करने की कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ही हिंसा का माहोल पैदा कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : 150 कृषि योजनाएं रूकी पड़ी है। उन पर आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विक्टोरिया मेमोरियल हाल कलकत्ता के वर्ष 1979--80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन आदि और पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्व-विद्यालय, शिलांग के वार्षिक लेखे ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) विक्टोरिया मेमोरिय हाल. कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 1363/80)

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रति-वेदन (खंड 2—अनुसंधान तथा विकास गतिविधियाँ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 1364/80)

(3) (एक) भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 1365/80)

(4) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1366/80)

मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विवरण ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) विवरण संख्या 38-आठवाँ सत्र, 1969 — चौथी लोक सभा

(2) विवरण संख्या 40—दूसरा सत्र, 1971 — पांचवी लोक सभा

(3) विवरण संख्या 17—तीसरा सत्र, 1977
(4) विवरण संख्या 20—चौथा सत्र, 1978
(5) विवरण संख्या 24—पांचवां सत्र, 1978 छठी लोक सभा
(6) विवरण संख्या 12—छठा सत्र, 1978
(7) विवरण संख्या 15—सातवां सत्र, 1979
(8) विवरण संख्या 6—आठवां सत्र, 1979

(9) विवरण संख्या 4—पहला सत्र, 1980
(10) विवरण संख्या 3—दूसरा सत्र, 1980
(11) विवरण संख्सा 2—तीसरा सत्र, 1980 सातवीं लोक सभा
(12) विवरण संख्या 3—तीसरा सत्र, 1980
(13) विवरण संख्या 4—तीसरा सत्र, 1980
(14) विवरण संख्या 5—तीसरा सत्र, 1980

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० -1367/80)

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिकप्रतिवेदन और समीक्षा।

कृषि और ग्रामीण पुर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पन्नी अधिनियम, 1956 की धरा 619क के अन्तर्गत निम्मलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (6) में उलिलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या-1368/80)

(3) (एक) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप धारा 11 के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-1369/80)

सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों और आयकर अधिनियम आदि के अधीन सूचनाएं।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बेतवा नदी बोर्ड, अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उप धारा (1) के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुपूरक लेखा विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) अनुपूरक लेखा विवरण को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1370/80)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं श्री मगन भाई बरोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 503 (ङ) से 505 (ङ) जो दिनांक 29 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एल्यूमीनियम पर उत्पाद-शुल्क की छूट समाप्त किए जाने तथा एल्यूमीनियम तार छड़ों/छड़ों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 531(ङ) और 532(ङ) जो दिनांक 9 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एल्यूमीनियम तार छड़ों/छड़ों पर समस्त मूल उत्पाद-शुल्क में छूट और एल्यूमीनियम तार छड़ों/छड़ों पर सहायक उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 1019 जो दिनांक 4 अक्टूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 711(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(चार) सा० सां० नि० 585(ङ) से 587 (ङ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा प्लास्टिक कच्चे माल की कतिपय किस्मों पर मल सीमाशुल्क की दर, पोलीविनाइल क्लोराइड रेसिनों पर मूल सीमाशुल्क की प्रभावी दर तथा कम और मध्यम सघनता वाले पोलीथाइलिन मुल्डिंग पाऊडर और ग्रैन्यूलों पर सहायक सीमाशुल्क के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 621(ङ) से 624 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा साधारण विस्कोश स्टेपल फाइबर, और विस्कोश टोव पर मूल सीमाशुल्क की दर, विस्कोश स्टेपल फाइबर, विस्कोश टोव की कुछ किस्मों पर मूल सीमाशुल्क से छूट तथा विस्कोश स्टेपल फाइबर

और टोव की सभी किस्मों के बारे में सहायक सीमाशुल्क से छूट सम्बन्धी दिनांक 5 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 6-सीमाशुल्क और 8-सीमाशुल्क को रद्द करने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 737(ङ) और 638(ङ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित संसेचित फिल्टर कागज पर अतिरिक्त शुल्क की वसूली के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(सात) सा० सां० नि० 653(ङ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा बादाम, किसमिस और खजूर को भारत में आयात करते समय उनके टेरिफ मूल्यों को संशोधित करने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी-1371/80]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निगम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 632(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा साधारण विस्कोश स्टेप्ल/टोव पर मूल उत्पाद-शुल्क निर्धारित करने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी-1372/80]

(3) आयकर अधिनिय, 1961 की धारा 292 के अन्तर्गत आयकर सातवाँ संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अक्टूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० अ० 832(ड.) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1373/80]

(4) दिनांक 18 जुलाई, 1980 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की संख्या सा० सां० नि० 435(ड.)* से बदल कर सा० सां० नि० 436(ड.) करने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1384/80]

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सरकारी विभागों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था करने के बारे में 26 वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) तूतीकोरिन की नई बन्दरगाह के बारे में 39वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

*यह अधिसूचना 25 जुलाई, 1980 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

(1) "मुझे लोक सभा को यह जानकरी देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने अपनी 20 नवम्बर, 1980 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया है जिसके द्वारा विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक 1978 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया है और यह अनुरोध करना है कि उक्त प्रस्ताव से लोकसभा सहमत हो तथा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले लोकसभा के सदस्यों के नाम राज्य सभा को सूचित किए जांय ।

प्रस्ताव

"यत: इस सभा ने 25 जुलाई, 1978 की हुई अपनी बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि विश्व भारती अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 33 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य इस सभा के होंगे और 22 सदस्य लोक सभा के होंगे;

और यत: इस सभा ने उक्त संयुक्त समिति के लिए इस सभा से 11 सदस्य नियुक्त किये;

और यत: इस सभा ने सिफारिश की थी कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिए लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे;

और यत: तत्पश्चात् 26 जुलाई, 1978 को लोक सभा को एक सन्देश भेजा गया था जिसमें उक्त प्रस्ताव के इस सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के विषय में लोक सभा को सूचना दी गई थी;

और यतः लोक सभा ने 31 अगस्त 1978 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें इस सभा को उक्त सिफारिश से सहमति व्यक्त की गई थी और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा से 22 सदस्य नाम-निर्देशित किए गये थे;

और यत: संयुक्त समिति द्वारा विचार विमर्श पूरा किए जाने के पूर्व ही लोक सभा 22 अगस्त, 1979 को विघटित कर दी गई और तत्पश्चात्, 21 जनवरी, 1980 को नई लोक सभा गठित की गई;

अत: अब यह सभा संकल्प करती है कि उपयुक्त विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाय और जिसमें 33 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य इस सभा के होंगे अर्थात :

(1) प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
(2) श्री विश्म्भर नाथ पंडा
(3) डा० रुद्र प्रताप सिंह

(4) डा० मैल्कम एस० आदिशेषैया
(5) श्री जवाहर लाल बनर्जी
(6) डा० स्वरूप सिंह
(7) श्री मनुभाई पटेल
(8) डा० भाई महावीर
(9) श्री कल्याण राय
(10) श्रीमती कनक मुखर्जी
(11) डा० लोकेश चन्द्र;

और 22 सदस्य लोक सभा से होंगे।

संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से होगी;

अन्य विषयों के बारे में इस सभा के प्रवर समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया विषयक नियम ऐसे परिवर्तनों और उपान्तरणों के साथ लागू होंगे जिन्हें कि सभापति करें;

समिति राज्य सभा के 118वें सत्र के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन दे देगी; और

यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त समिति के लिए लोक सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसे राज्य सभा ने अपनी 20 नवम्बर 1980 की एक बैठक में पास किया।"

(iii) "कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुमार मूझे खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसे राज्य सभा ने अपनी 20 नवम्बर, 1980 की बैठक में पास किया है।"

राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पास किए गए निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रामपुर रजा लाईब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980

(दो) खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रिंस चार्ल्स के दौरे के समाचार के सम्बन्ध में नियम 377 के अधीन आपको एक नोटिस दिया था। मैं आपके विनिर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों को मंगा रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो फिर, मैं प्रतीक्षा करूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
किसानों द्वारा कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्यों की कथित मांग

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्यों की किसानों की कथित माँग और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और

सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : सरकार की यह मान्य नीति है कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिए जाने चाहिएँ ताकि उन्हें उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। मौजूदा सरकार ने मार्च, 1980 में कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित किया और यह व्यवस्था की कि आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि जिन्सों तथा गैर-कृषि जिन्सों के बीच व्यापार की शर्तों को भी ध्यान में रखेगा। सरकार ने आयोग को खासतौर पर यह भी कहा था कि वह उर्वरकों और डीजल आयल की कीमतें बढ़ जाने के फलस्वरूप धान, कपास आदि जैसी विभिन्न फसलों की कीमतों के बारे में अपनी सिफारिशों पर फिर से विचार करें।

धान के मामले में आयोग ने प्रति क्विंटल 100 रुपए के अधिप्राप्ति मूल्य का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकारों के विचारों और अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद सरकार ने धान की "सामान्य" किस्म के लिए प्रति क्विंटल 105 रुपए का अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने का फैसला किया। यह एक उल्लेखनीय बात है कि इस अधिप्राप्ति मूल्य के प्रति उत्पादकों में अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। इसका सबूत यह है कि इस वर्ष चावल की अधिप्राप्ति पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तेज गति से हो रही है। 21 नवम्बर, 1980 तक 23.2 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति हो गई है, जबकि 1978-79 के पिछले रिकार्ड फसल वर्ष में इसी तारीख को 13.4 लाख मीटरी टन चावल की अधिप्राप्ति हुई थी।

मोटे अनाजों, खासतौर पर ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी की फसलें शुष्क और वर्षा से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। इनके मामले में, 1980-81 के मौसम के लिए अधिप्राप्ति मूल्य को गत वर्ष के प्रति क्विंटल 95 रुपए की तुलना में बढ़ाकर प्रति क्विंटल 105 रुपए कर दिया गया है।

कपास के न्यूतम समर्थन मूल्य में भी काफी वृद्धि की गई है। कपास की कुछ मूल किस्म के प्रति क्विंटल 275 रुपए के मूल्य-स्तर को बढ़ाकर प्रति क्विंटल 304 रुपए कर दिया गया है। इस वृद्धि की प्रतिशतता 10.5 बैठती है।

प्याज के मामले में मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार ने खासतौर पर महाराष्ट्र राज्य के प्याज के उत्पादकों के न्यायोचित हितों की रक्षा करने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। चालू वर्ष के दौरान प्याज की भरपूर फसल हुई थी और प्याज की कीमत में काफी गिरावट अर्थात् प्रति 25 रुपए अथवा इसके आसपास, आ जाती। किन्तु, प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने फैसला किया कि नेफेड मण्डी में आए और प्रति क्विंटल 45रु० से 60रु० के हिसाब से प्याज की खरीद करे। मूल्य समर्थन सम्बन्धी कार्य की सफलता के लिए सरकार ने नेफेड को लगभग 6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। निर्यात के लिए नेफेड अब मण्डी में प्याज की खरीद कर रहा है। वह क्वालिटी के अनुसार प्रति क्विंटल 50 रुपए से 75 रुपए के हिसाब से प्याज की खरीद कर रहा है। सरकार इस बात को मानती है कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता है। किन्तु यह बात भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं के लिए कीमत अनुचित रूप से उच्च स्तर पर न पहुँचने पाए। सरकार को उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, दोनों के हितों की रक्षा करनी है।

दूसरी फसल गन्ने की है, जिसके लिए महाराष्ट्र और अन्य स्थानों के किसान अधिक कीमत की माँग कर रहे हैं। यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ने गन्ने के लिए प्रति क्विंटल 13 रुपए का सांविधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। गत वर्ष के दौरान गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 12.50 रुपए थी। तथापि, प्रधानमन्त्री की सलाह पर गन्ना पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि गन्ना उत्पादकों को प्रति मीटरी टन 160 रुपए से कम न मिले। हमारी जानकारी के अनुसार, गन्ने के लिए किसानों को प्रति मीटरी टन 190 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिल रहे हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, वहां गन्ने के कारखाने आवश्यक रूप से सहकारी क्षेत्र में हैं। अतः उत्पादकों को कीमत की अदायगी दो किश्तों में की जाती है। पहले अन्तरिम मूल्य घोषित किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री ने प्रति क्विंटल 16 रुपए का अन्तरिम मूल्य घोषित किया है। मौसम के अन्त में जब कारखानों के कुल वित्तीय खातों का पता चल जाता है, इस मूल्य के अलावा उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य दिया जाता है, जो सहकारी कारखानों की समूची आमदनी पर निर्भर करता है। किसानों को मिलने वाले इस अन्तिम मूल्य के, अन्तरिम मूल्य से काफी अधिक होने की आशा होती है। इस प्रकार इस व्यवस्था के तहत किसानों के हितों की भली भाँति रक्षा की गई है।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने चीनी का लेवी मूल्य प्रति क्विटन 285 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है, ताकि चीनी के कारखाने किसानों को गन्ने के लिए लाभप्रद मूल्य दे सकें। इस तरह प्रति क्विंटल 65 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसे आवश्यक रूप से उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। स्पष्ट है कि जो लोग गन्ने के लिए प्रति क्विटल 30 रुपए की कीमत निर्धारित करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि इसका लेवी चीनी के मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बात

पर जोर देने की जरूरत नहीं समझता कि कृषि मूल्य ऐसे स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो किसानों के लिए लाभप्रद हो। किन्तु अन्तिम उत्पाद इतना महँगा भी नहीं होना चाहिए कि सम्बद्ध कृषि उत्पाद की प्रभावी मांग घटने लगे। इसी सन्दर्भ में उचित उपभोक्ता मूल्य के जरिए उपभोक्ताओं की सतत माँग और उत्पादन के लिए सतत प्रोत्साहन देने हेतु लाभप्रद मूल्य प्रदान करने के बीच एक उचित सन्तुलन लाना है। निश्चित रूप से भारत सरकार की यही नीति है जिसका वह पालन करना चाहती है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से इस नीति की उचित सराहना के लिए उनका समर्थन चाहता हूँ।

सरकार किसानों की सभी यथार्थ आवश्यकताओं और माँगों पर विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किन्तु मैं यह कहने की आवश्यकता नहीं समझता कि ऐसी मांगों के लिए किसी तरह का आन्दोलन करना पूर्णत: अनावश्यक है। अनेक स्थानों पर ये आन्दोलन स्पष्ट रूप से किसानों के हितों की अपेक्षा राजनीति से प्रेरित होकर किये गए हैं। ये आन्दोलन न तो किसानों के हित में है और न देश के ही हित में। अत: मुझे आशा है कि जिन किसानों को इन आंदोलनों में शरीक होने के लिए गुमराह किया गया है वे उनके कल्याण के लिए सरकार की यथार्थ चिन्ता को समझेंगे और ये आन्दोलन अब आगे जारी नहीं रखे जायेंगे।

श्री कमलनाथ : देश के विभिन्न भागों में फैल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसानों के मूलभूत हितों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। डीजल सहित कृषि सम्बन्धी लागत के बढ़ते हुए मूल्यों से किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि मूल्य आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय के सक्रिय रूप से विचाराधीन है और वर्तमान आन्दोलन के शुरू होने से पहले ही इन पर विचार हो रहा था। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में हो रही घटनाओं के बारे में हमें किसी तरह की भूल करनी चाहिए। परन्तु, महोदय, मैं महसूस करता हूँ कि कुछ वर्षों से किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए उपेक्षापूर्ण व्यवहार मिला है क्योंकि कृषि उत्पादों में वृद्धि औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई हैं। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हुआ है—1666-67 और 1979-80 की सम्पूर्ण अवधि में 2.6 प्रतिशत का अत्यधिक औसत विकास। सेवा कार्य निष्पादन औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन की तुलना में अधिक बेहतर है! इसके अच्छे कार्य निष्पादन के लिए इसको पुरस्कृत करने के बजाय गाँवों के लिए विकास सम्बन्धी बजट धीरे-धीरे कम कर दिया गया। यह स्थिति है। जिससे, मैं समझता हूं सही सोच वाले व्यक्तियों को आन्दोलित किया होगा। खासतौर पर जबकि देश की 72.6 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। तथापि, अध्यक्ष महोदय, मुझे इससे दुख हुआ है जो कुछ किसानों के आन्दोलन के नाम से अब हो रहा है। उससे किसानों के मूल हितों की पूरी रक्षा नहीं हुई है। दुर्भाग्यवश, इस समय जो खेल खेला जा रहा है वह है राजनीति विशुद्ध राजनीति,— और सरभाव राजनीति। और हम से कहा जाता है कि एक उच्चशिक्षा प्राप्त व्यक्ति आई. ए. एस. का एक भूतपूर्व सदस्य इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा है। इस आन्दोलन के बारे में, जिसे शेतकारी संगठन कहा जाता है, समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी कुछ माँगों की जांच-परख की जाए। उनकी कुछ मांगों में से गन्ने के लिए 300 रुपए प्रति टन की माँग, प्याज के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल की माँग असंगत मांग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्याज के वर्तमान गारन्टीशुदा मूल्य को बढ़ाया जा रहा है और अब यह 50 से 65 के बीच है। माननीय

मंत्री ने अभी यह बात हमारे सामने स्पष्ट की है। मैं समझता हूँ कि गन्ने का मूल्य 175 रुपए प्रति टन होने जा रहा है, परन्तु इसका अन्तिम रूप में स्वीकृत मूल्य, जिसकी संगणना की जा रही है। 225 रुपये से अधिक हो सकता है। मेरी राय में ये समझौते करने के विषय हैं। विवाद के नहीं। फिर इस आन्दोलन की सर्वाधिक षड़यन्त्रकारी बात वह तरीका है जो इस आन्दोलन के संगठन कर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मानजी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री जार्ज फर्नांडीज जैसे बड़े आंदोलन कर्ता रेलों की फिश प्लेट हटाकर इस आन्दोलन को बढ़ावा देते रहे हैं। अब, जनता पार्टी, कांग्रेस (अर्स) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे अन्य दल भी यही कर रहे हैं। इस स्थिति में, मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से पूछना चाहूँगा, उन्हें क्या नैतिक अधिकार हैं, उन्हें क्या अधिकार है···

एक माननीय सदस्य : आप कृषि मंत्री से पूछ रहे हैं अथवा···?

श्री कमलनाथ : मैं प्रश्न को विस्तृत कर रहा हूँ। किसानों के आन्दोलन को समर्थन देने में उनको क्या अधिकार है ? मैं यहाँ श्री चरणसिंह द्वारा लिखी। वायदों द्वारा किसानों का शोषण' शीर्षक उस पुस्तिका से कुछ उद्धरण देना चाहूँगा जो उन्होंने उस समय प्रकाशित कराई जब उन्हें श्री मोरारजी देसाई द्वारा जनता मंत्रिमण्डल से हटाया गया था। उस पुस्तिका में मार्च 1977 और 30 सितम्बर 1980 की अवधि के लिए एक उद्धरण है। 1980 की आधार वर्ष मान-कर, खाद्यान्नों के मूल्य 1.6 अंक गिर गए, खाद्य तेलों के मूल्य 5.6 अंक गिर गए, कृषि उत्पाद 7.6 अंक चीनी, खांडसारी और गुड़ के मूल्य 23.3 अंक गिर गए। जरा इसकी ओर ध्यान दीजिए। यह गिरावट 23.3 अंक है। इसके विपरीत, औद्योगिक सामान के मूल्यों पर दृष्टिपात कीजिए इस तरह किसानों को बिजली की दरों के लिए बढे हुए मूल्यों का भुगतान करना होता है जो 18 अंक ऊपर चली गई हैं, सूती वस्त्र, सीमेंट, चूना-पत्थर आदि सभी के मूल्य 16.2 प्रतिशत बढ़ गए, कृषि उपकरण और ज्यादा महँगे हो गए, उर्वरकों की कीमतें 1.5 अंक नीचे चली गई। जो बात में कहना चहता हूँ वह यह है कि इस आन्दोलन के पीछे पूरी तरह राजनीतिक दावपेंच है। आन्दोलन के पीछे दूसरा षड्यन्त्र है किसानों के नाम पर सरकार को अस्थिर बनाना और मैं समझता हूँ कि यह आन्दोलन भीतर से राजनीतिक है अहम सवाल है—ये किसान कौन हैं ? 'किसान आन्दोलन' का नाम दिया जा रहा है। हम 'किसान' की परिभाषा में भ्रमित न हों। क्या ये किसान कृषि फसल के मुख्य रूप से खरीददार अथवा विक्रेता हैं ? कौन इस आन्दोलन को सहायता दे रहा है ? इस आन्दोलन के आयोजन के सम्बन्ध में समझा जाता है······ (व्यवधान)

श्री कमलनाथ : यह आँदोलन मूलरुप से लोकदल किस्म के कुलकों अथवा लोकदल के हमारे—मित्रों की प्रतिनिधित्व करता है। और इसे 'शेतकारी संगठन' कहा जाता है। वास्तव में कुलक लावी ही इस आँदोलन के पीछे है। एक एक खास बात जो मस्तिष्क में आती है, वह है कि इस शेतकारी संगठन का भी संक्षिप्त नाम रुप है एमएस जीवन वैसा ही है जैसा कि हिटलर का संक्षिप्त नाम रुप था। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि कृपया यह बताएं कि सरकार प्याज, आलू, तिलहन और गन्ने के मूल्य किस तरह निर्धारित करने जा रही है ? किस आधार पर इन्हें उन औद्योगिक उत्पादों के साथ सह सम्बद्ध किया जाएगा जिन्हें खरीदने के लिए किसान बाध्य है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनार्निर्माण और सिंचाई मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री कमलनाथ ने वर्तमान स्थिति का सहीसही मूल्यांकन किया है। (व्यवधान) इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए अधिक से अधिक किया है, जो कुछ भी करना उसके लिए संभव था। सरकार ने नियम से बाहर जाकर भी 'किसानों' के लाभ के लिए और समर्थन उपाय के रुप में मूल्यों का उच्चतर स्तर निर्धारित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। पिछली सरकार के कष्टकारी कार्य निस्पादन की जो दुःखद याद किसानों के है, उसे दूर करने के प्रयास के अलावा यह आन्दोलन और कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि किसान इस बात को भूल जाएं कि खेतों में ही गन्ना जला दिया गया था। किसानों को प्रति क्विटल 3.50 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सका और उस दर पर भी इसे खरीदा नहीं गया था। किसानों की आलू की फसल के साथ जो कुछ हुआ उसे वे अच्छी तरह जानते हैं। किसानों को आलू के प्रति बोरे के 15 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सका जब कि एक बोरे को शीत भंडार में रखने का अधिभार 25 रुपए था। इन बातों का किसानों को मूल्यांकन करना चाहिए। हमारे मित्रों में से कुछ वास्तव में किसानों के मित्र नहीं हैं, परन्तु वे सामान्य स्थिति से लाभ उठाने वाले है। किसानों कों स्वभावितः यह सुनकर प्रसन्नता होगीं न कि कोई व्यक्ति उनका दोस्त है और उन्हें ऊंचे मूल्य दिलवाने में यहायता देगा। परन्तु उस नुकसान कीं कल्पना कीजिए जो वे इस देश की अर्थव्यस्था और किसान समुदाय को पहुँचा रहें हैं। किसानों को खड़ी फसल की ओर पूरापूरा ध्यान देना चाहिए। उनके व्यवसाय से उनको ध्यान हटाया जा रहा है और उन्हें इस बात का विश्वास करने में गुमराह किया जा रहा है कि संभवतः आंदोलन उन्हें बेहतर लाभ पहुँचाएगा। सीधे-सादे किसानों के साथ यह राजनीति बन्द होनी चाहिए। यह विपक्ष से मेरी अपील है। (व्यवधान) अब हर कोई किसानों का हमदर्द बनने की कोशिश करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राव साहिब, आप अपने ही वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यदि आप केवल भारतीय किसानों को समझ सकें और बाहर की ज्यादा बातें न करें तो मुझे कहीं ज्यादा प्रसन्नता होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इस प्याज की कीमतों पर निगरानी रख रहे है। अब महाराष्ट्र और गुजरात में नई फसल आ गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निगंरानी करते रहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं आप की तरह अंधा नहीं हो सकता मुझे कीमतों पर निगाह रखनी है। यदि मैं भी आप की तरह अंधा हो जाऊं तो इससे किसानों का कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह दूसरी फसल जो अब महाराष्ट्र के बजारों में पहुँचना शुरू हो गई है, वह बहुत बड़ी फसल नहीं है। महाराष्ट्र सरकार मेरे साथ बातचीत करती रही है और हम देखेंगे कि किसानों को अपनी प्याज के अच्छे मूल्य मिलें जैसा कि पिछली बार हमने किया। पिछली बार, हमने मूल्य समर्थन कार्य के रूप में नैफेड के माध्यम से दो लाख टन प्याज की खरीद की थी।

श्री आर० के० महालगी (गणे) : महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई मांग क्या है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप जानते हैं, क्या मांग हो सकती है। जो माँग है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब प्याज और गन्ने के मूल्य क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इस समय किसानों को प्याज के दाम उससे तीन गुना ज्यादा मिल रहे हैं जो उन्हें पिछले शासन, जिसका संभवतः आप द्वारा भी समर्थन किया गया था, के दौरान मिले ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कहाँ थे ? (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : यह एक बहुत गंभीर मामला है और माननीय मन्त्री महोदय इतने हलके ढंग से इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं इसको हल्के रुप में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि मैं इस सरकार में किसानों की प्रतिनिधित्व करते हुए मन्त्री के रुप में किसानों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता हूँ । परन्तु आप के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आप इसे महत्व नहीं देते हैं और आप किसानों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ।

प्याज का औसत मूल्य महाराष्ट्र से—50 रुपए प्रति क्विटल, आन्ध्र प्रदेश में 75 रुपए प्रति क्विटल और बिहार में 65 रुपए प्रति क्विटल है ? वर्तमान सरकार वाणिज्यिक कार्य के रुप में निर्यात के लिए खरीदा करती रही है । परन्तु यदि अवश्यकता हो, जब हम यह देखेंगे कि प्याज के मूल्य गिर रहे हैं और महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्याज की कोई खरीद नहीं हो रही है—ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ संभवतः प्याज की फसल स्थानीय खपत से ज्यादा होती है—तो नाफेड और महाराष्ट्र सरकार दोनों, एक समर्थन उपाय के रुप में इसका खरीद कार्य शुरु करने के लिए तैयार रहते है ।

आलू भी अच्छी कीमत पर बिक रहे है । बम्बई में आलू 205 रुपए प्रति क्विटल की दर से बिक रहे है पटना में 150 रुपए प्रति क्विटल से अधिक फर्रुखाबाद में 125 रुपये प्रति क्विटल से अधिक याद कीजिए, पिछली बार फर्रुखाबाद में आलू का एक बोरा 15 रुपया का था। कानपुर में यह 150 प्रति क्विटल और दिल्ली में 155 रुपए प्रति क्विटल के लगभग बिक रहा है।

हमने धान के जो मूल्य निर्धारित किये है, उनका आप को पता है । आप को यह भी मालूम है कि इस समय हम कितनी तेजी से धान की वसूली करने में लगे हुये है । मैं आशा का करता हूँ कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये जा रहे है उनसे किसान पूर्णयता सन्तुष्ट हैं । प्रधान मन्त्री ने भी मुख्य मन्त्रियों से कहा है कि यदि किसानों की कुछ जायज शिकायतें है तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये और उसके बारे में केन्द्र सरकार के साथ बातचीत की जानी चाहिये । प्रधान मन्त्री सदा ही किसानों के कल्याण की हित में चिंतित रही है और यह बात उनकी सरकार द्वारा जनवरी से सत्ता में आने के बाद अपनाई गई सभी नीतियों से स्पष्ट हो जाती है ।...(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : यदि किसान सन्तुष्ट है तो फिर यह आन्दोलन क्यों हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यदि श्री बीजू पटनायक सन्तुष्ट नहीं है और यदि कोई...
(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी,—**(व्यवधान)**

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : बागड़ी जी, आप का तो फार्मर्स से कोई ताल्लुक रहा नहीं आप तो वड़े लीडर हो गये है।

श्री मनीराम बागड़ी : हम तुम्हारी तरह छोटे नहीं हैं, बड़े थे, और बड़े हैं।

श्री बीजू पटनायक : आप किसानों को गोलियों से उड़ा कर उनके हितों की रक्षा कर रहे है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम नहीं चाहते कि किसानों का किसी प्रकार से दमन किया जाये। हम यह भी चाहते है कि किसान हिंसा पर उतारू न हो। यदि किसानों को कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा गुमराह किया जा रहा है, तो यह निश्चय ही खेद की बात है। किसानों के सच्चे मित्र होने के नाते मैं इनसे केवल यही अनुरोध करता हूँ कि वह हमें ही अपने सच्चे मित्र समझे न कि उन लोगों को जो कि उनका शोषण करने में लगे हुये हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मेधपुरा) : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान किसानों का देश है और यहाँ की 90 प्रतिशत जनता खेती पर या उससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हिन्दुस्तान के किसानों की हालत अच्छी होगी तो मुल्क की हालत भी अच्छी होगी। यदि किसान की बेहतरी होगी तो मुल्क की भी बेहतरी होगी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वास्तव में आज हिन्दुस्तान का किसान सबसे ज्यादा, शोषित, प्रताड़ित और परेशान है। उनकी हालत आज बदतर है। मंत्री जी शायद इस बात को जानते होंगे, शायद किसी गांव से अभी भी उनको वास्ता होगा, कि गांव के लोग आज शहरों की ओर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। इसके कारण की ओर आपको देखना होगा। जाहिर है कि न उन्हें वहां प्रतिष्ठा मिलती है, न सम्मान मिलता है, और न पैसा ही मिलता है, इसलिए यही कारण है कि आज लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हुँ कि यह जो आन्दोलन आज किसानों ने शुरू किया है, यह क्यों शुरू हुआ और इसको गम्भीरता से मंत्री महोदय को देखना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि आज हिन्दुस्तान के किसान ने अपने हक को पहचाना है और उसको पाने के लिए लड़ाई करने के लिए तय किया है। इसलिए मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हिन्दुस्तान का किसान जागा है।

अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने कुछ चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या दाम बढ़ाया है। जो आंकड़े इनके द्वारा दिए जाते हैं, ये गत साल और इस साल के तुलनात्मक दिए जाते हैं। ये कहते हैं कि धान का भाव 10 रु० बढ़ा दिया है, मोटे अनाजों का दाम 10 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया है, कपास का दाम 30 रु० क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिया है। इनका कहना है कि प्याज 50 रु० से 75 रु० के बीच में बिका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप केवल इस आंकड़ों के जगलरी में ही जायेंगे कि गत साल क्या था और इस साल क्या मिलने वाला है या आप इस ओर भी ध्यान देंगे कि वास्तव में दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा।

आपको यह भी देखना होगा कि उनको जो औद्योगिक सामान खरीदना होता है, उसके

दाम कितने प्रतिशत बढ़े हैं तथा उसको जो इनपुट्स खरीदना होता है, उसके कितने दाम किसानों को देने पड़ते हैं। यदि आप इस ओर ध्यान देंगे, तो पायेंगे कि किसानों की हालत बहुत खराब है। मंत्री जी ने कहा है, किसान के उत्पादनों के दाम बढ़ा कर, कि किसान सन्तुष्ट हो जायेंगे, पता नहीं संतोष का यदि यही नजारा जो आज देश में चल रहा है, यदि यही चलता रहा जिस तरह से किसान अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, तो समस्या और उलझेगी।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि किसान अपने उत्पादन, जैसे खाद्यान्न, तेल, सब्जी, दूध, फल, रुई, तम्बाकू, ईख इत्यादि को बेचता है तो उसके दाम को सूचकांक 204 है। पर खरीदने वाली चीजें जैसे, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, डीजल, ट्रैक्टर्स, बर्तन, चमड़े का सामान, कपड़े आदि की कीमतों का सूचकांक 284 है। इस प्रकार किसान को खरीदने वाली चीजों के मुकाबले अपनी वेचने वाली चीजों के मुकाबले अपनी बेचने वाली चीजों के दाम 40 प्रतिशत कम मिलता है। आप अन्दाज कर सकते हैं कि उस मुल्क का किसान जिसे 40 प्रतिशत दाम ज्यादा देना पड़ता हो और वह भी इनके मुताबिक संतुष्ट हो, तो तब तो ये ही कह सकते हैं कि किसान संतुष्ट है पर जो समझदार व्यक्ति होगा, वह कतई इस बात को नहीं कहेगा।

अध्यक्ष जी, हमें खेद है कि मंत्री महोदय ने इस वाजिब मांग को लेकर, किसानों में जो आज उफान उठा है, उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को लाचार करने का प्रयास किया है, इसको यह राजनीति से प्रेरित कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में राजनीति से प्रेरित इनकी सरकार है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ—आज महाराष्ट्र का सवाल उठा है, आप यदि महाराष्ट्र में जाकर देखेंगे, तो जहाँ ये एजीटेशन्स हुए हैं, ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और जहाँ ज्यादा गोलियाँ चली हैं, ये वहीं पर चली हैं, जहाँ पर इनकी इन्दिरा कांग्रेस का सफाया हो गया है, वहीं पर ज्यादातर गोलियाँ चली हैं लोग अरैस्ट हो रहे हैं और ज्यादातर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर राजनीति से प्रेरित इनकी भावना है या किसान की भावना है।

एक माननीय सदस्य : जगह का नाम बताइए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : चिन्ता मत कीजिए, मैं नाम पर आ रहा हूँ। नासिक में आप देख लीजिए, नासिक में इन्दिरा कांग्रेस का सफाया हो गया है। इसके बाद उसी तरह के जो जोन्स हैं, जहाँ पर इनका सफाया हुआ, वहीं पर इनकी पुलिस की कार्यवाही हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं सवाल पर आता हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा अन्य प्रदेशों में यह आन्दोलन शुरू हो गया है और यदि मंत्री महोदय ने इसी तरह इसको नजरअन्दाज किया, इसको राजनीति से प्रेरित कहा तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ—मुमकिन है मुल्क का किसान अब जाग उठे और वह आप जैसी कितनी सरकारों को उठा कर फेंक देगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर सहिष्णुता से विचार करना चाहिये, उनकी जो डिमाण्ड्स हैं—वे उचित हैं या नहीं—यह देखने की जरूरत है ··

अध्यक्ष महोदय : सजेश्चन दीजिये कि कैसे करें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जरूर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। वहाँ

सहरसा और पूर्णियां ऐसे जिले हैं जहाँ 'पाट' पैदा होता है। उस क्षेत्र का यह कैश-क्राप है, पता नहीं मंत्री जी की निगाह में यह बात आई है या नहीं। इन्होंने 'पाट' की कीमत 58 रुपये प्रति मन तय की है, लेकिन वहाँ के किसानों को 25 रुपये से 40 रुपये प्रति मन के भाव से उसको बेचना पड़ रहा है और वह भी बिचौलिये खरीद रहे हैं। जे० सी० आई० डायरेक्ट नहीं खरीद रही है। उनका कहना है कि हमारे पास गोडाउन नहीं है, लेकिन जब बिचौलिये खरीद लेते हैं तो गोडाउन हो जाता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा—आप इसको स्वयं देखें, उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए जो कार्यक्रम हैं, वे सब जमीन पर नहीं पहुँच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन के दाम तय करने के लिए मुख्य मत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उसने कुछ रिकेमेण्डेशन्ज भी की थीं। मैं जानना चाहता हूँ कि विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने क्या-क्या सुझाव दिये थे और आप ने कहां तक उन सुझावों को माना है…

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई सजेश्चन भी है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सजेश्चन नहीं है, सवाल है। मैंने पूछा है कि अभी हाल में प्राइरोज को फिक्स करने के लिए मुख्य मत्रियों का सम्मेलन हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ कि उस सम्मेलन में उन्होंने क्या रिकमेण्ड किया और आप ने क्या माना ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : किस चीज के लिए ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव : उन्होंने जो-जो सजेश्चन्ज दी हैं उनको मानना चाहिए। धान के लिये, जूट के लिये, गेहूँ के लिये, दूसरी सारी चीजों के लिये जैसे आलू हैं, सुगरकेन है, उन्होंने जो रिकमेण्डशेन्ज दी हैं, उनको मानना चाहिये।

कृषि संसाधनों के दाम बढ़ाने से प्रति क्विंटल कितने दाम बढ़े हैं तथा सरकार द्वारा कितना कम्पेन्सेट किया जायगा ?

किसान द्वारा प्रयुक्त औद्योगिक उत्पादन वस्तुओं के दाम कितने बढ़े हैं तथा मंत्री जी ने जो दाम निश्चित किये हैं उनसे कितना नुकसान किसानों को होगा, तथा क्या मंत्री जी उस नुकसान को कम्पेन्सेट करने का विचार रखते हैं ?

महाराष्ट्र के आन्दोलन से कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए तथा कितने गिरफ्तार हुए ?

क्या यह भी सही है कि जिस समय आपकी इन्दिरा सरकार जनवरी, 1980 में पावर में आई, उस समय किसानों को जो कीमत मिलती थी वह 86 प्रतिशत थी, लेकिन अब जो वस्तुयें किसानों को खरीदनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से उनको केवल 70 प्रतिशत कीमत मिलती है ? यदि यह बात सही है तो फिर आपका किसानों के लिए आठ-आठ आँसू बहाना व्यर्थ है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान शक्ति से नहीं, बल्कि सुहृदयता से करना होगा, किसानों की जो वाजिब माँग है उसको मद्देनजर रख कर सरकार को फैसला करना होगा, उनको लागत दाम देना होगा। उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में माना है कि उनको लागत दाम नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार उनको लागत दाम दिलाने के

लिए क्या कर रही है ?

सपोर्ट प्राइस मंत्री जी फिक्स करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में यह भी कहा है कि कई जगह सपोर्ट प्राइस से ज्यादा दामों पर सामान बिकता है। मैं जानना चाहता हूँ— जब आपने सपोर्ट प्राइस फिक्स की है और उस से ज्यादा दाम मार्केट में हैं, तो फिर आप ने सपोर्ट प्राइस किस आधार पर फिक्स की है ?

आप के एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के जो सदस्य हैं उनको वास्तव में कागज पर ही कृषि की नालिज है या उन्होंने वास्तव में गांव को देखा है, वास्तव में किसानों को देखा है ? यदि देखा है तो वे किस आधार पर प्राइस फिक्स करते हैं ?

अन्त में मैं एक आग्रह करना चाहूँगा—एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में ऐसे लोगों को ज़्यादा संख्या में रखें जिन्हें गाँव की जानकारी, देश की जानकारी हो, किसान की दिक्कतों की जानकारी हो। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इन सब बातों का विस्तार से ज़वाब दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : स्पीकर साहब, पहले तो मैं अपने दोस्त को यह समझाना चाहूंगा कि मिनीमम सपोर्ट प्राइस इसलिए नहीं होती है कि अगर मंडी में भाव ज्यादा हो रहा है, तो मिनीमम सपोर्ट प्राइस को भी उसी के मुताबिक उठानी, बढ़ानी चाहिए। मिनीमम सपोर्ट प्राइस कुछ चीजों के लिए मुकर्रर की जाती है और उसका मतलब है कि सरकार की गारेन्टी है कि किसान जितनी भी पैदावार उन चीजों की करेगा, उसमें किसान को घाटा नहीं रहने दिया जाएगा ताकि खास तौर पर अनाज हमारा कम पैदा न होने पाए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आधार क्या है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आधार बिल्कुल एकोनामिक है और आप से शायद ज्यादा पढ़े-लिखे आदमी एग्रीकलचरल प्राइसेज कमीशन के अन्दर बैठे हैं। **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल : किस से ज्यादा पढ़े-लिखे होते हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : ज्यादा पढ़े-लिखे हो सकते हैं लेकिन किसानों की समस्याओं को जानने वाले भी हों।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : किसान भी अच्छे हैं। चौधरी रणधीर सिंह भी एक किसान हैं, जो मेम्बर हैं। वे देखने में किसान हैं और वैसे भी किसान हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी अच्छी दी है गेहूँ के मामले में। इसलिए इस बात के लिए आप अन्देशा न करें कि कोई ठीक हिसाब लगाने वाला किसानों के हक में, वहाँ पर नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से जब एसोरेंस है कुछ प्रोड्यूस के बारे में···

श्री नीरेन घोष : कृषि मूल्य आयोग, तो अभी भी उनके प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाये हुए है।

श्री धनिक लाल मंडल : यह सत्य है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मंडल जी महाराज, एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन का जहां तक सम्बन्ध है···

श्री धनिक लाल मंडल : एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने रिकमेंडेशन्स दी हैं, उनको आपकी पार्टी के मुख्य मंत्रियों ने ही नहीं माना है। इतने काबिल हैं आपके इस कमीशन के लोग ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हमारी नीति के ऊपर चल रहे हैं। अगर अखबारों में कोई गलत खबर निकल जाती है, तो उस पर आप ध्यान न दिया करें वे पार्टी के डिस्सिपलिन पर चलते हैं और बिल्कुल डिस्सिपलिन में रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कायदा तोड़ कर बात पूछेंगे, मैं तो कायदा नहीं तोड़ सकता। मुझे तो स्पीकर साहब से डर लगता है, आप को न लगता हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंडल जी को 'महाराज' नहीं कहने दूँगा। वे अभी किसान हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप सारे किसान हैं। बड़ा दर्द है इनके दिल में किसानों के लिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यही लोग पिछली सरकार में बैठे थे और तब क्या किया इन्होंने किसानों के लिए, कौन सा शोर मचाया और कौन सा सवाल उठाया था। ये किसानों को मारते रहे और खुश होते रहे और आज ये हम से सवाल करते हैं। किसानों का सत्यानाश कर के रख दिया इन्होंने तीन सालों के अन्दर और आज किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। इसलिए किसानों की ये क्या बात करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप भी थे उस वक्त इधर।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप भी उस वक्त इसी पार्लियामेंट में थे और गवर्नमेंट के सपोर्टर थे और मंडल जी उस वक्त मिनिस्टर थे, जब गवर्नमेंट को आग लग रही थी और आलू पड़ा सड़ रहा था। आज आप किसानों की बात कर रहे हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : आज जूट की सपोर्ट प्राइस 58 रुपये है और वह 25 रुपये बिक रहा है। यह सपोर्ट प्राइस है आप की।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : फर्क सिर्फ इतना है आप में और मुझ में कि आप लीडर हैं और मैं किसान हूँ। मैं सिर्फ किसान हूँ और कुछ नहीं और किसान की आमदनी का खाता हूँ और मेरी आमदनी किसी दूसरी चीज से नहीं है। न दुकान है, न धन्धा है और न किराया मैं खाता हूँ। न बिजनैस है और न फैक्टरी है और आप लोगों के कई-कई धन्धे हैं। इसलिए किसान की बात मैं ज्यादा जानता हूँ, आप से ज्यादा जानता हूँ।

श्री नीरेन घोष : नहीं-नहीं, आप किसानों का शोषण करते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप खड़े हुए दिखाई नहीं देते और बैठे हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए मैं क्या करूं। आप बैठ जाइए ताकि मैं इनके सवालों का जवाब दे सकूं।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : दूसरी बात इन्होंने पैरिटी की कही।

श्री धनिक लाल मंडल : जूट जो 25 रुपये बिक रहा है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)*

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जूट का भी जवाब दे रहा हूँ आप सुनते ही नहीं है। यहाँ तो किसान भड़काने में नहीं आएंगे, यह काम बाहर जाकर कीजिए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नथिंग अलाउड विदाउट परमीशन।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : दूसरी बात जो कि श्री कमल नाथ जी ने भी कही श्री आर० पी० यादव ने भी उठाई, पैरिटी किस हद तक प्राइसेस की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूज की, नान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, मेन्यूफेक्चर गुड्स की कीमतों के अन्दर होल सेल प्राइज की इन्डेक्स में कितना फर्क है, किस हिसाब से पड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अभी हम पैरिटी पैदा नहीं कर सके हें, लेकिन पैरिटी लाने का उसूल इस सरकार ने अपनाया है, पहली बात। एग्रोकल्चर प्राइसेज कमीशन के टर्मस आफ रिफ्रेंस में हमने बोला है, यह सरकार बनने के बाद से ही हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ए० पी० सी० को हुक्म दिया गया है कि वह इसका ख्याल रखे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूज के अन्दर और दूसरे प्रोड्यूज के अन्दर कुछ न कुछ पैरिटी पैदा करने की वे कोशिश कर रहे हैं, यह काम आपने कभी नहीं किया। एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, स्पीकर साहब आप जानते हैं कि यह एक रिकमण्डेटरी बाडी है, उसके ऊपर वह करना जानती है या नहीं जानती है यह हमारा काम है, उसका हिसाब-किताब देखना, अगर उसने कहीं गल्ती की है तो हम उसकी छान-बीन करें और यही वजह है कि उन्होंने 100 रुपये पैडी का मूल्य रखा हमने 105 रुपये रखा। यह इसी सरकार की हिम्मत थी।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में, नासिक में, गुजरात में और दूसरी जगह कितने आदमी मरे या कितने कैद किए गए, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो किसानों की बातों का जवाब देना है। किसान और किसानों के दोस्तों को समझाने की कोशिश करना है, लेकिन मुझे अपसोस जरूर है इस बात का कि जहां हमने किसानों को सबसे ज्यादा फायदा दिया, किसानों की सबसे अधिक सेवा की, नासिक के इलाके में, यह एजीटेशन वहीं से जोर पकड़ गया। हमने 6 करोड़ रुपया नेफेड को दिया, प्याज की खरीदगी के लिए, प्याज सड़ रहा था, उसे कोई पूछता नहीं था, हमने 45 और 60 रुपए के दरमियान प्याज की खरीदी शुरू करवाई और उसका सबसे ज्यादा फायदा नासिक के किसानों को पहूँचा। आज वही नासिक के किसान अगर एजीटेशन करें तो दुख जरूर होता है और अफसोस यह होता है कि वो भड़काने में आ जाते हैं।

महाराष्ट्र के अन्दर गन्ने की कीमत के बारे में कोई वजह नहीं है कि कोई आंदोलन हो, पंजाब के अन्दर कोई आंदोलन नहीं हरियाणा में नहीं, यू. पी. में नहीं, बिहार में नहीं,(व्यवधान) पंजाब में जो आंदोलन हुआ वह बस फेयर के लिए था, आप कहते हैं कि पोलिटिकल मोडिटेटेड नहीं है जार्ज फर्नांडिस यहाँ से उठकर सेशन चल रहा है , बीच से उठकर क्या कर रहे

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। क्या यह पोलिटिकल मोडिटेटेड नही है ? क्या नारायण स्वामी तमिलनाडु से उठकर पंजाब का एक हफ्ते का चक्कर लगाकर गए हैं, वे पोलिटिक्स के लिए नहीं आए थे तो क्या किसान के खेतों को पानी देने के लिए आए थे ?

पोलिटिक्ली मोटिवेटिड तो साफ साफ है। जब आप लोग, आपके लीडर भड़काते फिर रहे हैं, दूसरे सूबों में जा रहे हैं तो इससे बड़ी पालिटिक्स और क्या किसानों के साथ हो सकती है (इंटरप्शंज) मेरा तो गला खराब है, अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाता हूँ।

महाराष्ट्र के अन्दर गन्ने की प्राईस पर किसानों को डिससैटिसफैकशन हो इसकी कोई वजह नहीं है। वहाँ पर गन्ने की यील्ड फी हैक्टर सारे देश में सब से ज्यादा है। 90 टन तक पर हैक्टर गन्ना पैदा होता है महाराष्ट्र में। वहाँ पर शूगर की रिकवरी का रेट सारे देश में सब से ज्यादा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहाँ सूक्रोज कटैंट कितना है ? हाइएस्ट है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : महाराष्ट्र में हाइएस्ट रेट आफ रिकवरी है। यील्ड सब से ज्यादा है। गन्ने की प्रोड्यूस में महाराष्ट्र के किसान का प्राफिट का मार्जिन देश भर में सब से ज्यादा है और प्राइस उन को सब से ज्यादा मिल रही है। कारण यह है कि गन्ने की प्राइस रिकवरी के रेट पर मिलती है। पंजाब और हरियाणा में जहाँ रिकवरी भी कम है, यील्ड पर एकड़ भी कम है वहां अगर किसान समझता हूं कि मुनासिब कीमत है तो महाराष्ट्र का किसान कैसे कह सकता है कि मुनासिब कीमत गन्ने की नहीं है। ये सब चीजें भड़काने ती बजह से हुई हैं। हम अपने किसानों को समझाएंगे। उन से हम बात करेंगे। उनकी जो उचित बात होगी उसको सुनेंगे। जहाँ जहाँ गन्ना पैदा होता है. प्याज पैदा होता है, वहाँ किसानों को कोई डिससैटिसफैकशन है, डिसकंटेंटमेंट है, भड़काने की बजह से गुमराह होने की वजह से, उसको हम दूर करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर्ज को हिदायत दी है कि किसानों के साथ हमदर्दी का सलूक किया जाए। उनसे बातचीत की जाए। यह भोली कौम है किसान की। हम पालिटिशियन उनको भड़का सकते हैं। उनके ऊपर ज्यादा नाराजगी इस बात के लिए नहीं होनी चाहिये कि वक्ती तौर पर वे दूसरों के बहकावे में आ गए हैं। जो चीफ मिनिस्टर मुझे बुलाए मैं जाने को तैयार हूँ, मैं किसानों को फेस करने के वास्ते तैयार हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो भाव यह सरकार दे रही है, किसानों को उम्मीद भी नहीं थी कि उतना हम उनको दे सकेंगे। फिर भी आप उनको भड़काते हैं।

जूट की बात आपने कही है। इसके भाव भी हम ने बढ़ा दिए है। जूट की खरीद भी की जा रही है। इसकी पूरी निगह दाश्त हम करेंगे कि जूट जो हिन्दुस्तान में काफी पैदा होता है उस में भी किसान को नुकसान न होने पाए।

श्री राजेश कुमार सिंह : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह जाहिर किया है कि किसानों की माँगें बड़ी हास्यास्पद और असंगत हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान रहें हैं। अवहोर में आपने चार बरस पूर्व पंजाब व हरियाणा में किसान नेता, हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी और प्रकाश सिंह जी बादल के नेतृत्व में कपास मूल्य प्रति क्विंटल पाँच सौ रुपये की

थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप तब किसान थे और आज किसान नहीं हैं ?

1258 **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

मंत्री महोदय ने चीनी की बात कही है। मैं उनका ध्यान गन्ने की खेती की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उनको मालूम होना चाहिये कि एक एकड़ भूमि में जो सर्वे की फिगर्ज सामने आ रही है उन से साफ जाहिर होता है कि 2800 रुपये की लागत आती है और एक क्विंटल गन्ना 22 रुपये 50 पैसे में पड़ता है। इस हालत में आप उसका तेरह रुपये कैसे दे सकते हैं। ऐसी अवस्था में क्या आंदोलनकारियों की माँगें न्यायोचित और उचित नहीं है ? उनके खून पसीने की कमाई की बदौलत ही आज आप सत्ता में हैं। आपकी साँठगाँठ मिल मालिकों से है। श्रीमति इंदिरा गाँधीं ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हम काश्तकारों और मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे।

किसान की अवाज आज तमिलनाडु से लेकर सब जगह है। आपने कहा है कि यह राजनीतिक लोगों के द्वारा प्रेरित है लेकिन किसानों के द्वारा नहीं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और नासिक, नासिक में किसानों ने कहा है कि गन्ने की कीमत 320 रुपये टन, प्याज की कीमत 100 रुपये क्विंटल, उत्तर प्रदेश का किसान कह रहा है कि 30 रुपये क्विंटल गन्ने का दिया जाना चाहिये। मैं आपको बता रहा हूं कि 2828 रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है और एक क्विंटल पर 22 रुपये 50 पैसे पड़ता है। जो मिल चीनी बना रहे है उस पर 90 से 85 रुपये गन्ने की कीमत के बाद खर्च पड़ता है उसके बाद भी यदि किसान से 30 रुपये क्विंटल लिया जाये तो मिल मालिक को 37 रुपये क्विंटल का नफा होगा। लेकिन आप इसे नहीं चाहते।

मैं कपास के बारे में कहना चाहता हूँ

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें। आप भाषण दे रहें है।

श्री राजेश कुमारी सिंह : कपास वनकर मिल में जाती है और धोती 15 हजार रुपये क्विंटल पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के दौरान भाषण नहीं दे सकते। कृपया नियमोंका पालन करें।

श्री राजेश कुमार सिंह : इससे साफ जाहिर है कि......

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूँगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं कुछ अधिक नहीं कह रहा हूँ। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मुझे अनुमति दें......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं सभा से उठ कर वाहर चला जाऊँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी इच्छा पर है। मंत्री महोदय अब उत्तर दें।

(तब श्री राजेश कुमार सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये)

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भाषणों को प्रारम्भ से ध्यान पूर्वक सुनता रहा हूं तथा अध्यक्ष महोदय अपने स्व-विवेक से पर्याप्त समय देते रहे हैं। परन्तु उस सदस्य के साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है। यह उचित नहीं है। आप का संबन्ध विपक्ष से है। हम चाहते है कि आप हमारे साथ न्याय करें। हम आप से कोई अनुग्रह नहीं चाहते। माननीय सदस्य को उतना समय प्राप्त करने का हक है जितना कि अन्य सदस्यों को दिया गया है। कृपया रिकार्ड देखें कि प्रत्येक सदस्य को कितना समय दिया गया था। यदि आप उसे बदलते हैं तो हम समझेंगे कि आप सत्तारूढ़ दल से पक्षपात कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा था कि भाषण देने के स्थान पर वह प्रश्न पूछें। वह प्रश्न पूछना नहीं चाहते। किसी भी तरह मैं इस पर और चर्चा नहीं चाहता। मंत्री महोदय अब उत्तर दें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिस पर मैं भाषण की अनुमति नही दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं चर्चा नहीं कर रहा। सभा की प्रक्रिया के बारे में मेरा डाक व्यवस्था का प्रश्न है जहाँ तक ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का संबन्ध है हम नियमों एवं परमपराओ के अनुसार चलते हैं। आप विपक्ष के सदस्य रहें हैं। मैं आप का ध्यान रिकार्ड की तरफ दिलाता हूँ, श्री कमल नाथ ने लम्बा भाषण दिया तब मैंने टिप्पणी की थी। अध्यक्ष महोदय पीठा सीन थे। तब ऐसा लगता था कि मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहें हैं। उनके पूरे कथन में कोई प्रश्न नहीं था। और इसी प्रकार अन्य सदस्य भी बोले। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने निवेदन करने दिये, क्योंकि निवेदन में भी प्रश्न निहित है। इस लिए आपको उनको अनुमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि श्री राजेश कुमार सिंह ने 12.50 पर बोलना शुरू किया

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप गलत मामले का समर्थन कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री कृष्ण चन्दर हालधर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : क्या आप मुझे निवेदन नहीं करने देंगें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

1306 **(इस पर श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान) §

उपाध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप उनका रूख देख सकते हैं। आपने उनको पर्याप्त अवसर दिया तब भी वह आप पर दोष लगा रहें हैं। वे तबतक ऐसा करते रहेंगे जबतक कि आप सरकार का विरोध न करें। यही बात वे श्री कमल नाथ के बारे में कर रहें थे जैसे कि उन्हें सभा में सच कहने की अनुमति नहीं है। श्री कमल नाथ ने कुछ बाते कहीं तथा सरकार द्वारा किसानों के समर्थन में की गई कार्यवाही का समर्थन किया। उन्होंने इसकी भी अनुमति नहीं दी। वे केवल यही चाहते हैं कि सदस्य सरकार की निन्दा करें। तभी वे किसी को बोलने का अवसर देंगें।

श्री राजेश कुमार के कथन में कुछ ऐसा नहीं था जिसके उत्तर की अपेक्षा हो।

\+ +

मुझे खुशी है वि बहुत से सदस्य अपने को किसनों का प्रतिनिधि सिद्ध करते हैं। आज मैं देखता हूँ कि विपक्ष के बहुत से सदस्य जिन्होंने 1967 में हरियाणा में सरकार बताने समय मेरी नीतियों का विरोध किया था, आज किसानों के लिए गन्ने तथा अनाज के लाभदायक मूल्यों का समर्थन कर रहें है, सदस्यों में से बहुत से सदस्यों ने उपभोक्ताओं के हित के नाम पर किसानों को ऊंचे मूल्य दिलाने का विरोध किया था।

आज वे किसानों के हितैषी के रूप में सामने आए हैं। इन बातों का उत्तर दिया जा चुका है। मैं सभा को आश्वाशन देना चाहता हूँ कि सरकार किसानों को लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए सब कुछ करेगी। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की ग्रामीण विकास की सभी योजनाएँ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हैं। किसानों के कल्याण के लिए बढ़े हुए उत्पादनों के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। मुझे उम्मीद है कि किसान समझ गए होंगे कि यह सरकार बहुत-सी कठिनाइयों एवं बाधाओं के बावजूद किसानों की दशा सुधारने के लिए सब कुछ कर रही है तथा उन्हें अच्छे मूल्य, अच्छा प्रोत्साहन तथा उर्वरकों बीजों कीट नाशक दवाओं, बिजली पानी की दरों तथा कई अन्य बातों में अधिक राजसहायता दी जायेगी। मैं समझता हूँ कि किसान यह जानते हैं कि केवल हमारी सरकार ही उनकी हितैषी है और ये तथा कथित नेता और शोषक

§ **कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

\+ + उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

ही आन्दोलन कर रहे हैं जो वस्तुतः उनके मित्र नहीं हैं। ये लोग किसानों की भावनाओं से खेल कर उन पर हावी नहीं हो पायेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित हुई

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 14 मिनट 4.40 पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समिति के लिए निर्वाचन

(एक) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री बंसीलाल (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 312ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री पी० ए० संगमा के स्थान पर जो उपमंत्री के रूप में नियुक्त होने पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, समिति के शेष काल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 312ख के उपनियम (1) के साथं पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री पी० ए० संगमा के स्थान पर जो उपमंत्री के रूप में नियुक्त होने पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, समिति के शेष काल के लिये समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री आर० आर० भोले (बम्बई-दक्षिण-मध्य) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 331ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालेश्वर राम के स्थान पर जो राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, समिति के शेष काल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 331ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालेश्वर राम के स्थान पर जो राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, समिति के शेष काल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

——

एकाधिकार तक अवरोध व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, पुर: स्थापित

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 21 नवम्बर, 1980 को श्री शिवशंकर द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव

पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 क्या और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री चित्त बसु आप इस पर कुछ कहना चाहते थे।

चित्त बसु (बारसाट) : पिछले शुक्रवार को मैंने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक 1980 को पुर:स्थापित करने का विरोध किया था। मेरे विरोध करने के आधार ये थे :—

जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, संविधान के अनुच्छेद 39 (ग) में स्पष्टत: कहा गया है कि अर्थ-व्यवस्था के संचालन से सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधन सर्वसाधारण के अहित में न हों अर्थात् संविधान के नीति निदेशक तत्वों की अवहेलना करते हुए, कुछ लोगों के हाथों में संकेन्द्रित मेरा दूसरा तर्क यह है कि इस प्रस्ताविक विधेयक के फलस्वरूप सम्पत्ति सर्वसाधारण के अहित में कुछ ही लोगों के पास संकेन्द्रित होगी। अत: इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा अनुच्छेद 39 (ग) का उल्लंघन हो रहा है। आपको पता चलेगा कि विधेयक द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का यह निर्णय करने का अधिकार भी छिन जाता है कि कौन-सा उपक्रम विशेष एक प्रमुख उपक्रम है, यदि यह उपक्रम निर्यात के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है और यदि वह उपक्रम निर्यात के लिये उत्पादन करने में व्यस्त है, तो निर्यात द्वारा पैदा की गई सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति को यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान में नहीं रखेगा कि कोई उपक्रम विशेष प्रमुख है अथवा नहीं। अत: अध्यादेश द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के बुनियादी उद्देश्यों का उल्लंघन होता है। इस अधिनियम का समूचा उद्देश्य निष्फल हो रहा है, और इस प्रस्तावित संशोधन द्वारा विफल हो रहा है। अत: में यह बात नहीं

कहता कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम सम्पत्ति तथा परिसम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का एक प्रभावशाली शस्त्र है। इसके पास कुछ अधिकार हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनियम अधिकार रहित तथा प्रभावहीन हो जायेगा और वास्तव में यह निष्क्रिय हो जायेगा।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह विधेयक 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प पर सीधा प्रहार है। मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प केवल सरकार का वक्तव्य ही नहीं था बल्कि तत्कालीन संसद ने भी उसे पारित किया था।

यह संसद की एक नीति सम्बन्धी घोषणा है, जो राष्ट्र का सर्वोच्च मंच है। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना ही नहीं बल्कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की घोषित नीति में भी अमूलचूक परिवर्तन लाना है। यह संसद का अपमान है। यह संसद द्वारा निर्धारित नीति का उल्लंघन है और सरकार को संसद की अनुमति लिए बिना नीति को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरा दूसरा तर्क है।

मेरा तीसरा तर्क यह है कि एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रिकों को और अधिक रियायतें देना घातक है। यह विधेयक पारित होने पर एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रिकों की स्थिति हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और मजबूत होगी। अतः यह राष्ट्रीय हित तथा अर्थव्यवस्था के लिए घातक है।

अंत में पहले की तरह यही कहूंगा कि इससे हमारी आर्थिक नीति में अमूलचूक परिवर्तन आयेगा जिससे केवल एकाधिकारी तथा बहुराष्ट्रिक ही संतुष्ट होंगे। यह सरकार द्वारा अपनाये जाने वाला एक हानिकारक कदम है। अतः इस बात को ध्यान रखते हुए मैं विधेयक को इस अवस्था में पुरःस्थापित करने का पुरजोर विरोध करता हूँ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, आयात मुल्यों विशेषकर तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न भारत के संदाय-संतुलन में तेजी से आए परिवर्तनों के प्रकाश में नीति समायोजनों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया गया। उद्देश्य तथा कारणों के वक्तव्य में यह बात स्पष्ट की गई है कि संशोधन क्यों किया जा रहा है। मेरे माननीय मित्र अपने तर्क द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 39(ग) के अंतर्गत लाना चाहते हैं। हम निर्यात की वस्तुओं के निर्माण को छूट देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा हमें यह निर्णय व्यापारान्तर, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं रहा, के कारण लेना पड़ा। प्रश्न यह है कि क्या सरकार की इस कार्यवाही से संविधान के अनुच्छेद 39(ग) का उल्लंघन होता है। मेरे माननीय मित्र के विचार में होता है लेकिन मेरे विचार से नहीं होता।

संविधान के अनुच्छेद 39(ग) में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह सम्पत्ति तथा उत्पादन स्रोत सर्वसाधारण के अहित में होंगे। यह संशोधन निर्यात के लिए है ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। उस पृष्ठ भूमि में यह तर्क देना सम्भव नहीं कि यह संशोधन सर्वसाधारण के अहित में होगा। उस बारे में मेरा विचार यह है कि यह अनुच्छेद 39(ग) के अन्तर्गत नहीं आता। जैसे कि मैंने कहा उद्देश्य तथा कारणों का वक्तव्य बहुत सपष्ट है।

हम इस विधेयक को क्यों पुरःस्थापित करने जा रहे हैं, यह बात इसके प्रावधानों से भी स्पष्ट हो जाती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि यह देश के अन्दर के प्रभुत्व का मामला होता और निर्यात के उद्देश्य से न होता तो सम्भवतः बात वही होती जिसके बारे में मेरे मित्र ने तर्क दिया है लेकिन नीति तथा संशोधन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध यही है कि यह न केवल अनुच्छेद 39(ग) के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि यह औद्योगिक नीति वक्तव्य का भी विरोध नहीं करता।

निर्यात उत्पादन को तेज करने के लिए रियायतों का दिया जाना जरूरी है। मेरे मित्र कहते हैं कि इससे उद्योगपतियों तथा बहुराष्ट्रिकों को लाभ पहुँचेगा। मेरे मित्र को इस बात की जानकारी है कि देश के अंदर विक्रय हेतु उत्पादन के इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कहाँ-कहाँ अपना विस्तार के लिए प्रभुत्व की दृष्टि से स्वीकृति ली जानी जरूरी है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में यह प्रावधान है कि वे सम्बन्धित विभाग को आवेदन पत्र देंगे तथा कुछ मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को मामले भेजे जाएंगे जो कि यह देखेगा कि क्या औद्योगिक प्रतिष्ठान को विस्तार के लिए अनुमति दी जाय अथवा नहीं। यह इसकी एकपक्षीय छानबीन होगी प्रत्येक मामले में जहाँ सम्बन्धित पक्ष विभाग से अनुरोध करते हैं और मामले आयोग को भेजे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है कि उन्हें उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदान देना है।

हमें निकट भविष्य में एक ऐसी विचित्र समस्या का सामना करना पड़ेगा जब हमारी आर्थिक स्थिति हमारी निर्यात क्षमता पर निर्भर करेगी, की जाने वाली इस रियायत का देश के अंदर होने वाली सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका उद्देश्य केवल निर्यात को बढ़ावा देना है। अतः इस बात तथा संदाय-संतुलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बारे में एक नीति सम्बन्धी निर्णय लेना पड़ा। और विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार करने के लिए एक संशोधन लाना पड़ा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि इसे एक घातक कदम समझा जायेगा अथवा यह कहा जायेगा कि इस देश में औद्योगिक गृहों को सर्वसाधारण के अहित में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यही मुझे कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० शिवशंकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने कि दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिए, ऐसे बोर्डों को, उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उन से सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने कि दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिए, ऐसे बोर्डों को, उन से सम्बन्धित शक्तियाँ और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उन से सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमतिदी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोको उत्पादकों की दशा सुधारने के लिये उपाय।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : देश में कोको उत्पादकों की शदा बहुत ही खराब है और उनके उत्पादकों का क्रय करने के लिये देश में कोई भी ऐजेन्सी नहीं है। केरल तथा कर्नाटक की सरकारें देश में कोको की कृषि को प्रोत्साहन दे रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप लाखों किसानों ने कोको की कृषि शुरू कर दी है। परिणाम स्वरूप देश में कोकोवीन का उत्पादन बढ़ गया है और यह प्रति वर्ष 3000 टन से कम नहीं है। इस कृषि के अधिन लाये गये भूमी के कुल क्षेत्र पर विचार करते समय हम इस बात को सरलता पूर्वक समझ सकते है की 3 वर्ष की अवधि के भीतर देश में कुल उत्पादन 20,000 टन से अधिक हो जायेगा।

अब उसमें गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। केरल राज्य सहकारी विपणन संघ जो विपद् ग्रस्त राहत उपायों के रूप में कोकोवीन खरीद रहा था अब खरीदना बन्द कर दिया है। यह मालूम हुआ है कि संघ ने 3 महीने की अवधि के भीतर *लगभग 5C0 टन सूखा बीन*

खरीदा है और उसकी धन राशि समाप्त हो चुकी है। जबतक यह स्टाक समाप्त नहीं हो जाता है तबतक वे पुनः बाजार में प्रवेश नही कर सकते हैं और परिणाम यह है कि कोको बीन को खरीरने के लिये कोई ऐजेंसी नहीं है।

इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि (एक) प्राप्त किये गये कोकोबीन के लिये विदेशी बजार तलाश करने के लिये तत्काल कदम उठाये जाए तथा उसे शीघ्र निर्यात करने के उपाय किये जाए (दो) राज अर्थ सहायता प्रदान की जाए ताकि न हानि न लाभ के आधर पर प्राप्त किये गये बीनस का निर्यात किया जा सके; (तीन) राज्य सरकारें, उत्पादन संघ के प्रतिनिधियों तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श से दीर्घ कालिक नीति तैयार की जाए ताकि प्राप्त की गई कुल मात्रा का परिष्करण करने के लिये एक स्थाई तंत्र की व्यवस्था की जाए और परिष्करण यूनिट स्थापित किये जायें ताकि कच्चे बीन्स के स्थान पर तैयार माल का निर्यात किया सके।

(दो) कन्या कुमारी में टीटेनीयम फैक्टरी की स्थापना

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : टिटेनियम डाईएक्साईड बनाने के लिये टिटेनियम कार खाने की स्थापना जिला कन्या कुमारी तमिलनाडु में करना लाभप्रद है जहाँ स्थानीय मुल-भूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेअर अर्थ खनीज रेत के अदभूत निक्षप उपलब्ध होने के कारण कन्या कुमारी का इस विश्व के खनिज नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। इण्डियन रेअर अर्थ कारखाना मानावल कुरीची, में जो भारत सरकार का एक उपक्रम है बीच रेत से काले इल मेनाइट को किया जाता है। हर वर्ष लगभग 75,000 टन इलमेनाइट अलग किया जाता है। सारी मात्रा विदेशों को निर्यात की जाती है। जहाँ इसे मूल्यवान टिटानियम डाईएक्साईड में बदल दिया जाता हैं। बढ़िया टिटानियम डाईएक्साड इलमेनाइट रेत से संसोधित किया जा सकता है अब इंडिनय रेअर अर्थ कारखाना मानावल कुरीची में रेत को संसोधित किया जाता है। काला इलमेनाइट मानवाल कुरीची मीदालम कीजमीदालम की तटीय पट्टियों तथा जिला कन्या कुमारी की अन्य तटीय पट्टियां में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इस जिले की टिटानियम कारखाने की स्थापना के लिये अन्य मूलभूत सुविधायें उपहार में मिली हैं। इसलिए सरकार देश के इस पिछड़े दक्षिणी जिले में टिटानियम कारखाने की स्थापना के लिये शीघ्र कदम उठाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी जिलों में डीजल की कमी

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी मण्डलों में डीजल का गहरा संकट व्याप्त हो गया है। डीजल के न मिलने के कारण किसान अत्यन्त परेशानी का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि रबी की फसलों की सिंचाई के लिए पंपिंग सैट चलाने हेतु डीजल की अत्यधिक आवश्यकता है तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य यन्त्रों के चलाये जाने के लिये भी डीजल अत्यन्त आवश्यक है। चोर बाजारी के कारण डीजल का संकट और अधिक गहरा हो गया है। अतः सरकार को चाहिए कि वह तत्काल डीजल किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये तथा वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये जायें जिससे किसानों को सही ढ़ंग से आवश्यक मात्रा में डीजल प्राप्त हो सके।

(चार) **कलकत्ता स्थित भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग में स्वचालित यन्त्र लगाने का मामला**

श्री नीरेन घोष (दमदम) : भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी विभाग अनुभाग शुरू से कलकत्ता में है। इस अनुभाग में (क) विदेशी मुद्राओं का प्रवन्ध कार्य (ख) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के खातों के साथ विदेशी बैंकों द्वारा भेजे गये खातों का मिलान (ग) यात्रियों के रुपये वाले चैकों के स्टाक का खाता और भुनाये गये चैकों का मिलान और (घ) विदेशी बैंकों के साथ व्यापार के सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया आदि संबंधी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों का आदान-प्रदान करता है।

प्रबन्धकों की लापरवाही तथा अकुशलता तथा बढ़े हुए काम को निपटाने के लिए और कर्मचारियों की भर्ती न करने 1975 से शीर्षक (क), (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत कार्य बढ़ना शुरू हो गया। तब विभाग के प्रबन्धक ने 1979 के बीच आँकड़े तैयार करने तथा आधुनिक लेखा मशीन को लगाने का विचार किया। इसके बाद 1980 के शुरू में प्रबन्धक ने यह कहना शुरू कर दिया कि···कार्य का कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में विकेन्द्रीयकरण कर दिया जायेगा। सारे कार्य को बम्बई भेजने के लिये यह प्रारम्भिक कदम है। साथ-साथ प्रबन्धक ने यह कहना शुरू कर दिया की एजेंसी की व्यवस्थाओं को भी कलकत्ता से बम्बई भेज दिया जाएगा। यह सब भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के नाम पर किया गया। यह बात यहां पर स्पष्ट की जानी चाहिए कि इस विभाग के कार्य का कुछ भाग पहले ही बम्बई भेज दिया गया था। इस शंका का ठोस कारण यह है कि सारे कार्यों का केन्द्रीयकरण बम्बई में होगा। कोई इस बात को नहीं भूल सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो कलकत्ता में था बहुत पहले बम्बई भेजा जा-चुका है।

खेद यह है कि केवल 168 व्यक्ति अर्थात 99 लिपिक 10 अधीनस्थ कर्मचारी तथा 69 पर्यवेक्षक प्रबन्ध कार्य, मिलाने तथा एजेंसी की व्यवस्था के अन्तर्गत समूचे कार्य को करने वाले है। इस बीच कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखे गए हैं।

यह स्वचालित यन्त्र लगाने का अभियान घातक है इससे देश में, जहां वेरोजगारी वढ़ रही है, रोजगार के अवसर समाप्त होते हैं।

श्री वी० एन० डांडेकर ने सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वचालित यन्त्र लगाने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में इस प्रकार राय व्यक्त की है :

"इस प्रकार संगणक लगाने से 27% रोजगार के अवसर समाप्त होते हैं जबकि नये उपकरण चलाने के लिए 4.5% नये रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस प्रकार सम्वन्वित आंकड़े तयार करने वाले अनुभागों में रोजगार के अवसरों में 22.5 प्रतिशत की शुद्ध कमी हुई।

इसलिये मैं इस बात की मांग करता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी विभाग को कलकत्ता से बदलकर बम्बई ले जाने के ये सभी प्रयास बन्द किये जायें। कलकत्ता को बदनाम करने और इस तरह से न केवल प० बंगाल बलिक भारत के पूर्वी भाग के बिहार, उड़ीसा, असम, आदि की अर्थव्यवस्था में रुकावट पैदा करने के लिये पहले ही काफी किया जा चुका है।

मैं यह भी मांग करता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक में और स्वचालित यन्त्र लगाने के अभि-

यान को रोका जाये क्योंकि इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान् वित्त मंत्री महोदय यहाँ पर हैं। उन्हें इन अति गम्भीर टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही बहुत गम्भीर।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मामले यहाँ उठाये गये हैं वे गम्भीर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम माननीय वित्त मंत्री महोदय पर जोर देने का प्रयास इसलिये कर रहे हैं क्योंकि वे यहाँ पर उपस्थित हैं।

असम बजट 1980-81 सामान्य-चर्चा
और
अनुदानों की मांगें (असम) 1980-81

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में आसाम राज्य के 1980-81 के बजट पर सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगों पर मतदान होगा जिसके लिऐ दो घण्टे का समय नियत किया गया है। श्री बनात वाला ने अनुदानों की माँगों के लिए कटौती प्रस्ताव पेश किये है। वे अब अपने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्नानी) : अब मैं अपने तीन कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव संख्या, 3, 22 तथा 48 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि मंत्रि-परिषद् शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके। रुपया किया जायें।"

1. बिना किसी समझौते के तथाकथित विदेशियों के मामले में 1971 को आधार वर्ष माने जाने के बारे में दृढ़ रुख अपनाने में असफलता, जिससे कि उक्त समय के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों के वैध हितों की रक्षा हो सके। (1)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

"आसाम में अल्प संख्यकों का हिंसा से रक्षा करने में असफलता। (2)

"कि राहत और पुनर्वास शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

आसाम में हिंसा के शिकार लोगों का पुनर्वास करने के प्रतिपूर्ण उपेक्षा (3)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मुहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, यह कुछ फैशन-सा होता जा रहा है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, तमाम स्टेटट्स के बजट पार्लियामेंट में पेश कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हमारे दल का प्रवक्ता उपस्थित है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद जारी रखें।

श्री रशीद मसूद : पहला यह बजट यहाँ पेश किया जा रहा है, हालाँकि हमारे होम मिनिस्टर ने अभी एक बयान दिया था कि हम 12 दिसम्बर से पहले किसी भी सूरत में असम में पौपुलर गवर्नमेंट बना देंगे, जिसका मतलब साफ है कि डिफेक्शन के जरिये जो गवर्नमेंट 12 दिसम्बर से बनाई जा सकती है, अगर दिसम्बर की बजाय 12 नवम्बर से वहाँ गवर्नमेंट बना देते तो यह बजट असम की गवर्नमेंट पास कर सकती थी लेकिन हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा पावर को एज्यूम करने का शौक हो रहा है जिसे हम देख रहे हैं। जिस स्टेट के बारे में आज यह बजट पेश किया गया है, मेरा ख्याल है यह बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है और हिन्दुस्तान की तमाम स्टेट्स में इससे ज्यादा बैकवर्ड शायद तीन-चार स्टेट्स हों।

जहाँ तक पर-कैपिटा इनकम का ताल्लुक है, आसाम की पर-कैपिटा इनकम 850 रुपये हैं, जबकि आल-इंडिया फिगर लगभग 1005 रुपये हैं। यह पर-कैपिटा इनकम भी उस वक्त की है, जबकि आसाम में नार्मल हालात थे और वहाँ पर लोग नार्मल जिन्दगी गुजार रहे थे। लेकिन पिछले एक साल से वहां पर हालात बिल्कुल नार्मल नहीं हैं। इसलिए अन्दाज यह है कि आसाम की पर-कैपिटा इनकम कहीं नीचे चली गई होगी। वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं और हालात बहुत खतरनाक है।

आसाम का एग्रीकल्चर खासतौर से बहुत बैकवर्ड है। वहाँ पर ज्यादातर एक ही फसल का रिवाज है, जबकि त्रिपुरा में दो फसलों का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया गया है। अगर हुकूमत आसाम की हालत को बेहतर बनाने के लिए सीरियस होती, तो वहाँ पर डिवलपमेंट ब्लाक्स बनाकर एग्रीकल्चर की तरक्की के लिए कोशिश करती। यह बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है।

बाहर से जो आदमी वहाँ जाते हैं —मैं भी गया हूँ—, वे देखते हैं कि कछार और डिब्रुगढ़ जिलों के इनटीरियर में पीने का पानी मुहैया नहीं हैं। छोटे-छोटे तालाब बना दिये जाते हैं। लोग उन्हीं में नहाते हैं और उन्हीं का पानी इस्तेमाल करते हैं। 33 साल की आजादी के बाद भी वहाँ पर पानी का इन्तजाम न होना एक शर्मनाक बात है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जुह देनी चाहिए और पानी का इन्तजाम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन करनी चाहिए।

आपको मालूम है कि आसाम में तीन-चार चीजों से आमदनी होती है : क्रूड, टिम्बर, चाय और प्लाईबुड। यही मेन आइटम्ज हैं, जिनसे आसाम को आमदनी होती है। लेकिन पिछले नौ महीनों में आसाम की इकानोमी ने बहुत ही बुरी तरह सफर किया है। अगर 3.15 मिलियन टन क्रूड के नुकसान को रुपयों में कनवर्ट किया जाये, तो आसाम को 825 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन यह नुकसान सिर्फ आसाम का नहीं है, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का है। बरौनी की रिफाइनरी नहीं चल सकी है, क्योंकि वहां पर आसाम से आने वाला क्रूड एवेलेबल नहीं है। आसाम की दोनों रिफाइनरीज के चलने का तो सवाल पैदा नहीं होता है।

प्लाईबुड, चाय और टिम्बर से जो आमदनी होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा आसाम से बाहर चला जाता है। आसाम के लोगों को सिर्फ उतना ही फायदा होता है, जितनी कि वे मजदूरी कर लेते हैं। बेहतर हो कि गवर्नमेंट ऐसा कानुन बनाये, जिसके तहत आसाम के चाय के बागों से होने वाली आमदनी का 50 फीसदी हिस्सा वहीं पर स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज में, और खासतौर से रूरल सैक्टर में, इनवेस्ट हो।

अव्वल तो आसाम में इंडस्ट्रीज नहीं हैं, जो हैं भी, वे पिछले 33 सालों में किसी प्लानिंग के तहत कायम नहीं की गई हैं। वहाँ पर चार जिले ऐसे हैं, जिनमें कोई इंडस्ट्री नहीं है : नार्थ कछार, शिवसागर, डिब्रुगढ़ और डारंग। इन जिलों के लोग ज्यादातर खेती पर डिपेंड करते हैं। अगर ये तमाम लोग खेती पर डिपेन्ड करेंगे, तो एक इकानोमिक क्राइसिस पैदा होगा, और उसकी वजह से वे हालत पैदा होते हैं, जो आज आसाम में पैदा हो रहे हैं। जब वहाँ के रहने वालों को खाने के लिए रोटी, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, तो वे इसी तरह की प्रैक्टिस अपनाते हैं, जिससे बाद में नुकसान होता है।

आसाम की बैकवर्डनैस का एक सबूत यह है कि आज तक वहाँ पर ब्राडगेज रेलवे लाइन नहीं है। आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से जो सामान आता है, उसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुँचने के लिये चार-पांच दिन लग जाते है। डीजल की प्राबलम इस लिए पैदा हो गई है कि ट्राँसपोर्ट की फैसिलिटी न के बराबर है रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट इन दोनों को पैरालेल तौर पर डेवेलप करने के लिए जल्दी से जल्दी प्राविजन किया जाये।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधान सभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ पर इसके सम्बन्ध में और कार्यवाही होती। लेकिन हमसे वह हाल छिपा हुआ नहीं है जो एक लम्बे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफी प्रयत्न किया कि असम में जो आन्दोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार-बार यह कहा गया कि इस आन्दोलन के अन्दर प्रथकता की भावना है, इस आन्दोलन के अन्दर साम्प्रदायिकता का विष और इस आन्दोलन से हमारे देश की एकता को जबर्दस्त खतरा है इसलिए इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढ़ा जाना चाहिए। लेकिन यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि राजनीतिक हल के सम्बन्ध में तो सभी कहते हैं कि राजनीतिक हल होना चाहिए लेकिन वह राजनीतिक हल क्या हो, जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती बल्कि मुझे तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आन्दोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है—इसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकायें हैं, मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आन्दोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह भी साफ जाहिर है कि वहां पर आन्दोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ विरोध पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग-अलग तरीके से पड़ेगा।

कहा यह जाता है कि पिछले तीस साल कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई, विदेशी लोग वहां पर पहुँचे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तीस साल के बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने, इस आन्दोलन के शुरू होने के पहले विदेशी लोग वहाँ पर आकर ठहर गए हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ करना है—क्या इसके बारे में

कोई कार्यवाही की ? दरअसल दो साल तक, जब तक कि जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था, असम में कोई आन्दोलन नहीं था, कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई। जब असम में आन्दोलन शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1977 में जो आम चुनाव हुए उस चुनाव के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई, सभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनके सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करके कार्यवाही की जाएगी। पहले के बारे में भी, एक बार साइज आफ दि प्राब्लम क्या है, यह मालूम हो तो उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार से मैं समझता हूं बडी शांति के साथ इतना लम्बा समय देकर और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खोकर जो कोशिश की गई कि इस समस्या का कोई हल निकाला जाए, यह बहुत अच्छा है लेकिन हमें दुःख. के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आन्दोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि और जोर लगाकर चलो तो कुछ न कुछ कंसीड कर लिया जायेगा और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमन्त्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे लेकिन अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी हो तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और कन्सेशन को वे सही स्पिरिट में न लेकर यह समझ गए कि ज्यादा दवाब डालने से इस समस्या का हल ज्यादा आसानी के साथ निकल आयेगा।

यह ऐसी समस्या है, यदि हम एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते रहेंगे तो उससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक दल कहता है कि जो वहाँ पर हिन्दू विदेशी आए हुए हैं, उनको तो रिफ्यूजी समझा जाए, चाहे वह 1951 और 1975 के बाद आए हों, लेकिन दूसरों को वहां से हटाया जाना चाहिए। उसका स्पष्ट मतलब यह होता है कि हिन्दू जो बाद में आए हों, उनको तो मानने के लिए तैयार रहो, लेकिन मुसलमानों को वहाँ से हटाओ, उनको तो फार्नर्स के तौर पर ट्रीट किया जाए। इसका मतलब यह है कि इस समस्या का हल केवल कोई लॉजिकल ढंग से न करके, एक साम्प्रदायिकता का मोड़ इसको देना चाहते हैं।

इसीलिए हिन्दुस्तान में जगह-जगह पर दीवारों पर लिखा जाता है कि विदेशियों को हटाओ, भारत बचाओ। आज विदेशियों को हटाकर भारत को बचाने वाली ऐसी कोई बात इस के अन्दर उलझी हुई नहीं है। आसाम में बंगाली लोग भी आए हैं। आसाम का सिलहट जिला था, जो पहले आसाम के अन्दर ही था, वहाँ पर ज्यादा तादाद में लोग आए और वहां पर काम कर रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था, इस चीज को चाहे आप ह्यूमन कंसीड्रेशन पर लें या प्रैक्टिकल कंसीड्रेशन के ऊपर लें, इन सारी चीजों के ऊपर विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, असम के आन्दोलन शुरू होने के बाद हम देख रहे हैं, अभी एक-दो दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि कश्मीर की दीवारों पर लिखा जाने लगा है कि कश्मीर में कश्मीरी लोग ही रहेंगे, वाहर के लोग कश्मीर में नहीं आयेंगे। कुछ ही दिनों पहले उड़ीसा के अन्दर राजस्थान के रहने वाले, हरियाणा के रहने वालों और कुछ सिंध के लोग,

यहां तक कि बिहार के लोगों के साथ वहा पर कुछ वार्दातें हुई हैं, जो कुछ आर्सन और लूटिंग हुई है और यह कहा जाता है कि विदेशी लोग यहाँ पर न रहें। मैं समझता हूँ कि कहीं पर यह चीज झारखण्ड के नाम पर, उत्तराखण्ड के नाम पर और कहीं महाराष्ट्र के अन्दर सन्स आफ दी सॉयल के नाम पर शिव सेना ने यहाँ आवाज उठाई कि हमारे देश की एकता को आज अगर इस असम के आन्दोलन के अन्दर जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया जाता है तो उसका असर देश के दूसरे भागों पर भी फैलता चला जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलन कई जगह हुए, राजनीतिक आन्दोलन भी होते हैं, लेकिन आसाम के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि आम आदमियों के जान व माल की हिफाजत करें, वहाँ की व्यवस्था को चलायें, वहां के सरकारी कामकाज को चलायें, वे भी जब आन्दोलन में शरीक हो जायें, तो उसका परिणाम दूसरा हो जाएगा। मैंने अखबार के अन्दर पढ़ा था कि पंजाब के अन्दर कहा गया कि यदि बस फेयर को ठीक नहीं किया जाता है, तो पंजाब के कर्मचारी भी छात्र आन्दोलनकारियों के साथ हो जायेंगे, वे भी उसके अन्दर अपना हिस्सा देंगे, तो इस तरह की भावना का आखिर क्या परिणाम हो सकता है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जहाँ आयल के कुवें हैं, जहाँ से पम्पिंग किया जाता है, वे कहते हैं कि हम करने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ ईराक और ईरान की लड़ाई की वजह से हिन्दुस्तान मुश्किलों में है, और दूसरी तरफ यहाँ पर तेल न पहुँच पाए, यह एक खतरनाक स्थिति आज देश के सामने है।

मेरी यह मान्यता है कि भारत सरकार अगर कोई और कन्सैशन देना चाहती है, तो शायद उपयुक्त यह होगा कि फाइनली अपनी तरफ से जिनसे भी बात करनी हो, करके एक बार निश्चित कर दें कि इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा ठीक होगा। देश की एकता के लिहाज से देश के अन्दर जो हमारी मुख्य चीजें हैं, जैसे लोहा, कोयला, क्रुड-आयल आदि, यदि इन चीजों पर एक जगह से दूसरी जगह पर आने-जाने पर रोक लगाने का सिलसिला कायम रहेगा तो देश नहीं रहेगा। गेहूँ पंजाब और हरियाणा में पैदा होता है, यदि वह यह कहे कि हम अपना गेहूँ दूसरी जगह नहीं देंगे और बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह कहें कि हम अपने यहाँ से लोहा नहीं जाने देंगे, कोयला नहीं जाने देंगे, तो भारत फिर एक कहाँ रहा।

चाहे कहीं पर क्रूड आयल हो, कहीं चाय हो, कहीं प्लाई-वुड हो या दूसरी चीजें हों, असम के प्रत्येक निवासी का देश के हर चीज पर पूरा अधिकार है— इस दृष्टि से हमें सोचना होगा, तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

असम के प्रवक्ताओं ने इस बात को कहा है कि वह पिछड़ा हुआ है—जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी हिल-स्टेट्स को जिनमें आसाम भी शामिल है, ज्यादा मदद दी जाती है, लेकिन अगर उस से भी ज्यादा मदद की जरूरत हो, तो उसके लिए बातचीत की जा सकती है, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। असम में जो लोग बाहर से आए हैं, यदि उनकी वजह से असम पर ज्यादा आर्थिक वजन हो, तो उस सम्बन्ध में भी ज्यादा आर्थिक मदद दी जा सकती है और कोई भी इस तरह की मदद के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, जब कि निश्चित तौर से वहाँ से तेल आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फ्री मूवमेन्ट हो और इस काम पर पूरी तरह से निगरानी रखी जानी चाहिये।

जहाँ तक वहां के लोगों से बातचीत का प्रश्न है, वह तुरन्त शुरू होनी चाहिए, यदि वे लोग यहाँ आकर बातचीत करें, तो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको ज्यादा लम्बा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लम्बा करने से इसका असर दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। दूसरों के मन में भी यह भावना पैदा हो सकती है कि अगर इस स्थिति का लाभ आसाम उठा सकता है, तो हम क्यों न उठायें, हम भी क्यों न इस तरह का आन्दोलन करें। इन सब बातों को सामने रखते हुए, देश की एकता को सामने रखते हुए, देश की सैकुलर पालिसी को सामने रखते हुए—हमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह चीज बंगाल, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड और दूसरी जगहों पर न फैले।

इस बात को सभी लोग जानते हैं कि आसाम के आम लोग शान्ति चाहते हैं। वहाँ की आम जनता के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनका काम-काज, व्यापार सब कुछ ठप्प हैं। वे चाहते हैं कि आसाम में शान्ति कायम हो।

इसलिये मेरा निवेदन है कि आसाम के सम्बन्ध में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह तो अवश्य स्वीकार किया जाए, लेकिन यदि वहां सरकार बन सकती है तो बहुत अच्छी बात है अन्यथा वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस बजट को स्वीकार करेंगे तथा आसाम के मामले में निश्चित रूप से उपयुक्त कदम उठायेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आसाम देश का एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यह एक मात्र पिछड़ा राज्य नहीं है बल्कि पिछड़े राज्यों में से एक है जिसके प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। 20वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि आसाम के 87.5 प्रतिशत लोग गरीबी स्तर से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। आसाम प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न है लेकिन दुर्भाग्यवश वर्षों के आयोजन के बाद भी लोग गरीब ही हैं।

उनकी कुछ शिकायतें सच्ची हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। आसाम में अन्य राज्यों की अपेक्षा जमीन पर अधिक निर्भरता रही है। सामन्तवादी ताकतें आसाम में बहुत शक्तिशाली हैं, राज्य को अपने साधनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त उद्योगों की स्थापना अभी करनी है।

मेरे विचार में यह बहुत पहले ही के बहुत की तरह है। आसाम के लोगों की शिकायतों के बावजूद भी, उद्योगों के लिये नगण्य राशि का नियतन किया गया है। मैं इस बात को नहीं जान सका कि वित्त मंत्री आसाम में उद्योगों की स्थापना के लिए अधिक राशि की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके। यदि मुझे ठीक याद हो तो मैं कहूंगा कि पिछली चर्चा के दौरान इन्होंने कहा था कि आसाम के लोगों के हितों का उन्हें पूरा ध्यान है लेकिन प्रस्तुत बजट में उस वचन की कोई झलक नहीं हैं, यद्यपि कुछ मदों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन तथा आसाम के लोगों की सही शिकायतों का अनुचित लाभ उठाते हुए कुछ आन्दोलनकारियों ने षड़यंत्रकारियों का काम शुरू कर दिया है। वे कह कह रहे हैं कि पिछड़ापन घुसपैठियों तथा विदेशियों के कारण है ! लोगों की शिकायतों का अनुचित लाभ उठाते हुए, ये विघटनकारी तथा साम्प्रदायिक ताकतें लोगों को विनाशकारी काम करने के लिये प्रेरित कर रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह बात शर्मनाक है। यह बात दुख की है कि कुछ नेता विस्थापितों के लिए राष्ट्र की बचनवद्धता प्राप्त करने हेतु इन लोगों का साथ दे रहे हैं।

आसाम के आंदोलनकारी किस प्रकर से नारे लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि राज्य की जनसांख्यिकीय रचना में परिवर्तन आया है और उन पर विदेशी हावी हो रहे हैं। क्या यह सच है ? यदि हम 1911 से 1971 तक के जन गणना प्रतिवेदन के आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि जनसांख्यिकीय रचना के परिवर्तन से असम भाषी लोग लाभान्वित हुए हैं। 1911 में वे कुल जनसंख्या के 29 प्रतिशत थे। 1971 में उनकी संख्या बढ़कर 60 प्रतिशत हो गयी है। 60 वर्षों के अन्दर असम भाषी लोगों की संख्या में 967 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। बंगला भाषी लोगों की संख्या घटी है ज्वकि प्रचार यह चल रहा है कि असम भाषी लोगों की संख्या घट रही है। यह गलत है। ये तथ्यों को झूठ द्वारा छिपा रहे हैं। वे गोबल्ज की तरह प्रचार कर रहे हैं। वे सत्य को मिथ्य से छिपा रहे हैं।

भारत बहुराष्ट्रिक तथा बहुभाषी है। कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि राज्य केवल उसी का है। आसाम में बहुत से लोग देश के विभिन्न भागों में से आये हैं। आंध्र से आये लोग चाय बागानों में काम कर रहे हैं। उड़ीसा से भी लोग आये हैं। वे चाय बागानों में काम कर रहे हैं। राजस्थान से भी वहाँ लोग गये। वे व्यापारी हैं। नेपाल से भी लोग गये। पूर्वी बंगाल, अर्थात बंगलादेश से भी लोग आये। उस समय सरकार ने इन लोगों को आमंत्रित किया। क्यों ? इसका कारण यह है कि नदी के साथ की भूमि को पूर्वी बंगाल के लोगों ने समतल करना था। वे वहां बस गये। वे आसाम की जनसंख्या के अंग बने। सरकार का बहुत बड़ी संख्या में आये शरणार्थियों के प्रति क्या रवैया है ? क्या इस सभा का कोई सदस्य कह सकता है कि पूर्वी बंगाल के लोग भारत के विभाजन के लिये जिम्मेवार हैं ? वे वही हैं। वे विभाजन के शिकार बने हैं।

पंडित नेहरू ने इसी सभा में कहा था कि हमारे उन भाई बहनों के हितों का हमें पूरा ध्यान है जो राजनैतिक सीमाओं के कारण हमारे बीच नहीं हैं। पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल ने वचन दिया था कि पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे यदि साम्प्रदायिक दंगों के कारण वे वहाँ न रह सकते हों। यह बात पूर्वी बंगाल ही नहीं बल्कि पश्चिम पंजाब की भी है।

मैं आपको इस बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। वे विदेशी कौन हैं जिन्हें वे पहचानना चाहते हैं और दूर रखना चाहते हैं। ये लोग वे हैं जो पीढ़ियों से आसाम में रह रहे हैं जो 1950 तथा 1964 में साम्प्रदायिक दंगों के कारण सीमा पार कर आये थे। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास की जिम्मेवारी ली थी।

क्या मैं इस संदर्भ में राज्यसभा वादविवाद को उद्धृत कर सकता हूँ। प्रश्न गुरुदेव गुप्ता, श्री अटलबिहारी वाजपेयी तथा महावीर दास ने उठाया था जो इस प्रकार है :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई 1964 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से भारत कितने विस्थापित व्यक्ति आये और क्या यह आगमन अब भी जारी है;

(ख) कितने विस्थापितों को प्रत्येक राज्य में बसाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) किन-किन राज्यों को विस्थापितों को बसाने के लिए कहा गया और किन-किन राज्यों ने उन्हें बसाने के लिए असमर्थता प्रकट की;

(घ) उक्त विस्थापितों द्वारा कितनी कीमत की सम्पत्ति पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई।"

अब मैं पुनर्वास मन्त्री श्री महावीर त्यागी द्वारा दिये गये उत्तर को उद्धृत करता हूँ जो इस प्रकार है :—

"(क) 7 सितम्बर 1964 तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये कुल 6,77,208 व्यक्तियों में से जनवरी से जुलाई, 1964 से बीच 6,03,932 व्यक्ति भारत में पहुँचे। आवागमन अब भी जारी है।"

श्री मूलचन्द डागा : वह राज्य सभा में दिये गये भाषण से उद्धृत नहीं कर सकते। नियम 354 में कहा गया है :—

"परिषद में दिये गये किसी भी ऐसे भाषण को साथ में उद्धत नहीं किया जायेगा जो मंत्री द्वारा नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य न हो।"

राज्य सभा की कार्यवाही से कुछ भी उद्धृत नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी भाषण से उद्धत नहीं कर रहे हैं। वह केवल प्रश्न और उत्तर को उद्धृत कर रहे है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सूचना पुनर्वास मन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में दी थी, मैं और उद्धृत करता हूँ "जिन राज्य सरकारों को कहा गया वे इससे नये विस्थापितों को बसाने के लिये सहमत हो गये। किसी भी राज्य ने स्थापितों को बसाने के लिये असमर्थता प्रकट नहीं की।" इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

	कितने परिवारों को बसाने का प्रस्ताव है
आन्ध्र प्रदेश	2000
आसाम	15000

अन्य राज्यों द्वारा बसाये जाने वाले परिवारों की संख्या भी यहां दी गयी है।

मैं पूछता हूँ कि क्या यह नहीं हो सकता कि बसाये जाने वाले लोग विदेशी राष्ट्रिक घुसपैठिये नहीं हो सकते जो 1964 के बाद आये ? जब मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस प्रश्न को 1976 में इस सभा में उठाया तो सरकार का उत्तर हां में था। हमने प्रवासियों की जिम्मेवारी को स्वीकार किया है और उन्हें फिर बसाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

अब आन्दोलनकारी रजिस्टर अथवा राष्ट्रीय रजिष्टर की बात कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय नाम की कोई भी बात नहीं है। यह बह रजिस्टर नहीं जिसकी घोषणा आसाम उच्च न्यायलय ने की है।

उपाध्यक्ष महोदय 12 महीनों से अधिक का समय हो गया है और आन्दोलनकारी पहले ही आन्दोलन को घटिया स्तर पर लेजाकर बहुत नुकसान कर चुके हैं। तिनसुखिया प्लायीवुड श्रमिक दिल्ली आये हैं और वे भूखों मर रहे हैं; वे बेरोजगार हो गये हैं।

आसाम में पहले ही आर्थिक संकट है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां तक हिंसात्मक गतिविधियों का सम्बन्ध है और जहां तक परिवारों को उजाड़ने का सम्बन्ध है, सरकार को इस बारे में ठोस कार्यवाही करनी चाहिये और वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिये। हम वार्ता द्वारा समझौता करने में विश्वास रखते हैं। मेरी यह पक्की राय है कि आसाम के भोलेभाले लोगों को इस आन्दोलन के लिये गुमराह किया गया है। वे आन्दोलन के परिणामों को नहीं समझते जो हमारी राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचा रहे हैं। इसी कारण मैं केन्द्रीय सरकार से इसे एक राष्ट्रीय समस्या मानने तथा विदेशीयों की पहचान करने के बजाय इन विघटनकारी तथा साम्प्रदायिक ताकतों को पहचानने का अनुरोध करता हूँ।

अब मैं अपने आखरी प्रश्न पर आता हूँ। हमें इतिहास को नही भूलना चाहिये। यदि हम इसे भूलें तो यह हमसे बदला लेगा। याद कीजिये कि हमारे देश का विभाजन कैसे हुआ था। यदि आन्दोलनकारियों कों मनमानी करने दिया जायेगा तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचेगा। इसी कारण मैं इस अवसर पर आन्दोलनकारियों को चेतावनी देता हूं कि वे लोगो को गुमराह कर रहे हैं और इस बारे में मैं केन्द्रीय सरकार से भी अपींल करूंगा। आसाम सम्बन्धी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुये भी हमारे इन्दिरा सरकार से अनेक मतभेद हैं। हम हमेशा लोगों के अधिकारों का समर्थन करते आये हैं और जहां सरकार का रवैया ठीक होता है वहां हम इसका समर्थन करते हैं। मैं सरकार से लोगों के बीच एकता और मूलभूत अधिकारों को बनाये रखने का अनुरोध करता हूँ। यह भारत पर शासन करने वाले सत्तारूढ़ दल का एक सांवैधानिक कर्तव्य है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय द्वारा आज प्रस्तुत किये गए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट की विभिन्न विशेषताओं की सराहना करता हूँ यद्यपि इन विशेषताओं के कारण आसाम सरकार पर 40 करोड़ रुपए का ऋण भार बढ़ गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार विशेष अनुदान दे।

निस्सन्देह, जिस प्रकार का यह बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके विवरण से पता चलता है कि कानून और व्यवस्था का तो व्यय बहुत बढ़ गया है और राज्य कर राजस्व में और गैर कर राजस्व में बड़ी कमी आई है और इसका मुख्य कारण है आसाम आन्दोलन। जहाँ तक मुझे पता है वर्तमान आसाम आन्दोलन से राष्ट्रीय—राजकोष को प्रतिदिन चार करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक की हानि हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और देश में विद्यमान मुद्रास्फीति तथा अन्य पहलूओं को देखते हुए, मैं अनुभव करता हूँ कि वर्तमान बजट बधाई का पात्र है क्योंकि योजना परिव्यय में बढ़ोतरी हुई है और पहाड़ी क्षेत्र के विकास, मैदानी क्षेत्र के विकास तथा शिक्षित युवकों को रोजगार की सुविधाएं देने और अन्य कई योजनाएं भी हैं।

अब यह बात है कि आसामी होने के नाते मैं अपने मित्रों और आसाम के आन्दोलनकारियों से पूछता हूं, "क्या हम इस बजट में प्रदान किए गए अवसरों से लाभ उठाने की स्थिति में हैं ?" मुझे तो सन्देह है कि आया हम लाभ उठा सकते हैं क्योंकि आसाम का वर्तमान आन्दोलन ही ऐसा है। कुछ देर पहले ही मुझे गोहाटी से टेलीफोन काल मिली है और ऐसा

लगता है कि गोहाटी और आसाम के कुछ भागों में आज का आन्दोलन बड़ा ही हिंसात्मक रूप धारण करता जा रहा है और जो कर्मचारी अपने कार्यालयों में जाना चाहते थे उन्हें जाने नहीं दिया गया; दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। भगवान करे यह खबर झूठी हो क्योंकि यही सूचना मुझे दूरभाष पर दी गई है। परन्तु यह बात सही है तो मैं इस सम्मानित सदन में विपक्ष के सदस्यों और सत्ताधारी दल के सदस्यों से कहता हूं कि अब हमारे यह कहने का समय आ गया है, "अब खाई सो खाई, आगे रामदुहाई।" इस सदन में आन्दोलन के विरूद्ध हर प्रकार की बाते करना तो ठीक है और वहाँ होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के बारे में बातें करना भी अच्छा है। परन्तु अब हमारे लिए आन्दोलनकारियों, अखिल आसाम छात्र संघ और आसाम गणसंग्राम परिषद से यह कहने का समय आ गया है कि वे आन्दोलन पर अपना नियन्त्रण खो चुके हैं और यह उग्रवादियों के हाथों में पड़ गया है। और यह मंगलदाई में बंगाली हाईस्कूल में फेंके गये, दबाये गये बम से गोहाटी के निकट तेल की पाईपलाइन के नीचे दबाए गए बम से और अन्य अनेक हिंसात्मक कार्यवाहियों से, जो कि आसाम में आन्दोलनकारी कर रहे है, सिद्ध किया जा सकता है सी० पी० एम० के श्री चक्रवर्ती और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी यही कहा है।

उस दिन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कई सदस्य इस सदन में बोले थे और आज भी मुझसे पूर्व कई सदस्य बोल चुके हैं। परन्तु जब वे आसाम के बारे में बोलते हैं तो वे, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम, त्रिपुरा, कच्छार तथा उत्तरी कच्छार के बारे में बोलना भूल जाते हैं। वहां के लोग तो इस आन्दोलन के साथ नहीं है, परन्तु उन्हें एक ऐसी स्थिति में रहने को मजबूर किया जा रहा है जिसमें पेट्रोल या डीजल का घोर अभाव हैं। और ऐसी स्थिति उत्तरी कच्छार और कच्छार की भी है तथा बड़े आश्चार्य की बात है कि आसाम के अधिकांश सरकारी कर्मचारी और उच्चाधिकारी इस आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसे सिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि वहाँ आन्दोलन चल रहा है, परन्तु गोहाटी में एक भी नगर बस को नहीं रोका गया है। परन्तु यदि आप मेरे कच्छार जिले में, या मेघालय या अरूणाचल प्रदेश अथवा मिजोरम में जहां पर कि आन्दोलन नहीं चल रहा है, जाएं तो आप पायेंगे कि वहां पर दूर-दराज गाँवों में वस्तुएं भेजने के लिए पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है। मिजोरम का तो यह हाल है कि पानी की एक बाल्टी के लिए ग्रामीणों कों पाँच किलोमीटर तक चलकर कर जाना पड़ता है। मेघालय, गारो-पहाड़ियों और उत्तरी कच्छार की पहाड़ियों के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। पेट्रोल और डीजल तो वहां है ही नहीं। जिसके परिणाम स्वरूप पम्पिग स्टेशन और जल सप्लाई बन्द पड़ी है। ऐसी तो हालत है। आप चाहते हैं कि वे आमने सामने बैठकर और बातचीत द्वारा इस मामले को हल करें। हमने भी इसका समर्थन किया था, परन्तु अब समय आ गया है कि इस बजट पर बहस करते समय समस्त सदन को यह संकल्प पास करना चाहिऐ कि अखिल आसाम छात्र संघ और आसाम गण संग्राम परिषद इस आन्दोलन को समाप्त करें।

उस दिन हमारे भूनपूर्व प्रधान मन्त्री महोदय कह रहे थे, "मेरे पास आसाम आन्दोलन का हल है, परन्तु मैं इसे सिवाय प्रधान मन्त्री के और किसी को नहीं दे सकता हूं।" मैं नहीं जानता कि यदि उन्हें देश का तनिक भीं खयाल है तो वे ऐसीं बात क्यों कहते हैं। क्या उनकी

प्रतिष्ठा देश या देश की एकता से भी बढ़कर है ? यदि उन्हें अपने देश से तनिक सा भी प्रेम है तो प्रधान मन्त्री के पास जाने और अपना हल देने के लिए उनका परम स्वागत है।

उस दिन इसी सदन में विपक्ष के एक सदस्य ने व्यंग्यरूप में कहा था, "एक बेगम साहिबा आसाम पर राज्य करने जा रही हैं, वे मुख्य मन्त्री बनने वाली हैं।" यह तो बहुमत वाले दल का विशेषाधिकार होता है कि वे किसका चुनाव करते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि कौन मुख्यमन्त्री बनने वाला है। आसाम विधान सभा विद्यमान है और उसको मंच तैयार करना चाहिए। सभी राष्ट्रीय दलों का उसमें प्रतिनिधित्व है। उन्हें आसाम की धरती पर आसाम समस्या पर विचार-विमर्श करना चाहिए और राष्ट्रीय नेताओं के पास किसी हल के साथ पहुँचना चाहिए। उसमें सी० पी० एम०, सी० पी० आई०, नक्सलवादी, जनता, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस (अर्स) और काँग्रेस (इ) सभी दलों के सदस्य शामिल हैं। आसाम समस्या पर बातचीत में प्रत्येक सदस्य भाग ले और यहां बैठे राष्ट्रीय नेताओं के पास कोई हल लेकर पहुँचे और यदि राष्ट्रीय नेता उस हल को नहीं मानते तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नेता इस समस्या को हल नहीं करना चाहते। दुर्भाग्य से, केन्द्रीय सभा-भवन में हमसे हर कोई यह पूछता है, "आसाम समस्या को हल करने के लिए आप की प्रधान मन्त्री क्या कर रही हैं।" यदि वह कुछ करती है तो सरकार के विरुद्ध बड़ा भारी प्रचार किया जाता है कि आप सरकारी कर्मचारियों, अखिल आसाम छात्र संघ और आसाम गणसंग्राम परिषद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश लागू कर रहे हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछता हूं—क्या आप यह चाहते है कि ये कर्मचारी नेता जबरदस्ती उन संसद सदस्यों और विधायकों को रोके जो वहां जाकर लोगों से मिलने के इच्छुक है ? क्या यह उनका मजदूर संघ अधिकार है कि वे उन सरकारी कर्मचारियों को काम पर जाने से रोकें जो काम पर जाना चाहते हैं। आन्दोलन के उन नेताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश क्यों न ? लागू किया जाए जो गोहाटी में घर-घर जाकर केन्द्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों सांसदों और विधायकों को डरा-धमका रहे है कि यदि आप काम पर जाते हैं तो इसके आप को और आपके परिवार के सदस्यों को गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे।

मुझे कच्चे तेल के बारे में कुछ शब्द बोलने हैं। सेना ने आसाम से कच्चा तेल पम्पों द्वारा निकाल दिया है मैं आसाम की जनता की ओर से इस अच्छे काम के लिए सेना को बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से सेना और उन लोगों के विरूद्ध जो वहां कच्चे तेल को पम्पों द्वारा निकाल रहे हैं गलत प्रचार किया जा रहा है। यह तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जब हमें खाड़ी के और अन्य देशों के पास तेल की भीख माँगनी पड़ रही है तो आसाम से देश के अन्य भागों में क्यों तुरन्त तेल नहीं भेजा जा सकता ? दुर्भाग्य से आसाम पाईप लाइन की कुछ राष्ट्रीय पार्टियों की प्रेरणा से बन्द किया जा रहा है और मैं, जो कुछ वे अन्य स्थानों को तेल की सप्लाई को रोकने के लिए कर रहे हैं उसके लिए जनता—भारतीय जनता पार्टी को दोष देता हूँ। जब तक वे अपना रवैया नहीं बदलते आसाम समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है।

मैं केन्द्र में बैठे नेताओं से निवेदन करता हूं कि वे आसाम समस्या पर दृढ़ता से काम लें। वहाँ पर लोकप्रिय सरकार बनने दी जानि चाहिये। चाहे कोई भी मुख्य मंत्री बनाया जाए,

कोई भी वहां मंत्री मंडल का गठन करें. आन्दोलनकारी असम वासियों को अपने पास बिठाएँ और उनसे उनकी समस्याओं पर बिचार विमर्श करें और उनका हल निकालकर राष्ट्रीय-मंच अर्थात संसद में उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करें।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यावाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है और जब से श्रीमति इन्दिरा गांधी की सरकार और इसके गृह मंत्री महोदय ने समस्या में हाथ डाला है इसका कोई हल दृष्टिगोचर नही होता। यह समस्या एक वर्ष पूर्व खड़ी हुई थी – मुझे खेद है कि पूरे वर्ष समस्या का समाधान निकालना उनका उद्देश्य नहीं रहा बल्कि वास्तविकता यह है कि भ्रष्ट देश द्रोहियों की सरकार गठित करने के लिए, जिसकी घोषणा कल ही की गई है, वे जनता पर सारे साल राजनितिक छल-प्रपंच के घोर हथकण्डे अपनाते रहे।

महोदय, जिस दल के लगभग दस से भी कम सदस्य विधान-सभा में चुनकर आए हों अब वह दल सरकार बनाने का सपना ले रहा है इसी से उस लोकतान्त्रिक प्रकिया के बहुत भ्रष्टाचार का पता चलता है जिसने देश को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। **(व्यवधान)**

आसाम समस्या वहां कि जनता के कष्ट और इसी के साथ-साथ शेष भारत की जनता के कष्टों को दूर नहीं किया गया है। नाराजगी और घृणा की भावना जारी है। बीताने वाले हर दिन के साथ समस्या अधिकाधिक अव्यावहारिक रूप धारण करती जा रही है। जो समय आन्दोलनकारियों, तथा कथित आन्दोलनकारियों से बातचीत करने का ढोंग रचने में लिया गया है, उसे राजनैतिक उद्देश्यार्थ उपयोग में लाया गया है, न कि समस्या के समाधान के लिये।

इससे कहीं बढ़कर यह मेरे लिए व्यक्तिगत खेद का, विशिष्ट प्रकार के खेद का मामला है कि मुझे कल ही एक ऐसा समाचार मिला है जो मुझे परेशान कर रहा है। आसाम वकील संघ के सचिव श्री हबीबुर रहमान और उप-सचिव श्री एस० पी० डेका ने सार्वजनिक तौर पर खुले रूप में बताया है कि वकीलों के साथ तब मारपीट की गई, उनकी धर पकड़ की गई जब वे आसाम में सिब सागर में अपने मुविक्कलों का बचाव कर रहे थे। उनका कहना है :—

"हम पुलिस और सिविल अधिकारियों द्वारा किए गये अत्याचारों और अपने नेक देश के प्रति अनादर की निन्दा करते हैं। कृपया हस्तक्षेप करें और इस समस्या को कहीं उठाएं।

इस बात पर ध्यान न देते है हुए कि वकील किस दल के हैं,मैं वकीलों की ओर से यह कहना चाहता हूं कि यदि इस पेशे पर इस तरह अकारण हमला किया जाता रहेगा तो वकील दलगत भावना से ऊपर उठकर अन्त तक आपसे संघर्ष करते रहेंगे और कानून को लागू करने वाले तन्त्र के हाथों उस तरह के अपमान को सहन करने की बजाए मरना पसन्द करेंगे। परन्तु मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि इस बात के आसार हैं कि वकील नष्ट नहीं होंगे आसार इस

बात के हैं कि बकील जीवित रहने और यदि आप वकीलों पर इस तरह के अक्रमन जारी रखते हैं तो आप नष्ट हो जाएंगे।

आज भी जो बात मुझे और ज्यादा दुःखी करती है वह यह है कि हर रोज क्या हो रहा। आंदोलन के उद्देश्य, लक्ष्य और तकनीकों को गलत रूप से प्रस्तुत किया जाना जारी है। हलांकि बार-बार यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि यह भारतीय नागरिकों के खिलाफ आंदोलन बिल्कुल नहीं है, किसी भी भारतीय नागरिक को चाहे वह बंगाल, मद्रास से या भारत के अन्य किसी भी कोने से आया हो, आसाम छोडने के लिये नहीं कहा जाएगा और उसे उसके नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यह बात बार-बार कही जा चुकी है कि बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यकों के बीच यह समस्या नहीं है। अल्पसंख्कों को कृत्रिम रूप से इसमें माध्यम बनाया गया है और मैं कहूंगा कि तथाकथित आसाम आंदोलन कर्त्ताओं की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक प्रतिष्टि व्यक्ति संघर्ष करते हैं और वे इस-लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनका उस उद्देश्य में विश्वास है जिसके लिए बाकी लोग संघर्ष कर रहें हैं।

महोदय, यदि पूरे साल यह समस्या दुर्दमनीय रही हैं और शासक दल इसका समाधान नहीं कर सका है। इसके लिए कम से कम इस राजनीतिक समझदारी की आवश्यकता थी कि विपक्ष को विश्वास में ले लिया गया होता। विपक्ष के मेरे विद्वान मित्र ने अभी कहा कि विपक्षी दलों को इस समस्या की एक हल ढूढ़कर आना चाहिए और उस पर हमारे साथ विचार विमर्श करना चाहिए। महोदय, जहाँ तक मेरे दल का सम्बन्ध है। कई महीने पूर्व आसाम समस्या के समाधान की घोषणा की थी। इस समस्या पर चर्चा किए जाने के प्रति प्रधानमंत्री की इच्छा का जहाँ तक सम्बन्ध है, मैं कोई रहस्योदघाटन नहीं कर रहा हूं। मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस समस्या पर चर्चा करना चाहूँगा। इस पत्र को भेजे यद्यपि छः महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस पत्र का उत्तर नहीं दिया है। महोदय, एक अन्य विषय के सम्बन्ध में मैंने उनको एक पत्र लिखा और मात्र जो उत्तर—आप इसे किसी तरह का उत्तर कह सकते हैं—मुझे मिला है वह उनके निजी सचिव की ओर से है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि विपक्ष के नेताओं के साथ आमने-सामने बैठकर इस विषय पर चर्चा किए जाने की प्रधान मंत्री की वास्तविक मंशा नहीं है और वह विपक्ष पर आरोप लगाते रहना चाहती हैं। (व्यवधान)

(**श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए**) : दुर्भाग्य से वर्तमान प्रधान मन्त्री और सरकार की परेशानी यह है कि उसके पास आप जैसे सलाहकार हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सरकार दुविधा की स्थिति में रहती है। इस सरकार का इतिहास में अक्षमता तथा दूसरी बुराइयों—जिनका मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहता—के लिए नाम रहेगा। (व्यवधान)

अब मैं इस समस्या को संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। एकमात्र आपका दंभ ही आपकी अक्षमता से मेल खाता है। दंभ और अक्षमता के इस मेल ने ही आपको तानाशाही प्रवृति के व्यवहार का बना दिया है जिसके लिए आप दोषी हैं।

महोदय, मैं उन आखिरी मुद्दे पर और बोलना चाहूंगा जो दूसरे दिन सरदार जैल सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य से उभर कर सामने आता है । सदन के समक्ष उन्होंने कहा कि आसाम के आंदोलनकर्त्ता 1951 के राष्ट्रीय रजिस्टर की बात कर रहे हैं और 1951 के इस राष्ट्रीय रजिस्टर को आसाम उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया है। मैं कहूंगा कि या तो मन्त्री महोदय इस बात के सम्बन्ध में अनजान थे वे जानबूझ कर इस सदन के सदस्यों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे थे । वह 1970 के निर्णय का उल्लेख कर रहे थे और मैं समझता था कि उन्होंने कोई नई बात की खोज की है जिसे वे इस सदन के समक्ष प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। महोदय, 1970 में बना शाह शेख नामक व्यक्ति गोहाटी उच्च न्यायालय पहुँचा और वहाँ उसने आसाम प्रदेश में अपने जन्म होने को सिद्ध करने के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज एक प्रविष्टि की प्रमाणित-प्रतिलिपि पेश की। परन्तु यह किसी सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं थी अपितु जमायते उल्मा ए हिन्द के जिला सेक्रेटरी द्वारा जारी की गई प्रमाणित प्रतिलिपि थी और गोहाटी उच्च न्यायालय ने कहा, प्रविष्टि साबित करने का यह तरीका कानून के लिए अनजाना है और हम इन प्रमाणित प्रतिलिपियों को स्वीकार नहीं करते जोकि जमायत-उलमा-ए-हिन्द के कार्यालय द्वारा जारी की गई है। जो व्यक्ति स्वयं को अवगत कराना चाहते हैं सत्य को थोड़े से अंश को जानना चाहते हैं और सरदार जैल सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य से गुमराह नहीं होना चाहते वे इस निर्णय को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं।

श्रीमान जी, और ज्यादा क्या कहा जाय। आंदोलनकर्त्ता इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस दस्तावेज को जो जनगणना अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है। अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए केवल एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। परन्तु, महोदय जो बात हम कह रहे हैं वह यह है कि यह एक समुचित रूप से विश्वसनीय दस्तावेज है और हमें समझौते से, मिल बैठ कर सहमति करके इस दस्तावेज को नागरिकता के अस्तित्व अथवा नागरिकता की अस्तित्व-हीनता के साक्ष्य के रूप में, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में, प्रयोग करना चाहिए। हमने यह कभी नहीं कहा है कि आंदोलनकर्ताओं द्वारा किए जा रहे दावों को सिद्ध करने के लिए जनगणना अधिनियम के अन्तर्गत यह दस्तावेज स्वीकार्य है क्योंकि जनगणना अधिनियम उस समय नहीं बनाया गया था जब यह महसूस किया गया था कि 1980 की सरकार इस तरह की समस्या पैदा कर देगी जिसके समाधान की 30 वर्ष बाद मांग होगी। और श्रीमान जी, इससे मुझे अन्तिम निवेदन और करना है अर्थात हमें इस बात का बार-बार आश्वासन दिया गया है कि कम से कम चालू घुसपैठ सरकार द्वारा अपनाए गये सख्त उपायों से रोक दी गई है। मैं कहता हूं कि एकदम झूठी बात है। मैं कहता हूं कि यह आपका ऐसा दूसरा दावा है जिसकी मंशा इस देश के लोगों को गुमराह करने की है। आपने मशीनीकृत नवों की चर्चा की, आपने सेनाओं की चर्चा की, आपने सभी तरह के बचाव के रास्तों को बंद करने की बात की। परंतु या तो यह आपकी उस संपूर्ण अक्षमता का मामला है, जो आप करने का दावा करते रहे, जो आप कर रहे हैं उसे न कर पाने में आप असमर्थ हैं अथवा यह इस देश के लोगों को धोखा देने का दूसरा मामला है। मैं यह सुझाव देता हूं और मांग करता हूं कि यदि इस देश में और आगे घुसपैठ रोकने तथा चालू घुसपैठ को रोकने में यदि कुछ सच्चाई है तो आप दल से उपर उठे हुए, किसी दल से

सम्बद्धता और प्रतिबद्धताओं से परे व्यक्तियों, देशभक्त भारतीय नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल को अनुमति दीजिए। उन्हें उन क्षेत्रों में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने की इजाजत दीजिए और वे उन क्षेत्रों में जाकर पता लगाएं जहाँ पाकिस्तान की संप्रभुता का स्पष्ट प्रतीक चिह्न भारत के उस भू-भाग पर निरन्तर विद्यमान है। बात करने से पहले आप वहाँ जाइए और पता करिए। क्योंकि मैं इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन लोगों को आप आंदोलनकारियों के रूप में मान रहे हैं, वे आंदोलनकर्ता नहीं है, बल्कि वे कम से कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको रिप वन बिंकले की जैसी नींद से जगाया है क्योंकि आपके मन्त्री महोदय ने भी दूसरे दिन कहा कि कम से कम 300,000 व्यक्तियों की पहचान की गई है जो विदेशी हैं और उनको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि इन युवा आंदोलनकर्ताओं ने आपको आपकी नींद से नहीं जगाया होता तो आपको इन 300,000 घुसपैठियों की मौजूदगी के बारे में पता भी नहीं चलता जिनके बारे में आपके मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। इसलिए इन लोगों को गालियाँ देने से कोई लाभ नहीं है। देशभक्त के रूप में उनके साथ व्यवहार कीजिये; उनके साथ मिल-बैठकर बात कीजिए; मुझे इस बात का विश्वास है कि इस समस्या का एक हल ढूंढ़ सकेंगे जो राष्ट्रीय हित के अनुरूप होगा और जो भारत के संविधान और कानून के अनुरूप होगा।

और श्रीमान जी जहाँ तक मैं समझता हूं, इसमें एक बाधा है और वह है 1971 की यह रहस्यमयी दिनांक-रेखा (रेड लाइन)। मैं जानता हूं, 1971 के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है; परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ पुनः आप अपनी ही झूठ के दलदल में फंस गए हैं क्योंकि आपके मन्त्री महोदय और विशेषकर प्रधान मन्त्री केवल उस समय एक तथ्य से इन्कार करते हैं जो 1970 को प्रासंगिक बनाता है। जब तक आप उसे इस देश के लोगों के सामने प्रकट नहीं करते और उन्हें विश्वास में नहीं लेते और उन्हें अपने समझौते, बंगला देश के नेताओं के साथ अपने समझौतों के बारे में नहीं बताते। जो कुछ भी समझौते गये थे, तबतक 1971 आधार वर्ष रहेगा। यह एक ऐसा आधार वर्ष रहेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है और जिसका समर्थन करना तर्कसंगत नहीं है। इस देश के लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है, और हम आपके साथ सहयोग करेंगे, परन्तु केवल दो शर्तों पर हम आपका समर्थन करेंगे। वे दो शर्तें हैं: पहली, आसाम में ताकत का नग्न प्रदर्शन बंद करो। और दूसरी, यदि आप विपक्ष से विपक्ष के रूप में सहयोग चाहते हैं तो हमें आशा है कि खेल नियमों के मुताबिक खेला जायेगा जिससे संसदीय सरकार अलंघनीय रहेगी। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम हाल ही में हमें आपके विधि मन्त्री से भले ही आधे हृदय से ही सही, एक प्रकार का आश्वासन मिला था कि सरकार की संसदीय पद्धति को कमजोर करने की कोई मंशा नहीं है। आप हमें कृत संकल्प और स्पष्ट शब्दों में बताएं कि सरकार का संविधान की मूल विशेषताओं को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है, राजनीतिक विरोधियों की असहमति की स्वतंत्रता में दखल देने की कोई मंशा नहीं है और तब हम आपके साथ सहयोग करेंगे। और आप हमें यह बताएं—और यह दूसरी शर्त है—और इस बात की दृढ़ शब्दों में घोषणा करें कि सरकार इस देश के न्यायधीशों को कमजोर करने का कोई कार्य नहीं करेगी, न्याय पालिका की स्वतंत्रता, उसकी एकात्मकता और आदर बरकरार रखा जायेगा,—इन दो शर्तों को पूरा कीजिए—यह कोई अधिक माँग नहीं है—और आपको विपक्ष की विशेषज्ञता, प्रतिभा और अनुभव का सहयोग मिलेगा और आप इनका

इस्तेमाल कर सकेंगे। परन्तु तब तक नहीं जब तक कि आप विपक्ष से सहयोग की आशा नहीं करते।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली): श्रीमान जी, अभी मैंने माननीय सदस्य प्रो० राम जेठमलानी का भाषण आदर एवं ध्यान से सुना। जो तर्क उन्होंने रखे हैं मैंने उन्हें अत्यन्त सजगता के साथ समझा है और उनके पूरे भाषण को सुनने के बाद मुझे उसमें एक भी ठोस सुझाव नहीं मिला कि किस तरह समस्या का समाधान किया जा सकता है। वे सरकार और प्रधानमन्त्री के खिलाफ आरोप के बाद आरोप लगाते गये। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करने की प्रधानमन्त्री की कोई मंशा नहीं है जबकि हम सभी और वह स्वयं यह जानते हैं कि प्रधानमन्त्री ने इस विषय पर विपक्षी दलों के साथ बैठक की और जो कुछ हुआ वह हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। मैंने प्रधानमन्त्री से बात नहीं की। मैंने यह पाया कि उस बैठक में भी समस्या के समाधान के सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। मुझे बताया गया है, कल गृहमन्त्री ने विपक्षी नेताओं और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

एक माननीय सदस्य : आज प्रातः······

श्री० एच० के० एल० भगत : मैं अपनी बात ठीक कर लेता हूँ। गृहमन्त्री ने विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और बावजूद इसके प्रो० राम जेठमलानी कहते जा रहे हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में विपक्ष के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री रामजेठ मलानी : मैं प्रोफेसर नहीं हूँ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जानता हूँ। परन्तु में इस व्यंजना का प्रयोग करना चाहता था मैं कहूँगा कि आप एक चालाक और सुयोग्य वकील हैं। ठीक है, जब आपके पास कोई मुद्दा न हो तो आप उस पर बहस कर सकते हैं। आसाम में विदेशियों को तथाकथित समस्या इतिहास की उपज है। अब मुद्दा यह है कि यह एक अत्यन्त जटिल और उलझी हुई समस्या है जो इतिहास द्वारा उत्पन्न की गई है। मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब इस देश का विभाजन हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के अलगाव के साथ—निश्चित रूप से मैं विभाजन बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग बना दिया गया था—इसे अपेक्षाकृत बुरा समझा गया था यह अनेक कारणों का प्रभाव था, अब यह, समस्या इतिहास द्वारा दी गई, पैदा की गई थी। सद्भावना, समझौते और व्यावहारिक सोच-विचार से इस समस्या को हल किया जाना है। अब आप सरकार पर दोष मढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने सर्वाधिक धैर्य, सहनशीलता और समझदारी का परिचय दिया है। मैं समझ रहा था कि श्री रामजेठ मलानी आगे आएँगे और कहेंगे, "ठीक है हमें समग्र रूप से राष्ट्र के बारे में सोचना है", यह बात राष्ट्रीय हित में है। परन्तु मैं उनसे अथवा उनकी ओर के किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी बात नहीं सुनता। वह बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई नहीं। मुझे इस पर आश्चर्य होता है। आपके राष्ट्रीय हित कहाँ हैं ? क्या वे आपके हृदय में है ? मौजूदा नाकेबंदी में हम काफी नुकसान उठाते रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से भी हमें तेल नहीं मिलता और आप यह भी नहीं कहते, "कृपया आप तेल की नाकेबंदी मत कीजिए।" क्या आप आसाम समस्या के हल के प्रति गम्भीर हैं ?

नहीं। ग्राप तेल सप्लाई की नाकेबंदी को रोकना नहीं चाहते। ग्राप परेशानी पैदा करना चाहते हैं, ग्राप जलती ग्राग में घी डालना चाहते हैं। यह विपक्षी दलों का, भारतीय जनता पार्टी का, जिससे माननीय सदस्य महोदय सम्बद्ध हैं, प्रयास है। उन्होंने कहा कि हम ग्रान्दोलन का समर्थन करते हैं।

जो भी ग्रान्दोलन होता है ग्राप उसका समर्थन करते हैं। ग्राप कहते हैं कि ग्रान्दोलन केवल विदेशियों के विरुद्ध है। क्या बंगाली नहीं मारे गये थे, क्या बंगाली हिन्दू नहीं मारे गये थे, क्या उड़ीसा के लोग नहीं मारे गये थे, क्या बिहार के लोगों को यातना नहीं दी गई थी? ग्राप इस सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहते हैं। ग्राप इसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते हैं। ग्रापने ग्राज यह नहीं कहा है। विदेशियों के मामले को लेकर चलने वाला यह ग्रान्दोलन उन ग्रन्य सभी भारतीय नागरिकों के विरुद्ध ग्रान्दोलन हो गया है जो उस राज्य में रह रहे हैं।

ग्रब ग्रासाम का समस्त ग्रार्थिक जीवन ठप्प हो गया है ग्रौर ग्राप ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कमी की भी बात नहीं करते हैं जिससे स्थिति जटिल हो गयी है। ग्रावश्यक वस्तुग्रों को वहाँ नहीं जाने दिया जाता ग्रौर भारत-विरोधी प्रचार वहाँ पर होता है। इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा में क्या हुग्रा? इसके परिणामस्वरूप प० बंगाल में क्या हुग्रा? देश में हर जगह क्या हुग्रा? ग्रौर ग्राप यह कहते जाते हैं ठीक है, हम ग्रान्दोलन का समर्थन करते हैं।" ग्रासाम की ग्रकेली घटना नहीं हुई है। ग्रापकी देश की राजनैतिक स्थिरता में रुचि नहीं है। मुझे ग्राज मालूम हुग्रा है कि लोकदल तथा ग्रन्य दल ग्रान्दोलन शुरू कर रहे हैं जिसमें किसानों के लिये गन्ने के ग्रधिक मूल्य की मांग की जा रही है। ग्रच्छा है, हम भी ग्रधिक मूल्य देना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि लोकदल या जनता पार्टी ने क्या मूल्य वृद्धि की है? हमने उसकी ग्रपेक्षा, जो ग्राप ने ग्रपने कार्यकाल के दौरान किया था, ग्रधिक किया। ग्राप बिहार में एक, महाराष्ट्र में एक ग्रौर ग्रब उत्तर प्रदेश में एक, तथा बिहार में एक मोर्चा बनाना चाहते हैं। इस देश में ग्रनेक प्रकार के ग्रान्दोलन किये जा रहे है—किसी उद्देश्य से ग्रौर ग्राप लोगों के साथ सहानुभूति नहीं दिखा सकते हैं। ग्राप रेल गाड़ियों को रोकते हैं ग्रौर रेल गाड़ियों में विलम्ब करते हैं। कुछ बहुत जिम्मेवार व्यक्ति इस ग्रान्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि वे उस ग्रान्दोलन के पक्ष में है। मैं यह कहते हुए चुनौती दे रहा हूँ कि क्या उन्होंने ग्रासाम के मामले को सुलझाने के लिए कोई ठोस सुझाव दिया। ग्रासाम के छात्रों की ग्रनेकों मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं। बहुत लोगों का रवैया बहुत उचित था।

मतदाताग्रों को परिचय-पत्र देने का निर्णय किया गया था ताकि उस पहलू से लाभ न उठाया जाए। ग्रन्य ग्रनेक माँगें ग्रासाम के ग्रान्दोलन कर्त्ताग्रों, ग्रासाम के छात्रों की सात से ग्राठ माँगों को मान लिया गया था ग्रौर मेरे मित्र कहते हैं कि कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

वहां ग्रल्पसंख्यकों का प्रश्न है। ग्राप समझते हैं कि वहाँ पर ग्रल्पसंख्यक नहीं हैं। क्या समझते हैं कि ग्रल्पसंख्यकों का एक दृष्टिकोण है? मैं उस दल को जानता हूँ जिसका श्री रामजेठ मलानी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे मालूम है कि इस दल का ग्रल्पसंख्यकों से कोई लगाव नहीं है। यह ग्रल्प-संख्यक-विरोधी दल है। यह गरीब-विरोधी दल है। मैं यह बात समझ सकता हूँ

कि आसाम तथा किसी और जगह अल्पसंख्यकों की समस्या इन लोगों के लिये नहीं है। जनता के सभी वर्गों से सम्बन्धित लोग महत्त्वपूर्ण हैं और उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाना है। मैं मानता हूँ कि सरकार अपने काम में असफल होगी यदि यह अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करती है।

इसलिये अब हम राष्ट्रीय रजिस्टर की बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय रजिस्टर कहाँ है ? किसी हद तक यह विद्यमान है ? क्या यह रखा गया है ? क्या यह नष्ट कर दिया गया है ? इसमें से कितना भाग साक्ष्य के रूप में माना गया है और आदि आदि। और इसके अतिरिक्त अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या क्या है, ऐसी कौन-सी व्यवहारिक बातें हैं जिनका उन्होंने ध्यान रखा ? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बड़ी सावधानी, शान्ति तथा धैर्य से विचार करने की आवश्यकता है। परन्तु हम क्या कर रहे हैं ? हम स्थिति बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

मेरी स्वयं की भावना यह है कि भारत सरकार का रवैया सही रहा है, यह संयमी रही है यह समझदार रही है, यह धैर्यवान रही है, इसने बलों का प्रयोग नहीं किया है। यह बल के प्रयोग से दूर रही है और इसने सब कुछ करने का प्रयास किया है। इसलिये मेरी स्वयं की भावना यह है कि आसाम समस्त भारत के लिए एक परीक्षा है। मैं छात्रों तथा जन संग्राम परिषद् से अपील करता हूँ कि यदि उन्हें भारत से प्रेम है, यदि उन्हें भारत से लगाव है तो वे कम से कम नाकेबन्दी को समाप्त कर दें और यह कहें, "अच्छा, हम उसे करेंगे।" वे विपक्ष को वह बात कहने दे। उन्हें उनसे अपील करने दो और उनसे इसे समाप्त करने के लिये कहे। मैं उन्हें ऐसा करने के लिए आशावादी ढंग से कह रहा हूँ वे ऐसा नहीं करेंगे। वे आन्दोलन कर्त्ताओं को खुश करना चाहते हैं। वे भारत के हितों को नहीं चाहते हैं। जो सर्वोच्च है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजनैतिक उद्देश्य तथा राजनैतिक सोच-विचार है। भारत संगठित था। यह विभाजन से कुल मिलाकर विभाजित हो गया था। परन्तु भारत राजनैतिक रूप से संगठित था। यह नेफा भी हमारे दल विशेष रूप से श्रीमती गाँधी के जरिये संगठित था और यह विघटन, अस्थिरता की सारी (या तीव्र) प्रक्रिया जनता तथा लोकदल के शासन के दौरान बड़ी तेजी से शुरू हुई और दुर्भाग्यवश आप गलत ढंग से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। आप अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करने का प्रयास कर है।

वर्तमान संदर्भ में मैं विपक्ष के अपने सभी मित्रों से अपने संकीर्ण तथा स्वार्थ हितों पर न सोचने की अपील करूंगा। आसाम भारत का अन्य भागों की तरह से अभिन्न अंग है और हम सब दिल में आसाम के लोगों के हितों तथा कल्याण की भावना रखते हैं और सारा प्रश्न राष्ट्रीय सन्दर्भ में देखने का है और हमें ऐसी कोई बात नहीं करेगें जिससे मामला और जटिल हो जाए। सरकार इस समस्या का अच्छी तरह से समाधान कर रही है और मुझे आशा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री सी. टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, श्रीमान, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत आसाम के बजट का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरा अपना संदेह है कि क्या इस धन राशि का जो आसाम के लिये आवंटित की गई है, वहाँ अभी चल रहे आंदोलन के विचार से सही ढंग से उपयोग होगा।

बजट के प्रस्तुतीकरण का लाभ उठाते हुये सारी सभा आसाम की स्थिति पर चर्चा कर रही है। बहुत से संवैधानिक मुद्दे भी उठाये गये हैं। विधेयक के क्षेत्राधिकार के बाहर के भी कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये गये हैं। मैं अपने आप को केवल आसाम संबंधी प्रश्नों तक सीमित रखना चाहता हूँ। द्रविड़ मुनेत्र कड्गम एक क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल अन्य क्षेत्रों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय दल एक विशेष क्षेत्र की भावनाओं को नहीं समझते हैं। बड़े दिनों से चल रहे आंदोलन के कारण बहुत स्पष्ट हैं। सारे दल एक साथ मिले और उन्होंने अलग एक वक्तव्य जारी किया। सरकार ने अपनी ओर से बहुत वार आसाम के नेताओं समेत सभी राजनैतिक नेताओं को आमंत्रित किया और यथासंभव शीघ्र इसका समाधान करने के लिये इस पर चर्चा की। छात्र संघ को भी जिसे आसाम में कुछ शिकायतें है, दिल्ली आमंत्रित किया था। हमारे गृह मंत्री महोदय ने इस समस्या का समाधान करने के लिये उनके साथ बातचीत की। परन्तु, दुर्भाग्यवश ये सब बाते विफल हो गई। अन्तत: कार्यपालिका के रूप में सरकार को ठोस उपाय करने पड़े। इस समस्या के संबंध में दो तरह के विचार हैं। एक यह है कि क्या सम्पूर्ण आंदोलन को बल से दबा दिया जाना चाहिए या इसे बातचीत के माध्यम से सूलझाया जा सकता है। मैं सरकार का बात-चीत की दिशा में उठाये गये उचित कदमों का कृतज्ञ हूं। साथ में हमें पिछड़ेपन तथा आसाम के लोगो की भवना को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता की पहिचान की जानी चाहए। दूसरों का उन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह उनकी मांग है।

आसाम में बृद्धि दिन प्रतिदिन होती जा रही है। 1967 में यह 34 प्रतिशत थी। 1971 में यह 35 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय औसत 24.5 प्रतिशत है। कुछ जिलों में बृद्धि की दर 62 तथा 63 प्रतिशत रिकार्ड की गई है। साथ-साथ मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि बृद्धि के इस प्रश्न का सही ढ़ग ने अध्ययन किया जाना चाहिए या सरकार द्वारा सही ढ़गं से संचालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न होगा। मैं नहीं समझता हूं कि भारत में अन्य राजनैतिक दलों की क्या मांग होगी। जहाँ तक मेरे दल का संबंध है चाहे बृद्धि ठीक 1934 से हुई हो या 1960 से जो भी वर्ष हो, यह तो सरकार के ऊपर है। सरकार को आधार वर्ष या तो 1961 या 1971 को तय करने के बारे में यह कार्यकारी निर्णय लेना चाहिए। असम के कुछ विधेयक पहले ही खुले वक्तव्य के आथ आ चुके है जिसमें 1961 और 1971 के बीच का कोई वर्ष कुछ राजनैतिक दलों और आसाम के विधान मंडल को मान्य होगा। परन्तु इस संदर्भ में बातें बुरी दशा में बदल चुकी है विशेष रूप से आसाम के लोगों द्वारा नेये प्रश्न उठाये नये है। श्रीमान मैं पहले ही अपने भाषण के शुरू में कह चुका हूँ कि आसाम से छात्र मद्रास आये, हमारे डी. एम. के छात्र संघ से मिले। उन्होंने आमाम में अन्दोलन के लिए डी० एम० के० छात्र संघ का समर्थन चाहा। डी० एम० के० छात्र संघ ने इस पर चर्चा की और हमने उन्हें तद्नुसार बताया। हमारे छात्र संघ ने आसाम के संघ छात्र को यह कहते हुए सूचित किया कि डी० एम० के० इस प्रकार के आन्दोलन आर्थात आसामी-गैर-आसामी को सहयोग नहीं देगा। इसके बिपरीत हमने आन्दोलन की निन्दा की। हमने यह रूख अपनाया है।

कुछ माननीय सदस्य : अच्छा अच्छा।

श्री सी. टी. दंडपाणि : परन्तु साथ-साथ यदि कोई आर्थिक मामला या पिछड़े क्षेत्र का मामला धर्म या अल्पसंख्यकों की भाषा का मामला तथा ऐसा कोई अन्य मामला संसद में या संसद के बाहर उठाया जाता है तो द्रविड मुनेत्र कड्गम उनका समर्थन करेगा। इसलिये हमने उन्हें बताया कि आंदोलन को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। यह छः महीने पहले हुआ था। जो भी हमारे छात्रों तथा आसाम के छात्रों के बीच बातचीत हुई उस पर आसाम के छात्रों ने ध्यान दिया था और उनका सन्देह दूर कर दिया गया था, मैं यह नहीं जानता हूँ कि आसाम का सदस्य यह कैसे कहता है कि वहां छात्र बड़ी हठ धर्मी के साथ यह कह रहे हैं कि सारे संसाधन आसाम में उत्पादित की जा रही सारी वस्तुयें केवल आसाम की होनी चाहिए। इस का उपयोग अन्य लोगों तथा गैर-आसाम के लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार का नारा देश के लिये हानिकारक है। अपनी स्वयं की सम्पत्ति अपनी स्वयं की उत्पादित वस्तुओं को रखने के इस विचार से निश्चित रूप से इस देश का विघटन होगा। इसलिये मैं अन्दोलन कर्त्ताओं के इस रवैये की निन्दा करूंगा। उनके इस आन्दोलन से निश्चित रूप से आसाम में समस्याओं का सही तथा सौहार्द पूर्ण समाधान नहीं होगा। दूसरे, श्रीमान् यहां हमारे मित्रों द्वारा यह कहा गया है कि आन्दोलन उग्रपंथियों के हाथ में चला गया है। परन्तु यहां एक अन्य दलील यह दी जा रही है "वहाँ पर तैनात सेना को हटाया जाए।" मैं इसमें कोई तर्क की बात नहीं समझता हूँ। यह क्या तर्क है ? अन्दोलन छात्रों तथा आसाम के अन्य लोगों के हाथ में नहीं हैं, यह तो उग्रवादियों के हाथों में है। सरकार उग्रवादियों को दबाने का प्रयास कर रही है न कि असम के लोगों को एक तरफ तो वे कहते है कि आंदोलन उग्रवादियों के हाथों में चला गया है। दूसरी तरफ वे सेना को हटाने के लिए कहते है। इसका क्या अर्थ है ? इससे स्पष्ट मालूम होता है कि वे असम का शासन उग्रवादियों को देना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। मेरा उनसे मतभेद है। विशेष रूप से लोकप्रिय सरकार के बारे में ऐसा आभास है कि आसाम में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। मैं इस विचार का पूरा स्वागत करता हूँ कोई भी दल हो, अथवा कोई भी मुख्य मंत्री हो, वहाँ एक लोक प्रिय सरकार होनी चाहिये। दिल्ली में बैठे हुये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्थानीय व्यक्तियों निर्वाचित विधायकों को मामले पर ध्यान देना चाहिये। वे समस्या का समाधान करने वाले तथा जनता को उत्तर देने वाले सही व्यक्ति हैं। यह कहते हुये, श्रीमान मैं बजट का स्वागत तथा समर्थन करता हूँ।

श्री कमलनाथ झा (सहरसा) : असम के सवाल पर हमारे विद्वान सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने जो गहरी चिन्ता व्यक्त की है, वह बहुत उचित है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की सभ्यता को दस हजार वर्ष की सभ्यता माना जाय या पाँच हजार वर्ष की सभ्यता माना जाय या तीन हजार वर्ष की सभ्यता माना जाय तो जितनी हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ रही हैं उन सभी के ऊपर आज एक गम्भीर खतरा भारत के पूर्वांचल में उदय हुआ है।

हमारी संस्कृति का आधार क्या है। आर्यों, द्रविड़ों और गिरिजनों इन तीनों के समन्वय से भारत की महान संस्कृति का निर्माण हुआ है। इसका संगम और इसका मिलन इन तीनों की संस्कृति से हुआ है। हमारे देश में जो उस समय धर्म का महत्व था वह आज राजनीति का महत्व है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान प्रयाग माना गया है। वह इसलिए कि वह संगम था

गंगा, यमुना और सरस्वती का। यह एक प्रतीक है, एक सिम्बल है कि संगम से ही यह देश बन सकता है।

आज असम में जो कुछ हो रहा है वह संगम नहीं है विघटन है और तीन हजार वर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों को नकारने की एक कोशिश है। हमारे पूर्वज राम ने अयोध्या से लंका तक देश में मिलाया। हमारे पूर्वज कृष्ण ने द्वारका से मणिपुर तक को एक किया। महान पूर्वज अशोक ने इस देश में दबे हुए लोगों को उठाकर इस देश को एक महान देश बनाया। मुस्लिम राजत्व काल में भी अकबर दी ग्रेट ने हिन्दू और मुसलमानों को एक जगह खड़ा किया। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे महान नेताओं ने हिन्दुस्तान में संगम की राजनीति चलाई। यही तीन हजार वर्ष की हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। श्री जेठमलानी जी को मैं क्या कहूं ? वह अभी बोल रहे थे लेकिन चले गये हैं। उनको यहाँ बैठकर दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूँ कि असम में विदेशियों का तो बहाना है, वास्तव में वहाँ सुनियोजित ढंग से षडयंत्र रच कर असम के बाहर के लोगों को असम से निकालने की चाल है। बिहार के लाखों आदमी वहाँ काम करते हैं। आज वे सब जान बचाकर भाग रहे हैं। बंगला भाषा भाषी लोग भाग रहे हैं, पंजाबी, उड़िया बोलने वाले भाग रहे हैं। वहाँ उनका कहना है कि असम में असम के बाहर के रहने वालों को रहने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, व्यापार नहीं करने देंगे, रोजगार करने नहीं देंगे। यह तीन हजार वर्ष की भारत की संस्कृति को तोड़ने का षड़यंत्र नहीं तो क्या है ?

हमने आजादी हासिल की और यहाँ बैठ कर पवित्र संविधान बनाया। हम ने पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी की स्थापना की है। पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी क्या है ? लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जूडिशरी से ही तो पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी बनती है। यह आन्दोलन जनता पार्टी की वजह से पैदा हुआ है।

जनता पार्टी ने जनतन्त्र की हत्या की और लोक-सभा के चुनाव होने नहीं दिए। डेमोक्रेटिक मूवमैंट है या पीपल्स मूवमैंट है जो असम की जनता के प्रतिनिधियों को इस सर्वोच्च संसद में आने से रोके यह कौन सी डेमोक्रेसी है।

कल नागपुर में वाजपेयीजी ने कहा कि असम में पीपल्स रिप्रैजेन्टिन्टिव गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए और असम के आन्दोलनकारी असम की असेम्बली के सदस्यों से जबरदस्ती इस्तीफा लिखावें, संसद में, विधान-सभा में, असम की जनता का प्रतिनिधि नहीं बोले, बोले तो षडयंत्रकारी बोले या षडयंत्रकारी का हुक्का बोले। आज विधायिका समाप्त है, असम की जनता संसद में नहीं और असेम्बली में नहीं।

हम बदल सकते हैं, कार्यपालिका नहीं बदल सकती। अनुशासन और प्रशासन यह दो कार्यपालिका की धुरी हैं। असम में पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी की कार्यपालिका को छिन्न-भिन्न कर दिया। जिसको आज प्रशासन चलाना चाहिए, जिसको असम में अनुशासन रखने के लिए होना चाहिए वह अनुशासन हीन है और प्रशासन के बदले अराजकता फैला रहा है। बोलिए, क्या यह पीपल्स मूवमैंट कर सकता है। न्यायपालिका के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। उसके बारे

में हम जितना कम बालें, उतना अच्छा है।

हमारी आजादी की जो उपलब्धि है, एन्टायर डेमोक्रेसी स्टैंड्स सस्पैंण्डेड। हमारी 3 हजार वर्ष की संस्कृति और जो उपलब्धि है, वह आज खतरे में है।

हम बिहार के रहने वाले हैं। जेठमलानी जी और दूसरे लोगों ने गरीब की दुहाई दी। विहार सबसे गरीब सूबा है लेकिन 80 परसैंट लोहा और कोयला हम हिन्दुस्तान को बिहार से सप्लाई करते हैं। आज हमारे यहाँ असम के आन्दोलन की बाढ़ आवे तो जो जेठमलानी जी चाहते हैं, प्रोटिस्ट चाहते हैं, विदेश के एजेन्ट जो चाहते हैं तो यह देश कहाँ रहेगा, इसका आर्थिक विकास कहाँ रहेगा ?

आपने चेतावनी दी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमन्त्री ने बहुत निवेदन किया, बहुत आग्रह किया, समझौता किया लेकिन हालत क्या हो गई ? रामायण की उस कहानी की तरह जब राम ने समुद्र के किनारे हाथ जोड़े और कहा कि समुद्र, देखो सीता को चुरा कर रावण ले गया है, रास्ता छोड़ो तो समुद्र ने सोचा कि मैं राम से भी बड़ा हो गया क्योंकि राम ने हमारे सामने हाथ जोड़ा है। तो जब जैलसिंह जी ने निवेदन किया तो असम के इन लोगों ने समझा कि हम दिल्ली से बड़े हो गए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ—

विनय न माने जलधि जड़ गए तीन दिन बीते
बोले राम सकोप तब, बिनु भय होत न प्रीति।

इसलिए आज मजबूती से असम की समस्या को हल करना है, क्योंकि आज असम का सवाल ही नहीं सारे देश की अखण्डता का सवाल है, विकास का सवाल है, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल का सवाल है। इसलिए मजबूती से भारत सरकार को पहल करनी चाहिए।

प्रो० पी० जो० कुरियन (मावेलीकारा) : महोदय, मैं असम बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। असम के बारे में बहुत सी बातें कहीं गई हैं। किन्तु मैं यह कहता हूँ कि इस सरकार के पास असम राज्य के लिए बजट पेश करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सीधी बात तो यह है कि सरकार असम समस्या सुलझाने में बुरी तरह असफल हुई है। असम में सीधी-सादी सी समस्या क्या है ? कुछ कानून और व्यवस्था की समस्या है। असम में आंदोलन चल रहा है। इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में कौन-सी शक्ति कार्य कर रही है, आन्दोलनकारियों की माँगे क्या हैं—देश में सभी लोगों को यह बात स्पष्ट है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार पिछले 10 महीनों से देश में शासन कर रही है और यह सरकार इस समस्या को छू तक नहीं पाई है। यह समस्या अब भी वैसी ही बनी हुई है जैसी तब थी जब यह सरकार सत्ता में आई थी। माननीय गृह मन्त्री ने अनेक अवसरों पर उन कदमों के बारे में बताया है जो वह इस समस्या के समाधान के लिए उठाने वाले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस (इ०) सदस्य निष्पक्ष जाँच पड़ताल करें तो वह इस निश्कर्ष पर पहुँचेगे कि असम में वास्तव में कोई सरकार नहीं है। कोई भी सरकार इस प्रकार की

स्थिति को अधिक देर तक बने रहने नहीं दे सकती ।

असम में किए जा रहे ग्रान्दोलन से राष्ट्रीय कोष को प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है ? किसी ने बताया है कि केवल तेल से ही 600 करोड़ रुपए की हानि हो रही है । किसी ग्रौर ने कहा है कि यह हानि 900 करोड़ रुपए की है । इस समय जब कि देश तेल संकट का सामना कर रहा है, क्या हम इतनी भारी हानि सहन करने की स्थिति में हैं ? इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया है ? वह कहते हैं कि बातचीत चल रही है । सरकार की अक्षमता ग्रौर अयोग्यता के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है । जो सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती, जो सरकार किसी राज्य में कानून ग्रौर व्यवस्था नहीं रख सकती, जो सरकार राज्यों में अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकती, जो सरकार ग्रान्दोलनकारियों की सही मांगों को स्वीकार कर समस्या का समाधान नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को यह बजट प्रस्तुत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । यह सही है कि सरकार को यह बजट प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार है तभी तो सरकार ने यह बजट प्रस्तुत किया है किन्तु मैं यहाँ उसके नैतिक अधिकार की चर्चा कर रहा हूँ ।

मैंने कुछ कांग्रेस (इ०) सदस्यों के भाषणों को सुना है ग्रौर वह विपक्षी सदस्यों के दोष निकाल रहे थे । यदि ग्राप चाहते हैं कि इस समस्या को हम सुलझायें तो ग्राप इस्तीफा दीजिए... (**व्यवधान**) मैं यह कहता हूं कि ग्राप त्यागपत्र दें । मैं इस बात को दोहराता हूँ कि यह समस्या कांग्रेस (इ०) सरकार की अक्षमता के कारण उत्पन्न हुई है । कांग्रेस (इ०) सरकार को त्याग-पत्र देना चाहिए ग्रौर तब चुनाव हों (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उन्हे अपने विचार व्यक्त करने दीजिए ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्योंकि यह सरकार इस देश में सीधी-सी समस्या को सुलझाने में असफल रही है, इसे त्याग-पत्र देना चाहिए । असम के मामले पर ही चुनाव हो जाए । जब इस समस्या को सुलझाने का ग्राप का दायित्व है तो उसके लिए ग्राप विपक्ष को कैसे दोष दे सकते हैं ।

उस ग्रोर के माननीय सदस्य भारतीय जनता दल के सदस्य से अनुरोध कर रहे थे कि वह इस बात की घोषणा करें कि उनका दल तेल अवरोध के लिए अपना समर्थन नहीं देगा । क्या सत्तारुढ़ दल के सदस्यों को ऐसा करते शर्म नहीं ग्राती ? इस समस्या का समाधान करना ग्रापका कर्त्तव्य है । इस प्रकार के अनुरोध करने का कोई ग्रौचित्य नहीं है । ऐसा करके वह सरकार की अयोग्यता का पर्दाफाश कर रहे हैं । (**व्यवधान**) मैं तेल अवरोध का समर्थन नहीं कर रहा हूं । ग्रापने मुझे गलत समझा है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि तेल अवरोध को हटाना है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह कड़ी कार्यवाही करे । ग्राप को इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान तो करना ही चाहिए क्योंकि इससे देश को 1000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।

अल्पसंख्यक यह महसूस कर रहे हैं कि उन का जीवन खतरे में है ग्रौर बहुसंख्यक यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी घोर उपेक्षा की जा रही है । ग्राप को समस्या का समाधान करना चाहिए । मैं बस यही कहना चाहता हूं । यह ग्रापका कर्त्तव्य है । विपक्ष का कर्त्तव्य यह है कि

वह इस समस्या को उठाए, उसका कर्त्तव्य उसका समाधान करना नहीं है। आप उचित प्रस्ताव लायें और हम आप के साथ सहयोग करेंगे सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह हमारे साथ सहयोग करे किन्तु आप तो मुझे बोलने तक की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप का क्या सहयोग है ?

दस महीनों के बाद माननीय गृह मन्त्री इस सदन में समस्या के एक समाधान के साथ आये हैं। यह समाधान क्या है ? यह समाधान असम में कांग्रेस (इ०) की सरकार की स्थापना है—जैसे कि अब कांग्रेस (इ०) सरकार का असम में राज्य नहीं है, वह अब भी वहां राज्य कर रहे हैं। अतः यह समस्या का कोई समाधान नहीं है इस आन्दोलन को बहाना मान की वे वहां सरकार बना रहे हैं किन्तु मेरा कहना यह है कि इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

क्या आप वास्तविक कारण का पता लगायेंगे और उसे यहां स्पष्ट करेंगे ? यह मांग विदेशीयों का ही मामला नहीं है। वास्तविक समस्या यह है कि असम की जनता महसूस कर रही है कि इसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है और असम का विकास नहीं हो रहा है। हम इस प्रकार की नीति का अनुसरण कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों का तो अच्छा विकास हो रहा है उसे बेहतर आवंटन मिल रहा है जब कि अन्य की घोर उपेक्षा हुई है। यह मात्र असम की जनता ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर पूर्वी क्षेंत्र के सातों राज्यों की जनता यह महसूस कर रही है कि उनकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। यह राष्ट्रीय अखण्डता को चुनौती है। क्या आप यह सोचते हैं कि इस प्रकार की भावना केवल उत्तर-पूर्व में है ? यह भावना अन्य राज्यों में भी है, केरल में तो निश्चित रूप से है। केवल केरल में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यह भावना घर कर गई है कि केन्द्र उनकी उपेक्षा कर रहा है। मंत्रिमंडल में तो केरल राज्य का एक भी मन्त्री नहीं है। आप हमें एक मन्त्री भी नहीं दे रहे हैं, यह दूसरी उपेक्षा है।

ऐसी कई उपेक्षाएं हैं (**व्यवधान**)। श्री स्टीफन राष्ट्रीय नेता हैं।

सभापति महोदय : कृपया स्वयं को उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखिए जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री स्टीफन को केरल कामत समझिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपकी अपनी राय है। समस्या तो क्षेत्रीय असन्तुलन की है। आसाम ने समस्या खड़ी की है कि हमारी योजनाओं को फिर से बनाया जाना चाहिए। हम उद्योगों और विकास को शहरों में केन्द्रित कर रहे हैं। हम शहरीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। तमाम भारत में गाँव और गाँव वालों की उपेक्षा हो रही है। हमारा नियोजन नगरों तक केन्द्रित है। हमारा शोध क्षेत्र भी नगर हैं। आप ने कभी यह शोध या अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया कि बैलगाड़ी में कैसे सुधार किया जाए। बैलगाड़ी का प्रयोग हजारों ग्रामिणों द्वारा हो रहा है। आप को सफेद टेलीविजन को रंगीन टेलीविजन में बदलने की चिन्ता है। आप पूर्णतया ग्रामीणों की उपेक्षा कर रहे है। हमारे देश में शहर वासियों को अधिक प्राथमिकताएं मिल रही है। शहर और गाँव में असन्तुलन है। राज्य और राज्य के बीच असन्तुलन है। असम की वास्तविक बीमारी यही है। मैं सरकार और माननीय वित्त मंत्री से इस

प्रश्न की जाँच करने का अनुरोध करता हूँ। जव बजट वनाया जाता है। जब योजना हेतु ग्रावंटन किए जाते है, तो अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्यों को बराबर ग्रावंटन किया जाए। यह दृष्टिकोण कम से कम उन राज्यों के प्रति ग्रवश्य रखना चाहिए जिनकी प्रति व्यक्ति ग्राय कम है जिनकी पहले उपेक्षा की गई है, विशेषरूप से उत्तर-पूर्वी राज्य ताकि वे यह अनुभव कर सकें कि वे इस देश का एक ग्रंग हैं। उन्हें देश की मुख्य धारा में लाना चाहिए। यह ग्रासाम की समस्या का हल है। यदि ग्राप इस ढंग से समस्या का हल नहीं करते तो यह मामला ग्रन्य राज्यों तक भी फैल जाएगा ग्रौर तब देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खत्तरा बन जाएगा। मैं इन ग्राधारों पर बजट का विरोध करता हूँ।

श्री जेनुल बशर (गाजीपुर) : यह दुर्भाग्य की बात है कि ग्रासाम की समस्या ग्रभी भी बनी हुई है। हम लगभग एक वर्ष से इस पर चर्चा करते ग्रा रहे हैं। यद्यपि ग्रासाम की समस्या इस सरकार द्वारा पैदा नहीं की गई है। परन्तु मेरे मित्र श्री कुरियन हमें दोषी ठहरा रहे थे। तथ्य यह है कि जब ग्रासाम की स्थिति ने गम्भीर मोड़ लिया उस समय उनकी ग्रपनी पार्टी के नेता श्री चव्हाण गृह मंत्री थे। यदि उस समय ठीक ढंग से इसे लिया जाता तो मुझे ग्राशा है यह समस्या उसी समय वहीं हल हो जाती हमारी सरकार को दुर्भाग्य से यह समस्या विरासत में मिली। यद्यपि समस्या हल नहीं हो पाई है परन्तु ग्राशा की, कुछ किरणें दिखाई दे रही हैं। जब हमें यह समस्या विरासत में मिली उस समय ग्रादोलन पूरे जोरों पर था। ग्रल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा था। उनके घर लूटे जा रहे थे ग्रौर हजारों लोग स्वयं को ग्रसुरक्षित मान कर ग्रासाम की सीमा पार कर बंगाल ग्रा रहे थे। वहाँ पर भाषा भी ग्रौर धार्मिक ग्रल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं थे। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ ग्रौर गृह मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रयत्न किए जिसके परिणाम स्वरूप ग्रब ग्रासाम के ग्रल्पसंख्यकों में कम से कम सुरक्षा की भावना ग्रा गई है। परन्तु ग्रान्दोलन ग्रभी भी चल रहा है। निस्सन्देह सरकार ने यह नीति ग्रपना कर ग्रच्छा किया कि ग्रासाम की हालत विचार-विमर्श द्वारा हल की जानी चाहिए। ग्रान्दोलनकारियों के प्रतिनिधियों से वार्तायें की गई। वे दिल्ली ग्राए ग्रौर यहाँ उनसे बातचीत की गई। परन्तु सफल नहीं रही। मुझे इसके लिए ग्रफसोस है ग्रौर मेरे विचार में सम्पूर्ण देश को उनके लिए ग्रफसोस है इस बीच देश को जो नुकसान हो रहा है उसे हर कोई जानता है।

तेल की नाकेबन्दी की गई है। लकड़ी के व्यापारी ग्रौर मजदूर कष्ट उठा रहे हैं। ग्रासाम, मेघालय ता उत्तरी पूर्वी राज्यों के सभी लोग ग्रावश्यक वस्तुग्रों के न मिलने के कारण कष्ट उठा रहे हैं। वस्तुएँ न ग्रासाम से ग्रा रही है ग्रौर न ही ग्रासाम जा रही हैं। यह बड़े दुख की बात है ग्रौर स्थिति वास्ताव में गम्भीर बनी हुई है। हमें 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

यह केवल तेल के क्षेत्र में है ग्रन्य हानियों की गणना नहीं की गई है। स्थिति वास्तव में बहुत गम्भीर है ग्रौर जैसा कि मेरे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव ने कहा है कि हमें "**ग्रनिश्चित**" दृष्टिकोण नहीं ग्रपनाना चाहिए। मैं सरकार से ग्रनुरोध करता हूँ कि जहाँ वे बातचीत के लिए ग्रपने दरवाजे सदा खुले रखें—यदि वे बातचीत करने ग्राएँ तो उनका स्वागत है,-किन्तु यदि वे उचित बात नहीं सुन रहे हैं तो ग्रासाम की समस्या का समाधान करने के लिये उपयुक्त

तरीके अपनानने चाहिए । यह अत्यावश्यक है ।

मैं सर सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आसाम सरकारी कर्मचारी आन्दोलन के मुख्य श्रोत हैं । वहाँ आन्दोलन इसीलिए चल रहा क्योंकि इसे आसाम में सरकारी कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग मिल रहा है ।

वे हड़ताल पर हैं । वे आन्दोलन कर रहे है । वे हिंसात्मक मार्ग अपना रहे हैं । वे भूमीगत आन्दोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं । वे सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता हैं कि सरकार स्वयं अपने ही कर्मचारियों पर नियंत्रण नही कर पा रही है । आन्दोलन कारियों की क्या स्थिति है ? मैं आन्दोलनकारियों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ । किन्तु जो कर्मचारी आन्दोलन का सक्रिया रूप से समर्थन कर रहे हैं और स्वयं आन्दोलन भी उनके समर्थन पर चल रहा है, वे स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे हैं और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जा रही है । यह मेरा दृढ़ विचार है कि यदि सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जाता है तो आन्दोलन तीन दिन में ही असफल हो जायेगा । यह अधिक देर तक नहीं चल सकता है । सरकारी कर्मचारी आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं । अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह सरकारी कर्मचरियों को नियंत्रित करने के लिये कठोर उपाय करें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि असम की समस्या का समाधान किया जाना है । यदि इसका समाधान न किया गया तो इस समस्या के कारण इस देश का विभाजन हो सकता है । उड़ीसा में क्या हुआ ? उड़ीसा के लोगों ने अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और देश के अन्य भागों के लोगों का विरोध किया है । कल केरल के लोग भी वही रवैये अपना सकते हैं तथा तमिलनाडु के लोगों का भी यही रूख हो सकता है । किन्तु यह देश उनका नहीं है । यह सारा देश भारत के लोगों का है । अतः चाहे वे किसी भी राज्य के हों और चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, यह भारत है और वे इस देश अर्थात् भारत के हैं ।

अतः आपके माध्यम से मैं बजट का समर्थन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस स्थिति के सुधार के लिए कड़े उपाय करें ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, असम का जो बजट यहाँ पेश किया गया है, उस पर मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहती हूँ । आज दुःख इस बात का है कि असम के जो 12 सदस्य इस सदन में चुन कर आ सकते थे, वे नहीं आ सके है और उनके सामने इस बजट की बातें होनी चाहिए थीं जो कि नहीं हो रही है ।

असम में विरोधी दल के लोगों ने कहा कि हम वहाँ सरकार बनाने को तैयार हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उन्हें वह सरकार नहीं बनाने दी । यदि वह सरकार वहाँ हो जाती तो यह बजट असम का इस सदन के सामने लाने की जरूरत नहीं पड़ती । इसीलिए आज हम सभी लोग इस असम के बजट पर बहस कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, असम का सवाल देश को बहुत खतरे में डालने वाला सवाल है । अगर उस सवाल का जल्दी से जल्दी हल सरकार नहीं निकालेगी तो उससे हमारा देश खतरे में पड़ जाने वाला है । कांग्रेस आई की सरकार अभी तक वहाँ के लोगों के साथ कैंफ्रंटेशन का मार्ग अपना रही है । वह उनके साथ बातचीत सही ढंग से नहीं कर रही है । वह तो वहां

अपनी सरकार बनाने की ही सोच रही है। अभी 17 तारीख को यहाँ गृह मंत्री ने कहा कि वहां 12 दिसम्बर को पापुलर गवर्नमेंट बनने वाली है। अब यह पापुलरेटि कहां से आने वाली है? क्या इसका टेस्ट प्रधान मंत्री जी के या गृह मंत्री जी के कमरे में होगा? यह टेस्ट किस आधार पर होगा इसका जवाब हमें दिया जाना चाहिए। विरोधी दल के लोग कह रहे थे कि हम वहाँ सरकार बनाने को तैयार हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार वहाँ सरकार बनाने देने को तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ कि विरोधी दल के लोगों को भी वहाँ सरकार बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि वे भी तैयार हैं।

सुना है कि श्री अनवर तैमूर को चीफ मिनिस्टर बनाने की प्रधान मंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। क्या यह बात बिल्कुल सही है यह तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने यह अखबारों में पढ़ा है। प्रधान मंत्री जी के मन की बात को तो कोई नहीं समझ सकता है केबिनेट मिनिस्टर भी नहीं जानते कि उनके मन में क्या है। जिन मिनिस्टरों को वे नियुक्त करना चाहती हैं वे तक नहीं जानते कि उनके बारे में क्या हो रहा है। यह बात अखबार में आयी है कि अनवर तैमूर को मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री बनाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मंजूरी भी दे दी बतायी जाती है।

ये अनवर तैमूर अपनी लड़की की शादी करने वाले हैं। लेकिन असम में एजीटेशन की वजह से ये वहाँ शादी नहीं कर रहे हैं। शादी कोई इन्टर स्टेट मेरिज नहीं है और नहीं इन्टर रिलिजस मेरिज है। लेकिन वे असम में एजिटेशन की वजह से शादी नहीं कर सके। जो व्यक्ति असम में अपनी लड़की की शादी नहीं कर सका वह वहाँ काम कैसे करेगा? यह बात सोचने वाली है।

मैं खुद असम हो कर आयी हूँ। मेरे साथ राज्य सभा के सदस्य और कुछ और लोग भी थे। जो कि कुल मिला कर हम चार लोग थे। हमारी स्टूयुडेन्ट्स यूनियन के लोगों से बातचीत हुई। उनका कहना था कि कल के भारत को बचाने के लिए आज असम को बचाइये। आज वे लोग जो वहाँ एजीटेशन कर रहे हैं वे भारत को ही बचाने के लिए सोच रहे हैं, इसी के लिए वे खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार का उनके साथ कंफ्रन्टेशन चल रहा है जिससे यह सवाल बराबर जठिल होता जा रहा है।

असम एक बेकवर्ड स्टेट है। उसके रिसोर्सिज रिच है लेकिन वहाँ की जनता गरीब है। हमारे देश से जो 550 करोड़ रुपये की चाय, का निर्यात होता है उस में से 55 परसेंट असम की चाय निर्यात की जाती है जिससे कि हम फारन एक्सचेंज कमाते हैं। इसके अलावा सरचार्ज एक्साइज ड्युटी अलग है जो कि केन्द्रीय सरकार को मिलती है। उनको भी चाय पर पैसा मिलना चाहिए। जनता पार्टी के जमाने में वहाँ पर फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल आउटफुट्स और चाय के बारे में सब्सीडी दी गयी थी।

वह जो कम करके देना था, दे दिया, लेकिन इन्दिरा कांग्रेस आने के बाद वह भी खत्म हो गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर चाय के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए वह दी जाएं, क्योंकि वहां के विकास के लिए वे जरूरी हैं। आज वहाँ पर ब्लाकेट शुरू हो गया है। पिछले 27 सितम्बर को ब्लाकेट शुरू हुआ तब 85 थाउजेंट किलो लीटर उसमें से आइल आ

रहा था लेकिन आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के लोग आइल इंडिया से बातचीत करते समय हमारे एडवाइजर की एडवाइज पर वहाँ पर आरमी एंप्लाय कर दी, उसकी वजह से सारे एंप्लाइज स्ट्राइक पर चले गए। कल से इंडेफिनेट नान को आपरेशन शुरू हो गया।

वहाँ पर जो एडवाइजर जाते है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वहाँ से एडवाइजर जब रिपोर्ट भेजते हैं, उसी के ऊपर सरकार की नीति निर्धारित होती है वे किस प्रकार की एडवाइज करते हैं। पिछले साल जब मैं वहाँ गई थी तब मैंने+ पूछा कि यह आन्दोलन किस प्रकार से चल रहा है, इतनी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, आप मेरे इस सवाल को ध्यान से सुनिए, उस समय * कहा कि इसमें महिलाएं इतनी तादाद में आती है, क्योंकि 8 महीने में असम में 600 से 700 एबार्शन केसेस लड़कियों के हो गए, इसमें आने की वजह से, इसलिए अब माताएं इसमें शरीक हो रही हैं। जब आजादी की जंग चल रही थी, तब भी आजादी का विरोध करने वाले लोग इसी प्रकार के इल्जाम लगाया करते थे। इसी प्रकार आज * कह रहे है।*

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, माननीय सदस्या एक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगा रही हैं जो यहाँ अपनी सफाई नहीं दे सकते...

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि जो कुछ आपने कहा है उन्होंने उसका उल्लेख किया है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : वह अपनी सफाई देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने बार-बार इसका खण्डन किया है। इस प्रकार का आक्षेप रिकार्ड में नहीं जा सकता है।*

सभापति महोदय : श्रीमती प्रमिला दण्डवते, मैं समझता हूँ आप उनका उल्लेख न करें। आप विषय पर बिना किसी का नाम लिए बोलें।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, एडवाइजर ने ऐसा कहा है और उसके कहने पर जब खोज हुई तो सब गलत साबित हुआ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) :...* शब्द हटाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : हम इसकी जाँच करेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : वह व्यक्ति यहां नहीं है।

वह उसके विरुद्ध आरोप लगा रही हैं। यह उचित नहीं है। वह अपना बचाव नहीं कर सकता है। कृपया रिकार्ड देखिए...

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि हम रिकार्ड की जाँच करेंगे। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति का उल्लेख न करें जो यहाँ उपस्थित नहीं है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मैं अब श्रीमती प्रमिला दण्डवते से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण समाप्त करें। उनका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : ग्राफीसर डेलीगेशन यहाँ से एक पार्टी की ग्रोर से जाता है, उसके साथ वहाँ के गवर्नर के एडवाइजर की बातचीत हुई, उसके ऊपर बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। मेरा कहना है कि जो एडवाइजर वहां जाते हैं, उन्हें प्रदेश के लिए ठीक तरह से रिपोर्ट देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए।

ग्रागे चलकर मैं कहना चाहती हूँ कि यदि वहाँ के प्रतिनिधि नहीं ग्रा सकते, ग्रगर सरकार चुनाव लेना नहीं चाहती तो यह तो किया जा सकता है कि कांस्टीट्यूशन में ग्रमेंडमेंट करके पिछले समय के जो चुने हुए मेंबर्स हैं उनको ग्रगर यहाँ पर भेज दिया जाए तो जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ग्रसम के प्रतिनिधि ग्रसम के वारे में यहाँ सोच सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि 12 तारीख को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा इसलिए ग्रब जो इन्दिरा कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनाने की जबरदस्त कोशिश चल रही है उसके खिलाफ हम इस ग्रावाज को यहाँ पर उठाएंगे।

इस बजट से ग्रसम का कुछ भला होने वाला नहीं है। उनके प्रतिनिधियों को ही बजट बनाना चाहिए ग्रौर विधान सभा में रखना चाहिए।

खत्म करने से पहले मैं ग्राखिरी बात यह कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो संघर्ष करने वाले लोग है उनका कहना है कि निगोसिएशन के लिए ग्राप वहाँ ग्राइए, वे बातचीत के लिए तैयार हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कन्फ्रांटेशन का रास्ता छोड़कर निगोसिएशन के जरिए इसका हल निकाले। मेरे विचार से किसी पार्टी की प्रतिष्ठा देश से ज्यादा नहीं है। सरकार को चाहिए कि विरोधी दल के साथ ग्रौर जो समाज के ऐसे लोग हैं जो ग्रसम के सवाल के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर एक राउंड टेबल कांफ्रेंस करके जल्दी से जल्दी इसका हल निकालने की कोशिश करे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह जो बजट है इस पर जवाब होममिनिस्टर को देना चाहिए। वित्त मंत्री जी के लिए जवाब देने का कोई विषय यहाँ उठाया नहीं गया है। 17 नवम्बर को जो डिसकशन हुग्रा था उसी तरह का ग्राज हो रहा है। इस वास्ते वित्त मंत्री को ग्रांकड़े पेश करने की जरूरत नहीं हैं। बजट की ग्रालोचना किसी भी तरह की नहीं हो रही है। बजट ग्रच्छा उन्होंने पेश किया। 74 करोड़ पावर ग्राउटले में ग्रधिक लगाया है। 1400 गांव इलैक्ट्रिफाई करने का प्रस्ताव है। चालीस करोड़ स्पेशल ग्रान्ट ग्राप दे रहे हैं। रेलें ग्राप बिछा रहे हैं। एस० टी० डी० का काम कर रहे हैं। बारह करोड़ पहाड़ी क्षेत्र में लगा रहे हैं। इन सब बातों का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। वही डिसकशन ग्राज भी हो रहा है जो हम पहले करते रहे हैं।

बार-बार मैं कह चुका हूँ कि तलवार या बंदूक से सिर्फ सिर को दबाया जा सकता है, मन की पीड़ा को दबाया नहीं जा सकता है। ग्रसम के लोगों की समस्या के निराकरण के लिए सरकारी दरवाजे ग्राज भी खुले हुए हैं। हम देख रहे थे कि उधर से बोलने वाला कोई तो वक्ता

एक आध ऐसा सुझाव देता जोकिमान्य होता। कौन सा सुझाव उनकी तरफ से दिया गया है जिसको हमने माना नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि असम की समस्या का निराकरण जल्दी हो। वहाँ साठ लाख लोग ज्यादा आ गए हैं। मतदाता सूचियों में चौदह लाख के नाम भी लिख दिए गए हैं। जब लिखे गए थे तब किसी ने उन पर आबजेकशन नहीं किया था। अब रजिस्टर देखने का सवाल नहीं है। सवाल इम्मीग्रेशन एक्ट, सिटिजनशिप एक्ट, कांस्टीट्यूशन वगैरह को देखने का है। यह सब देख कर ही विदेशियों के सवाल को हल किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने एक बात कही है। वहां पर नौ हजार विद्यार्थी हर साल निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग विश्वविद्यालयों से बाहर निकलते हैं। एजुकेटिड अनएम्प्लायड के वास्ते उन्होंने एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह राशि बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये।

वहाँ लोगों का कहना है कि तेल, प्लाईवुड, चाय जो वहाँ से बाहर जाती है उसके अन्दर कुछ उन का भी हिस्सा होना चाहिये।

इससे असम की विकास की गति तीव्र हो सकती है। गति को रोकने वाले कौन हैं ? एक माननीय सदस्य ने कहा और मुझे सुन कर दुख हुआ है कि असम वाले कहते हैं कि असम पहले, भारत बाद में। ये वे शक्तियां हैं जो भारत को खंड खंड करना चाहती हैं। पहले भारत और बाद में असम, यह दृष्टिकोण हम सब का होना चाहिए। भारत रहेगा तो असम भी रहेगा दूसरे प्रान्त भी रहेंगे। इस वास्ते यह सवाल खड़ा नहीं करना चाहिये कि असम पहले और भारत पीछे। हिन्दुस्तान की अखंडता को अक्षुण बनाये रखना चाहिये। सभी प्रान्तों के लोगों को इस के वास्ते सैक्रिफाइस करनी चाहिये।

750 किलोमीटर लाइन में तेल अगर जम गया तो क्या होगा ? आज भी रोज चार करोड़ का नुकसान हो रहा है। जो लोगों की बहबूदी की बात करते हैं उनको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। वहाँ लोगों को रोजगार देने के प्रयास होने चाहिये। लोगों की क्रय शक्ति कम है उसका क्या कारण है और उस कारण को दूर किया जाना चाहिये। इसके आप को कुछ उपाय करने चाहिये।

हम समझते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरह से भी एक जगह बैठकर, जो भारतीय जनता पार्टी बारबार कहती है, कोई सुझाव दे कि हम उस सुझाव के आधार पर भारत की एकता कायम रख सकें और देश की जनता एक रह सके। यही सबसे बड़ा सवाल है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : असम को बचाया जाना चाहिए और भारत को भी बचाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले असम को बचाना है अथवा भारत को पहले बचाना है और असम को बाद में बचाना है। हर एक व्यक्ति आन्दोलन की पृष्ठभूमि जानता है। यह असम का पिछड़ापन है और न केवल असम का ही किन्तु समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात मणिपुर, नागालैंड, मेघालय आदि का पिछड़ापन है। असम की समस्या ऐसी समस्या है जिसने भारत सरकार द्वारा अपनाये गये पूंजीवादी मार्ग की कमियों का भंडाफोड़ किया है।

महोदय, जैसा कि यहां आशका व्यक्त की गई है कि यदि असम की समस्या का उचित

हल न निकाला गया तो यह ग्रन्य राज्यों में भी फैल जायेगी। हम उन लोगों के साथ है जो चाहते हैं कि ग्रसम की समस्या का बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिये तथा ग्रसम के विकास के लिए ग्रधिक धनराशि ग्रावंटित की जानी चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि न केवल ग्रसम किन्तु समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की वर्षों तक उपेक्षा की गई है ग्रौर ग्रभी भी इसकी उपेक्षा की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि न केवल पूर्वोतर क्षेत्र किन्तु ग्राप ग्रन्य ग्रादिवासी क्षेत्रों में जाइए तो ग्राप देखेंगे कि वे भी उपेक्षित हैं। ग्रतः इस रोग का कारण विकास के पूंजीवादी मार्ग का ग्रपनाया जाना है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिये। मुझे ग्राशा है कि सदस्य इस बात को समझेंगे कि ग्रब तक जो रास्ता ग्रपनाया गया है उससे ग्राप ग्रसम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यह सही है कि ग्रान्दोलन-कारी कुछ उचित शिकायतों का लाभ उठा रहे हैं ग्रौर ग्रान्दोलन चल रही है किन्तु यह किधर चल रहा है? ग्रान्दोलन उचित शिकायतों के लिए चलना चाहिये किन्तु ग्रब क्या हो रहा है। यह विधायकों के घेराव, तेल-बन्द ग्रथवा बांस ग्रौर प्लाई-बुड को बाहर न जाने देने के लिए हो रहा है। यही ग्रान्दोलन है। कोई भी राजनीतिक दल वहाँ सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता हैं। केवल ग्रखिल ग्रसम छात्र संघ ही बैठकें कर सकता है। ग्रन्य लोग बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। ग्रतः यह बिल्कुल भी लोकताँत्रिक ग्रान्दोलन नहीं है। इस ग्रान्दोलन से देश को भारी हानि हो रही है ग्रौर लोग लोक तांत्रिक परम्पराग्रों में विश्वास खो रहे हैं। राष्ट्रीय राजकोष को सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि हो रही है ग्रौर प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ रुपये की हानि हो रही है, ग्रतः हम यह नहीं मान सकते कि यह ग्रान्दोलन लोकतांत्रिक ग्रान्दोलन है ग्रौर हम ग्रान्दोलन कारियों को इस ग्रान्दोलन को बन्द करने के लिए कहते हैं। इस ग्रान्दोलन को बन्द किया जाना चाहिये ग्रौर हमें बातचीत करनी चाहिये। भारत सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए ग्रौर यह नहीं कहना चाहिए कि वे बातचीत के लिए ग्रसम नहीं जा सकते। जहाँ कहीं भी वे कहें हमें जाना चाहिये ग्रौर मैं ग्रपने दल तथा संसद के सदस्यों की ग्रोर से ग्रसम के लोगों से निवेदन करता हूँ कि उन्हें भी इस ग्रान्दोलन को बन्द करना चाहिये। ग्रब समय ग्रा गया है कि हम साथ बैठ कर इस प्रश्न को सुलझाएं। महोदय मैं काँग्रेस (ई०) के नेताग्रों के इस मत से सहमत नहीं हूँ कि ग्रसम में काँग्रेस (ई०) की सरकार बनने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : लोकप्रिय सरकार ?

श्री नारायण चौबे : दलबदलुग्रों की काँग्रेस (ई०) की सरकार ग्रसम समस्या का कोई समाधान नहीं है। मुझे ग्राशा है कि सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे हम ग्रापस में बैठ कर इस समस्या का समाधान निकालें।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित ग्रसम बजट का मैं समर्थन करता हूँ। एक कनिष्ठ सदस्य होने के नाते जब तक मुझे बोलने का ग्रवसर मिला हर एक पूर्ववक्ता ने ग्रसम की स्थिति के बारे में विस्तार से कह दिया है ग्रौर मुझे ग्रधिक नहीं कहना है। तथापि ग्रसम बजट के बारे में मुझे थोड़ी सी बातें कहनी हैं। मेरा वित्त मंत्री महोदय से एक बात का निवेदन है कि उन्होंने हर एक माँग को गम्भीरता से लिया है ग्रौर ग्रसम राज्य की ग्रधिकाँश ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने की व्यवस्था की है। फिर भी मैं समझता हूँ कि मूल बात यह है कि ग्रसम की ग्रात्म निर्भरता सुनिश्चित की जाये ; ग्रसम

के अपने संसाधन होने चाहिये और यदि असम आत्म-निर्भर हो जायेगा और उसके अपने संसाधन हो जायेंगे तो निःसन्देह वहाँ की समस्याएं कम हो जायेंगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहाँ पर्यटन का अधिक विकास हो सकता है। वहाँ अधिक पर्यटन स्थलों का विकास हो सकता है। हम असम में काफी हद तक पर्यटन का विकास कर सकते हैं जिसकी वहां काफी गुंजाइश है। असम में सर्वांगीण विकास की बहुत गुंजाइश है और इससे असम सरकार आत्मनिर्भर हो जायेगी।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ उसका सम्बन्ध मद संख्या 28 से है। यह 'सतर्कता और विशेष आयोग' के बारे में है। आज जो असम की समस्या है उसके बारे में मैं देखता हूँ कि यद्यपि प्रत्येक दल इसे राष्ट्रीय समस्या कह रहा है फिर भी मैं नहीं समझता कि किसी भी दल ने दिल से इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में गम्भीरता से नहीं लिया है। महोदय, मेरा अपना यह विचार है कि यह इस समय भी एक 'राजनीतिक समस्या' है न कि एक राष्ट्रीय समस्या है। महोदय, यदि केवल सभी राजनीतिक दल कोई समाधान ढूंडने का निश्चय करते हैं तो मैं नहीं समझता कि क्यों हम कोई समाधान नहीं निकाल सकते हैं।

असम के प्रतिनिधि मंडल की गत चर्चा के दौरान, जबकि वे यहाँ थे, मुझे समाचार पत्र से मालूम हुआ कि इन लोगों ने वर्ष के बारे में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। अब प्रश्न यह है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि 1951 अथवा 1971 के बाद असम में कितने लोग रह जायेंगे। वे केवल वर्ष के अनुसार जाना चाहते हैं। कहीं भी उन्होंने यह नहीं बताया है कि असम के संसाधन इतने नहीं हैं कि इतने लोग वहाँ रह सकें। उन्होंने केवल वर्ष का उल्लेख किया है। उन्होंने अन्य आंकड़े नहीं दिये हैं, उन्होंने यह नहीं कहा है कि असम में क्या संसाधन हैं। लोगों का भरण-पोषण कैसे हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यदि इसका समाधान सरकार पर छोड़ दिया जाये तो यह अच्छा होगा, क्योंकि असम के संसाधन सीमित हैं। यदि आप कहते हैं कि यहाँ इतने लोग रखिए वहाँ इतने लोग रखिए तो इससे हम सहमत हैं किन्तु जब आप यह कहते हैं कि यहाँ केवल इतने ही होने चाहिए तो इसके पीछे केवल राजनीतिक अभिप्राय ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महोदय, यदि आज सारा राष्ट्र यह निश्चय करता है कि असम एक समस्या नहीं है तो आज ही असम की बिल्कुल भी कोइ समस्या नहीं रहेगी। किन्तु होता क्या है कि हम में से कुछ कहते हैं कि हम उनके आन्दोलन का समर्थन करते हैं और उनके आह्वान का समर्थन करते हैं। हम में से कुछ ऐसे है जो कहते हैं कि हम उनका समर्थन नही करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य गलत है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति जिस पर निचली अदालत में मुकदमा चलता है तब तक चुप नहीं बैठता जब तक वह उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करता है। वह अपनी अपील दायरकरता रहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ कि यदि सभी दल अन्तिम रूप से यह निश्चय करते हैं कि यह वास्तव में एक राष्ट्रीय समस्या है तो करना यह चाहिए कि उन्हें संगठित होना चाहिए और तब इस समस्या का समाधान हो सकता है श्री कुरियन ने उल्लेख किया है कि राजस्व की बड़ी हानि हो रही है। मैं इस बात से सहमत हूँ किन्तु मेरा सादर निवेदन है कि राष्ट्रीय एकता की हानि को देखते हुए हम राजस्व की हानि की बात नहीं कर सकते।

एक दूसरा मुद्दा जो मैं चर्चा के दौरान उठा रहा हूँ वह था श्री राम जेठमलानी द्वारा

उठाया गया मुद्दा है। यद्यपि मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बैठक के लिए उपलब्ध नहीं थी। परन्तु समाचार-पत्रों से मुझे पता चला है कि वे सभी सदस्यों को मिल सकती हैं। वे सभी नागरिकों से प्रत्येक सुबह मिलती हैं अतः ऐसे वक्तव्य का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। मैं इसको सराहना भी नहीं करता हूँ और इसके साथ ही मैं कुछ अपने साथियों द्वारा दिये गये सुझाव का विरोध करता हूँ। उनका कहना है कि हमें अवश्य ही गोहाटी जाना चाहिए और असम समस्या को हल करना चाहिए। उनमें से किसी ने भी यह अश्वासन नहीं दिया है कि गोहाटी में उन्हें इस समस्या का हल मिल जाएगा। परन्तु इसकी गारंटी कौन देने जा रहा है। मूल बात तो यह है कि हमें हर कीमत पर राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए और इसके लिए हमें राजनीतिक हितों से ऊपर उठना चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो देश की राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है।

मैं असम बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इसमें कुछ परिवर्तन करें, ताकि असम आत्म निर्भर बन सके और उसके संसाधनां में वृद्धि की जा सके। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम) : असम समस्या असम के लोगों के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पैदा हुई है और असमियों के इस मनोवैज्ञानिक दृष्टि का कारण यह है कि प्रत्येक सरकार द्वारा कई वर्षों तक असम की उपेक्षा की गई है।

अतः महोदय, असम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मेरा यह विचार है कि असम बजट का विश्लेषण इसी पृष्ठ भूमी में किया जाए। यद्यपि इस में कुछ प्रावधान किया गया है, परन्तु मेरे विचार में वह काफी नहीं हैं कि उससे असम के विकास का सुस्पष्ट कार्यक्रम बन सके। भले ही यह रेल के विकास से संबंधित है या औद्योगिक विकास से या असम के किसी अन्य विकास से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि असम में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की पर्याप्त गुंजाइश है, क्योंकि वहाँ चूनापत्थर आदि जैसा कच्चा माल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार असम में कागज बनाने के कारखाने हैं, क्योंकि उनके लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वहाँ पर सहायक उद्योग जैसे कागज लुगदी उद्योग और गन्ना बनाने के कारखाने भी लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अंडी और मोगा बुनाई वहाँ एक कुटीर उद्योग है। भारत सरकार इस कुटीर उद्योग के माल को खरीदने की योजना बना सकती है और इसे भारत में तथा इससे बाहर बेच सकती है। यह सब करने के बावजूद सरकार का दृष्टिकोण भिन्न है और सरकार की सामान्य प्रवृति असम की निरन्तर उपेक्षा करना है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है, सरकार असम समस्या का हल करने में असफल रही है। जनवरी, 1980 के प्रथम सप्ताह में, अर्थात लोक सभा चुनावों के तत्काल बाद इन्दिरा जी द्वारा सरकार बनाने से पूर्व हमारे नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को लिखा कि वह असम समस्या को शीघ्र हल करें और सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या को सुलझाएं। परन्तु वह तो समस्या को और अधिक जटिल बनाने में रूचि रखते हैं। उन्होंने अपने कुछ माने हुए क्लर्कों को असम के विधायकों में दल बदल और समाज-विरोधी गतिविधियाँ कराने के लिए भेजा (**व्यवधान**) सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने यह बताया है कि माननीय गृह मंत्री आज प्रातः कुछ विरोधी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में माननीय गृह मंत्री ने तेल की

नाके बन्दी का हल निकालने के लिए कुछ सुझाव मांगे। मैं भी बैठक में उपस्थित था। मैंने उनसे कहा कि इस समस्या के हल के लिए सरकार अपने विचार रखे। परन्तु आप विरोधी दल के नेताओं को बुला रहें हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि असम में चल रही तेल की नाके बन्दी के बारे में क्या किया जाए। यदि मेरी जानकारी ठीक है, आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था और दिल्ली में वार्ता भी चल रही थी और विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री को लिखा था कि उन्हें भी बैठक में भाग लेने का अवसर दिया जाए, ताकि वे भी अपना दृष्टिकोण रख सकें। परन्तु प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया था "मेरे विचार में इस समय आपके हस्तक्षेप से समस्या को हल करने में सहायता नहीं मिलेगी"। मैंने सुझाव दिया कि सभी दल की एक समिति, जिसमें सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों के संसद् सदस्य हों, बनाई जाए जो आन्दोलनकारियों से बात कर सके और वहाँ के अल्पसंख्यकों तथा अन्य लोगों से भी बात कर सके। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक सम्पूर्ण विकास कार्य क्रम बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, यह राष्ट्र के लिए दुःख की बात है कि आन्दोलनकारियों को अभी सद्बुद्धि नहीं आई और परिणामस्वरूप असम में यह स्थिति है। वहाँ पर स्थिति असामान्य बनी हुई है और एक बार फिर इस सभा को असम का बजट पास करना पड़ रहा है।

अब, महोदय, बजट में कुल 34.64 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बजट सम्बंधी आबंटन वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हमें यह अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि असम एक ऐसा राज्य है जहा 87.50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अर्थ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए बहुत कम आबंटन किए हैं।

यहाँ तक कि परिवहन और संचार व्यवस्था के लिए बहुत कम योजनागत राशि आबंटित की गई है। सिंचाई के लिए धन राशि केवल 17.69 करोड़ रुपए और बाढ़ नियन्त्रण के लिए 13.6 करोड़ रुपए की थोड़ी सी धन राशि रखी गई है।

असम जैसा कि आप जानते है बाढ़ों का प्रदेश हैं। इस वर्ष वहाँ एक बार ही नहीं दो बार बाढ़ आई और इस छोटी सी धन राशि के आबंटन से। हमें स्थिति का सामना करना है और उसके आर्थिक विकास हेतु कार्य करना है।

महोदय, शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रावधान मुश्किल से 1 करोड़ रुपए रखा गया है।

परन्तु महोदय, मैं समझ सकता हूँ कि यह असम में चल रहे आन्दोलन के दबाव और दिक्कतों के सन्दर्भ में है। असम में हम देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से आन्दोलन फिर से आरम्भ हो गया है। वहाँ पर प्रमुख वस्तुओं की नाकेबन्दी और विधायकों का घेराव चल रहा है।

मुझे सरकार को इस बात के लिए अवश्य ही बधाई देनी चाहिए कि सरकार ने

ग्रान्दोलनकारियों द्वारा ग्रत्याधिक ग्रापत्तिजनक तरीके ग्रपनाए जाने के बावजूद वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखे हैं ।

महोदय, ग्रसम में स्थिति ग्रौर भी खराब होने का कारण ग्रान्दोलनकारियों का ग्रड़ियल रुख है । सभापति महोदय, वे इस हद तक ग्रड़ियल हैं कि वे मानवीय दृष्टिकोण से सोचना नहीं चाहते । वे देश के संविधान को भी मान्यता देने को तैयार नहीं हैं, वे राष्ट्रीय हित के बारे में भी सोचने के लिये राजी नहीं हैं, वे ग्रन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं । वे तो इस सीमा तक चले गये हैं कि उनके ग्रनुसार भारत के राजनीतिक दलों की कोई संगति नहीं है ।

इस सब के बावजूद, सरकार ने बातचीत की । परन्तु मुझे इसके साथ यह भी कहना है, ग्रौर यह मेरे कटौती प्रस्तावों का विषय भी है कि दुर्भाग्य से सरकार की नीति कमजोर ग्रौर ढुल-मुल रही है । इस सम्बन्ध में सरकार का रुख तो कड़ा लगता था परन्तु वक्तव्य नरम थे । इससे वहाँ स्थिति ग्रौर भी जटिल हो गई है । जहाँ तक ग्राधार वर्ष का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट रूप से समझाया जा चुका था कि 1971 को ग्राधार वर्ष मानने के ग्रलावा कोई समझौता नहीं किया जायेगा । सरकार द्वारा ग्रारम्भ में यह नीति ग्रपनाई गई । तब ढुलमुल नीति चलती रही ग्रौर 1971 को ग्राधार वर्ष कहने की बजाय सरकार ने 1971 को ग्रारम्भ वर्ष ग्रादि कहना ग्रारम्भ कर दिया । मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सरकार की इस ढुलमुल नीति ने ग्रान्दोलनकारियों को प्रोत्साहित किया ग्रौर स्थिति ग्रधिक बिगड़ गई ।

श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए ।

इसी प्रकार नागरिकों के 1951 के राष्ट्रीय रजिस्टर के सम्बन्ध में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसे नहीं मानती । सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि यह एक ग्रधूरा दस्तावेज है । सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह रजिस्टर सम्पूर्ण नहीं है, यह ग्रधूरा है । इस सब के बावजूद बाद में सरकार ने यहाँ तक भी कह दिया कि, हाँ, राष्ट्रीय रजिस्टर पर भी विचार किया जा सकता है । यह वह नरम वक्तव्य है जो सरकार ने दिए ग्रौर यह वह ढुलमुल नीति है जो सरकार द्वारा ग्रपनाई गई जिससे ग्रान्दोलनकारियों को प्रोत्साहन मिला ग्रौर ग्राज यह स्थिति हो गई है । मुझे यह स्पष्ट शब्दों में ग्रवश्य कहना चाहिए कि ग्रान्दोलनकारी सम्पूर्ण राष्ट्र में गड़बड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं । ग्रल्प संख्यकों को सताया जा रहा है । मैं इस समय ग्रल्पसंख्यकों के भयावह ग्रनुभवों का वर्णन नहीं करना चाहता यद्यपि यह एक नाजुक मामला है । यह भी तथ्य है कि ग्रान्दोलनकारी कुछ इस ढंग से ग्रान्दोलन चला रहे हैं जिससे हमारी ग्रर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । हम तेल के प्रश्न पर ग्राते हैं । देश को जनवरी ग्रौर सितम्बर, 1980 के बीच 35 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का नुकसान हुग्रा है । ग्रसम ने पहले तो इन तेल शोधन शालाग्रों को ग्रसम में लगाने के लिए ग्रान्दोलन किया ग्रौर शोधनशालाएं लग जाने के बाद इन शोधनशालाग्रों को एक ऐसे समय में सम्पूर्ण देश में कठिनाई उत्पन्न करने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जब हम तेल के लिए विश्व के प्रत्येक दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जब व्यापार सन्तुलन एक नाजुक स्थिति में है, जब विश्व ऋण ग्रत्यधिक बढ़ता जा रहा है । हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे ।

आन्दोलनकारियों को यह अनुभव करना चाहिए कि वे राष्ट्रीय हित की कीमत पर आन्दोलन को जारी नहीं रख सकते, वे इस आन्दोलन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंचाकर जारी नहीं रख सकते। निसन्देह असम के लोगों की कुछ आकांक्षाएं उचित भी हैं और उनका ठीक ढंग से ख्याल भी रखा जाना चाहिए और ये आकांक्षाएं पूरी भी होनी चाहिए विशेष रूप से उस समय जब हम उनके बजट और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं। परन्तु विदेशियों के मामले पर 1971 को आधार वर्ष मानने के अलावा और कोई समझौता नहीं हो सकता। परन्तु यदि वे 1951 के बारे में कहते हैं तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि इन सारे वर्षों में हमने उन लोगों को अपना समझा है और 1951 को आधार वर्ष मानने का अर्थ होगा इन लोगों के दर्जे में परिवर्तन करना और उनको नुकसान पहुँचाने वाला यह परिवर्तन नहीं हो सकता।

हम संविधान के उपबन्धों के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय वचनों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम मानवीय सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। महोदय, मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस आंदोलन के पीछे कौन है—तथाकथित विदेशियों के मामले के पीछे "धरती के पुत्र" जैसा खतरनाक सिद्धांत है जो कि राष्ट्रीय अखण्डता की जड़ों पर ही प्रहार करता है हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। वरना हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे और इसीलिए हमें जनता की सही भावनाओं को समझने का प्रयास करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संविधान तथा राष्ट्र की अखण्डता के प्रश्न पर किसी तरह समझौता नहीं किया जा सकता। महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव में उल्लिखित एक बात का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। यह बात असम के इस दुर्भाग्यपूर्ण आन्दोलन के परिणामस्वरूप प्रभावित हुए निर्दोश व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा इस पर सरकार को उचित विचार विमर्श करना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने असम में लोकप्रिय सरकार बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया है। संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार 12 दिसम्बर एक महत्वपूर्ण तिथि है। खैर, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी दल मिल कर इस चुनौती का सामना करें। मैं यह भी कहता हूँ कि असम इस समय एक बड़े नाजुक दौर से निकल रहा है, मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ कि असम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। समूचा राष्ट्र ही बड़े नाजुक दौर में है। यहाँ पर लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है। निश्चय ही लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है। मेरी यही कामना है कि असम में सामान्य स्थिति लाने के लिए और असम की जनता को यह अनुभव कराने के लिए कि उनमें से कुछ अथवा अनेक व्यक्तियों की गलती से राष्ट्रीय हितों को हानि हो रही है। सभी दल आगे आयें और सभी दलों की सरकार असम में बने।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अनेक सदस्यों को यहाँ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहता हूँ किन्तु मेरी कठिनाई यह है कि हमें अब 5.30 बजे आधे घण्टे की चर्चा को लेना है और तब वित्त मन्त्री महोदय को चर्चा का उत्तर भी देना है और कम से कम अभी दो अथवा तीन सदस्यों के नाम और हैं जिन्हें अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : वित्त मन्त्री महोदय उसका उत्तर कल दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय वित्त मन्त्री इस विषय को निपटाना चाहते हैं···खैर···
(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, क्या ग्रापने ग्रपनी कठिनाईयों का समाधान कर लिया है ?

सभापति महोदय : मैं इन कठिनाइयों का समाधान ग्राप सभी के सहयोग से ही कर सकता हूँ। (व्यवधान)

संसदीय कार्य तथा निर्माण ग्रौर ग्रावास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : इसे पारित करने के लिए उन्हें छः बजे के बाद भी बैठना होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं ग्रापको कठिनाइयाँ बढ़ाऊँगा नहीं। मैं सभी से यह ग्रपील कर ग्रपना भाषण समाप्त करता हूँ कि ग्रसम से ग्राई इस चुनौती को सभी स्वीकार करें। यह चुनौती राष्ट्रीय ग्रखण्डता के लिए है ग्रौर हमें यह सुनिश्चित करना है कि वहाँ ऐसी सामान्य स्थिति पैदा की जाए कि ग्रसम की जनता स्थिति की गम्भीरता को समझे कि इस दुर्भाग्यपूर्ण ग्रान्दोलन के पीछे खतरनाक सिद्धान्त ग्रौर खतरनाक शक्तियां कार्यरत हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें 12 दिसम्बर को ग्रथवा उससे पहले ही वहाँ एक सर्व दलीय सरकार की स्थापना करनी चाहिए, ताकि ग्रसम में पुनः लोकतन्त्र की स्थापना की जा सके। इस ग्रपील के साथ तथा सदन के सामने ग्रपने कटौती प्रस्ताव की ग्रनुशंसा करते हुए मैं ग्रपना भाषण समाप्त करता हूँ। ग्रौर मैं ग्रापका धन्यवाद करता हूँ तथा यह ग्राशा करता हूँ कि मैंने कोई वहुत बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं की है।

सभापति महोदय : सभी सम्बन्धित सदस्यों की ग्रनुमति से मैं ग्रब वित्त मन्त्री महोदय से ग्रनुरोध करता हूँ कि वह उत्तर दें।

वित्त मंत्री (श्री ग्रार० वेंकटरामन) : महोदय, मैं तीसरी वार ग्रसम का बजट इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं ग्रौर मैं यह ग्राशा करता हूँ कि यह बजट प्रस्तुत करने की ग्रन्तिम बारी होगी। एक लोकप्रिय सरकार की वहां शीघ्र ही स्थापना होगी ग्रौर वह वहाँ का प्रशासन चलाने में सहायक हो सकती है। जहां तक ग्रसम समस्या के समाधान के बारे में सरकार के रवैये का सम्बन्ध है, इस पर दोनों ग्रोर से ग्राक्रमण किया जा रहा है। जो भी दल मध्यम मार्ग पर चलता है उसे दोनों ग्रोर के उग्रवादियों का कोपभाजन बनना पड़ता है। जो भी दल बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, उसे जैसाकि हमने इस सदन में देखा है, दोनों ग्रोर से ग्रालोचना होती है, एक यह कहता है कि सरकार कमजोर है ग्रौर दूसरा यह कहता है कि सरकार दमनात्मक रवैया ग्रपनाती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन कठिनाई ग्रौर दु:ख भरे दिनों में सरकार ने सदन में दोनों पक्षों को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। प्रधान मंत्री ने भी विपक्षी दलों के साथ ग्रनेक बैठकें की हैं ग्रौर उनमें से कुछ तो ग्रसम ग्रांदोलन-कारी नेताग्रों के साथ की गईं, ताकि उसकी समस्या का ऐसा समाधान किया जाये जो एक राष्ट्रीय समाधन हो। यदि एक ग्रथवा दो व्यक्तियों के साथ परामर्श न किया गया हो तो इसके लिए ग्रावश्यक नहीं है कि इसमें उनका दोष हो किन्तु इसमें तो सम्बन्धित व्यक्तियों का दोष हो सकता है। ग्रतः मैं यह वता देना चाहता हूँ कि इस कठिन कार्य में सरकार सदन को साथ लेकर

चलना चाहती है। आज सुबह भी हमने सभी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की है और इस कठिन समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया है। हमें यह आशा है कि शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने से इस समस्या का समाधान मिल जायेगा और असम का आन्दोलन शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा। यह भ्रम पैदा हो गया है कि असम की उपेक्षा की गई है और यह आंदोलन अतीत में सरकार की असम की उपेक्षा के कारण हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप इसे भ्रम कह रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस बात को सिद्ध करूँगा।

मैं जब पूर्वोत्तर राज्यों में था तो मैं कुछ छात्र-नेताओं से मिला था। उन्होंने मुझसे यह प्रश्न पूछा : "यह कैसी बात है कि दिल्ली की सड़कें हमारे राज्य से बहुत बेहतर हैं ? क्या इससे उपेक्षा प्रदर्शित नहीं होती ?" मैंने उन्हें उत्तर दिया : दिल्ली में मुगलों द्वारा सड़कें बनाई गई थीं, उन पर कोलतार अंग्रेजों ने बिछाया था और बाद में उनका रख-रखाव सरकार द्वारा किया गया। किन्तु उनके राज्य में उनके राजाओं ने सड़कें नहीं बनवायीं, उन्होंने जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने भी वहाँ न तो सड़कें बनाई और न ही रेलें चलाई, क्योंकि उनका क्षेत्र उनके किसी काम का नहीं था। इस क्षेत्र में जितनी भी सड़कें, जो भी विकास आप देखते हैं यह सभी राष्ट्रीय सरकार, जो 30 वर्ष पूर्व बनी थी, द्वारा किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विचार से इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान इतनी लम्बी सड़कें बनाई हों जितनी असम राज्य में बनाई गई थीं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सही नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में आँकड़े दूंगा। यही एक भ्रम है और भ्रामक प्रचार के कारण असम में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आन्दोलन फैला है। वास्तव में उन्हें इस बात पर विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् उनकी उपेक्षा की गई है। इसके विपरीत, उन्होंने स्वतन्त्रता से पहले कुछ नहीं किया है। मैं अब इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए आँकड़े दूंगा।

यदि आप पिछले 10 वर्षों में योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता सम्बन्धी अखिल भारतीय औसत की तुलना असम को दी गई प्रति व्यक्ति सहायता से करें तो आपको पता चलेगा कि असम की उपेक्षा नहीं की गई है। चौथी योजना के दौरान 1974-75 में असम को प्रति व्यक्ति 27 रुपये दिये गए जबकि उस समय अखिल भारतीय औसत सम्बन्धी आंकड़े 14 रुपये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस समय प्रति व्यक्ति अधिकतम राशि कितनी थी ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह 27 रुपये थी। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर को पृथक आवंटन किया जाता है और शेष को केन्द्रीय सहायता गाडगिल-सूत्र के अनुसार दी जाती है और गाडगिल-सूत्र के अनुसार इन राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता मिलती, है उससे कम उन्हें मिलती है।

1977-78 को ही लीजिए। असम को प्रति व्यक्ति 39 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई, जबकि अखिल भारतीय औसत 21 रुपये की थी। 1979-80 में यह 44 रुपये की तुलना में 77 रुपये थी और 1980-81 में यह 50 रुपये की तुलना में 92 रुपये थी।

श्री सुनील मत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह कोई तर्क नहीं है। आप हमें भारत-चीन युद्ध से पूर्व तथा भारत-चीन युद्ध के बाद के आँकड़े दीजिए। तब हम समझेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप हमें ग्रामीण विद्युतीकरण लघु सिंचाई और अर्जित विदेशी मुद्रा तथा राज्य में व्यय की गई विदेशी मुद्रा के बारे में आँकड़े दीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : यह बिल्कुल असंगत बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह आरोप कि केन्द्रीय सरकार ने असम की उपेक्षा की है, बिल्कुल निराधार है क्योंकि असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों को तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता सभी राज्यों को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति औसत केन्द्रीय सहायता से हमेशा बहुत अधिक होती थी।

श्री निरेन घोष (दमदम) : क्या यही एक उपाय है ? जब यह पता चला कि असम में तेल भंडार है तो उसकी उपेक्षा की गई और तेल शोधक कारखाने गुजरात और अन्य राज्यों में लगाये गए। असम में तेल शोधक कारखाना नहीं लगाया गया। यह तो अभी हाल में ही असम में तेल शोधक कारखाने लगाये गये। ऐसा क्यों किया गया ?

श्री आर० वेंकटरामन : चाहे तेल शोधक कारखाना लगाया या नहीं, मैं तो कुल आंकड़े दे रहा हूँ। समूचे भारत के लिए हमने प्रति व्यक्ति 44 रुपये दिए हैं जबकि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 72 रुपये दिए गये। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि आपने एक स्थान पर धनराशि सिंचाई पर व्यय की, दूसरे स्थान पर उद्योगों पर और अन्य स्थानों पर ग्रामीण विद्युतीकरण पर तथा अन्य स्थानों पर अन्य मामलों पर। आपको कुल धनराशि की बात करनी होगी। समग्र स्थिति यही है। (**व्यवधान**) उपेक्षा स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भी थी। मैं इस बात को बार-बार दोहराता हूँ। अंग्रेज तो वस्तुओं का आयात और निर्यात ही करना चाहते थे। अतः उन्होंने बम्बई पत्तन बनवाया। उन्हें असम में कुछ नहीं मिल रहा था। वे असम में कोई पत्तन नहीं बना सके क्योंकि वहाँ कोई समुद्री तट नहीं था। ये बातें स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले हुई थी। भारत के अन्य भागों में जो इतना विकास हुआ है वह अधिकांशतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व किए गए विकास के कारण हैं। क्षेत्रीय असन्तुलन भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति की पूर्व के घटनाओं के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। (**व्यवधान**) आप आंकड़ों को भी नहीं समझ सकते। जब मैं कुल आँकड़ों की बात करता हूँ और यह कहता हूँ कि असम को इतना प्राप्त हुआ है और अन्य राज्यों को इतना मिला है तो भी आप कहते हैं कि यह ठीक नहीं है तो मुझे यही कहना है कि आप आँकड़ों को नहीं समझते हैं। अतः मैं सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि वह यह गलत धारणा उत्पन्न न होने दें कि पहाड़ी राज्य, असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों की हमने तथा आपने उपेक्षा की है। राष्ट्रीय सरकार ने उनकी उपेक्षा नहीं की है। ऐसा तो उन ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण हुआ है जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले विद्यमान थी। हम असम की स्थिति को सही करने, उसमें परिवर्तन लाने तथा उसे अन्य राज्य के बराबर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

अब मैं इस स्थिति में सुधार करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा दूंगा। इससे पहले मैं इस वर्ष के बजट के बारे में कुछ आंकड़े दूंगा। इस वर्ष की राजस्व प्राप्तियाँ, अन्तरिम बजट में दिए गए आंकड़े 303 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 298 करोड़ रुपये होंगी।

हमारा व्यय 313 करोड़ रुपये से बढ़कर 368 करोड़ रुपये हो गया है। हमारा योजना व्यय भी इस वर्ष 160 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ रुपये हो गया है। असम को केन्द्रीय सहायता भी 115.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 135.20 करोड़ रुपये हो गई है। गैर-योजनागत घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये की सहायता और दी है। यदि आप यह कहें कि असम को विशेष सहायता नहीं दी गई तो मैं नहीं जानता कि उसके लिए क्या कहूँ। किसी ने कहा है कि असम में कई उद्योग नहीं लगाये गये हैं।

राज्य की योजना में उद्योगों के लिए नियत राशि कम है किन्तु केन्द्रीय योजना में उद्योगों के लिए काफी बड़ी राशि नियत की गई है। उदाहरण के लिए बोंगाई गांव शोधनशाला में हम 300 करोड़ रुपए की लागत के एक उद्योग समूह की जिसमें शोधनशाला और पैट्रो-रसायन उद्योग समूह होंगे स्थापना करने जा रहे हैं। जिसमें एक संयंत्र होगा जो सालाना 30,000 डी०एम०टी० का उत्पादन करेगा और यह संयंत्र भारत में सबसे बड़ा संयंत्र होगा। हम इससे सम्बन्धित कई उद्योग आरम्भ कर रहे हैं। नामरूप उर्वरक संयंत्र को इसके तीसरे चरण के लिए पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था की गई है। मैं कई ऐसी बातें बता सकता हूँ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : इसकी व्यवस्था आन्दोलन के बाद ही की गई।

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं यह सब आन्दोलन के पहले स्वीकृत किया गया था। अच्छा होता कि आपको सही जानकारी होती।

अब हम सड़कों को लें। भारत सरकार ने 1442 कि० मी० सड़कें स्वीकृत की हैं जिनमें से 252 कि० मी० सीमान्त सड़क संगठन के अधीन होंगी और शेष 1190 कि० मी० राज्य लोक निर्माण विभाग के अधीन होंगी। आप नहीं कह सकते कि यह कम है। वास्तव में मेरे पास सारे आंकड़े हैं केवल समय की कमी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केवल हमें यह बताने की कृपा करें कि असम से चाय के निर्यात से आपको कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं असंगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। माननीय सदस्य ने रेलवे के बारे में कुछ पूछा है। हम रेलवे को ही लें। एक नयी बड़ी लाइन गोहाटी और बर्नीहाट (असम-मेघालय) के बीच 8.2 करोड़ रुपये की लागत की मंजूर की गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 33 वर्षों के बाद।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सब स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद किया गया है। आप केवल उसी बात पर जोर दे रहे हैं जिसे मैं कह रहा हूँ।

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक नई लाइन बनेगी दूसरी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के बीच बनेगी। इसके अलावा गोहाटी-डिब्रूगढ़-तिनसुकिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में भी स्वीकृति दी जा चुकी है।

मैंने पहले ही पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में कहा है जो सम्बद्ध उद्योग भी स्वीकृत किये गए हैं। इसकी लागत 197 करोड़ रुपए है और इस शोधनशाला की क्षमता 10 लाख टन,

एरोमेटिक्स 1,000 टन, पालिस्टर 30,000 टन। यह सबसे बड़ा उद्योग समूह होगा। मेरे पास इसके बारे में सभी अन्य विवरण हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप केवल एक और बात कहिए—126 वर्षों के बाद समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में छः रेल लाइनें।

श्री आर० वेंकट रामन : कब से 126 वर्ष ?

प्रो० मधु दण्डवते : भारत में रेलों के निर्माण से।

श्री आर० वेंकट रामन : जब रेलों का निर्माण हुआ था तब न यह मेरे प्रभार में था और न आपके प्रभार में। आप मुझे भेड़िए और बकरी की कहानी की तरह इसके लिए यह कहते हुए कि मेरे पूर्वजों ने यह नहीं किया, जिम्मेदार न ठहराइए।

अतः मैं इस आरोप को निराधार सिद्ध करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सरकार ने पूर्वी राज्यों की उपेक्षा की है। इस बहकावे और गलत प्रचार के कारण ही असम के कुछ लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। आन्दोलन को अंशतः शक्ति इस सभा में हम जो असम की उपेक्षा के बारे में गलत आलोचना करते हैं उससे मिलती है। अतः मैं कहना चाहूँगा कि न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में किन्तु अन्यत्र भी असंतुलन को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

जहाँ तक तेल का सम्बन्ध है हमें प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपये की प्रत्यक्षतः तथा इससे कुछ अधिक की अप्रत्यक्षतः क्षति हो रही है। परिणाम यह है कि 600 करोड़ रुपये से भी अधिक की क्षति हुई है और विशेष रूप से उस समय जब हम समस्त विश्व में तेल की भीख मांग रहे हैं। यह राष्ट्र के हित में है कि तेल निकाला जाता रहे। मुझे विश्वास है कि सभा का प्रत्येक सदस्य मेरे साथ सहमत होगा और इस वक्तव्य की पुष्टि करेगा कि भारत का कोई भाग अथवा कोई राज्य यह नहीं कह सकता है कि उस राज्य में जो संसाधन हैं वह केवल उनके ही हैं और किसी का नहीं है। ऐसा कथन विल्कुल राष्ट्र बिरोधी होगा और इसका इस सभा में कोई भी समर्थन नहीं करेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो कल असम को एक औंस नमक भी नहीं मिलेगा। नमक का एक टुकड़ा भी भारत के अन्य भागों से आता है। राष्ट्र का हित है कि भारत के प्रत्येक भाग के उत्पादों का मुक्त रूप से विनिमय होना चाहिए ताकि इससे समस्त देश में लोगों के स्तर ऊंचा हो। अतः मेरा यह निवेदन है कि तेल निकाला जाता रहे और इस क्षेत्र के उत्पादों की आवश्यक सप्लाई हो।

जब मैं मेघालय, नागालैंड तथा मणिपुर में था तो मेरे पास कई लोग आये और उन्होंने शिकायत की कि असम में आन्दोलन के परिणाम स्वरूप उन्हें आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नहीं हो रही है। उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। उन्हें मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। और उन्हे विना उनके किसी दोष के नमक नहीं मिल रहा है।रेलवे लाइन को बन्द करने के कारण ही आन्दोलनकारी लोग माल बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार के आन्दोलन से माल के परिवहन तथा मुक्त वाणिज्य और व्यापार में बाधा न पड़े। इस समस्या पर बड़ी सावधानी से तथा सहृदयता से कार्यवाही की जानी है। मैं समझता हूँ कि

भारत सरकार इस विषय पर अत्याधिक धैर्य से कार्यवाही कर रही है। मुझे विश्वास है कि सभा बजट पास करेगी।

सभापति महोदय : मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अब 17.34 बजे हैं। मैं चुपचाप बैठा हूँ। मुझे 17.30 बजे बोलना आरम्भ करना चाहिए था।

सभापति महोदय : हम इसे एक मिनट में समाप्त कर सकते हैं। मैं आप सब से सहयोग करने का निवेदन करता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कल तक भी हो सकता है।

सभापति महोदय : इसे आज ही आरम्भ करने और समाप्त करने का कर्यक्रम है। कृपया सहयोग दीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा निवेदन है कि मेरे कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखा जाये और उन्हें स्वीकृत किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा को छः बजे बाद बैठने की अनुमति देनी चाहिए। आपको सभा की अनुमति लेनी चाहिए।

सभापति महोदय : सर्वप्रथम मेरा प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह सहयोग दे अन्यथा सभापति कुछ नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया घोषणा करें कि सभा 6 बजे बाद बैठेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : कार्य सूची में 17.30 बजे आधे घण्टे की चर्चा है।

सभापति महोदय : यह बिल्कुल सही है। सभा सर्वोच्च शक्तिमान है। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सहयोग दें और हम इसे समाप्त कर सकते हैं।

अब मैं श्री जी० एम० बनात वाला द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 3 मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है कि मैं बीच में बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय : हम इसे समाप्त करें। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या सभा छः बजे बाद बैठने के लिए तैयार है कृपया यह बतलाइए। मंत्री महोदय यह बताएं। इसे रिकार्ड में जाना चाहिए।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैंने पहले ही

यह कहा है। (व्यवधान)। ग्रारम्भ में मैंने कहा था कि यदि ग्राप चाहते हैं तो हम छः बजे बाद बैठ सकते हैं। मुझे इस पर कोई ग्रापत्ति नहीं है। मैं क्या कहूँ ?

सभापति महोदय : हम कुछ ही मिनटों में इसे समाप्त करेंगे ग्रौर तब ग्राप कह सकते हैं।

श्री जी० एम० बनात वाला : इस गड़बड़ी में मेरे कटौती प्रस्तावों पर मतदान रह गया।

सभापति महोदय : इसका परिणाम स्पष्ट है। इस कोने या उस कोने में गड़बड़ी हो सकती है किन्तु परिणाम बिल्कुल ही स्पष्ट है।

ग्रब मैं वर्ष 1980-81 के लिए ग्रनुदानों की मांगों (ग्रसम) को मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई माग संख्या 1, 3से 16, 19 से 77, 80 ग्रौर 82 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से ग्रनधिक राशियां ग्रसम राज्य की संचित में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

वर्ष 1980-81 के लिए लोक सभा द्वारा स्वीकृत ग्रनुदानों की मांगे (ग्रसम)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखानुदान की मांग की रकम	
1		2	3
1.	राज्य विधान मण्डल	12,56,000	...
3.	मंत्रिपरिषद्	...	...
4.	विवेकाधीन ग्रनुदान	13,000	...
5.	न्याय प्रशासन	42,22,000	...
6.	निर्वाचन	8,41,000	...
7.	ग्राय ग्रौर व्यय पर कर	1,67,000	...
8.	भू-राजस्व ग्रौर भूमि की ग्रधिकतम सीमा	1,89,13,000	...
9.	स्टाम्प	1,91,000	...
10.	पंजीकरण	5,75,000	...
.11	राज्य उत्पाद शुल्क	18,37,000	...
12.	बिक्री कर ग्रौर ग्रन्य कर	22,25,000	...
13.	परिवहन सेवाएं	86,73,000	6,93,000

1	2	3
14. बिजली निरीक्षणालय	1 65,000	...
15. अल्प बचतें	66,000	...
16. वित्तीय निरीक्षण	50,000	...
19. सिविल सचिबालय तथासम्बद्ध कार्यालय	85,46,000	...
2C. जिला प्रशासन	81,32,000	...
21. राजकोष और लेखा प्रशासन	21,92,000	...
22, पुलिस	15,74,86,000	...
23. जेलें	46,15,000	...
24. राज्य के कैदी और नजरबन्द	8,000	...
25. लेखन सामग्री और मुद्रण	32,61,000	...
26. प्रशासनिक और कार्योपलक्षी इमारतें	1,65,45,000	4,57,50,000
27. अग्निशमन सेवाएँ	13,16,000	...
28. सतर्कता और विशेष आयोग	3,55,000	...
29. नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड	29,33,000	...
30. सामूहिक परिवहन	63,000	...
31. अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि	6,72,000	...
32. प्रशासनिक प्रशिक्षण	1,33,000	...
33. जन्म मरण संबंधी आंकड़े आदि	3,54,000	...
34. पेंशने और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	82,48,000	...
35. सहायता सामग्री	1,32,23,000	...
36. राज्यलाटरियां	2,19,60,000	...
37. शिक्षा	28,99.95,000	80,000
38. कला और संस्कृति	19,28,000	...
39. राज्य अभिलेखागार	50,000	...
40. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	15,77,38,000	38,50,000
41. सफाई और मल निकासी	10,39,000	...
42. आवास स्कीमें	36,43,000	26,27,000
43. रिहायशी इमारतें	62,17,000	1,18,31,000
44. नगर विकास	38,09,000	3,60,000
45. सूचना और प्रचार	15,94,000	...
46. श्रम और रोजगार	1,78,01,000	...
47. नागरिक पूर्ति	38,60,000	...

1	2	3
48. राहत और पुनर्वास	30,000	1,33,000
49. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्यों का कल्याण	1,19,60,000	...
50. समाज कल्याण	64,94,000	...
51. नशाबन्दी	10,00,000	...
52 स्वतन्त्रता सेनानियों, राज्य सैनिक बोर्ड आदि को पेंशन	11,35,000	70,000
53. दैवी विपत्तियाँ	12,85,33,000	...
54. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	56,000	...
55. योजना बोर्ड	7,14,000	...
56. सहकारिता	1,67,52,000	1,06,84,000
57. उत्तरपूर्वी परिषद् स्कीमें	14,93,000	1,08,43,000
58. सांख्यिकी	26,07,000	...
59. तौल और माप	7.92,000	...
60. व्यापार सलाहकार	1,17,000	...
61. कृषि	7,69,50,000	1,00,80,000
62. सिचाई	1,91,82,000	7,77,90,000
63. भूमि और जल संरक्षण	60,55,000	55,47,000
64. पशुपालन और पशु चिकित्सा	2,70,05,000	...
65. डेरी विकास	91,82,000	...
66. मीन उद्योग	67,62,000	53,000
67. वन	8,15,41,000	...
68. सामुदायिक विकास	3,85,40,000	...
69. उद्योग	76,33,000	21,93,000
70. रेशम कीट पालन और बुनाई	91,83,000	3,12,000
71. कुटीर उद्योग	62,40,000	93,03,000
72. खानें और खनिज	19,06,000	34,70,40,000
73. बाढ़ नियंत्रण	2,05,03,000	11,83,18,000
74. सड़कें और पुल	8,22,21,000	5,29,39,000
75. पर्यटन	5,53,000	25,00,000
76. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदिष्ट राशि की अदायगी	1,02,67,000	...
77. आसाम राजधानी निर्माण	...	8,67,000
80. सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	...	1,41,33,000
82. काम के बदले अनाज कार्यक्रम	7,03,53,000	...

असम विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1980

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करते की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

असम विनियोग (संख्या 2) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री निरेन घोष (दमदम) : सभापति महोदय, मैं केवल कुछ बातें ही कहूंगा ।

पहली बात यह है कि कुछ आन्दोलन होते हैं जिनका समर्थन किया जाता है और कुछ आन्दोलन ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रियावादी होते हैं और जो समस्त देश के विरूद्ध होते हैं और जिनका विरोध किया जाना चाहिए। असम आन्दोलन ऐसा आन्दोलन है जिसका प्रत्येक को विरोध करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि असम में 33 वर्षों तक असम प्रशासन ने एक भी नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं दिया है । यह अब उनके हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता है ।

तीसरी बात यह है कि नौकरशाही और प्रशासन में उच्च पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे कतिपय अधिकारी हैं जिनकी इस आन्दोलन में सांठ-गांठ है । उन्होंने इसका नेतृत्व किया है, भड़काया है, बढ़ाया है, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि यह आगे बढ़े । मैं

जानना चाहता हूँ कि उन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया है।

चौथी बात यह है कि वर्ष 1971 के प्रश्न पर दृढ़ रहना चाहिए। किन्तु विदेशियों की पहचान के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें देश से बाहर कैसे निकाला जा सकता है।

चौथी बात यह है कि, सरकार ने घोषणा की है कि ब्लाक स्तर के अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी आदि पता लगाने का कार्य करेंगे। यह एक अत्यन्त असम्भव कार्य है, क्योंकि असम के आन्दोलन को ऊंचे पद वालों के कारण पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है, नीचे वाले नहीं जानते। यह अभी तक कम नहीं हुआ है। उच्च स्तर के लोग ही उससे लाभ उठायेंगे। संसद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 1971 से पूर्व आये थे उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। वे भारतीय नागरिक हैं और उनके नाम निर्वाचक सूची से नहीं निकाले जाने चाहिए। असम आन्दोलन को दबा दिया जाना चाहिए और निहित स्वार्थ व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए। पूरे देश को उसका मुकाबला करना चाहिए तथा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेल और गैस उपलब्ध होते रहें। यह मामला पाइपों को सुधारने का ही नहीं है अपितु पाइप लाइनों द्वारा उसे भेजने का भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके पश्चात सरकार को शरारत करने वालों को दण्ड देना चाहिए अन्यथा जनता सरकार को दण्ड देगी, यदि पाइप लाइनों से तेल प्राप्त नहीं होता। तेल ही उनका मुख्य शस्त्र है तथा इसे उनके हाथ से छीनना चाहिए। तेल वहाँ से आता रहना चाहिए और इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या मन्त्री महोदय इसका उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 और 3 और अनुसूचि विधेयक का अंग बनें।"

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घण्टे की चर्चा

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का अनुपयुक्त स्टाक

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान् इस इन्दिरा सरकार ने एक ऐसे क्षेत्र में, जिसका मनुष्यों के पेट और भूख से सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भेदभाव का बरताव आरम्भ कर रखा है।

मेरा अभिप्राय है काम के बदले अनाज कार्यक्रम से है। इस बारे में दो मुख्य बातें हैं। एक बात तो यह है कि वे भूख के साथ राजनीति को जोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा है। दूसरे, वे प्रतिनिधियों के ऊपर अपनी नौकरशाही व्यवस्था के नियंत्रण को दृढ़ करने का यत्न कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी पार्टी को बहुत कम समर्थन प्राप्त है। ये दो बातें हैं। वे दोहरे मानदण्ड अपना रहे हैं। एक मानदण्ड तो कांग्रेस (आई) के राज्यों के बारे में है और दूसरा वामपक्षी मोर्चे की साम्यवादी सरकारों के राज्यों के बारे में है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम में मूलतः चार बातें हैं : (1) पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या मांग की, (2) केन्द्रीय सरकार ने कितना आवंटन किया, (3) केन्द्रीय सरकार ने कितना अनाज भेजा, (4) उत्तरदायिता और मार्ग दर्शक बातें। 17 नवम्बर, को अर्थात इस सत्र के प्रथम दिन, इसी महीने में मन्त्री महोदय ने क्या बताया? उन्होंने कुछ बातें कहीं जो कि बिल्कुल गलत हैं*। उन्होंने सभा को गुमराह किया है और इस बारे में हम उचित कार्यवाही करेंगे।

उन्होंने बताया है कि 95000 टन अनाज था परन्तु खाद्य सचिव श्री वर्मा के 3 जून के पत्र के अनुसार यह मात्रा 87607 टन बतायी गई है। परन्तु अवशेष मात्रा का अर्थ है कि वचन दिया गया था परन्तु भेजी नहीं गयी थी।

हम मन्त्री महोदय से इसके बारे में सही जानकारी चाहते हैं।

तब उन्होंने बताया :

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

"पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्रीय सरकार से आवंटित अनाज के उपयोग के बारे में भिन्न आँकड़े दिखा रही है।"

वास्तव में केन्द्रीय सरकार यही काम कर रही है। हम जानते हैं कि ठीक कितना माल हमने प्राप्त किया, कितने का उपभोग किया और क्या प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

तब आगे उन्होंने कहा है :

"उसके बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि भारत के अन्य राज्यों के समान जिला मैजिस्ट्रेटों कलक्टरों को जिला स्तर की संचालन समिति का संयोजक बनाया जायेगा इत्यादि,

जिला मैजिस्ट्रेट स्वयं संचालन समिति का अब संचालक हैं। मेरे पास स्वयं मुख्य मन्त्री की टिप्पणी है।

तब आगे उन्होंने बताया :

"इस प्रकार उनके पास अब 1.45 लाख टन माल है उसमें से हमारे पास केवल 45188 टन के उपयोग का प्रमाणपत्र आया है।" यह सर्वथा झूठी बात है वास्तव में 11 नवम्बर 1980 तक यह 53,000+ टन था।

आगे उन्होंने बताया है :

"उपयोग में लाये गये माल सम्बन्धी प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि 50 प्रतिशत से कम अनाज उपयोग में लाया गया था।

वास्तव में, अगस्त 1980 तक, वस्तुतः भेजे गये माल के मुकाबले में, जिस के आँकड़े हम दे चुके हैं— उपयोगिता 86 प्रतिशत है। वित्त मन्त्री तथा विकास मन्त्री ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या 130 15/12/80 एफ डब्ल्यू पी दिनांक 3 जून 1980 में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को लिखा था :

"जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष आप के राज्य को सामान्य तथा काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत 2,15,000 टन अनाज भेजा गया था। इसके अलावा पिछले वर्ष का बचा हुआ 29,885 टन माल भी इस वर्ष के लिए उपलब्ध था—"

उन्होंने यह नहीं बताया कि 29885 मीट्रिक टन में से कितना माल अभी तक नहीं भेजा गया अभी तक उन्होंने केवल कागजी कार्यवाहीही की है। उन्होंने आगे स्वीकार किया है : "इसके मुकाबले में उपयोगिता रिपोर्ट केवल जनवरी 1980 तक की प्राप्त हुई है जिनसे कुल 1,57,278 टन माल की उपयोगिता का पता चलता है।

यह सप्लाई किये गये माल का 64 प्रतिशत बैठता है। अतः श्री बीरेन्द्र सिंह कैसे कह सकते हैं कि हमने समय पर और उचित ढंग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वे सब × ==, कुछ नहीं केवल उन्होंने सभा को गुमराह ही किया है तथा मेरे राज्य की सरकार

+अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

पर कीचड़ उछाला है ।

राजनीतिक रूप दिये जाने की बात के बारे में मैं अभी बताता हूँ ।

डा० अशोक मित्रा, वित्त मन्त्री तथा विकास और योजना मन्त्री का केन्द्रीय योजना मन्त्री के नाम अर्ध सरकारी पत्र

संख्या एफ डी एम 265/80 दिनांक 12 नवम्बर, 1980 इस प्रकार है :

"वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज का कुल आवंटन 416,000 टन था । परन्तु वर्ष 1979-80 के अंत तक राज्य सरकार को वास्तविक रूप से दिया गया माल केवल 374,351 टन था । इस माल के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 मार्च, 1980 तक 320,912 टन अनाज के उपयोग में लाये जाने की रिपोर्ट भेजी थी । 31 मार्च 1980 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किये गये माल की 77 प्रतिशत उपयोगिता की गई, जो वास्तविक रूप में दिये गये माल का 86 प्रतिशत बैठती है ।

उसके बाद भी कोई सभ्य कवि कैसे कह सकता है कि मार्गदर्शनों का पालन नहीं किया गया तथा उपयोग में लाये गए माल के बारे में प्रमाण पत्र नहीं दिए गए ? इस बात की जांच के लिए कि इस मामले में कौन मिथ्यावदान कर रहा है, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का संयुक्त आयोग बनाया जाए ।

सभापति महोदय, आप इस बात को समझेंगे, आप सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं । उपयोग में लाए जाने का प्रमाण-पत्र वास्तव में प्राप्त हुए माल के बारे में ही दिया जा सकता है । उस माल के बारे में, जिसका आवंटन अभी तक कागजों में ही किया गया है । उपयोग में लाये जाने का प्रमाण-पत्र कैसे दिया जा सकता है ? जब तक माल वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उसको उपयोग में लाए जाने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता ।

श्री मित्रा ने आगे बताया है, : 'सैद्धान्तिक रूप से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कुल आवंटित किए गए माल तथा वास्तविक रूप में दिए गए माल का अन्तर 95,288 टन, चालू वर्ष से उपयोग के लिए हमें उपलब्ध था तथा इसमें मई में दिए गए 20,000 टन, अनाज को जोड़ा जा सकता है । इस प्रकार कुल 1,15,288 टन, बन जाता है । तथापि इस मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा 86373 टन माल ही दिया गया है । इसमें से सितम्बर के अन्त तक राज्य सरकार ने 45000 टन के उपयोग किए जाने के प्रमाण-पत्र भेज दिए थे, जोकि 52% से अधिक बैठता है । कल तक (11-11-80) राज्य सरकार ने 53000 टन के उपयोग में लाए जाने के प्रमाण-पत्र भेज दिए थे, जोकि 61 प्रतिशत से अधिक है । इसलिए हमारा नम्र निवेदन यह है कि केन्द्रीय ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री द्वारा, हमें माल न दिए जाने का यह कारण नहीं कहा जा सकता कि हमने 50% प्राप्त माल के उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं भेजा था ।

इसलिए श्रीमान, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि मैंने दोषमुक्त मामला रखा है ।

सभापति महोदय : दूसरे शब्दों में, आप आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम किस प्रकार कार्य कर रहा है । क्या आपका यही अभिप्राय है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें दो बातें हैं—एक है ।

कागजों के अनुसार माल का दिया जाना और दूसरे वास्तविक रूप से माल का दिया जाना । उपयोग में लाए जाने का प्रमाण-पत्र माल को वास्तविक रूप से प्राप्ति के बाद ही दिया जा सकता है—उत्तरदायी मंत्री संख्या 2 वित्त तथा विकास मंत्री ने अपने निजी हस्ताक्षर से स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि ये प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं । अब श्री राव आ गये हैं । उनके आगमन से मुझे अधिक प्रेरणा मिली है ।

देखिये श्री राव कैसे इसका राजनीतिक रंग देते हैं । मैं आपको एक उदाहरण दूंगा—दिनांक 28 जुलाई, 1980 के तारांकतित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर में—मैं केवल उन्हीं राज्यों की चर्चा करूँगा जिनमें चुनाव होने थे—आप पायेंगे कि आवंटन तथा माल की सप्लाई एक दूसरे के ठीक अनुरूप थे । आप अपने राज्य से शुरू कीजिए, आप पायेंगे कि किस प्रकार निर्वाचन काल में मत आकर्षित करने की प्रक्रिया कार्यरत थी ।

राज्य	"कार्य के बदले अनाज" सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित अनाज (1980-81) (लाख टनों में)	"कार्य के बदले अनाज" सामान्य कार्यक्रप के अंतर्गत भेजा गया अनाज (1980-81) (लाख टनों में)	"कार्य के बदले अनाज" विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित अनाज (1980-81) (लाख टनों में)	"कार्य के बदले अनाज" विशेप कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजा गया अनाज (1980-81) (लाख टनों में)
विहार	40,0000	40,0000	70,0000	70,0000
	मुंघेर से गाड़ी लें और मध्य प्रदेश आयें ।			
मध्य प्रदेश	25,0000	25,0000	1,74,0000	1,74,0000
महाराष्ट्र	25,0000	25,0000	15,0000	15,0000
उड़ीसा	12,0000	12,0000	70,0000	70,0000
राजस्थान	30,0000	30,0000	10,00,000	10,00,000
उत्तर प्रदेश	50,0000	50,0000	1,45,0000	1,45,0000
	अब मेरी भतेरी मां के पुत्र-परिचय बंगाल में आयें ।			
पश्चिमी बंगाल	20,0000	—	50,0000	20,0000

क्या आप इसमें दोहरे मानदण्डों को अनुभव नहीं करते । कितनी सुन्दरता से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उपयोग निर्वाचनो में वोट प्राप्त करने के लिए किया गया है ।

सभापति महोदय : श्री बसु आप ध्यान से देखें । कृषि मंत्री स्वयं आपके तर्कों को सुनने के लिए आ गये हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सभा से बाहर उनका आदर करता हूँ । परन्तु सभा में वह बदल जाते हैं ।

नौकरी बहुत खराब चीज है। अच्छे आदमी को भी बुरा बना देती है। मैं उनको पन्द्रह बरस से जानता हूँ। मंत्री कोई बन जाता है तो वह बदल जाता है।

श्रीमान, मैंने दोहरे मानदण्ड की बात की और उससे सम्बद्ध आंकड़े भी दिए। यदि वह आयें तो मैं उनकी एक फोटोस्टेट प्रति सभापटल पर रख सकता हूँ।

अब हम जरा यह देखें कि वे क्या कर रहे हैं ? ग्रामीण विकास राज्य सरकार का विषय है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक-तिहाई मात्र नगद दिया जाता है। क्या यह ठीक है या नहीं ? क्या "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम में हम भागीदार नहीं है ? और वे क्या कर रहे हैं ? वह एकतरफा तथा मनमाने ढंग से निदेशक ब्यौरा तैयार करने में लगे हुए हैं। जिनका सारांश नौकरशाहों की—जैसे कि वह उनके संरक्षक हों—चुने हुए प्रतिनिधियों से भी उच्च महत्व प्रदान करना है। इसका कारण बहुत ही साधारण है।··· (**व्यवधान**)

वे चाहते हैं कि हर मामले का नियन्त्रण जिला मजिस्ट्रेट ही करें। इसका साधारण-सा अर्थ यही है कि वह राज्य के तन्त्र—पुलिस तथा नौकरशाही—का उपयोग करना चाहते हैं। चूंकि उनकी अपनी कोई नाममात्र की संस्था भी नहीं है। इसलिए वे यही चाहते हैं कि नौकरशाही ही उनके राजनीतिक हितों की सुरक्षा करती रहे और इसलिए वे राजनीतिक उद्देश्य के लिए हमारे भौतिक सिद्धान्तों का हनन करना चाहते हैं। राव साहिब आप हमें यह बताइये कि "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम केवल इन्दिरा कांग्रेस दल की सम्पत्ति है या सम्पूर्ण राष्ट्र की ? क्या आप दान कर रहे हैं ?·· (**व्यवधान**)

श्रीमान्, जब मैं लोक सभा समिति का अध्यक्ष था तो उस समय मैंने देखा कि किस प्रकार 400 करोड़ रुपये—यदि मुझे ठीक से याद है—व्यर्थ में गंवा दिए गये और वह ई० ए० सी० पी० के कुछ चुनींदा व्यक्तियों की जेबों में चले गये। फिर इसके उपरान्त ग्रामीण रोजगार नकद कार्य-क्रम के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपये बहुत सुव्यवस्थित ढ़ंग से राजनीतिक लोगों की जेब में चले गये। लोक लेखा समिति में प्रतिदिन उपलब्ध है।··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री बसु, मैं आपको केवल यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप कृपया अपनी टिप्पणियां केवल उसी विषय तक ही सीमित रखें जिस पर कि चर्चा की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, मैं आपकी सलाह को स्वीकार करता हूँ। 18 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में इन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये हैं। अब लोगों का मूड मस्तिष्क देख-कर उन्हें घबराहट हो रही है।

श्रीमान्, अधिकाँश राज्यों में—मैं यह कहने का साहस कर रहा हूँ—कि यह लोग "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेकेदारों के माध्यम से भी काम करवाया जा रहा है और वहां निहित स्वार्थों ने एक तरह से जोरदार लूट मचा रखी है जब कि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस कार्य के लिए पंचायतों के अतिरिक्त अन्य किसी निकाय से कार्य नहीं करवाया जाता। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि राज्यों को दी गई धनराशि का उपयोग सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की जाँच तथा लेखा-परीक्षण किसके द्वारा की जाती है।··· (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आप यह चाहते हैं कि मजिस्ट्रेटों तथा नौकरशाहों का चुनाव भी लोगों द्वारा ही किया जाये ? आप क्या पूछ रहे हैं यह मेरी समझ में

नहीं ग्राता···(व्यवधान) ग्रापको कुछ भी मालूम नहीं है···

श्री दारूर पुलय्या (ग्रनन्तपुर) : श्रीमान्, पंचायत तथा दल दोनों ग्रलग-ग्रलग हैं। दलों का नयन नहीं किया जाता···(व्यवधान)·

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ग्राप तो सदा नौकरशाही पर निर्भर करतेहै···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्राप चिल्ला नहीं सकते···(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बसु, कृपया ग्राप भाषण जारी रखिये।

श्री ग्रानन्द गोपाल मुखोपाध्याय (ग्रासनसोल) : सभापति महोदय, मैं श्री बसु से यह जानना चाहता कि क्या वह इस प्रश्न की जांच सदन की एक समिति द्वारा करवाने के लिए तैयार हैं ?···(व्यवधान) श्री बसु को यह माँग करनी चाहिए कि इस मामले की जांच सदन द्वारा नियुक्त की गई एक समिति से करवाई जाये। इसमें बहुत बड़ा पोथला है। श्री बसु हमें यह बतायें कि यह ठीक है या नहीं ? वह हमें यह बतायें कि क्या यह सच है या नहीं कि 135 पंचायत ग्राम सभाग्रों ने "काम के बदले ग्रनाज" कार्यक्रम के बारे में ग्रभी तक ग्रपनी विवरणियां नहीं भेजी हैं। श्रीमान, 9 ग्रांचल प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री बसु को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उन्हें यह माँग करनी चाहिए कि इसकी जाँच सदन की एक समिति द्वारा करवाई जाये। यह साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का बहुत बड़ा घोटाला है। हर चीज सामने ग्रा जायेगी। श्री बसु ऐसा केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रभी केवल 3 दिन पूर्व उनका बास दिल्ली ग्राया था, ग्रौर उसने उनसे यह कहा था कि ग्राप संसद में बैठे क्या कह रहे हैं ग्रौर उनकी इस बात को श्री बसु ने गंभीरता से ले लिया है। इसीलिए यह ऐसा कह रहे हैं ग्रौर उन्हें मेरी चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसा कर लेने से पश्चिम बंगाल में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कफन में ग्रन्तिम कील लग जायेगी। सबसे बड़े घोटाले के कलई खुल जायेगी···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ग्राप सभी कृपया ग्रपने-ग्रपने स्थान पर बैठ जाईये। श्री ज्योतिर्मय बसु ग्राप ग्रपना भाषण जारी रखिये।···(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब मैं खड़ा होता हूँ तो उस समय ग्रन्य किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं होना चाहिए। कृपया श्री बसु की सुनिये। · (व्यवधान)

सभापति महोदय : ग्राग्रह सुन लीजिये शास्त्रीजी, ग्रापने शास्त्र में पढ़ा हो या नहीं, लेकिन शास्त्र यही बतलाता है कि जब चेयरमैन खड़े हों तो ग्रौरों को बैठ जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उपयोग प्रमाण-पत्रों की जांच या लेखा-परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है ? क्या यह किया भी जाता है या नहीं ? (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में यह कार्य मुख्यतः नौजवानों द्वारा किया जा रहा है। वे लोगों के मतदान से ही पंचायतों में चुनकर ग्राये हैं। ग्राप उन्हें रोक नहीं सकते। वह कुछ त्रुटियां कर सकते हैं परन्तु हम शक्तियों का बिकेन्द्रीयकरण करके पंचायत राज को सही ढंग से क्रियान्वित करना चाहते हैं। वह नौशरशाही तथा निहित स्वार्थों की प्रभुस्ता को समाप्त करना चाहते हैं या नहीं ? क्या वह खाद्यान्न में भी राजनीति लाना चाहते हैं क्योंकि यह काफी महत्त्वपूर्ण है ?

श्रीमान, उन पर स्थाई प्रशासनिक तन्त्र का पूर्ण निरीक्षण रहता है। जिला मजिस्ट्रेट, संचालन समिति के मुख्य कार्यकारी तथा संचालक, जिला आयोजन अधिकारी, जिला राहत अधिकारी, कार्यकारी अभियन्ता, जिला मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, विकास तथा योजना विभागों के सरकारी प्रतिनिधि इस संचालन समिति के सदस्य होते हैं। मुझे यह मालूम नहीं होता कि सरकारी अधिकारियों के कार्यकरण में त्रुटि कहाँ है ? वे कार्य कहां करते हैं ? वे पश्चिम बंगाल में कार्यरत है और वहाँ 'काम के बदले अनाज' सम्बन्धी कार्यक्रम सबसे अच्छा चल रहा है। मैं इसे पढ़कर सुना सकता हूँ। यह 17 मार्च, 1980 को प्रश्न संख्या 793 के उत्तर में दिए उत्तर के बारे में है जोकि पैदा किए गए कार्य दिवसों के बारे में है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य रहा है। रोजगार बढ़ाने सम्बन्धी आँकड़े उसमें दिए गए हैं। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि बिहार इनमें सबसे आगे है। यहाँ की संख्या 641.21 लाख है···यदि·····

सभापति महोदय : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, उसके बारे में तो आप ने यदि कह दिया...

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि उनके आंकड़े सही हैं तो वह 641.21 लाख है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। गुजरात में 01 लाख मानव दिवस, हरियाणा में 30 03 लाख मानवदिवस कर्नाटक में 44.71 लाख मानव दिवस, मध्य प्रदेश में 415 लाख मानव दिवस, महाराष्ट्र में 143.0 लाख मानव दिवस, राजस्थान में 567,4 लाख मानव दिवस उत्तर प्रदेश में 223.38 लाख मानव दिवस तथा पश्चिम बंगाल में राज्य के क्षेत्र तथा खाद्यान्न की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये यह 533.2 लाख मानव दिवस है। (**व्यवधान**) दीर्घावधि आस्थियाँ निर्माण कार्यक्रम (डियूरेबल, असैट्स क्रीमेशन प्रोग्राम) के अन्तर्गत एक वर्ष में दी 4,45,210 हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। 1 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि को छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है।

इसके उपरान्त अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के उत्तर में दिए गए विवरण एक में दर्शाया गया है कि "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति की औसत इस प्रकार है :

बिहार-4.72, हरियाणा 0.02, हिमाचल प्रदेश 0.4, मध्य प्रदेश 0.46, उड़ीसा 3.55, राजस्थान 7.65, उत्तर प्रदेश 4.65, पश्चिम बंगाल 8,0 और जम्मू तथा कश्मीर के आँकड़े उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। क्या आप ने इन को दी जाने वाली खाद्यान्नों की सप्लाई रोक दी है ?... (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : पश्चिम बंगाल के आँकड़े हरियाणा की आंकड़े से 40 गुणा अधिक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप ने दो अधिकारियों को भेजा है... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : सभी उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही यह चर्चा 5 बज कर 45 मिनट पर आरम्भ की गई थी। अब मुझे पता चला है कि इसके लिए आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया था। (**व्यवधान**)

श्री दारुर पुलच्चा : यह केवल ग्राधे घंटे की चर्चा ही थी। ग्राप उन्हें ग्रौर बोलने की ग्रनुमति देते जा रहे हैं ... (व्यवधान)

सभापति महोदय क्या इन्हें ग्रपना भाषण जारी रखने की ग्रनुमति दी जा सकती है ?

श्री दारुर पलच्चा : कब तक ? उसकी कुछ समय सीमा होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इनकी ग्रोर से निरीक्षण करने के लिए दो ग्रधिकारियों को भेजा गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मुझे बाध्य हो कर यह कहना पड़ रहा है कि मुझे उनके बारे में कुछ ग्रलग ही रिपोर्ट मिली है। हमारे यहाँ 6,500 ग्राम पंचायतें हैं ग्रौर उन्होंने केवल 3 दिन के ग्रल्प समय में ही उनका दौरा करके यह रिपोर्ट दे दी कि उनमें ग्रमुक त्रुटियां हैं ग्रौर उन लोगों ने ग्रपनी सीमा से बाहर जा कर कार्य किया है। वहाँ के मुख्य मंत्री ने उन कर्मचारियों द्वारा जो कुछ कहा गया है उसके बारे में ग्रपने 28 ग्रक्तूबर, 1980 के पत्र में स्थिति स्पष्ट कर दी है... (व्यवधान)

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण ग्रौर सिंचाई मंत्री :

(श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : श्रीमानजी, मैंने ग्रनेक ग्रवसरों पर सदन में स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है परन्तु श्री बसु तथा मेरे ग्रन्य मित्रों में कुछ ऐसी सनक है जिससे प्रेरित हो कर वह हर बात कहते हैं कि उसका निदान कर पाना मेरे बस का नहीं है।

जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, हमारा रवैया पश्चिम बंगाल के साथ पूर्णतया न्याय परक रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह ग्राप की उदारता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : परन्तु पश्चिम बंगाल के गरीब तथा ग्रामीण बेरोजगार लोगों के हितों को देखने का दायित्व केवल पश्चिम बंगाल सरकार का ही नहीं है। उनके हितों की सुरक्षा करने का दायित्व भारत सरकार का भी है ग्रौर मैं यहाँ स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूँ कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार वहाँ के लोगों का साथ देने में ग्रसफल रहती है तो भी भारत सरकार उन लोगों के प्रति ग्रपने दायित्व का पालन करने में पीछे नहीं रहेगी।

मैं जानता हूँ कि ग्राप लोगों की सहायता करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ग्राप पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ राजनीतिक खिलवाड़ कर रहे हैं।

मुझे मालूम नहीं है वह कहाँ तक···(व्यवधान) इस मामले पर सभा में वाद-विवाद हो चुका था। मैंने कई प्रश्नों के उत्तर दिये थे, मैंने वाद-विवाद का भी उत्तर दिया था। मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव भी लाया गया था। कुछ माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिए निरन्तर पत्र-व्यवहार होता रहा है तथा ग्रध्यक्ष महोदय सन्तुष्ट थे कि जो भी मैंने पहले प्रत्येक ग्रवसर पर कहा था उस का प्रत्येक शब्द सच्चा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास में फोटोस्टेट प्रतियाँ हैं। क्या मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूँ ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ शुरू में मैं उन्हें यह बात समझाना

चाहूँगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन किसी आधार पर किया गया था जिसे भारत सरकार ने योजना आयोग के परामर्श से मान लिया था। परिवारों गरीब परिवारों तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या का पता लगाया गया था तथा जनसंख्या और इन परिवारों की संख्या के आधार पर आवंटन किया गया था। कृषि मंत्री या उस मामले के लिए भारत सरकार में कोई भी व्यक्ति उन मापदंडो से बाहर जाने का प्राधिकार नहीं रखता हैं। हर राज्य का हिस्सा आवंटन किया जाता है और वह हिस्सा उस राज्य को भेजा जाता है। परन्तु हमें कुछ मागदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कुछ अनुग्रह करने का अधिकार हैं। जिसके लिए हम मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किए जाने के बारे में कायल करने का तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वियन करवाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य-वश जो हमने सभा में कहा है उसके बावजूद उन्होंने उन कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जो उन लोगों द्वारा अनुभव की गई होगीं जिन के लिए यह खाद्यान्न भेजा गया था। हर समय उन्होंने यह कहने की पहल की है कि लोगों के हित में हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों से उनकी सहमति न होने के बावजूद भी कुछ आवंटन किया जाना चाहिए। उन्हें अधिक खाद्यान्न देने में हमें नियम तोड़ने पड़े पहली अप्रैल को उनके पास पिछले वर्ष का शेष 95,288 टन था। वह इस वर्ष दिया गया था। यह मात्रा पश्चिम बंगाल को दी गई थी। यदि पश्चिम बंगाल ने इस का उपयोग नही किया तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद 70,000 टन और खाद्यान्न अप्रैल, 1980 में आवंटित किया गया था। इसमें से 20,000 टन खाद्यान्न उपयोग के लिए दिया गया था हालांकि 50 प्रतिशत या उससे अधिक उपयोग का प्रमाण-पत्र पश्चिम बंगाल द्वारा नही भेजा गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पूर्णरूप से सही नहीं हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यदि आप 95,000 और 20,000 टन को जोड़ते हों तो यह 1.15 लाख टन हो जाता है। यदि उन्होंने किये गये कुल आवंटन के 50 प्रतिशत तक का उपयोग प्रमाण-पत्र कर दिया होता तो उन्हें अतिरिक्त मात्रा दी जा सकती थी। वह ठीक 57,644 टन के लगभग हुई होती 87, 644 टन के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज देना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। (**व्यवधान**)। आप 50 प्रतिशत के आधार पर हिसाव लगा सकते हैं। अन्तिम विवरण जो हमें पश्चिम बंगाल ने प्रस्तुत की है से भी मालूम होता हो कि केवल 44188 टन का उपयोग किया जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कब तक ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अगस्त के अन्त तक और यह विवरणी भी 28 अक्तूबर को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद उन्होंने कोई विवरणी नहीं भेजी। इसलिए हमारे पास कुल उपयोग प्रमाण-पत्र ठीक 45,188 टन का था। यह वह विवरणी है जिनकी मेरे पास फोटो-स्टेट प्रतियाँ हैं आप इसे देख सकते हैं और मैं इसे सभा पटल पर भी रख सकता हूँ। परन्तु पश्चिम बंगाल के ओर से इस चूक के बावजूद भी उसकी नजर से हमें खाद्यान्न जारी नहीं करना चाहिए था। श्री ज्योति वसु ने मित्र के रूप में मुझ से पूछा कि क्या हम पश्चिम बंगाल को उपयोग के लिए 20,000 टन खाद्यान्न खरीदने के लिए अनुमति दे सकते हैं। मैंने उनसे कहा, "आप क्यों खरीदना चाहते हैं ? हमारे पास आप के लिए खद्यान्न है। आप हमें उपयोग प्रमाण-पत्र क्यों नहीं भेजते हो ? 20,000 टन के स्थान पर हम आप को अधिक देगें।" श्रीमान

उन्होंने अपने सचिव विकास पश्चिम बंगाल के माध्यम से एक पत्र लिखा प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया। कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई। उन्होंने यह कहते हुए केवल एक पत्र लिखा था कि हम जारी किए गए खाद्यान्नों के50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग कर चुके हैं।"

श्री सोम नाथ चटर्जी : तारीख क्या थी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : तारीख 15 अक्टूबर थी। पत्र सचिव, विकास विभाग, पश्चिम बंगाल का था। उनके पत्र में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल द्वारा 50 प्रतिशत का उपयोग किया गया है; हालांकि विवरणी केवल 45,000 टन अथवा इस प्रकार की थी, उन्होंने कहा कि कुछ अधिक मात्रा जारी की जानी चाहिए। केवल उस पत्र के आधार पर हमने उन्हें 30,000 टन और जारी किया है। यदि यह पश्चिम बंगाल के प्रति पक्षपात नहीं है तो फिर कौन सी पक्षपातता हो सकती है ? श्रीमान, मैंने पहले कहा था···

सभापति महोदय : पक्षपातता इस कारण है कि आपकी श्री बसु के साथ अच्छी मित्रता है ? (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह कभी सोच नहीं सकता हूँ कि वे इतने गलत हो सकते हैं। वेसभा के बाहर गलत नहीं रहे हैं। हम दोनों परिचित मित्र हैं। (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सभा के बाहर वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सभा के भीतर वे पश्चिम बंगाल के वकील के रूप में दल के नेता के रूप में कार्य करते हैं और मैं उनपर उसके लिए आरोप नहीं लगाता हूँ परन्तु मैं सभा को सन्तुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति वचन-बद्ध हूँ।

एक माननीय सदस्य : यह सही भावना है। (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : वे इस बात का संकेत दे चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रति हमने भेदभाव किया है। तथा हमने दूसरों का पक्ष लिया है। मैं उनके लिए वक्तव्य लाया। उन्होंने उस वक्तव्य पर ध्यान दिया है। दो प्रकार की योजनाएं हैं। एक सामान्य 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम तथा दूसरी 'विशेष काम के बदले अनाज' कार्यक्रम है। जो भी अतिरिक्त आवंटनों को उन्होंने उद्धृत किया है वे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान को विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गये थे।

कुछ माननीय सदस्य : आंध्र तथा गुजरात के बारे में क्या है ? (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जो दिया गया था···के अधीन दिया गया था ··। आँध्र को भी सामान्य 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन दिया गया था। 'विशेष काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन नहीं··· (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या मैं इसे दोबारा पढ़ूं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, (**व्यवधान**)। आपने एक अच्छा काम किया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं इन फोटोस्टेट प्रतियों को सभा पटल पर रखने को तैयार हूँ यदि मेरा मित्र उन्हें देखना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इससे सन्तुष्ट हूँ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जो भी मैं कह रहा हूँ वह सब सच है और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : श्रीमान, इस सभा की एक उप-समिति को इस प्रश्न की जांच करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उन अनियमितताओं की—जिन्हें मैं कदाचार भी कह सकता हूँ—जो पश्चिम बंगाल के मामले में अन्तर्ग्रस्त थीं, मूल्यांकन समिति ने जांच की है। प्रतिवेदन विस्तृत रूप से भी प्रकाशित हुआ था। मेरे मित्रों को मालूम है कि इन खाद्यान्नों में से कुछ का हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विरुद्ध उपयोग हुआ था। श्री बसु कहते हैं कि हम पंचायती राज प्रणाली के खिलाफ हैं। पंचायती राज मेरे मन्त्रालय का एक अंग है और हम पंचायती राज प्रणाली को सभी विकास कार्य में शामिल करना चाहते हैं। यह प्रत्येक राज में किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन मामलों में बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को पंचायत ले तथा हमने कभी पंचायत के माध्यम से इन योजनाओं के कार्य-निष्पादन करने में पश्चिम बंगाल सरकार से आपत्ति नहीं उठायी है। हमारा उनसे केवल यह अनुरोध रहा है कि पंचायतें जनता की एक बड़ी निकाय है।···

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष तक चुनाव नहीं कराये।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सभी विचारधारा के लोगों के उस काम में सहयोग प्रदान करना चाहिये जो पंचायतें करती हैं। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किस हद तक इसे कर लिया है। परन्तु मेरे विचार से उन्होंने यह किया नहीं है।

जिला स्तर पर संचालन समिति के बारे में पश्चिम बंगाल को छोड़कर हर दूसरा राज्य हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन कर रहा था। वे हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि जिला मजिस्ट्रेट को जिला स्तर पर संचालन समिति का संयोजक होना चाहिये ताकि नागरिक कर्मचारी के रूप में उसे किसी ऐसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके जो गलत हो जाय। वे इसे करने के लिए इन्कार कर रहे थे। अब मुझे बड़ी खुशी है और मैं आभारी हूँ कि श्री बसु के अच्छे प्रभाव और अन्य मित्रों की सहायता से बंगाल सरकार ने हमें सूचित किया है कि संचालन समिति के संयोजक के रूप में जिला मैजिस्ट्रेट को रखने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। इससे भारत सरकार की एक मुख्य आपत्ति का समाधान हो चुका है।

एक आरोप जो उन्होने पिछले दिनों लगाया है शायद आज भी लगा रहे हों—मैं यहाँ नहीं था जब श्री बसु ने बोलना शुरू किया मैं मन्त्रिमण्डल की बैठक में भाग ले रहा था—वह यह है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जारी की गई मात्राओं का सही ढंग से तथा पूर्ण रूप से उपयोग न करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं है क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में पूरे वर्ष

भारतीय खाद्य निगम गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न रखे थे। मैं ग्रापको वे ग्रांकड़े भी दे सकता हूँ।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझे खेद है कि उन्होंने मेरी बात सही ढंग से नहीं सुनी है। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ग्राज बिल्कुल भी यह बात मैंने नहीं कही है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझे प्रसन्नता है कि ग्राज ग्रापने ग्रपना ग्राधार बदल दिया है। ग्रब ग्रापने यह बात मान ली है कि हम सारे पश्चिम बंगाल में पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार बनाये हुए हैं ग्रौर हम इसे देख चुके हैं कि यह भरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न उठा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कभी कमी नहीं होने दी थी। मुझे खुशी है कि ग्राप वह बात नहीं कर रहे हैं परन्तु यदि कोई भेदभाव हो सकता था तो वह खाद्यान्नों की पूर्ति में हो सकता था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) वह हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कि वह वितरित नहीं किया गया था।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह ग्रत्यन्त ही गलत बात है। पक्षिम बंगाल सरकार द्वारा एक भी शिकायत नहीं की गई है; किसी भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को कभी नहीं उठाया कि खाद्य निगम उनको ग्रावंटित खाद्यान्न जारी नहीं कर रहा है। मैं ग्रापको चुनौती देता हूँ कि ग्राप दस्तावेजों मेंःस बात को सिद्ध कर दें कि पक्षिम बंगाल सरकार ने कभी यह कहा हो कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहे हैं गोदाम खाद्यान्नों से भरे हैं। उन्होंने खाद्यान्न नहीं उठाए।

श्री निरेन घोष (दमदम) : उन्होंने ग्रापको लिखा था कि चावल गोदामों में उपलब्ध नहीं है (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चकवर्ती : जब श्री मुखर्जी ग्रपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि ग्रापको खाद्यान्न इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि केन्द्र खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहा है। जब वह यहाँ ग्राते हैं तो केन्द्र का समर्थन करते हैं। यह बड़ी ग्रजीब बात है।

श्री ग्रानंद गोपाल मुखोपाध्याय : यह सत्य नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह एक ग्राधारहीन ग्रारोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ पक्षपात किया जा रहा है। सूखे की ग्रवधि के दौरान भी पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का भंडार वरकरार रखा गया था। उस क्षेत्र के किसी भी राज्य की तुलना में वहाँ की स्थिति बेहतर थी। जनवरी में पश्चिम बंगाल में हमारे पास 7.43 लाख टन खाद्यान्न का भंडार था। फरवरी में, भारी उठान के कारण यह कम होकर 4.81 लाख टन रह गया। मार्च में, यह भंडार 4.42 लाख टन, ग्रप्रैल में 3.58, मई में 4.57 लाख टन था। भारी खपत के बावजूद, हम खाद्यान्न सप्लाई कर रहे हैं ग्रौर मंडारों को भर रहे हैं।

जून में यह भंडार कम होकर लाख टन रह गया ,जुलाई में 3.80 लाख टन, ग्रगस्त में

3 लाख टन, सितम्बर में भी इतना ही, अक्टूबर में 2.73 लाख टन और नवम्बर में 2.75 लाख टन था।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के 2 32 खाद्यान्न वितरण केन्द्र थे।

यह भारत के अन्य किसी राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस तरह हम पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद भी वे भेदाभाव के आरोप लगाते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उन्होंने हमारे गोदामों में से निम्न मात्रा में खाद्यान्न उठाए हैं—अप्रैल में 1.56 लाख टन, मई में 1.82 लाख टन, जून में 1.72 लाख टन, जुलाई में 2.09 लाख टन, अगस्त में 1.69 लाख टन, सितम्बर में 1.96 लाख टन और अक्टूबर में 1 77 लाख टन।

यदि यह सारा खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध था तो वे यह बात कैसे कह सकते है कि 'काम के बदले अनाज' योजना के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था ? परन्तु उन्होंने कभी इसे उठाना नहीं चाहा। वे समुचित रूप से खाद्यान्नों का उपयोग नहीं करना चाहते थे।

श्री सत्यसाधम चक्रवर्ती : वहाँ खाद्यान्नों के भंडार हो सकते है लेकिन सवाल यह है : क्या यह भंडार पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध किया गया था ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यदि खाद्यान्न वितरित करने में भारतीय खाद्य निगम की कोई गलती थी तो आपने उससे कहीं ज्यादा हो हल्ला किया होता जो आप आजकल कर रहें हैं। आपने इस बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए, अपके सभी आरोप पूरो तरह आधारहीन और दुर्भावपूर्ण हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मुझे क्यों दुर्भावपूर्ण होना चाहिए ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं नहीं जानता। हो सकता है आप इसका राजनीतिक लाभ चाहते हों। आप यह दिखाना चाहते हैं कि वह हर कार्य जो हमने पश्चिम बंगाल के लिए किया . (व्यवधान) चिल्लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा गला खराब है।

उन्होंने यह रूख अपनाया है कि पंचायतों से निर्धारित समय के भीतर उपयोग विवरणियाँ प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। यह उनकी एक बहानेबाजी है। हम सारे देश में एक जैसी प्रणाली का अनुकरण कर रहे हैं। यह सारा कार्य पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। यदि भारत की प्रत्येक राज्य पंचायतों के उपयोग प्रमाणपत्र लेकर समय से भेज सकता है, तो पश्चिम बंगाल सरकार क्यों नहीं ऐसा कर सकती ? इसका सीधा-सादा अर्थ है कि इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में प्रशासन अक्षम है। यह समय पर पंचायतों से विवरणियाँ प्राप्त नहीं कर सकता। यह आपकी सरकार की कमी है। आपको अपने प्रशासन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वे प्रमाणपत्रों की लेखा परिक्षा करवाते हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जी हां। मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि हमें राज्यों के माध्यम से पंचायतों से ये प्रमाणपत्र निधारित समय में मिलते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न की मात्रा जारी करने से पूर्व हम सदैव पचास प्रतिशत उपयोग के प्रमाणपत्र लेते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यही हम पश्चिम बंगाल के साथ कर रहे हैं। हमने उनके साथ नरमी की रूख अख्तियार करके उनका पक्ष लेने की प्रयास किया है। केवल आपके मामले में ही हमने एक अपवाद किया। किसी दूसरे मामले में हमने ऐसा नहीं किया है।

सभापति महोदय : मेरी सूची में चार व्यक्तियों के नाम शामिल है। उनमें से प्रत्येक एक प्रश्न पूछ सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान जी, मुझे आशा है, आप मुझे अपना प्रश्न तैयार करने के लिए कुछ मिनट की अनुमति प्रदान करेंगे **(व्यवधान)**

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी (नरसापुर) : महोदय, हम कितने समय तक रहेंगे ?
(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि वह मन्त्री महोदय द्वारा की गई टिप्पणी का किसी तरह का विस्तार अथवा स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं। नियम 55 (5) में लिखा है :

> "परन्तु अधिक से अधिक चार सदस्यों को, जिन्होंने महासचिव को पहले सूचित कर दिया हो। किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।"

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : महोदय, मैं कृषि मन्त्री जी की उन सभी टिप्पणियों का जोरदार विरोध करता हूँ, जो पश्चिम बंगाल सरकार और उसकी पंचायतों के खिलाफ थीं। वे कतई सच नहीं हैं। पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किए गये 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में कोई कदाचार नहीं हुआ है··· **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपूर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने हमें नियमों की याद दिलाने का बड़ा आग्रह किया है। परन्तु क्या सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ? अब हमारे पक्ष के सदस्य अचानक ही खड़े हुए हैं और एक सदस्य को रोकते हैं··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह प्रश्न नहीं है। वह मेरी टिप्पणियों का विरोध कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो प्रश्न की प्रस्तावना है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उन्हें हमेशा ही सदन को गुमराह करने और गलत आंकड़े उद्धृत करने की आदत है।

वह कह रहे थे कि वे पश्चिम बंगाल के पत्राचार की फोटोस्टेट कापी मेज पर रखना चाहते थे। भूमि सुधारों और भूमि वितरण के सम्बन्ध में उन्होंने सदन को गुमराह किया और

वे हमेशा ही सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

पहले, मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने केन्द्र सरकार के खाद्य सचिव को उद्धृत किया था जिसमें उन्होंने 3 जून को यह स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए 64 प्रतिशत उपयोग प्रमाण-पत्र मिले हैं। पुनः, पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री श्री अशोक मित्र ने कहा है कि 31 मार्च, 1980 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए किए गए आवंटन के 77 प्रतिशत के उपयोग प्रमाण-पत्र अर्थात् वास्तविक वितरण के 80 प्रतिशत, भेज दिए गए हैं। ये विश्वसनीय तथ्य हैं। इसलिए पहले श्री राव ने जो कहा, वह सही नहीं है।

1978 में जब वहां बाढ़ आई तो यह पश्चिम बंगाल सरकार थी जिसने पंचायतों के माध्यम से 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' द्वारा सफलतापूर्वक इसे सुलझाया।

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दीजिये। एक घंटा पहले ही निकल गया है। कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : यह वास्तविकता नहीं है कि 3 जून को केन्द्र सरकार के खाद्य सचिव ने यह कहते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा कि वितरण के उपयोग प्रमाण-पत्रों के 64 प्रतिशत भेज दिए गये हैं? यह तथ्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री अशोक मित्र ने यह कहते हुए पत्र लिखा है कि 31 मार्च, 1980 तक 3, 20, 912 टन की मात्रा के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण-पत्र अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के वास्तविक वितरण के 77 प्रतिशत के भेज दिए गए थे? क्या यह तथ्य नहीं है कि यह कुल वास्तविक वितरण का 80 प्रतिशत बैठता है?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यदि इस सम्बन्ध में कोई खास प्रश्न है और वह इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूँ परन्तु वह भाषण देकर सदन का समय वर्बाद नहीं कर सकते।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उन्होंने 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों की बावत चर्चा की। जिला परिषद् के सभापति इसके सभापति हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट इसके संयोजक होंगे। आपके मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने राज्यों ने आपके मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुकरण किया है। मैं सभी राज्य सरकारों के अलग-अलग आँकड़े जानना चाहता हूँ।

मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। कृषि मन्त्री होकर आप लोकसभा के मंच पर इस सदन को तथा देश को गुमराह करने की कोशिश न कीजिए। यदि आप गुमराह करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप हमारे संविधान के संघीय ढांचे पर आक्रमण कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार की बदनामी करेंगे और बुराई करेंगे और सदन में आँकड़ों को गलत रूप से उद्धृत करेंगे तो इससे केन्द्र-राज्य सम्बन्धो को कोई लाभ नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप सभी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) आप एक प्रश्न कीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : (ग) कितने राज्यों ने आपके मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण किया है ?

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : सदन में कोई गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : गणपूर्ति करने के लिए घंटीं बजाई जाए । अब घंटी बज रही है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : घंटी बज रही है और कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी । गणपूर्ति के लिए घंटी बजाने को मैंने कहा । कुछ ही समय से यह घंटी बज रही है । मैं देखता हूँ कि अभी गणपूर्ति नहीं है ।

एक काम किया जा सकता है । आधे घंटे की चर्चा के बारे में निर्देश 19 है जिसमें कहा गया है ।

> "जब नियम 55 के उपनियम (1) के अधीन आधे घंटे की चर्चा में गणपूर्ति न होने के कारण व्यवधान पड़ जाए या जब मंत्री द्वारा वाद-विवाद का पूर्ण उत्तर दिए जाने के लिए समय न हो, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से, एक वक्तव्य सभा पटल पर रख सकेगा ।" **(व्यवधान)**

अब मैं गणपूर्ति की घंटी बजाए जाने के लिए दूसरी बार कह रहा हूँ । गणपूर्ति की घंटी बजाई जाए ।

सभापति महोदय : मैं देख रहा हूँ कि दो बार घंटी बजाए जाने के बाद भी कोई गणपूर्ति नहीं है ।

इसलिए, मैं कल प्रात: ग्यारह बजे तक सदन स्थगित करता हूँ ।

7.01 **बजे म० प०**

तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 25 नवम्बर, 1980/4 अग्रहायण 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

1980 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए०जे० प्रिंटर्स नई दिल्ली-2, द्वारा मुद्रित ।